महानगर नई दिल्ली शुक्रवार 6 सितंबर, 2019, रु. 5.00 (18 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत और रूस का नया युग : मोदी

व्लादिवोस्तोक में गुरुवार को पांचवें पूर्वी आर्थिक मंच को संबोधित करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।

प्रधानमंत्री ने कहा, हम पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बन कर रहेंगे

मोदी-महातिर मुलाकात में उठा जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण का मुद्दा

मोदी-आबे वार्ता में समुद्री मार्गों को लेकर हुई चर्चा -खबरें पेज 8 पर

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 5 सितंबर।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि भारत और रूस हिंद-प्रशांत क्षेत्र को 'खुला, स्वतंत्र व समावेशी' बनाने के लिए इस क्षेत्र में सहयोग के नए युग की शुरुआत कर रहे हैं। चीन इस रणनीतिक क्षेत्र में अपनी सैन्य ताकत दिखाता रहता है। मोदी ने ईस्टर्न इकनॉमिक फोरम से इतर जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे से भी मुलाकात की। दोनों देशों ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग और बढ़ाने पर सहमति जताई।

रूस के शहर व्लादिवोस्तोक में पांचवें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए मोदी ने भारत की तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था का जिक्र किया। उन्होंने एक्ट ईस्ट नीति की चर्चा करते हुए कहा कि भारत जल्द ही पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा, 'जब व्लादिवोस्तोक और चेन्नई के बीच समुद्री मार्ग खुलने के साथ जहाज चलने शुरू हो जाएंगे, तो रूस का यह बंदरगाह शहर भारत में उत्तर पूर्व एशियाई बाजार को प्रोत्साहित करने वाला केंद्र बन जाएगा। इससे भारत-रूस साझेदारी और गहन होगी।' रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्र में चेन्नई व व्लादिवोस्तोक के बंदरगाह शहरों के बीच समुद्री संपर्क के बाकी पेज 8 पर

नियंत्रण रेखा पर पाक ने भेजे दो हजार जवान

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 5 सितंबर।

जम्मू-कश्मीर के मसले पर बढ़े तनाव के बीच पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर एक अतिरिक्त ब्रिगेड की तैनाती कर दी है। इस ब्रिगेड (दो हजार जवानों) को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के करीब बाग और कोटली सेक्टरों में तैनात किया गया है। पाकिस्तानी फौज ने इस ब्रिगेड को फिलहाल अग्रिम चौकियों की तरफ या आक्रमण बिंदुओं पर तैनात नहीं किया है, लेकिन भारतीय सेना इन गतिविधियों के मद्देनजर अतिरिक्त चौकसी बरत रही है। इसके अलावा पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान में स्थित स्कर्दू हवाई अड्डे पर अपने जेएफ-17 युद्धक विमानों को तैनात कर दिया है। साथ ही, सैन्य साजो-सामान भी पहुंचाया है।

सैन्य खुफिया एजंसियों के द्वारा रक्षा मंत्रालय को भेजी गई जानकारी के मुताबिक, पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा के 30 किलोमीटर के दायरे में इन सैनिकों की तैनाती की है। भारतीय सेना उनकी हरकतों को करीब से देख रही है। पीओके में जवानों की यह तैनाती ऐसे समय में की गई है, जब सीमा पार कई क्षेत्रों में पाकिस्तान ने आतंकवादियों के समूहों को सक्रिय कर रखा है। दो सौ और तीन सौ के समूहों में आतंकियों को जमा किया गया है, जिन्हें पाकिस्तान घुसपैठ कराने की फिराक में है। आतंकवादी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा और जैश ए मोहम्मद ने स्थानीय लोगों और अफगानों की भर्ती शुरू कर दी है।

जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त किए जाने के बाद से पाकिस्तान एलओसी पर 100 से अधिक एसएसजी कमांडो तैनात कर चुका है। पाकिस्तान ने इसके अलावा गुजरात से सटी सीमा सर क्रीक लाइन के पास भी अपने विशेष बलों को तैनात किया है। इसके साथ ही कश्मीर में हिंसा फैलाने के मकसद से आतंकियों की घुसपैठ कराने की भी कोशिश कर रहा है। अफगान आतंकवादियों की भी भर्ती की जा रही बाकी पेज 8 पर

भारतीय सेना सतर्क

सीमापार और पीओके से मिल रही खबरों के मद्देनजर भारतीय सेना सतर्क है। घुसपैठियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। घुसपैठिए मारे जा रहे हैं और पकड़े भी जा रहे हैं। भारत की जवाबी कार्रवाई में अब तक पाकिस्तान के दस एसएसजी कमांडो मारे जा चुके हैं।

पाकिस्तान की ओर से किसी भी संभावित खतरे को देखते हुए भारतीय सेना और वायुसेना भी पूरी तरह से तैयार है। भारत की खुफिया एजंसियां पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर बनाए हुए हैं।

पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान में स्थित स्कर्दू हवाई अड्डे पर अपने जेएफ-17 युद्धक विमानों को तैनात कर दिया है।

आत्मरक्षा के लिए सेना के प्रयोग से हिचक नहीं : राजनाथ

खबर पेज 15 पर

आइएनएक्स मीडिया मामला : न्यायिक हिरासत 19 तक

नहीं मिली राहत, तिहाड़ भेजे गए चिदंबरम

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 5 सितंबर।

आइएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम से जांच एंजसी सीबीआइ की पूछताछ पूरी हो गई है। जांच एंजसी ने भरी अदालत में यह जानकारी दी। अभियोजन ने अदालत से कहा, 'पी चिदंबरम से शुरुआती पूछताछ पूरी हो चुकी है। उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाना चाहिए।' इसके बाद सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को आइएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में तिहाड़ जेल भेज दिया। विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने चिदंबरम को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में 19 सितंबर तक जेल भेजने के आदेश के साथ कुछ निर्देश भी दिए।

अदालत ने उन्हें जेल में अपनी दवा ले जाने की अनुमति दे दी। उनकी जेड सुरक्षा का ख्याल रखते हुए अदालत ने निर्देश दिया कि चिदंबरम को जेल में अलग कोठरी में रखा जाए। महान्यायवादी तुषार मेहता ने आश्वासन दिया कि जेल में चिदंबरम को पर्याप्त सुरक्षा दी जाएगी। धनशोधन मामले में आत्मसमर्पण करने की चिदंबरम की याचिका के संबंध में अदालत ने ईडी को नोटिस जारी किया।

चिदंबरम (73) की दो दिनों की सीबीआइ हिरासत खत्म होने के बाद गुरुवार को उन्हें विशेष अदालत बाकी पेज 8 पर

दिल्ली की एक अदालत में गुरुवार को पेशी के लिए जाते पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम।

चिदंबरम के वकीलों ने अलग अर्जी देकर चश्मा, डाक्टरों द्वारा बताई गई दवाइयां ले जाने और पश्चिमी शैली के शौचालय की सुविधा मुहैया कराने का अनुरोध किया।

अदालत ने ईडी को नोटिस जारी किया

दिल्ली की एक अदालत ने आइएनएक्स मीडिया से जुड़े धनशोधन के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की आत्मसमर्पण करने संबंधी याचिका पर गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया। विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने ईडी से 12 सितंबर तक जवाब देने को कहा है। न्यायाधीश ने कहा, 'आवेदन का नोटिस ईडी को जारी किया जाए।' अदालत ने चिदंबरम को 19 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

भारी जुर्माने का उद्देश्य लोगों को कानून तोड़ने से रोकना : गडकरी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 5 सितंबर।

केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि संशोधित मोटर वाहन कानून के तहत यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माने के पीछे उद्देश्य लोगों को कानून का उल्लंघन करने से रोकना है। गडकरी ने गुरुवार को यहां एक कार्यक्रम के मौके पर इस संबंध में पूछे गए सवाल पर कहा कि जुर्माना राशि बढ़ाने का मकसद जुर्माने से धन जुटाना कतई नहीं है। मोटर वाहन कानून में संशोधन के जरिए यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माने में भारी बढ़ोतरी की गई है।

देश के विभिन्न हिस्सों से खबरें आ रही हैं कि यातायात पुलिस ने उल्लंघनों के लिए बाकी पेज 8 पर

मंत्री की सफाई

गडकरी ने कहा कि लोगों में कुछ गलत धारणा बैठी हुई है। यदि वे कानून का पालन करेंगे तो उन पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। कानून जुर्माना वसूलने के लिए नहीं लागू किया गया है। इसका मकसद है कि लोग यातायात नियमों को गंभीरता से लें।

यातायात पुलिस ने काटा चलान तो लगा दी मोटरसाइकिल में आग

खबर पेज 4 पर

एनआरसी संयोजक हजेला के खिलाफ दो मामले दर्ज

गुवाहाटी, 5 सितंबर (भाषा)।

राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) की अंतिम सूची में 'विसंगतियों' के लिए एनआरसी के असम संयोजक प्रतीक हजेला के खिलाफ दो प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं। इसके अलावा, विदेशी घोषित किए गए तीन बांग्लादेशी नागरिकों के नाम एनआरसी की अंतिम सूची में शामिल किए जाने पर एक एनजीओ ने इन तीनों और मोरीगांव जिले के एनआरसी अधिकारियों के खिलाफ तीसरी शिकायत दर्ज कराई है।

पुलिस ने गुरुवार को बताया कि एक वकील और मुसलिम छात्र संगठन अखिल असम गोरिया-मोरिया युवा छात्र परिषद ने डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी में हजेला के खिलाफ अलग-अलग प्राथमिकियां दर्ज कराई हैं। पुलिस ने बताया कि चंदन मजूमदार ने बुधवार को डिब्रूगढ़ थाने में हजेला के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उनका नाम एनआरसी की अंतिम सूची में नहीं है। मजूमदार ने आरोप लगाया कि उन्होंने बाकी पेज 8 पर

एक वकील और मुसलिम छात्र संगठन ने डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी में हजेला के खिलाफ अलग-अलग प्राथमिकियां दर्ज कराई हैं।

महबूबा मुफ्ती की बेटी को मां से मिलने की इजाजत

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 5 सितंबर।

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किए जाने के बाद एक महीने से नजरबंद राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी को अपनी मां से मुलाकात करने की गुरुवार को इजाजत दे दी। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एएस बोबडे और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर के पीठ से पीडीपी प्रमुख की बेटी बाकी पेज 8 पर

आतंकी घोषित करने पर अमेरिका का मिला समर्थन

वाशिंगटन, 5 सितंबर (भाषा)।

जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर, लश्कर-ए-तैयबा संस्थापक हाफिज सईद समेत चार आतंकियों को भारत में एक नए आतंकवाद विरोधी कानून के तहत आतंकवादी घोषित करने के कदम का अमेरिका ने समर्थन किया है जिससे आतंकवाद से लड़ने बाकी पेज 8 पर

जकी-उर-रहमान लखवी, दाऊद इब्राहिम, मसूद अजहर और हाफिज मुहम्मद सईद को आतंकी घोषित किया गया था।

सोनिया से मिले हुड्डा व सैलजा चुनावी रणनीति पर चर्चा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 5 सितंबर।

हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सूबे में कांग्रेस की मुखिया बनाई गईं कुमारी सैलजा व विधायक दल के नेता व चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष बनाए गए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से उनके निवास पर मुलाकात की। दोनों नेताओं ने नई जिम्मेदारी देने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष का आभार जताया, वहीं चुनावी रणनीति पर भी चर्चा की। बाद में दोनों नेताओं ने दावा किया कि कांग्रेस एकजुट होकर लड़ेगी और हरियाणा में फिर से अपनी हुकूमत कायम करेगी। दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बाकी पेज 8 पर

सोनिया गांधी भूपेंद्र हुड्डा कुमारी सैलजा

पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर के घर पर भी जुटे कांग्रेसी, हाईकमान के फैसले पर जताई नाराजगी

चांद पर उतरने के लिए 'विक्रम' हुआ तैयार

बंगलुरु, 5 सितंबर (भाषा)।

'चंद्रयान-2' का लैंडर 'विक्रम' शनिवार तड़के चांद की सतह पर ऐतिहासिक 'सॉफ्ट लैंडिंग' के लिए तैयार है और यह क्षण इसरो के वैज्ञानिकों के लिए 'दिल की धड़कनों को थमा देने वाला' होगा। भारत के लोग देश की इस ऐतिहासिक अंतरिक्ष छलांग की सफलता के लिए प्रार्थना करने के साथ ही शुक्रवार-शनिवार की दरम्यानी रात होने वाली 'सॉफ्ट लैंडिंग' की घड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ देश ही नहीं, बल्कि दुनिया के अन्य राष्ट्रों की निगाहें भी इस मिशन पर टिकी हैं।

सफल 'सॉफ्ट लैंडिंग' भारत को रूस, अमेरिका और चीन के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाला बाकी पेज 8 पर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 60-70 हाईस्कूल छात्र-छात्राओं के साथ इस ऐतिहासिक लम्हे का सीधा नजारा देखने के लिए इसरो के बंगलुरु केंद्र में मौजूद रहेंगे।

दरअसल

देर रात से लेकर तड़के तक चली चर्चा

बहस

छात्र संघ के लिए आज होगा मतदान

जेएनयू छात्र संघ चुनाव में गूंजा जय श्रीराम

सुशील राघव
नई दिल्ली, 5 सितंबर।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) छात्र संघ अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में उतरे छह उम्मीदवारों ने बुधवार देर रात से लेकर गुरुवार अलसुबह तक अध्यक्षीय परिचर्चा में भाग लिया। उम्मीदवारों ने अपनी बातें 'सतरंगी सलाम' से लेकर 'जय श्रीराम' के नारों के साथ विद्यार्थियों के सामने रखीं। इस दौरान वहां मौजूद कई सौ विद्यार्थियों ने ढपली और शंखनाद के साथ अपने उम्मीदवारों का हौसला बढ़ाया। छात्र संघ चुनाव के लिए शुक्रवार को मतदान होना है।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के उम्मीदवार मनीष जांगिड़ ने 'भारत माता की जय' और 'वंदे मातरम' के नारों के साथ परिचर्चा की शुरुआत की। लाल रंग का कुर्ता पहन कर परिचर्चा में शामिल हुए जांगिड़ ने कहा कि वामपंथी 9 फरवरी, 2016 को भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जैसे नारे लगाते हैं। ये भारतीय सेना को बलात्कारी कहते हैं। उन्होंने कहा लेकिन एबीवीपी वहीं अनुच्छेद 370 को हटाकर 'कश्मीर से कन्याकुमारी, भारत माता एक हमारी' नारा लगाती है।

भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआइ) के प्रशांत कुमार कहा कि आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां निराशा छाई हुई है और यहां हर नियम और कायदे को दांव पर लगा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि ऐसे में मुझे फैज की लाइनें याद आती हैं 'लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजे'। प्रशांत ने कहा कि वर्तमान में मुझे प्लेटो की याद आती है जिन्होंने कहा था 'यदि आप सरकार के कार्यों में रुचि नहीं लेते हैं तो आपके ऊपर मूर्ख राज करेंगे'।

निर्दलीय उम्मीदवार राघवेंद्र मिश्रा ने अपने भाषण की शुरुआत 'जय श्रीराम' और 'भारत माता की जय' के नारों के साथ की। उन्होंने कहा कि हमें अपने देश में कलाम चाहिए कसाब नहीं। उन्होंने 'जय श्रीराम', 'जय भीम' और 'जय कलाम' का नारा बाकी पेज 8 पर

उम्मीदवारों ने अपनी बातें 'सतरंगी सलाम' से लेकर 'जय श्रीराम' के नारों के साथ विद्यार्थियों के सामने रखीं। इस दौरान वहां मौजूद कई सौ विद्यार्थियों ने ढपली और शंखनाद के साथ अपने उम्मीदवारों का हौसला बढ़ाया।

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

It is for general information that I, RAM ADHAR GIRI S/o RAM NARAYAN, R/o 16/27, Geeta-Colony, Delhi-110031, inform that name of my father & my Date of Birth has been wrongly written as H.GIRI and 10/04/1958 in my Driving-Licence. The actual name of my father and my correct Date-of-Birth is RAM NARAYAN and 10/04/1956, which may be amended accordingly. 0040511091-8

It is for general information that I Ravi Kumar S/O Shri Maichand R/O Flat No-181, Palam City Apartments, Second floor, Pocket-2, Sector-23, near heritage school Delhi-110085, declare that my name has been wrongly written as Ravi Kumar Chauhan in some documents and school Record of my minor son Aaditya Chauhan (30/12/2005) my actual name is Ravi Kumar which may be amended accordingly. It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection. 0040511105-7

I,**Pushpa** Badaval,W/oSh. Rajendra Singh,R/o-WZ-6,Om Vihar,Phase-4,Uttam Nagar,New Delhi-110059,have changed my minor son`s name from Gautam Badwal to Gautam for all future purposes & also inform that his mother name in School record is Pushpa Badwal, Which is wrong and correct name is Pushpa Badaval. 0040511105-3

I,**Poonam** Mehrotra w/o-Bhola Nath Mehrotra R/o-309-C, Street.No.5, East-Babarpur, Shahdara, Delhi-110032, have changed my name to Punam Mehrotra permanently. 0040511090-5

I, hitherto known as VISHVESHWAR DAYAL son of JYOTI PRASHAD SHARMA employed as ENFORCEMENT OFFICER in Transport Department, G.N.C.T. Delhi residing at-C-4/140, Ground-Floor, Sector-6, Rohini, Delhi-110085 have changed my name and shall hereafter be known as VISHVESHWAR DAYAL SHARMA. 0040511036-1

I, hitherto known as CHHOTU S/O DHARAMVEER SINGH employed as Constable in Delhi Police, Residing at-243, Kh.No-19/5, Ground Floor, Block-A, Sant-Nagar, Burari, North/Delhi, Delhi-110084.have changed my name and shall hereafter be known as KUNAL. 0040511130-1

I, Yogender S/O Rajender Parshad H.NO-1196, GaliNo-3, B-Block Baba-Colony Burari New-Delhi-110043 have changed my name to Yogender Sharma. 0040511090-4

I, Vinod S/o Shri.Prem Chand R/o-H.no.2, Extn.-2, Nangloi, Delhi-110041,have changed my minor son's name from Jaivik to Ansh.,for all purposes. 0040511112-2

I, Veena W/O Neeraj Choudhry R/O-771, Pocket-1, Janta-Flats, Paschim-Puri, New Delhi-110063, have changed my Husband's name from Neeraj to Neeraj Choudhry, for all Purposes. 0040511091-2

I, Usha Bhatia R/o C-8/215, Keshav Puram, Delhi-110035, have changed my name to Usha Rani for all purposes vide affidavit dated 04.09.2019 sworn before notary Ram Sharan. 0040511035-1

I Harman Singh Kalra S/o Jaspal Singh R/o D-65, West Patel Nagar Delhi-8 have changed my name to Harman Singh. 0040511091-1

I, Tasheem Nakhat W/o Ahsan Ullah Khan R/o-1241, Kotla-Mewatyam, Old-Chungi, Near-Ek Minar-Masjid, Hapur.,have changed my name to Nakhat Tasheem. 0040511130-6

I, Tanisha Goyal D/o-Narender Kumar Gupta R/o-B-7/34-35, Third Floor, Sector-11, Rohini, Delhi-110085, have changed my name to Tanishaa for all purposes. 0040511039-1

I, Suniti Mittal W/o Rohit Mittal D/o Om Prakash Goyal R/o-D-17, Kamla Nagar, Delhi-07,do hereby Solemnly affirm and inform that,after marriage (dated-15-01-2007),I had Changed my name from Sunita to Suniti Mittal. Suniti Mittal and Sunita is Same and one Person. 0040511020-2

I, Sunita Sharma W/o Sudhir R/o-Flat No.102, Plot,No.200, Pana-Udyan, Narela, Delhi-110040 have changed my name,from Sunita Sharma to Sunita in future Purposes/ work. 0040511091-5

I, Sudhir S/o Ram Gopal R/o-Flat No.102, Plot.No.200, Pana-Udyan, Narela, Delhi-110040. have changed my minor Son name Nikhil Sharma to Nikhil in future Purposes/work. 0040511091-6

I Archna Bijalwan W/o Suman Kumar R/o H No.155 Pratap Khand Vishwa Karma Nagar. Jhilmil Colony, Delhi-95, have changed my name to Archana Dabral. 0040511093-1

I Anita alias Sikha D/o Jitender Singh R/o 447, Block-F-7, Sultan Puri, Delhi-110086, have changed my name to Anita 0070673100-1

व्यक्तिगत

I, Subhash Aggarwal S/o Late Sh. Dev Raj Aggarwal, R/o 26, 2nd Floor Harsh Vihar, Pitam pura, Delhi-34, have changed my name to Subhash Chand Aggarwal for all purposes. 0040511065-1

I, Shurmila Kumari W/o Ranjay Kumar Singh R/o-1622, Sec-5, Vasundhara, Ghaziabad-UP have changed my name to Shurmila Singh. 0040511130-4

I, Shreya D/o Narender Kumar Bansal R/o-4-B/22, Rang Rasayan-Apartment, Sector-13, Rohini, N.Delhi-110085. changed my name to Shreya Bansal. 0040511112-8

I, Shaif Khan R/o 12/34 Ka Purana Quila Cantt Road, Lucknow-226001, have changed my minor son's name from Arsh Khan to Devesh for all purposes. 0040510864-2

I, Seema Gupta W/o-Narender Kumar Gupta R/o-B-6/102-103, Second Floor, Sector-11, Rohini, Delhi-110085, have changed my name to Seemaa for all purposes. 0040511038-1

I, Satish Kumar S/o Beg Raj R/o-20, Street No.1, Shankar-Nagar, Delhi-110051. have changed my name to Satish Kumar Mittal. 0040511112-9

I, Sanwar Mal Agarwal r/o HNo.-9, Ashoka Park Extension, East Punjabi Bagh, New Delhi, have changed my minor (DOB:16/03/2005) son's name from Vikas Aggarwal to Vikas Agarwal. 0040511041-1

I, Sanjay Bajaj S/o Bhagwan Dass R/o House No.-A-1/1, Nathu Colony Chowk, Shahdara-110093, have changed my minor son's name from Viral Bajaj aged 12 years to Veeral Bajaj 0070673098-1

I, Sampat Kumar Harbhajanka S/o Mathura Lal R/o D-2/13 Rajasthali Appt. Pitam Pura Delhi-34 have changed my name to Sampat Kumar. 0040511047-1

I, Sachin S/o Jagdev Singh R/o-EA-1/18, Ist Floor, Inderpuri, New Delhi-110012 have changed my name to Sachin Singh permanently. 0040511130-8

I, Saad Rizvi S/O, Yasmeen Shamsi Rizvi R/o Tower 9, Flat 1501, Lotus Boulevard, Sector-100, Noida-201301, have changed my name to Samuel Callard. 0040511109-1

I, Roshan Lal S/o Sharan Dass R/o-A-28, Jain Park, Gali.No.3, Uttam Nagar, West Delhi have changed my name to Roshan Lal Chauhan. 0040511130-3

I,Ritu Rai D/O Late Tarsem LAl Karwal R/ON-570 Shiv-Mandir Jalvayu-Vihar Sector-25 Noida Distt-GBNagar Have changed my Name to Ritu Karwal. 0040511048-1

I, Revati D/O,Kuppu Swamy Rajender R/o-272-f Pocket-2 Mayur Vihar Phase-1 New Delhi., have changed my name to Revati Chandrasekhar. 0040511145-5

I, Revati D/O, Kuppu Swamy Rajender R/o 272-f Pocket-2, Mayur Vihar Phase-1, New Delhi, have changed my name to Revati Chandrasekhar. 0040511139-1

I, Rekha Bhadouriya W/o Mahesh Singh R/o-S-1, 4/417, Vaishali, Ghaziabad, have change my name to Rekha Singh,for all future purposes. 0040511112-3

I, Reeva D/O : Prakash Chand Chopra, R/o : 136, Gali No 6, Krishna Nagar, Safdarjung Enclave, New Delhi-110029 have changed my name to Reeva Chopra 0070673102-1

I, Ravendra Kumar Sharma S/O Peshkar Sharma R/o-333, PKT-5 Sector-22 Rohini, Delhi have Changed my Name to Ravinder Kumar Sharma 0040511020-1

I, Rashmi W/o Anjay Jain R/o-B-406 Welcome Apartment, Sector-9 Rohini Delhi-85 changed my name to Rashmi Jain. 0040511112-6

I, Rashmi W/o Anjay Jain R/o Flat No.3 Young Friends Co-Op. GHS LTD. Sector-9 Rohini Delhi-85 changed my name to Rashmi Jain. 0040511090-6

I, Rajesh Kumar Jha,S/o-Jai Ram Jha, R/o-H.No.693, Street.No.15, Main Market, Sant-Nagar; Delhi-84,have changed my Minor daughter 's name from Mimansha to Mimansha Jha. 0040511150-1

I, Pawan Kumar Sharma S/o Shriniwas Sharma R/o 114 1st Floor, Gali No.4, West Azad Nagar, Krishna Nagar, Delhi-110051 have changed my name to Pawan Sharma 0040511089-2

I, Pankaj Kumar S/o Vijay Kumar Aggarwal R/o H.No C-38, 3rd Floor, Mayfield Garden, Sec-50. Gurugram-122018, have changed my name to Pankaj Aggarwal for all purposes. 0040511024-1

I Dhirendra Kumar S/O Late.Yogeshwar Jha H.No-C-66,Nanhey-Park, Uttam-Nagar, New-Delhi-110059.inform that my name Dhirendra Kumar and Dhirendra Kumar Jha both are one and same person. 0040511130-7

I Azra Banu Mairaj alias Azra Bano Mairaj alias Azra Bano D/o Mohammed Abdul Kareem and W/o Sajid Raza Khan R/o House No-M-56A, Abul Fazal Enclave, Jamia Nagar, Okhla, Delhi-110025, have changed my name to Azra Bano 0070673101-1

I Mushtaq Khan R/o House No 889 , Block B Jahangir Puri Delhi 110033 have changed my name to Mohd Mustak 0070673096-1

I, Om Parkash S/o Roshan Lal Chauhan R/o-S-1, Plot No.359, Sec-4, Vaishali, Ghaziabad have changed my name to Om Parkash Chauhan. 0040511130-2

I, Neeraj Choudhry S/o Avdhesh Choudhry R/o-771 Pocket-1, Janta-Flats, Paschim-Puri, New Delhi-110063, have changed her minor daughter's name,from Ananya to Ananya Singh Pathania and her father's name from Neeraj to Neeraj Choudhry, for all Purposes. 0040511091-3

I, Nabaghan Patra S/o Kolha Patra R/o Flat No-33, Mahabhadrakali CGHS, Plot No.-6, Sector-13, Dwarka, Delhi-110078, declare that name of my daughter has been wrongly written as Priyanka in my minor daughter's Priyanka Patra aged 7 years in her Birth Certificate. The actual name of my daughter is Priyanka Patra. 0070673120-1

I, Nabaghan Patra S/o Kolha Patra R/o Flat No-33, Mahabhadrakali CGHS, Plot No.-6, Sector-13, Dwarka, Delhi-110078, declare that name of my daughter has been wrongly written as Kumari Lipsita Patra in my minor daughter's Lipsita Patra aged 13 years in her Birth Certificate. The actual name of my daughter is Lipsita Patra 0070673117-1

I, Naaz Ashraf W/o Ashraf Raza Khan R/o-C-22 Rose Aparment Sector-14. Extn. Rohini Delhi-110085. chaged my name to Naz Khan. 0040511112-4

I, Mudasir Amin S/O, Mohd Amin Baroo R/o 106 3rd Floor, Main Road Noornagar, Jamia Nagar Okhla ND-25, have changed my name to Mudasir Amin Baroo. 0040511034-1

I, Anita W/o Vinod Kumar R/o B-237, DDA Flats, New Ranjeet Nagar, New Delhi-110008 have changed my name from Nita to Anita for future purposes. 0040511028-1

I, Manpreet D/O Dharmendar Singh born on 05/07/1999 residing at 312-A, Janta flats Sarita vihar new delhi-76 have changed my name to Manpreet Kaur vide affidavit dated 28/08/2019 at Sarita vihar new delhi-76 0050154646-1

I, Manish Kumar R/O-116, First Floor, G block, Vikaspuri, New Delhi-110018 have changed my minor child name from Hemang to Hemang Kumar for all the purposes. 0070673115-1

I, Mahender Kumar S/o Shyam Lal R/o-A-1/27B, Lawrence Road Keshav-Puram Onkar Nagar Delhi-110035. changed my name to Mahender Narula. 0040511145-1

I, Madan Lal S/o Chamba Ram R/o-118, Village-Ahli Sadar, Hijarawan Khurd(40), Fatehabad, Haryana-125050 that my wife name has been wrongly-written as Krishna in my minor daughter Simran Kamboj aged-17-years school certificates.The actual name of my wife is Krishna Rani. 0040511130-9

I, MAMTA D/o Mr.Prithvidhar Dhoundiyal, R/o-128-G, Pocket-A-2, Mayur-Vihar Phase-III, Delhi-110076, have changed my name to MAMTA DHOUNDIYAL., for all purposes. 0040511145-4

I, Lalit Laxman Sharan Sharma S/O Mahavir Prasad Sharma R/O-7 Baldev Park Parwana Road Delhi -110051 Have Changed My Name To Lalit Sharma. 0040511090-7

I, Kamini Kaushal Arya W/o Devesh kumar Dev R/o-D-1067,Gali No-09, Ashok-Nagar, Delhi-110093,have changed my Name to Kamini Kaushal for all purposes. 0040511091-7

I, Kailash, S/o Late.Vidya Prasad R/o-B-109, Subhash Park, Uttam Nagar, N.Delhi-110059 Changed My Minor Son's Name, Anurag to Anurag Rajveer. 0040511112-7

I, KUSHAGRA S/o Mukesh Kumar Sharma R/o 19, Gulab Vihar Appts, Sector-9, Rohini, Delhi-110085 have changed my name to KUSHAGRA SHARMA for all future purposes. 0040511029-1

I, Jogesh Tripathi S/o Bal Krishna Tripathi R/o Flat No.7116, Tower-8, E-1, GH-07, Crossing Republic, Ghaziabad, UP-201016 have changed my name to Jogesh Kumar Tripathi. 0040511094-2

I, Jasvinder Bir Singh S/o Swinder Singh R/o:J-157, Rajouri-Garden, New Delhi-27.Have Changed My Minor Son's Name,from Pavneesh Singh to Pavneesh Shahpuri 0040511112-5

I, Inderbir Singh S/O Lakhbir Singh R/O-A-129 Phase-1 Mayur-Vihar Pocket-1 Delhi-110091, Have Changed My Name To Inderbir Singh Goraya. 0040511090-8

I, Harshal Pandey, Resident of 131, Pocket-V, Mayur Vihar-1, Delhi-110091 certify my father & mother incorrect name as mentioned in Class-X, CBSE certificate should be correctly spelt & read as Harrick Vijay Pandey & Lata Pande respectively for all official purposes. 0040511027-1

I , Ankit R/O 1020 mehta chowk Mehrauli Delhi 110030 have changed my name to Ankit Sharma 0070673094-1

I Prashant Kumar Srivastava R/O A-195, 2nd floor, Sudarshan Park, Moti Nagar, Delhi 110015 have changed my name to Prashant Srivastava. 0070673111-1

व्यक्तिगत

I, Gurpreet S/o Joga Singh R/o-A-51, Chattarpur-Ext. Behind Nanda Hospital, Mehrauli, Delhi-110074 have changed my name to Gurpreet Singh. 0040511112-10

I, Gourav Gupta s/o Ravindra Kumar Gupta r/o J-3/175A, Sangam Vihar, ND-80. Have changed my name to Gaurav Gupta. 0040511095-1

I, Geeta Gupta W/o Rajeev Gupta R/O C-162 LIG Flat Ashok Vihar Delhi-52, informs that the name of mine has wrongly written as Gita in my minor daughter Himanshi Gupta in her school records. The Actual Name of Mine Is Geeta Gupta. 0040511113-1

I, Darakshan Bi W/o Mohammad Shehroz R/o B-60, 4th Floor, DDA Colony, New Jafrabad, Delhi-110032 have changed my name to Darakshan 0040511089-1

I, Dilip Sharma s/o Shri Ram Shobhit Sharma r/o house no. I-935/17, Sangam Vihar, New Delhi -80, that my name wrongly mentioned as Dilip Kumar in the CBSE records of my daughter (minor) Preeti (DOB 6.2.2014). My correct name is Dilip Sharma. 0040511092-1

I, Brijesh Malhotra, R/O-42, Kalyani-Appt, Plot No-31, Sec-4, Dwarka, N.Delhi-110075., CHANGED My Minor Son Name Garav Malhotra To Garv Malhotra. 0040511145-3

I, Aryan Singh Pathania S/o Neeraj Choudhry R/o-682, Sector-12, Vasundhara, Ghaziabad, UP-201012.,have changed my Father's and Mother's name,from Neeraj Singh and Veena Singh to Neeraj Choudhry and Veena respectively, for all Purposes. 0040511091-4

I, Anitya Barik S/o Rabindra Barik R/o-C-47, Swami-Nagar, Delhi-110017, have changed my name to Anitya Kumar Barik for all purposes. 0040511112-1

I, Amar Jyot Kaur W/O-Gajinder Pal Singh Panesar R/o-3/4/24, Sham Singh Street Gopi Nath-Bazar Delhi-Cantt Delhi-110010. Changed my name to Sonu Panesar. 0040511090-3

I, Ali Hasan Khan S/o Ahsan Ullah Khan R/o-1241, Kotla Mewatyam, Old-Chungi, Near-Ek Minar Masjid, Hapur have changed my name to Hasan Ali Khan. 0040511130-5

I, Akash goatam S/O Makkhan singh R/O-kh.no.160/1 gali. no.3/2 samta-vihar mukand-pur part-2 Delhi-110042, Changed my name to Akash. 0040511090-1

I, Aijaz Mohammad Khan S/o Shaukat Ali Khan R/o 1945, Gali Chunno Mal Sui Walan, Darya Ganj, New Delhi have changed my minor dauthter name from Suminiyia Khan to Sumaiya Khan. 0040511083-1

I, ARCHONA GANGULY W/o Pradeep Kumar Ganguly R/o N-24, G.F. Chittranjan Park, Delhi-110019 have changed my name to ARCHANA GANGULY for all purposes. 0040511042-1

I, A. Krishnan S/o Arunachalam Iyer R/o 1520, Milano Tower, MahagunMascot, Crossing Republik, Ghaziabad, UP-201016 have changed my name toKrishnan Arunachalam. 0040511094-1

I hitherto known as Asha Rani Alias Asha Alias Asha Upadhayay, wife of Shri Jai Parkash Upadhyay Resident of AG-597, Shalimar Bagh, Delhi-110088 occupation Self employed have changed my name and shall hereafter be known as Asha Rani Yadav.It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection. 0040511105-8

I Yash Sahoo S/o Priya Wadhera R/o-F-85 GF, Sushant -Lok-2 Gurgaon Haryana-122001, have changed my name to Yash Wadhera. 0040511145-6

I Taranpreet Kaur Narula alias Taranpreet Kaur D/o Jagjit Singh Gandhi and W/o Sukhdev Singh residing at E-50, 1st Floor, Gali No-1, Pratap Nagar, Rana Pratap Bagh, Delhi-110007, have changed my name to Taranpreet Kaur Narula 0070673097-1

I Sushila Bist @ Sushila @ Sushila Mahar D/o Late Sh.Sagat Singh W/o Sh.Pooran Singh Mahar R/o B-3705, Gali No.101, Sant Nagar, Burari, Delhi-110084 have changed my name to Sushila Mahar for all purposes. 0040511023-3

I Surinder Singh S/o Sh.Trilok Singh Bhatia R/o 3/116, Geeta Colony, Delhi-110031 have changed my name to Surinder Singh Bhatia for all purposes. 0040511023-5

I Sapna D/o Raj Pal Singh R/o B-235, Palam Extn. Sector-7, Dwarka, New Delhi 110075 have changed my name to Sapna Choudhary as per affidavit for all purposes. 0070673079-1

I Ignisiya Tirkey W/O Helariyus Tirkey R/O Vill-Barwadih, PS-Jari, Lowabar Gumla, Jharkhand-835230. Have Changed my Name to Egnisiya Tirkey. 0040511090-9

I Gurmeet Singh Sethi S/o Late.Jaipal Singh Sethi residing at-B-71B, First-Floor Fateh-Nagar Tilak-Nagar New Delhi-110018.have changed the name of my minor son Harshpreet Singh aged 17years and he shall hereafter be known as Harshpreet Singh Sethi. 0040511145-8

मैं, सिद्धार्थ कुमार पुत्र श्री हेमंत कुमार, निवासीः मकान नं. एल2डी 61 बी 4वां तल लाल बहादुर शास्त्री कम्प्यूटर इंस्टिट्यूट, डीके मोहन गार्डन, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059, कि मेरे स्कूल के प्रमाण पत्र में मेरा नाम सिद्धार्थ गलती से लिखा गया है। सिद्धार्थ एवं सिद्धार्थ कुमार एक ही व्यक्ति है।

मैं, नज़ीर मुहम्मद मुहम्मद इरफ़ान निवासी फ-160/1 ब्लॉक फ अबुल फज़ल एन्क्लेव पार्ट 2 शाहीन बाघ, जामिया नगर दिल्ली-25 ने अपना नाम बदलकर मुहम्मद इरफ़ान कर लिया है। 50154523

I Ram Rati W/O Kapoor Singh H.No-86, Ajay Park Naya Bazar Najafgarh Delhi-110043 have changed my name to Sunita. 0040511090-2

I Rajni W/o Sh.Rakesh Kumar Bhatia R/o C-38, Arya Samaj Road, Uttam Nagar, New Delhi-110059 have changed my name to Rajni Bhatia for all purposes. 0040511023-1

I Rajendra Kumar S/o Kishan Lal R/o-D-729, Sarasvati-vihar Pitampura Delhi-34. changed my name to Rajendra Kumar Gupta. 0040511145-2

I Puneet Bajaj W/o Rajeev Vij R/o-C5D/89A Ground Floor Janakpuri Delhi-110058., have changed my name to Namrata Vij. 0040511145-7

I Neeru @ Neeru Kapoor D/o Mr.Dhani Ram Khanna W/o Sh.Kamal Kishore Kapoor R/o 1213 B, 1st Floor, J-Block, Sector-1, Palam Vihar, Gurgaon-122017 have changed my name to Kavita Kapoor for all purposes. 0040511023-2

I Nazeer Mohammed Mohammed Irfaan S/O Mohammed Nazeer Ahmed Residing At F-160/1 Block F Abul Fazl Enclave Part 2 Shaheen Bagh Jamia Nagar Delhi 110025 Have Changed My Name To Mohammed Irfaan Vide Affidavit Dated 02.09.2019 At Delhi 0050154525-2

It is for general information that I Asha Rani Yadav wife of Shri Jai Prakash Upadhyay Resident of AG-597, Shalimar Bagh, Delhi-110088, declare that the name of mine, my minor son Nikhil Upadhyay aged 13 years and minor daughter Sumedha Upadhyay aged 14 years has been wrongly written as Asha Alias Asha Upadhayay in birth certificate and school record. The actual name of mine is Asha Rani Yadav respectively which may be amended accordingly.It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection. 0040511105-6

खोया+पाया

I, Umesh Khanna S/o Late Ram Dhan Lost my Original Property-Paper Demand-letter, possession-letter, side-possion, Bank-chalan of Property No.21D BB East-Shalimar Bagh All paper name of Ram Rakhi Sharma. 0040511145-10

I, NISHA Rani D/o Rishipal Singh R/o- B-165 village gazipur Delhi-96. have lost my original certificate class-10th year-2011 Rollno-8635834 CBSE-Delhi. 0040511150-3

I, Priya D/o vinod kumar R/o-21/10 c-block gali no-7 harit-vihar delhi-84 have lost my original certificate class-10th, rollno-5855169 (2014) Class-12th Rollno-5855516 (2016) CBSE-Dehradun. 0040511150-2

I, Ranjit Singh Ahluwalia S/o Charanjiv Singh Ahluwalia Have Lost two Originals Sale Deeds Wide Registration No-36132, Vol.No-19507 Dtd-31/12/2011 & Registration No-4414, Vol No-19654 Dtd-22/2/2012 Of Property No.WZ-421, Third-Floor, Shiv-Nagar, New Delhi-58 Finder Contact:-9810646460. 0040511091-10

I, KAMAL Sharma s/o Ishwer sharma R/o.h.no.215 old-Bank Street Rithala-village Delhi-85, have lost my original certificate class-10th year-2013 Rollno-8157673 CBSE-Delhi. 0040511145-9

PUBLIC NOTICE

The notice is hereby given to public at large that our clients namely Sh. Anil Kumar Gupta & his wife Smt Sunita Both R/O L-1st/ 2526, Sthal Mandir Road, Sangam Vihar, New Delhi have disown their son namely Rajan Gupta and his wife Smt. Pooja Gupta from their all movable and immovable properties with immediate effect and further have broken all kind of relationship with them and our clients shall not be responsible for their any kind of acts of said Rajan Gupta and Pooja Gupta if anybody does any kind of dealing with them.

Sd/-
SHIBA PERVEEN & SURENDER SINGH ADVOCATES
CHAMBER NO.104, SAKET COURT, NEW DELHI

PUBLIC NOTICE

Notified that my client (1) Smt. Bimla W/o Shri Ramesh (2) Shri Ramesh S/o Shri Prabhu Dayal both R/o 13, Rang Mahal Jhuggi, Pitampura, Delhi-110034, has/have severe relation from their son **SUNNY and his wife SHANTI and their children Dherya, Yogita**. Due to their cruel and harassing behaviour towards my above named client. Now they have no domestic relations with them and has/have disowned them from all movable & immovable properties.
Any person dealing with his/her/him/them will do at his/her/them own cost & risk and my client's should not be responsible for them, if any.

Sd/-
SAURABH GUPTA (Advocate)
OFFICE ADDRESS Opp. Rohini Court Shop No. 15 RU-BLOCK DDA Market Ex SR-Office New Delhi-110034

PUBLIC NOTICE

My Clients **SATISH KUMAR SAREEN S/O LATE SOMNATH SAREEN** Resident of House C-305, Gali No-14, C-Block, Bhajanpura, Delhi-110053, are the absolute & Legal owners in possession of the property bearing One Shop bearing property No-C-305/6, measuring 26.5 sq yds out of Kh No-374, situated in the area of village Ghonda Gujran Khadar, in the abadi of C-Block, Gali No-14, Main Market, Bhajanpura, Delhi-110053, vide Relinquishment Deed date 19/12/2018 with document no-**6582**, any person who has got interest title claim encumbrance charges of any nature within 10 days from the date of publication of this notice falling which it shall be presumed that the said property is free from all such claims interest charges encumbrances etc.

Sd/-
VINESH KUMAR BOKADIA (Advocate)
Regd No-D-2003/4.

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल श्री बलराज सोनी एवं श्रीमती वर्षा सोनी धर्मपत्नी श्री बलराज सोनी निवासी 3133, संगतराशन, पहाड़ गंज, नई दिल्ली- 110055 ने अपने पुत्र श्री विजयन्त सोनी व उसकी पत्नी श्रीमती मनीषा को उनके गलत व्यवहार, दुर्व्यवहार व लड़ाई झगड़ा करने के कारण उन्हें अपनी समस्त चल-अचल व अन्य सभी सम्पत्ति से बेदखल कर अपने सभी पारिवारिक संबंध विच्छेद कर दिए हैं। भविष्य में इनसे किसी प्रकार का लेन-देन करने वाला खुद जिम्मेदार होगा। मेरे मुवक्किल जिम्मेदार नहीं होंगे।

हस्ता./-
किशन दत्त शर्मा (अधिवक्ता)
चे.नं. 96-ए, प्रथम तल, वैस्टर्न विंग
तीस हजारी कोर्ट दिल्ली

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल श्रीमती उर्मिला देवी वर्मा पत्नी स्वर्गीय श्री संजीव कुमार वर्मा, निवासी टी-211, शुक्र बाजार, उत्तम नगर वेस्ट, नई दिल्ली-110059 ने अपने पुत्र श्री चेतन वर्मा को अपनी चल और अचल सम्पत्तियों से बेदखल कर दिया है, और साथ ही उससे अपने सारे/सभी रिश्ते तोड़ दिए हैं। मेरे मुवक्किल और उनका परिवार चेतन वर्मा कृत्यों के लिये उत्तरदायी नहीं होंगे, जो भी भविष्य में उनके द्वारा किया जाता है और कोई भी उसके साथ व्यवहार करता है, तो वह अपने जोखिम और जिम्मेदारी पर ऐसा करेगा।

हस्ता./-
अशोक कुमार एंड एसोसिएट्स
अधिवक्ता
ए-3, मैन नजफगढ़ रोड,
अपोजिट मेट्रो पिलर नं. 659,
उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059

PUBLIC NOTICE

My client Sh. Govind Singh Bhandari S/o Late Sh. Devi Singh Bhandari R/o A-1/64, Sector-15, Rohini, Delhi-110085 has deserted and disowned his son Aditya Bhandari & his wife from his all movable and immovable properties due to their disobedience. He is not in control & in contact with my client since 05-06-2010. My client have also severed all his relation with them. If anybody deals with them he will do so at his own risk, costs and consequences. My client shall not be held responsible for their acts in any manner for the same.

GURNAM SINGH (Advocate)
M.: 9810286202

PUBLIC NOTICE

Be at known to public at large that my client Sh. Dharmpal S/o Sh. Ram Singh R/o 341, Dada Mai Wala Colony, Village Bankner, Narela, Delhi, have disinherited and disowned their son Sh. Manjeet, his wife Mrs. Rakhi and their sons Master Daksh (aged 7 years) and Master Yaksha (aged 5 years) all R/o 341, Dada Mai Wala Colony, Village Bankner, Narela, Delhi, from all their movable and immovable properties. They have no concern whatsoever with their activities which they shall be doing in future or whatever they have done in past. Anybody dealing with them shall be doing so at their own costs and risks and my clients shall not be responsible in any manner whatsoever.

Sd/-
SATPAL SHARMA (Advocate)
Ch. No. 495-A, W. Wing, Tis Hazari Courts, Delhi-54

PUBLIC NOTICE

General Public is hereby informed that my client Smt. Rani Kahn Wife of Late Shri Mehraj Khan Resident of C-I/94, Dilshad Plaza Extn-II DLF Bhopura, Sahibabad Distt. Ghaziabad U.P. have disowned their son Imran Khan along with his Wife Farah from their movable and immovable Property My client have served all relation with their son Imran Khan along with his wife Farah. My client are not responsible for their actions. Any one dealing with them shall do so at their own cost, risk and peril.

Sd/-
S.C. GUPTA
(Advocate)
Enrol. No. D-70/1980

PUBLIC NOTICE

This is for information of Public in general that Munni Devi W/O Sh. Om Dutt Sharma R/o H. No. 145, Pocket No.-15, Sector-22, Rohini, Delhi-110086, do hereby sever all relations with her son and her daughter in law namely Sh. Pankaj Kumar Sharma and Smt. Sushma Sharma and her granddaughters Miss Gargi Sharma & Miss Maitri Sharma All R/o H. No. 93-94, Pocket-15, Sector-22, Rohini, Delhi, absolutely and completely, with immediate effect and Sh. Pankaj Kumar Sharma & Smt. Sushma Sharma and Miss Gargi Sharma & Miss Maitri Sharma, are also disowned by Smt. Munni Devi and shall have no right in all moveable and immovable property owned by Smt. Munni Devi, Smt. Munni Devi shall not be responsible in any manner whatsoever for the acts of his said son and daughter in law. Any person dealing with her said son, daughter in law and her granddaughter shall do so on his own risk and responsibility.

Sd/-
MOOL CHAND VERMA (ADVOCATE)
Ch. No. 812, Rohini Courts, Delhi-85

PUBLIC NOTICE

This is to inform that my client Kanhya Lal S/o Late Tunni Mal R/o 294, I Puri, ND has executed his Will regarding property at K049, Pitampura, ND in favour of his wife Archana on 02/09/2019. Any objection or challenge to this Will by anybody shall be considered null and void in any court of law as per instructions of my client.

Adv. Rajan Mahajan
306, Authority Building

PUBLIC NOTICE

This is to inform that my client Kanhya Lal S/o Late Tunni Mal R/o 294, I Puri, ND has executed his Will regarding Sh. No. 43, I Puri, ND in favour of his wife Archana on 02/09/2019. Any objection or challenge to this Will by anybody shall be considered null and void in any court of law as per instructions of my client.

Adv. Rajan Mahajan
306, Authority Building

PUBLIC NOTICE

To be known to all that my client Shri P.K Grover S/o Late L.D Grover R/o G-11, Jungpura Extn. New Delhi- 110014, with his family have disown/Debar his son Shri Anant Grover with his wife Ms Yasika Grover with their son named Reyansh Grover and Kabir Grover from all his movable and immovable properties. He severed all kind of relation from them. Any person dealing with him will do so at his own risk and responsibility and my client Shri P.K Grover and his family will not responsible at all.

S/d. Dr. K. P. S. Dalal (Advocate)
Lib. II, Supreme Court of India

PUBLIC NOTICE

NOTICE is hereby given to all, that 1) Smt Honey Chibber wife of Sh. Vishal Chibber R/o K-11, 1st Floor, Naveen Shahdra, Delhi, 2) Smt. Sunita Gupta wife of late Sh. Bishan Swaroop Gupta R/o 1/6199, East Rohtas Nagar, Shahdara, Delhi & 3), Smt. Shalini Chadha wife of Sh. Nikhil Chadha R/o 1/6433, Gali no. 5, East Rohtas Nagar, Shahdara, Delhi, have agreed to sell the property mentioned in the schedule below, to my client Smt. Manisha wife of Sh. Sanjeev Kumar, R/o 1/5462, Street No. 15, Balbir Nagar Extn., Shahdara, Delhi, vide Agreement dated 29.08.2019.
All persons claiming any interest in the said property or any part thereof by way of sale, gift, lease, inheritance, exchange, mortgage, charge, lien, trust, possession, easement, attachment or otherwise howsoever are hereby required to make the same known to the undersigned at his office at 301/C-15, Acharya Niketan, Mayur Vihar Phase-1, Delhi-110091, within 7 days From the date hereof, failing Which the said sale shall be completed, without any reference to such claim and the same, if any, shall be considered as Waived.

Schedule

Entire First floor & Second floor with roof rights of property bearing no. 1/7115-A, out of khasra no. 163, situated in the area of village Sikdarpur, in the abadi of Gali Post Office Wali, Shivaji Park, Shahdara, Delhi, admeasuring 66.05. sq. mts (79 sq. yds) and one car parking at ground floor.

East: Property of Others
North: Property of Others
West: Gali
South: Property of Others

Sd/-
Girish Verma & Associates
Advocates & Law Consultants

PUBLIC NOTICE

That my clients Sh. Shash Kumar Sharma S/o Sh. Hari Dutt and Shashi Sharma w/o Shash Kumar Sharma R/o D-10/17, ground floor, MIG Flats, Sector-15 Rohini, Delhi-110085, have debarred his Son namely Akshay Mudgal, daughter in-law namely Ekta Mudgal and granddaughter namely Ayra Mudgal from their all movable and immovable property w.e.f. 3/9/2019.

Sd/-
RISHIPAL & PARTNERS
(ADVOCATES AND LEGAL CONSULTANT)
OFFICE : ED-17C, PITAM PURA, OUTER RING ROAD, DELHI

PUBLIC NOTICE

Advocate A. K. Verma
319, DC, Janakpuri

PUBLIC NOTICE

Be it known to all concerned that my client **Radhey Shyam** s/o Shri Shankar Lal, R/o 3071, Bahadurgarh Road, Gali Ahiran, Delhi-110006 disowned her daughter **Anita** and her husband and their to be children from his all moveable immoveable properties as she is abusing and quarreling with my client and my client has broken all relations from her and my client have no concern with any liabilities or any transactions made by her in any manner.

G.L. Goswami (Advocate)
3530, Qutab Road, Delhi-110006

PUBLIC NOTICE

My client Sh. Krishan Lal and his wife Smt. Neelam Dhingra R/o o H.No.-WZ-86, Phase-III, Om Vihar Uttam Nagar, Delhi-59 have severed all their relations with their son Mr Naveen Dhingra and daughter-in-law Navjyoti Arora Dhingra due to their acts and omissions. My clients hereby debar them from all of their own and ancestral movable and immovable assests. Anyone dealing with them shall be dealing at his own risk and responsibility. My clients shall not be responsible for their acts.

Pawan Kawrani (Advocate)
Ch.No.233, Civil Wing
Tis Hazari Courts, Delhi-110054

PUBLIC NOTICE

To be known to all that my clients (1) Sh. Arjun Singh Rawat S/o Sh. Thakur Singh Rawat and (2) Mrs. Sampati Devi W/o Shri Arjun Singh Rawat R/o C-14A, Dhawal Vihar, Rohini, New Delhi-110085 have severed all their relations with their son namely Mr. Bhupender Singh Rawat and his wife Ekta and disowned both of them from all movable and immovable properties with immediate effect, due to their misconduct. My clients shall not be responsible for any kind of claims, acts, and deeds in future done with by Bhupender Singh Rawat and Ekta as they are not in control of my clients.

Pardeep Kumar (Advocate)
C-498,Avantika, Sec-1, Rohini, Delhi-85
Enrol. No. D-4208/2016

सूचना

भवन संख्या 5/176 विन

डूसू चुनाव : चार पद, 16 उम्मीदवार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 5 सितंबर।

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) के चार पदाधिकारियों के लिए 16 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से पांच उम्मीदवार छात्राएं हैं। उपाध्यक्ष पद के लिए पांच उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं, अध्यक्ष पद पर चार, सचिव पद पर तीन और सह सचिव पद पर चार उम्मीदवार मैदान में हैं। बारह सितंबर को दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थी इन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला अपने मत के जरिए करेंगे।

अध्यक्ष पद पर उतरे चार उम्मीदवारों में से सिर्फ एक छात्र है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) की ओर से अक्षित दहिया को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं, उपाध्यक्ष और सचिव पद पर कोई छात्रा चुनाव नहीं लड़ रही है। सह सचिव पद पर दो छात्राएं अपनी किस्मत आजमा रही हैं।

एबीवीपी पैनल

एबीवीपी पैनल

अध्यक्ष : अक्षित दहिया
- रामजस कॉलेज से बीएससी फिजिकल साइंस
- दिल्ली विश्वविद्यालय से बॉडी बिल्डिंग में रजत पदक
- वर्तमान में फैकल्टी ऑफ लॉ प्रथम वर्ष के छात्र

उपाध्यक्ष : प्रदीप तंवर
- पीजीडीएवी कॉलेज से बीए प्रोग्राम
- वर्तमान में देशबंधु कॉलेज से एमए हिंदी प्रथम वर्ष के छात्र

सचिव : योगित राठी
- रामजस कॉलेज से बीए (ऑनर्स) इतिहास
- रामजस कॉलेज से छात्र संघ अध्यक्ष
- वर्तमान में फैकल्टी ऑफ लॉ से एलएलबी तृतीय वर्ष के छात्र

सह सचिव : शिवांगी खरवाल
- श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज से बीए प्रोग्राम
- वर्तमान में बौद्ध अध्ययन विभाग एमए प्रथम वर्ष की छात्रा
- एबीवीपी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य का दायित्व

एनएसयूआइ का पैनल

अध्यक्ष : चेतना त्यागी
- शहीद भगत सिंह कॉलेज सांध्य से बीए तृतीय वर्ष की छात्रा
- पूर्व सेंट्रल काउंसलर और डूसू कार्यकारी काउंसलर

उपाध्यक्ष : अंकित भारती
- देव नगर खालसा कॉलेज से बीए प्रोग्राम
- वर्तमान में बौद्ध अध्ययन विभाग के प्रथम वर्ष के छात्र

सचिव : आशीष लांबा
- किरोड़ीमल कॉलेज से बीकॉम
- वर्तमान में कैंपस लॉ सेंटर के छात्र
- अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी

सह सचिव : अभिषेक चपराणा
- शहीद भगत सिंह कॉलेज सांध्य से बीए प्रोग्राम
- बौद्ध अध्ययन विभाग में एमए के छात्र

जाट-गुर्जरों के सहारे एबीवीपी और एनएसयूआइ

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 5 सितंबर।

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआइ) एक बार फिर जाट-गुर्जरों के सहारे दिख रहे हैं। एबीवीपी ने जहां दो जाट, एक गुर्जर और एक राजपूत उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। वहीं, एनएसयूआइ ने एक ब्राह्मण, एक जाट, एक गुर्जर और एक दलित को अपना उम्मीदवार बनाया गया है। दोनों संगठनों के पैनल में एक-एक छात्रा भी शामिल है।

एबीवीपी की बात करें तो संगठन ने अध्यक्ष पद पर अक्षित दहिया को उतारा है जो जाट हैं। इसी तरह उपाध्यक्ष पद पर प्रदीप तंवर (गुर्जर), सचिव पद पर योगित राठी (जाट) और सह सचिव पद पर शिवांगी खरवाल (राजपूत) को उतारा है। वहीं, एनएसयूआइ ने अध्यक्ष पद पर चेतना त्यागी (ब्राह्मण), उपाध्यक्ष पद पर अंकित भारती (दलित), सचिव पद पर आशीष लांबा (जाट) और सह सचिव पद पर अभिषेक चपराणा (गुर्जर) को उम्मीदवार बनाया है।

डीयू में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में रहने गुर्जर और जाट विद्यार्थी बड़ी संख्या में दाखिला लेते हैं। यही वजह है कि छात्र संगठन चाह कर भी जाट और गुर्जर उम्मीदवारों को उतारने से खुद को रोक नहीं पाते हैं। दो दशकों के चुनाव पर नजर डालें तो डूसू में एबीवीपी और एनएसयूआइ के जाट-गुर्जर उम्मीदवार शीर्ष पर ही रहते हैं। जानकारों के मुताबिक आसपास के राज्यों के विद्यार्थियों के वोट को पाने में यह मुद्दा बहुत काम आता है। बाहरी दिल्ली में जाट-गुर्जर का दबदबा रहता है। ऐसे में बाहरी दिल्ली और उसके आसपास के कॉलेजों से इस फैक्टर की वजह से संगठनों को काफी मत मिल जाते हैं।

एनएसयूआइ पैनल

आइसा ने दिखाया सामाजिक न्याय

ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) डूसू चुनाव के माध्यम से सामाजिक रूप से पिछड़ों की आवाज बना है। संगठन की ओर से अध्यक्ष पद पर दामिनी कैन (दलित), उपाध्यक्ष पद पर आफताब (मुसलिम), सचिव पद पर विकास (दलित) और सह सचिव पद पर चेतना (अनुसूचित जनजाति) को उम्मीदवार बनाया है। आइसा की दिल्ली प्रदेश की अध्यक्ष कवलप्रीत कौर ने बताया कि हमने सामाजिक रूप से पिछड़ों को अपना प्रत्याशी बनाया है ताकि समाज के इस तबके की आवाज भी सुनी जा सके।

कश्मीर से लेकर अमेजन के जंगल तक पर बात

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 5 सितंबर।

जेएनयू अध्यक्षीय परिचर्चा

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) छात्र संघ अध्यक्षीय परिचर्चा में राष्ट्रीय से लेकर अंतरराष्ट्रीय मुद्दे छाए रहे। अधिकतर उम्मीदवारों ने अनुच्छेद 370 के हटाने और उसके बाद कश्मीर में बने हालात को अपनी चर्चा में शामिल किया। वहीं, अमेजन के जंगल में लगी आग पर भी कुछ उम्मीदवारों ने अपनी बात विद्यार्थियों के सामने रखी। इसके अलावा एनआरसी, भीड़ द्वारा की जा रही हत्याएं, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था की खस्ता हालत, आरटीआइ को कमजोर करना, छात्रावासों की समस्याएं आदि पर उम्मीदवारों ने अपनी बात रखी। जेएनयू छात्र संघ चुनाव के लिए शुक्रवार को मतदान होगा।

एबीवीपी के उम्मीदवार मनीष जांगिड़ ने कहा कि निर्वाचित होने पर एबीवीपी परिसर केंद्रित राजनीति का मॉडल पेश करेगी और वंचित वर्ग की महिलाओं का प्रवेश अंक दिलाने सुनिश्चित करेगी। जांगिड़ ने छात्रावास की स्थितियों और कक्षाओं में सुविधाओं के अभाव का मुद्दा भी उठाया। बहस के दौरान वाम समर्थकों और एनएसयूआइ सदस्यों की लगातार नारेबाजी के बीच उन्होंने छात्रों से कहा कि आप जिस प्लेट में खाते हैं, उसी में कुत्ते और चूहे भी खाते हैं। एनएसयूआइ के उम्मीदवार प्रशांत कुमार ने कहा कि हमसे दो करोड़ नौकरियों का वादा किया गया था लेकिन नौकरियां कहां हैं? नजीब के साथ जो हुआ मैं उसकी निंदा करता हूं। वाम एकता के अध्यक्ष पद की उम्मीदवार आईशी घोष ने पत्रकार गौरी लंकेश और विद्वान कलबुर्गी के विचारों से समर्थन जताया। उन्होंने कहा कि वे अखलाक, जुनैद और पहलू खान को नहीं भूलेंगे जिनकी अलग-अलग घटनाओं में भीड़ ने कथित तौर पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। उन्होंने कहा कि पूंजीवादी बल पूरी दुनिया में दक्षिणपंथियों के उद्भव को प्रोत्साहित कर रहे हैं। हम धन-बल के आधार पर लड़े गए और जीते गए चुनावों को लोकतांत्रिक ढंग से हुए चुनाव नहीं मानते हैं। उन्होंने आरटीआइ कानून और ट्रांसजेंडर अधिकार विधेयक को कमजोर करने का सरकार पर आरोप लगाया और कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन का भी आरोप लगाया।

बापसा उम्मीदवार का हौसला बढ़ाते समर्थक।

बापसा उम्मीदवार जितेंद्र सुना ने कहा कि आरएसएस और भाजपा डर का माहौल बना रही है। मुझे लगता है कि आरएसएस और भाजपा राष्ट्र विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआइ) आपको अहसास दिलाएगी कि आप उनकी वजह से यहां तक पहुंचे हैं लेकिन हमें जो मिला है वह दान में नहीं बल्कि हमारे संविधान की वजह से मिला है। वहीं, छात्र राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार प्रियंका भारती ने कहा कि सरकार शिक्षा का निजीकरण करना चाहती है और वह वंचित पृष्ठभूमियों से आने वाले विद्यार्थी को इससे दूर करना चाहती है। अनुच्छेद 370 हटाने के लिए केंद्र पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ये लोग केवल कश्मीरी लड़कियां और वहां जमीन चाहते हैं लेकिन कश्मीरी नहीं। उन्होंने कहा कि इस समय जब जीडीपी गिर रही है, सरकार राष्ट्रवाद की बात कर रही है। अपने निर्भीक भाषण के लिए उन्हें बापसा के समर्थकों से भी प्रशंसा मिली।

निर्दलीय उम्मीदवार राघवेंद्र मिश्रा इस चुनावी जंग में अंतिम क्षणों में शामिल हुए। उनके नामांकन को चुनाव समिति ने रद्द कर दिया था। उन्होंने इस संबंध में दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था जिसने उनकी उम्मीदवारी को बुधवार को स्वीकृति दे दी थी। उन्होंने अदालत के आदेश को हवा में लहराते हुए कहा कि मुझे कुछ खास लोगों ने प्रताड़ना दी।

पूर्व प्रदेश अध्यक्षों ने सोनिया गांधी पर फैसला छोड़ा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 5 सितंबर।

दिल्ली के पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से आग्रह किया है कि सूबे में पार्टी की कमान किसी अनुभवी व दमदार नेता के हाथों में दी जानी चाहिए। लोकसभा के चुनाव में कद्दावर नेताओं के दम पर विपरीत हालात में भी दूसरे नंबर पर जगह बनाने में कामयाब रहने की दलील देते हुए इन नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष से कहा कि भाजपा व आम आदमी पार्टी की चुनौती से निपटने के लिए किसी वरिष्ठ नेता को ही विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी का चेहरा बनाया जाना चाहिए। पूर्व अध्यक्षों ने इस मामले में फैसला कांग्रेस अध्यक्ष पर छोड़ दिया। अगले दो-तीन दिन में सूबे के नए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नाम का एलान कर दिए जाने की संभावना है।

दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी पीसी चाको की अगुआई में सूबे में पार्टी के पूर्व अध्यक्षों ताजदार बाबर, सुभाष चोपड़ा, अजय माकन व अरविंदर सिंह लवली ने गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से उनके निवास पर मुलाकात की। दिल्ली के नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति पर राय शुमारी को लेकर हुई इस बैठक में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल किन्हीं कारणों से नहीं पहुंच पाए। कांग्रेस अध्यक्ष के साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्षों की करीब एक घंटे तक चली बैठक में सभी ने कहा कि दिल्ली में नेतृत्व पर फैसला लेने में और ज्यादा देरी नहीं की जानी चाहिए क्योंकि इससे चुनावी तैयारियों पर फर्क पड़ रहा है।

दूसरी बात यह कही गई कि लोकसभा चुनाव में पार्टी के पक्ष में हवा नहीं थी, लेकिन बड़े नेताओं के चुनाव मैदान में उतरने से कांग्रेस के पक्ष में हवा बनी और पार्टी दूसरे नंबर पर पहुंच गई। लिहाजा, विधानसभा चुनाव में भी किसी दमदार और अनुभवी नेता के हाथों में ही कमान सौंपी जानी चाहिए।

archies
The most special way to say you care
आर्चीज लिमिटेड
रजिस्टर्ड कार्यालय नं. 191 F, सेक्टर-4, IMT मानेसर, गुरुग्राम, हरियाणा- 122050
कॉर्पोरेट पहचान संख्या : L36999HR1990PLC041175, वेबसाइट : www.archiesonline.com
ईमेल : archies@archiesonline.com, दूरभाष : +91 124 4966666

सूचना

29वीं वार्षिक आम बैठक का नोटिस, दूरस्थ ई-मतदान सूचना और बुक क्लोजर

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी की 29वीं वार्षिक आम सभा (एजीएम) गुरुवार 27 सितम्बर 2019 को प्रातः 11 बजे मानेसर क्लब, सेक्टर-6, आई एम टी मानेसर, गुरुग्राम, हरियाणा-122050 के पते पर आयोजित की जानी है, जिसमें की नोटिस में निहित प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा। कंपनी की वार्षिक विवरण एवं व्याख्यात्मक विवरण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अंतर्गत एवं विस्तार पूर्वक सूचना (दूरस्थ ई-मतदान), के संबन्ध में उन सदस्यों को भौतिक वार्षिक विवरण एवं नोटिस उनके रजिस्टर्ड पते पर प्रदान किया गया है जिन्होंने उसकी मांग की है एवं अन्य सदस्यों को ई-मेल द्वारा भेजा गया है। एजीएम का नोटिस एवं विवरण कंपनी की वेबसाइट www.archiesonline.com पर भी उपलब्ध है। कंपनी के द्वारा एजीएम का नोटिस एवं वार्षिक विवरण 04 सितम्बर 2019 को प्रेषित कर दिया गया है।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 के साथ पठित नियम 20 एवं कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमों, 2014 तथा सेबी (सूचियन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अंतर्गत कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली के माध्यम से अपना मत एजीएम के स्थान से भिन्न किसी अन्य स्थान से दे सकने (दूरस्थ ई-मतदान) की सुविधा प्रदान कर रही है। दूरस्थ ई-मतदान की सुविधा प्रदान करने के लिए कंपनी ने लिंक इन टाइम इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड (एलआईआईपीएल) की सेवाएं प्रॉक्सी एजेंसी के रूप में प्राप्त है।

दूरस्थ ई-मतदान की सुविधा (मंगलवार 24 सितम्बर, 2019 को प्रातः 9 बजे आरम्भ होगी तथा (गुरुवार) 26 सितम्बर 2019 को सायं 5 बजे समाप्त होगी। 26 सितम्बर 2019 को सायं 5 बजे पश्चात दूरस्थ ई-मतदान करने की अनुमती नहीं होगी। कंपनी के सदस्य जिनके पास कंपनी के शेयर या तो भौतिक या डीमेट अवस्था में दिनांक 20 सितम्बर 2019 को धारण करते है उन्हें ही ई-मतदान या एजीएम में मतदान का अवसर प्रदान किया जायेगा। एक बार मतदान करने के उपरांत सदस्य अपने मत को बदल नहीं सकता। सदस्यों के मतदान का अधिकार, 21 सितम्बर, 2019 जो कंपनी की एजीएम या उसके लिए वोटिंग के उद्देश्य से कट-आफ तिथि को कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होगी।

कंपनी की एजीएम में मतदान पत्र के माध्यम से मतदान करने की सुविधा उपलब्ध होगी तथा ऐसे सदस्य जो बैठक में भाग ले रहे है एवं जिन्होंने पहले ही अपना मतदान दूरस्थ ई-मतदान द्वारा नहीं किया है, वे बैठक में अपना मतदान कर सकते है। वे सदस्य जिन्होंने एजीएम से पहले दूरस्थ ई-मतदान द्वारा अपना मत दे दिया है, वे बैठक में भाग ले सकते है, परन्तु उन्हें अपना मत पुनः देने की अनुमति नहीं होगी।

कोई भी व्यक्ति जो एजीएम के नोटिस के प्रेषण के पश्चात् कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण करता है तथा कंपनी का सदस्य बनता है और कट ऑफ तिथि 20 सितम्बर 2019, को शेयर धारक है, वह दूरस्थ ई-मतदान के लिए अपना यूजर आईडी तथा पासवर्ड एलआईआईपीएल की ई-मेल आईडी rajiv.ranjan@linkintime.co.in या delhi@linkintime.co.in अथवा कंपनी के रजिस्ट्रार की ई-मेल आईडी swapan@linkintime.co.in पर अनुरोध भेजकर अथवा कंपनी या एलआईआईपीएल को लिखित में प्रार्थना भेजकर प्राप्त कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति पहले से ही एलआईआईपीएल के साथ दूरस्थ ई-मतदान के लिए पंजीकृत है तो वे मतदान करने लिए नया यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त किए बिना अपना मौजूदा यूजर आइडी तथा पासवर्ड उपयोग करें।

किसी पूछताछ हेतु, सदस्य एलआईआईपीएल की वेबसाईट www.instavote.linkintime.co.in पर हेल्प एवं एफ.ए.क्यू. सेक्शन पर जा सकते है या एलआईआईपीएल के फोन नं. 022-4918-6000 या ईमेल enotices@linkintime.co.in पर संपर्क कर सकते है या कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी या लिंक इन टाइम इंडिया (प्राईवेट) लिमिटेड, (रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट) श्री स्वपन कुमार की ई-मेल आईडी swapan@linkintime.co.in या फोन नं. 011-49411000 पर संपर्क कर सकते है जो इलेक्ट्रॉनिक मतदान के जुड़ी शिकायतों को सम्बोधित करेंगे।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के प्रावधानों के अंतर्गत एवं विनियम 42, सेबी (सूचियन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियम 2015 के अनुपालन में एतद्द्वारा यह भी सूचित किया जाता है कि सदस्यों के रजिस्टर एवं शेयर आवेदन पुस्तकें शनिवार 21 सितम्बर 2019 से शुक्रवार 27 सितम्बर 2019 तक (दोनों दिवस शामिल), वार्षिक सभा उद्देश्य से बन्द रहेगा।

वार्षिक आम सभा में उपस्थित होने तथा मतदान करने के लिए अधिकृत सदस्य अपनी जगह उपस्थित होने तथा मतदान करने के लिए प्रॉक्सी की नियुक्ति करने के लिए अधिकृत है तथा नियुक्त प्रॉक्सी का कंपनी का सदस्य होना जरूरी नहीं है, प्रभावी होने के लिए विधिवत पूर्ण, स्टाम्प-युक्त तथा हस्ताक्षरित प्रॉक्सी प्रपत्र वार्षिक आम सभा की निर्धारित तिथि से कम से कम 48 घंटे पूर्व कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में पहुँच जाना चाहिए।

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 05 सितम्बर 2019

कृते आर्चीज लिमिटेड
ह0/-
हितेश कुमार
कंपनी सचिव

GIC Re
हमारा गौरव का क्षण

जीआइसी री ने भारत सरकार को
1015.875 करोड़ रु. का लाभांश चेक पेश किया

खड़ायी (बाएं से दाएं): श्री देबाशीष पांडा, अपर सचिव, वित्तीय सेवाए, भारत सरकार, माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन, श्रीमती शशिकला मुरलीधरन, निदेशक एवं महाप्रबंधक और संयुक्त प्रभारी, जीआइसी री, श्रीमती रीना भटनागर, महाप्रबंधक और संयुक्त प्रभारी, जीआइसी री, और श्रीमती उषा रामास्वामी, निदेशक एवं महाप्रबंधक, जीआइसी री.

वैश्विक 2000 में एक के रूप में फोर्ब्स 2018 सूची द्वारा मान्यता प्राप्त
सबसे अच्छी माने जाने वाली कंपनी
दुनिया के सबसे अच्छे नियोक्ता
रेटेड ए - (उत्कृष्ट) ए.एम. बेस्ट

मुख्य निष्पादन संकेतक 31.03.2019 (करोड़ रु. में)

सकल प्रीमियम रु.44,238	इक्विटी पर रिटर्न 9.96%
कुल परिसंपत्तियां रु.1,18,883	प्रति शेयर आय (प्री बोनस) रु.12.68
नेट वर्थ (उचित मूल्य परिवर्तन खाते के साथ) रु.52,765	प्रति शेयर अर्जन (प्री बोनस) रु.6.75
कर पश्चात् लाभ रु.2,224	निवेश की उपज 12.17%

General Insurance Corporation of India
भारतीय साधारण बीमा निगम
GIC Re
'सुरक्षा', 170, जमशेदजी टाटा रोड, चर्चगेट, मुंबई 400020, भारत.
दूरभाष (बोर्ड): +91 22 2286 7000 ईमेल: info@gicofindia.com
www.gicofindia.com
CIN: L67200MH1972GOI016133 एवं आईआरडीएआई पंजीकरण सं. 112

मौसम

तापमान	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	36.4 डि.से.	36.4 डि.से.	34.3 डि.से.	34.3 डि.से.
न्यूनतम	28.3 डि.से.	28.3 डि.से.	28.2 डि.से.	28.2 डि.से.

खत्म हो सकता है मकान खरीदारों का दस साल लंबा इंतजार

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 5 सितंबर।

दस साल से फ्लैट का कब्जा मिलने का इंतजार कर रहे करीब 22 हजार खरीदारों को बड़ी राहत मिल सकती है। खरीदारों को एनबीसीसी के मार्फत अधूरी परियोजनाओं का काम जल्द पूरा होने की उम्मीद है। जेपी समूह पर करीब 10 हजार करोड़ रुपए का कर्ज है। इनमें चार हजार करोड़ से अधिक का कर्ज आइडीबीआइ बैंक का है। इसके अलावा करीब11 अन्य बैंक और वित्तीय संस्थानों के कर्ज भी शामिल हैं।

बसपा कार्यकाल के दौरान 2007 में जेपी इंफ्राटेक ने नोएडा व ग्रेटर नोएडा में करीब 32 हजार फ्लैटों का निर्माण शुरू किया था। इनमें से करीब 9500 फ्लैटों का खरीदारों को कब्जा मिल गया है। जबकि करीब 4500 फ्लैटों के लिए ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के लिए आवेदन दिया है। जेपी समूह की कंपनियां जेपी इंफ्राटेक और जेपी एसोसिएट्स कुल 21 परियोजनाओं का निर्माण कर रही हैं। जिनके करीब 32 हजार खरीदार हैं। 32 हजार खरीदारों में करीब पांच हजार फ्लैट के बजाए भूखंडों से संबंधित हैं। जेपी समूह के पदाधिकारी जेपी इंफ्राटेक और जेपी एसोसिएट्स के विलय के पक्ष में थे। जिसके बाद वे अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने का दावा करते हैं लेकिन अधिकांश इसके पक्ष में नहीं हैं। जेपी एसोसिएट्स ने पुनरुद्धार योजना की मंजूरी के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। न्यायालय ने कंपनी को उन खरीदारों को भुगतान के लिए अदालत में रकम जमा कराने को कहा था, जो फ्लैट के बजाए रकम वापस मांग रहे थे। अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने के दावे के पक्ष में कंपनी ने पुनरुद्धार योजना में खरीदारों, वित्तीय कर्जदारों, परिचालन कर्जदारों और आंशिक शेयरधारकों समेत जेपी इंफ्राटेक के कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने का दावा किया था।

भूखंड निर्माण की समयवृद्धि के लिए वित्त और जल की एनओसी जरूरी

आवासीय भूखंड पर निर्माण करने के लिए अतिरिक्त समय (टाइम एक्सटेंशन) बगैर एनओसी के नहीं मिलेगा। इसके लिए आबंटियों को वित्त व जल-सीवर विभाग से एनओसी लेनी होगी। नोएडा प्राधिकरण में इन दिनों हर नियम की सख्ती से जांच हो रही है। एक ऐसे ही फाइल में नोएडा प्राधिकरण के वित्त विभाग को पता चला कि आवासीय भूखंड विभाग बिना एनओसी के आवंटियों को तय से अधिक निर्माण के लिए समय दे रहा है। भूखंड आबंटन होते समय एक तय समय में कुछ हिस्से में निर्माण करने का नियम है।

आबंटी इस समयावधि को आगे बढ़वा लेते हैं लेकिन वित्त व जल विभाग के बकाया भुगतान को जमा नहीं करते हैं। ओएसडी अविनाश त्रिपाठी के मुताबिक वित्त एवं जल विभाग की बगैर एनओसी के अतिरिक्त समय वृद्धि की मंजूरी पर रोक लगा दी गई है।

यातायात पुलिस ने काटा चालान तो लगाई मोटरसाइकिल में आग

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 5 सितंबर।

मालवीय नगर थाना क्षेत्र के शेख सराय इलाके में त्रिवेणी कॉम्पलेक्स के पास एक शख्स ने चालान काटे जाने के विरोध में अपनी मोटरसाइकिल में आग लगा दी। चालक की पहचान सर्वोदय एंक्लेव निवासी राकेश के तौर पर हुई है। घटना की सूचना दिल्ली दमकल विभाग को शाम करीब पांच बजे मिली थी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची एक दमकल ने आग पर काबू पाया। शुरुआती छानबीन में पता चला है कि चालक राकेश शराब के नशे में था। इस कारण यातायात पुलिसकर्मियों ने चालान काटा था, जिसके बाद से गुस्साए राकेश ने मोटरसाइकिल में आग लगा दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है।

दक्षिणी जिला पुलिस के अतिरिक्त उपायुक्त परविंदर कुमार का कहना है कि शाम करीब पांच बजे सूचना मिली थी कि एक शख्स ने अपनी मोटरसाइकिल में आग लगा दी है। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम त्रिवेणी कॉम्पलेक्स शेख सराय पहुंची, जहां पुलिस टीम ने पाया कि एक शख्स यातायत पुलिसकर्मियों के साथ खड़ा है और मोटरसाइकिल जल रही है। आगे की छानबीन में पुलिस को पता चला कि मोटरसाइकिल चला रहे राकेश को यातायात पुलिसकर्मियों ने जांच के लिए रोका था। जांच-पड़ताल करने पर पता चला कि राकेश शराब के नशे में है।

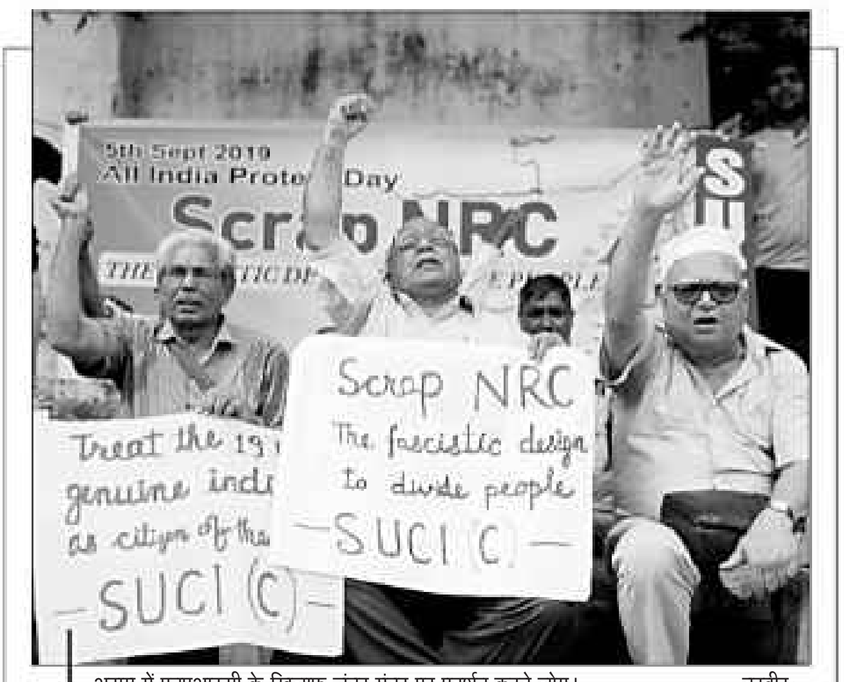

असम में एनएआरसी के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते लोग। तस्वीर: अरुष चोपड़ा।

'आप' विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी पर मारपीट का मामला दर्ज

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 5 सितंबर।

- मॉडल टाउन के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी पर दर्ज कवाया गया मामला
- निगम के इंस्पेक्टर ने मारपीट और गाली-गलोच करने का लगाया है आरोप

आम आदमी पार्टी (आप) से मॉडल टाउन के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी के खिलाफ निगम के एक इंस्पेक्टर ने आदर्श नगर थाने में गुरुवार को मारपीट ओर गाली-गलोच करने का आरोप लगाया है। घटना की जानकारी गुरुवार दोपहर करीब डेढ़ बजे पुलिस को मिली थी। इस घटना में निगम पीड़ित इंस्पेक्टर रविंदर कुमार गुप्ता ने कहा है कि विधायक के सहयोगियों ने भी उसके साथ मारपीट की। फिलहाल रविंदर का बाबू जगजीवन राम अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने रविंदर की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है।

उत्तरी-पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त विजयंता आर्य ने बताया कि गुरुवार को सूचना मिली कि आजादपुर में सफाई करने के दौरान आप विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी और उसके समर्थकों ने निगम के एक इंस्पेक्टर के साथ मारपीट की है और गाली-गलोच किया है। सूचना मिलने पर पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची तो पता चल कि निगम के कर्मचारी लाल बाग, आजादपुर में सफाई का काम कर रहे थे। इस दौरान विधायक और उनके समर्थक मौके पर पहुंचे और सरकारी कार्य में बाधा डालने की कोशिश करने लगे। विरोध करने पर कहासुनी हुई। इंस्पेक्टर ने जब बीच-बचाव की तो समर्थकों ने मारपीट शुरू कर दी। बाद में पुलिस ने घायल रविंदर को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद निगम के कर्मचारियों ने विधायक के खिलाफ हंगामा भी किया। इससे पहले भी अखिलेश पति त्रिपाठी किसी ना किसी विवाद को लेकर सुर्खियों में रहे हैं।

खबरों में शहर

मोदी के साथ चंद्रयान 2 की लैंडिंग देखेंगे नोएडा के शिवांश

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 5 सितंबर।

इसरो में प्रधानमंत्री मोदी के साथ चंद्रयान 2 की लैंडिंग देखने का मौका सेक्टर-125 एमिटी इंटरनेशनल स्कूल की 10वीं कक्षा के छात्र शिवांश पाल को मिला है। गौतम बुद्ध नगर से एकमात्र और उत्तर प्रदेश से में दूसरा छात्र है, जिसका चयन इसरो द्वारा किया गया है। शिवांश का चयन एक ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के आधार पर ऑनलइान किया गया। जिसका आयोजन इसरो मुख्यालय बंग्लूरु ने मायगोव डॉट इन के सहयोग से किया था। शिवांश के मुताबिक सफल विजेताओं के चयन का मापदंड कम समय में अधिक सही उत्तर देना था। स्कूल की अध्यक्ष डॉ. अमिता चौहान एवं प्रधानाचार्या रेणू सिंह ने शिवांश को बधाई दी है।

ढंग से नहीं मनाया जा सकता है।

डेंगू अभियान पर मुख्यमंत्री ने मांगी स्वास्थ्य मंत्री से रिपोर्ट

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 5 सितंबर।

गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से डेंगू अभियान पर रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली में डेंगू के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए 'आप' सरकार ने 10 सप्ताह का विशेष अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री ने आम जनता से इस अभियान को जन अभियान बनाने की अपील की है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए निगम के सभी 272 वार्ड में विशेष टीम बनाई गईं हैं, जिसमें संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल किए गए हैं। इसकी शुरुआत खुद मुख्यमंत्री समेत अन्य मंत्रियों ने डेंगू जांच के साथ की थी। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 270 जगहों पर डेंगू की जागरूकता के लिए अभियान चलाया जा चुका है।

मेट्रो में जेबतराशी करने वाली महिला गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 5 सितंबर।

मेट्रो में जेबतराशी करने वाली एक महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला ने अभी हाल में ही हरियाणा पुलिस के एक जवान को अपना निशाना बनाया था। महिला की पहचान नजमा (42) के तौर पर हुई। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने नकदी, आइकार्ड और एटीएम कार्ड बरामद किए हैं। आरोपी महिला भीड़भाड़ वाली जगह जैसे मेट्रो, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, साप्ताहिक बाजार आदि जैसी जगह मौका मिलते ही लोगों की जेब पर हाथ साफ कर देती थी।

दिल्ली के हर बच्चे को शिक्षा देना हमारी जिम्मेदारी : मुख्यमंत्री

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 5 सितंबर।

गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के हर बच्चे को शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को हर मदद उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि अब दिल्ली के सभी वर्ग के बच्चों को सरकार शिक्षा के लिए आर्थिक मदद उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली के शिक्षकों को सम्मानित किया। सम्मान समारोह में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, मुख्य सचिव विजय देव समेत विधायक व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक सहायता मिलने के बाद दिल्ली के गरीब परिवारों के बच्चों ने बेहतर परिणाम दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के शिक्षकों ने 4-5 साल में क्रांति की है, जिसकी वजह से छात्रों का प्रदर्शन सुधरा है। बच्चे अपने शिक्षक से ही सीखते हैं, इसलिए समाज में शिक्षकों की एक बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपने अनुभव को भी सांझा किया।

उन्होंने कहा कि 2015 में दिल्ली के लोगों ने बड़ा चमत्कार किया था और 'आप' को सत्ता दी थी। सत्ता में आने के बाद से ही हम समान शिक्षा अवसर के लिए काम कर रहे थे ताकि कोई भी छात्र आर्थिक तंगी के चलते शिक्षा से दूर न रहे। 'जय भीम मुख्यमंत्री प्रतीभा विकास योजना' के तहत बच्चों ने योजना का लाभ लिया है। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में शिक्षकों की अभिभावक खुलकर तारीफ कर रहे हैं। ये शिक्षकों का असली अवार्ड हैं। जांच के लिए जब हम सरकारी स्कूल में जाते थे तो यह भी सामने आया था कि सरकारी स्कूलों को शिक्षक अपने दम पर चमका रहे थे। इनकी विशेष भूमिका के लिए दो अवॉर्ड सरकार ने सुनिश्चित किए हैं। शिक्षकों की मेहनत की वजह से ही स्कूलों के बेहतर परिणाम सामने आए हैं।

'जलवायु संकट पर राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाई जाए'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 5 सितंबर।

जलवायु संकट समय के साथ और तेजी से गहराता जा रहा है। तमाम चुनौतियों के साथ आने वाले समय में इसके कारण मजबूरी वाले पलायन बढ़ेंगे। इससे निपटने के लिए बेहद जरूरी हो गया है कि राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाई जाए। ये बातें विज्ञान और पर्यावरण केंद्र (सीएसई) की महानिदेशक सुनीता नारायण ने कहीं। वे सीएसई की ओर से मरुस्थलीकरण पर लगी दक्षिण एशियाई कार्यशाला में बोल रही थीं। इस मौके पर उन्होने मरुस्थलीकरण पर 'डाउन टू अर्थ' के विशेष अंक का विमोचन किया।

सुनीता नारायण ने कहा कि तेजी से बदलती आबोहवा आने वाले भयावह संकट का पूर्वाभास करा रही है। देश व दुनिया भर में इसके नतीजे सामने दिखने लगे हैं। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों का घिसकना हो या भारी बारिश अथवा तेज गर्मी सभी जगह दिख रहा है कि हमारी आबोहवा का संतुलन किस कदर बिगड़ चुका है। देश ही नहीं दुनिया भर में लोगों के पलायन की चुनौती सामने है। फिर भी रियो कन्वेंशन में जो तय हुआ उस दिशा में काम नहीं हुआ खास तौर से मरुस्थलीकरण के मसले पर सौतेला रुख अख्तियार किया गया।

नतीजा सामने है कि जलवायु परिवर्तन से बारिश में कमी हुई व हिमाचल व पहाड़ी राज्यों में बर्फ पड़ना भी कम हुआ।

भाजपा परेशान, चेहरा लाएं या कमल निशान

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 5 सितंबर।

दिल्ली के लिए एक चेहरे की आवाज विधानसभा चुनाव के लिए बुलाई गई पहली ही बैठक में सुनाई दी। भाजपा ने गुरुवार को चुनावों की तैयारियों को लेकर उच्चस्तरीय बैठक बुलाई थी। बैठक की अध्यक्षता भाजपा के वरिष्ठ नेता व दिल्ली चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने की। सूत्रों ने बताया कि पार्टी में विधानसभा चुनाव में उतरने के लिए 'कमल निशान' को ही चेहरा मानने पर बात चल रही है। इसके बाद दिल्ली में सीटों के आधार पर पार्टी दल के नेता व मुख्यमंत्री के फैसले पर विचार कर सकती है। इसे ही आम आदमी पार्टी 'आप' अपना हथियार बना रही है।

सूत्रों ने बताया कि इस बैठक के माध्यम से पार्टी ने सातों संसदीय क्षेत्रों में पार्टी की स्थिति की टोह लेने की कोशिश की है। सभी कार्यकर्ताओं से पूछा गया है कि इस बार किस रणनीति से चुनाव लड़ा जाए। चर्चा के दौरान यह भी सामने आया कि बिजली-पानी जैसे मुद्दों पर भी विशेष योजनाएं लाकर जनता को जोड़ने की कोशिश की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त दिल्ली में सीलिंग से बचाने के लिए भी जल्द रास्ता निकाला जाना चाहिए।

बेटे और पोते पर बुजुर्ग महिला की हत्या का आरोप

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 5 सितंबर।

ज्योति नगर थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग मां की बेटे और पोते ने गला दबाकर हत्या कर दी। वारदात की जानकारी बुधवार दोपहर करीब ढाई बजे पुलिस को मिली थी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा कर गुरुवार को परिजनों को सौंप दिया। महिला की पहचान माया देवी (70) के रूप में हुई है। पुलिस ने मौके से ही शक के घेरे में लेते हुए मृत के बेटे राजवीर (50) को गिरफ्तार कर लिया है और उसके नाबालिग बेटे को हिरासत में ले लिया है। शुरुआती छानबीन के आधार पर पुलिस को पता चला है कि मां और बेटे के बीच मकान को लेकर अदालत में मामला लंबित है। इसी दौरान मां ने गुस्से में घर के उस हिस्से की बिजली तक कटवा दी थी, जहां आरोपी और उसका परिवार रहता था। इसके बाद आरोपी को डर था कि उसे मकान में हिस्सा नहीं मिलेगा। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ क आगे की कार्रवाई कर रही है।

उत्तरी-पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त अतुल कुमार ठाकुर के मुताबिक माया देवी गली नंबर-एक, मीत नगर, में रहती थी। परिवार में चार बेटे और एक बेटी है। सभी शादीशुदा हैं। पति राम सिंह की तीन साल पहले कैंसर की वजह से मृत्यु हो गई थी। परिजनों ने बताया कि आरोपी राजवीर नशे का आदी है, वह अकसर घर में झगड़ा करता रहता था।

निर्माणाधीन साइट पर लिफ्ट गिरने से 12 मजदूर घायल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 5 सितंबर।

नरेला थाना क्षेत्र में माता मनसा देवी रोड पर दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की निर्माणाधीन साइट पर गुरुवार सुबह एक लिफ्ट के गिरने से 12 मजदूर घायल हो गए। लिफ्ट में निर्माण सामग्री लेकर मजदूर ऊपरी मंजिल पर जा रहे थे, तभी लिफ्ट की तार अचानक से आठवीं मंजिल के आसपास टूट कर नीचे गिर गई थी। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने सभी घायलों को पास के सत्यवादी राजा हरिशचंद्र अस्पताल में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने की वजह से मजदूर संदेश (35) को लोक नायक जय प्रकाश (एलएनजेपी) अस्पताल में रेफर कर दिया गया।

मदर डेयरी : गाय का दूध दो रुपए महंगा

नई दिल्ली, 5 सितंबर (भाषा)।

मदर डेयरी ने दिल्ली-एनसीआर में गाय के दूध का दाम दो रुपए बढ़ाकर 44 रुपए लीटर कर दिया है। यह बढ़ोतरी शुक्रवार से लागू होगी। कंपनी ने कहा है कि वह किसानों से कच्चा दूध खरीदने के लिए अधिक भुगतान कर रही है। इस वजह से उसे गाय दूध के दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं। कंपनी ने अन्य किसी दूध के दामों में बढ़ोतरी नहीं की है।

मदर डेयरी के प्रवक्ता ने कहा कि पिछले दो तीन महीने में गाय के कच्चे दूध की खरीद पर उसे ढाई से तीन रुपए प्रति लीटर का अधिक भुगतान करना पड़ रहा है। प्रवक्ता ने कहा कि इस वजह से दूध के दाम में बढ़ोतरी की गई है। प्रवक्ता ने कहा कि छह सितंबर से गाय के दूध के आधा लीटर के पैक का दाम 23 रुपए और एक लीटर के पैक का दाम 44 रुपए प्रति लीटर होगा। माना जा रहा है कि मदर डेयरी के बाद अमूल और पराग जैसी कंपनियां भी दूध की कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती हैं।

खिलाफ गया बौद्धिकता और रुतबे का तमगा

प्रियरंजन
नई दिल्ली, 5 सितंबर।

जिस अति बौद्धिक की छवि ने पी चिदंबरम को वित्तमंत्री बनाया गुरुवार को इसी छवि ने उन्हें जेल भेजने में अहम भूमिका निभाई। गुरुवार को बचाव पक्ष ने 'अंतरिम जमानत पाने और गिरफ्तार न करने' की याचिका पर अदालत में पूरी ताकत झोंक दी थी। लेकिन दोनों दफा 'अत्यधिक बुद्धिमान' वाली बात अभियोजन ने अपने तर्क में शामिल कर सफलता पाई। सीबीआइ की तरफ से जज तुषार मेहता ने पिछले दिनों हुई सुनवाई में भी अदालत को बताया था कि चिदंबरम ने 'अत्यधिक बुद्धिमान' बताते हुए दावा किया था कि वे कानून से खेलने में सक्षम हैं। जांच में सहयोग नहीं करने की भी उनमें जबरदस्त क्षमता है। अभियोजन ने यह तर्क अदालत में तब दिया था जब वह चिदंबरम की जमानत की अर्जी का विरोध और जांच के लिए रिमांड की मांग कर रहा था। गुरुवार को 15 दिनों की पूछताछ के बाद अभियोजन ने जैसे ही पूछताछ पूरी होने की बात कबूली और न्यायिक हिरासत में भेजने की दलील दी, बचाव पक्ष हावी होता नजर आया। बचाव पक्ष के वकील कपिल सिब्बल चिदंबरम के लिए राहत की मांग करने लगे। लेकिन जज ने यही तर्क दे दिया कि चिदंबरम अति बौद्धिक व्यक्ति हैं। विधि अधिकारी ने आरोप लगाया कि चिदंबरम विदेशों में बैंकों को प्रभावित कर रहे थे। वे जांच में असहयोग कर रहे थे और यदि उन्होंने प्रभावित किया तो बैंक जांच में सहयोग नहीं भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा-वे अति बौद्धिक व्यक्ति हैं। यह मामला गंभीर आर्थिक अपराध का है। जिससे देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। चीजों पर उनका व्यापक नियंत्रण है और वे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। मेहता ने एक गवाह के बयान का जिक्र किया और कहा कि यह गवाह आसानी से चिदंबरम से प्रभावित हो सकता है। हालांकि उन्होंने खुली अदालत में गवाह का नाम लेने से मना कर दिया। विधि अधिकारी ने कहा कि चिदंबरम की रिहाई के बारे में विचार करने का मौका अभी नहीं आया है।

तर्कों के बाद अदालत ने करीब आधे घंटे तक सुनवाई स्थगित रखी। फैसले में अदालत ने कुछ निर्देशों के साथ उन्हें तिहाड़ जाने का आदेश दिया। अदालत ने फैसले में चिदंबरम के 'रुतबे' का भी जिक्र किया और माना कि आरोपी जांच को प्रभावित कर सकते हैं। विशेष न्यायाधीश ने जब 19 सितंबर तक चिदंबरम को जेल भेजने का अपना आदेश पढ़ा, उनके वकीलों ने अलग अर्जी देकर चश्मा, डाक्टरों की बताई दवाएं ले जाने और पश्चिमी शैली के शौचालय की सुविधा मुहैया कराने का अनुरोध किया। अदालत ने उनके अनुरोधों को मंजूर कर लिया। जिसमें जेल में अलग कोठरी में उन्हें रखे जाने के निर्देश भी शामिल थे। हालांकि यह सुविधा भी शायद उन्हें शुक्रवार से ही मिलने के आसार हैं। तिहाड़ के सूत्रों की माने तो फिलहाल चिदंबरम को तिहाड़ की जेल संख्या सात में ही रखने के इंतजाम किए गए हैं। क्योंकि देर शाम तक अदालत के आदेश की प्रति उन्हें नहीं मिल सकी थी। आदेश की प्रति मिलने के बाद ही उसके अनुरूप विशेष इंतजाम किए जाएंगे। जेल नंबर सात में आम तौर पर प्रवर्तन निदेशालय से जुड़े मामले के आरोपियों को रखा जाता है।

वित्त मंत्री के रूप में 'आम आदमी के सपनों का बजट' पेश करने के लिए लोकप्रिय और देश के गृह मंत्री भी रह चुके 73 साल के पलानियप्पन चिदंबरम ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि उन्हें तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा। सीबीआइ ने उन्हें आइएनएक्स मीडिया मामले में धनशोधन और भ्रष्टाचार के आरोपों में 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था। तिहाड़ जेल भेजे जाने के साथ ही वे अपने करियर के सबसे कठिन और संकटपूर्ण समय से गुजर रहे हैं। वर्तमान में राज्यसभा सदस्य चिदंबरम जब वित्त मंत्री थे, तब उनके लिए गए अनेक फैसलों पर सीबीआइ और प्रवर्तन निदेशालय जांच कर रहे हैं। वित्त मंत्री के रूप में चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 2007 में 305 करोड़ रुपए का विदेशी फंड प्राप्त करने के लिए आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी में अनियमितता का आरोप लगाते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 15 मई, 2017 को प्राथमिकी दर्ज की। इसके बाद, प्रवर्तन निदेशालय ने इस संबंध में उसी समय धनशोधन का मामला भी दर्ज किया।

आज के कार्यक्रम

सभा-संगोष्ठी

साहित्य अकादेमी : मृत्युंजय कुमार और आभा बोधिसत्व का रचना पाठ, साहित्य अकादेमी कॉन्फ्रेंस भवन, फिरोजशाह रोड, शाम साढ़े पांच बजे से।

करोति कल्याणम फाउंडेशन : पंडित नेहरू पर गोष्ठी, एनडी तिवारी भवन, आइटीओ, दोपहर दो बजे।

विविध

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर : शास्त्रीय संगीत, सीडी देशमुख सभागार, 40 मैक्समूलर मार्ग, शाम साढ़े छह बजे।

इंडिया हैबीटाट सेंटर : नृत्य, द स्टेन सभागार, सेंटर परिसर, लोदी रोड, शाम सात बजे।

भारी बारिश से बीएमसी के दो कर्मचारी सहित 4 की मौत

मुंबई, 5 सितंबर (भाषा)।

मुंबई में भारी बारिश के कारण बुधवार को कम से कम चार लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) के दो कर्मचारी भी शामिल हैं। जबकि पानी में बह गए एक लड़के की तलाश की जा रही है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। मंगलवार की रात और बुधवार को मुंबई और आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई थी।

अशोक मयेकर (60) गुरुवार तड़के मध्य मुंबई के हिंदमाता इलाके में मृत पाए गए। पुलिस के एक अधिकारी के अनुसार शव बाढ़ के पानी में तैर रहा था। मोहम्मद शाहरुख रफीक शेख (24) बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के पास भरतनगर में एक नाले में गिर गए। बचाव दलों ने उसे बाहर निकाला लेकिन अस्पताल में उसकी मौत हो गई। वहीं बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) के दो कर्मचारी की पहचान विजयेंद्र सरदार बागड़ी (36) और जगदीश परमार (54) के तौर पर हुई है। विजयेंद्र और जगदीश दोनों ही बीएमसी के पी/एस वार्ड के कर्मचारी थे। भारी बारिश में ड्यूटी पर तैनात दोनों कर्मी पानी में डूब गए थे।

लोकल ट्रेन सेवा बहाल, विमान सेवा बाधित

बारिश रूकने के साथ ही लोकल ट्रेन सेवा बहाल हो गई जिससे गुरुवार को लोगों को काफी राहत मिली। सोमवार से लेकर बुधवार तक हुई भारी बारिश के कारण सड़कों और पटरी पर पानी भर गया था। इससे सड़क और ट्रेन सेवा बाधित हो गई थी। वहीं छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गुरुवार को लगातार दूसरे दिन भी विमानों का परिचालन प्रभावित रहा। वहां 30 उड़ानें रद्द हो गईं। इसके अलावा 118 उड़ानों में देर हो गईं।

जियो फाइबर की बाजार में दस्तक

नई दिल्ली, 5 सितंबर (भाषा)।

रिलायंस जियो ने अपनी ब्रॉडबैंड सेवा 'जियोफाइबर' गुरुवार को शुरू कर दी। कंपनी ने 699 रुपए मासिक किराये पर न्यूनतम 100 एमबीपीएस की इंटरनेट स्पीड देने की पेशकश की है। जियोफाइबर पर एक जीबीपीएस की इंटरनेट स्पीड वाला प्लान 8,499 रुपए प्रति माह में उपलब्ध होगा।

कंपनी ने बयान में कहा कि ब्रॉडबैंड सेवा के तहत देशभर में उसके ग्राहकों को असीमित इंटरनेट, मुफ्त वायस कॉल के साथ टीवी वीडियो कॉलिंग एवं कॉन्फ्रेंसिंग करने की सुविधा भी मिलेगी। कंपनी ने कहा कि जो लोग वार्षिक सदस्यता लेंगे उन्हें मुफ्त सेट टॉप बॉक्स दिया जाएगा। जियोफाइबर के 'गोल्ड' और उसके ऊपर के प्लान के साथ एक टीवी भी दिया जाएगा। ये प्लान 1,299 रुपए मासिक से शुरू होंगे।

तैराकी कोच के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज

पणजी/नई दिल्ली, 5 सितंबर (भाषा)।

गोवा पुलिस ने गुरुवार को एक तैराकी कोच के खिलाफ बलात्कार एवं धमकाने के आरोप में मामला दर्ज किया। गोवा तैराकी संघ (जीएसए) में कार्यरत सुरजीत गांगुली पर 15 साल की लड़की ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया जो उनके मार्गदर्शन में ट्रेनिंग कर रही थी। गोवा के मापुसा पुलिस थाने के इंस्पेक्टर कपिल नायक ने कहा कि शायद वह भोपाल के लिए रवाना हो चुके हैं और पुलिस उन्हें खोजने के लिए वहां एक टीम भेजेगी।

सोशल मीडिया पर इस छेड़छाड़ का वीडियो वायरल हो गया था जिसके बाद खेल मंत्री किरन रिजीजू ने कठोर कार्रवाई करने का वादा किया।

PXIL
Transforming Power Markets

Power Exchange India Limited

Sumer Plaza, Unit No. 901, 9th floor, Marol Maroshi Road, Andheri (East), Mumbai-400059, India. Tel.: + 91 22 40090857/87
Fax: + 91 22 40090833/90. Email: info@pxil.co.in. CIN:U74900MH2008PLC179152

Trading Month August- 2019

Markets Traded	DAS Prices (Rs/KWh)	DAS Volume (MUs)	INTRADAY Prices (Rs/KWh)	INTRADAY Volume (MUs)	ANYDAY Prices (Rs/KWh)	ANYDAY Volume (MUs)	WEEKLY Prices (Rs/KWh)	WEEKLY Volume (MUs)
Min	3.10	0.08	1.92	0.97	3.50	8.40	3.65	8.40
Max	3.10	0.09	10.00	22.09	3.70	12.00	3.65	8.40
Avg	3.10	0.09	4.22	7.20	3.62	10.56	3.65	8.40
Total		0.35		223.11		105.60		226.80

दिल्ली जल बोर्ड: रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार

कार्यालय: कार्यपालक अभियंता (पी) एसआर-II
कमरा सं. 307, वरुणालय फेज-I, झण्डेवालान, करोल बाग, नई दिल्ली-110005
एनआईटी सं. 01/(2019-20)/ईई(पी) एसआर-II

क्रम सं.	कार्य का नाम	धरोहर राशि एवं निविदा शुल्क अप्रतिदेय (रुपये में)	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा जारी की तिथि एवं निविदा आईडी	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/समय
1.	कृषि के उद्देश्य से निलोठी एसटीपी से जॉन्टी रेग्युलैटर तक शोधित एफ्ल्युएन्ट के परिवहन के कार्य के लिये परामर्श सेवाओं का प्रावधान।	86500/- एवं 500/-	4.9.2019 एवं 2019_DJB_179553_1	18.9.2019 के 3.00 बजे अप. तक।

इस संदर्भ में अधिक विवरण वेबसाइट https://govtprocurement.delhi.gov.in पर देखें।

पी.आर.ओ. (जल द्वारा जारी)
विज्ञा. सं. जे.एस.वी. 2019/20/332

कार्यपालक अभियंता (पी) एसआर-II

उत्तरी दिल्ली नगर निगम

अधिशासी अभियंता (ऑटो) का कार्यालय
पुराना एमसीडी भवन, इंद्रप्रस्थ रोड, दिल्ली-06

सं. ईई ऑटो/सीएनएस/एसडीएमसी/2019-20/212 दिनांक: 03.09.2019

सार्वजनिक नीलामी सूचना

सभी संबंधित पक्षों को सूचित किया जाता है कि अनुपयोगी वाहनों जैसे कि टाटा टिपर्स, जेसीबी लोडर्स, इंजन कंटेनर, टाटा सक्शन/जेटिंग मशीन, टाटा कंटेल कोच, स्कूटर मोटर, बुलडोजर, हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर, स्टील लोडर, मारुती जिप्सी तथा स्टेशन वाहनों जैसे कि वेटरिंग टायर्स, इलेक्ट्रिकल एवं मेकेनिकल आदि चालू, खाली ड्रम आदि की नीलामी 'जैसा है जहां है' आधार पर निम्न समय सारणी के अनुसार आयोजित की जाएगी:-

क्र. सं.	वर्कशॉप का नाम जहां वाहन स्थित हैं	नीलामी की तिथि	समय	नीलामी का स्थान
1.	सेंट्रल ऑटो वर्कशॉप, इंद्रप्रस्थान, नई दिल्ली-55 (पंजीकृत तथा सीएसडीजेड के वाहनों के लिए) कॉन्टेक्ट नं. 011-23670197	17.09.2019	11:00 बजे	सेंट्रल ऑटो वर्कशॉप, इंद्रप्रस्थान, नई दिल्ली-55
2.	सैनिटरी लैंड फिल भलस्वा कॉन्टेक्ट नं. 9717788141	20.09.2019	11:00 बजे	सैनिटरी लैंड फिल भलस्वा, जी टी करनाल रोड बाईपास, नई दिल्ली
3.	रोहिणी जोन ऑटो वर्कशॉप कॉन्टेक्ट नं. 9717788141	24.09.2019	11:00 बजे	एन-चार्लि मंगोल पुरी, मंगोल पुरी पुलिस स्टेशन के निकट, नई दिल्ली

टिप्पणी: यह नीलामी "जैसा है जहां है" आधार पर निविदेत नियमों एवं शर्तों के अनुसार आयोजित की जाएगी, जिसे वेबसाइट www.mcdonline.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

ओ.ओ. सं. 80/डीपीआई/वर्क्स/2019-20 अधिशासी अभियंता (ऑटो) सीएनएस

RCC CEMENTS LIMITED
CIN: L26942DL1991PLC043776
Regd. Off. : 702, Arunachal Building, 19, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel.: 011-43571044 Fax: 011-43571047
Email: rccementslimited@gmail.com Website: www.rccements.com

Notice of Annual General Meeting, Book Closure and Remote E-voting Information

Notice is hereby given that the 28th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Monday, 30th September,2019 at 09.30 A.M. at 702, Arunachal Building, 19, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi - 110001 to transact the business set out in notice dated 30th August, 2019 of the AGM. The Notice of AGM and Annual Report for the F.Y. 2018-2019 has been sent to all the members through permitted mode on 05th September, 2019.

Pursuant to Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Section 91 of the Companies Act, 2013 along with the applicable Rules made there under, it is hereby intimated that the Register of Members and share transfer books of the Company will remain closed from Tuesday, 24th September, 2019 to Monday, 30th September, 2019 for the purpose of AGM.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 the Company has provided electronic voting facility for transacting all the business items as mentioned in the AGM notice dated 30th August, 2019 through the Remote e-voting facility on the platform of National Securities Depository Limited (NSDL). Remote E-voting will commence on 27th September, 2019 at 09.00 A.M. and end on 29th September, 2019 at 5.00 P.M. No Remote e-voting shall be allowed beyond the said date and time. The notice of the Annual General Meeting along with Remote e-voting instructions has also been displayed on the website of the Company www.rccements.com and on the website of the Agency www.evoting.nsdl.com. The Members of Company holding shares as on Monday, 23rd September, 2019 may cast their vote Electronically through Remote E-voting platform of NSDL at www.evoting.nsdl.com or vote at the General Meeting through the Ballot Form. Members may participate in the General Meeting even after Remote E-voting but shall not be eligible to vote at the meeting. Voting, if exercised will be invalid and the vote casts through Remote E-voting will be considered. Members are requested to read the instructions pertaining to e-voting as printed in the AGM Notice carefully. In case members have any queries or issues regarding Remote e-voting, they may refer the Frequently Asked Questions (FAQ) and Remote e-voting manual available at www.evoting.nsdl.com under help section or write an e-mail to evoting@nsdl.co.in. Shareholders may contact Registrar & Share Transfer Agent,M/s MAS Services Limited, contact no. 011-26387281-83 or their respective Depositories for registration/updation of their email IDs and other matters.

Members holding shares in physical form are requested to get their shares Dematerised pursuant to SEBI Circular No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/24 dated 08th June, 2018. Further members are also requested to register their email ID, PAN & bank accounts details with the RTA/Company. Necessary communication in this regard has already been sent separately to members by the company.

For RCC CEMENTS LIMITED
Sd/-
Amanpreet Kaur
Company Secretary

Date: 06-09-2019
Place: New Delhi

QUASAR INDIA LIMITED
Regd. Office: 205, Plot No. 3, Third Floor, Aggarwal Plaza, Sector-14, Rohini, New Delhi-110085
E mail id: quasarindia123@gmail.com, Website: www.quasarindia.in
CIN: L67190DL1979PLC009555, Mob.: 9625304043

Notice is hereby given that the 40th Annual General Meeting of the members of Quasar India Limited ("the Company") will be held on Thursday, September 26, 2019 at 11.00 a.m. at Shop No. 305, Plot No. 3 Third Floor, Aggarwal Plaza, Sector-14, Rohini, New Delhi-110085 ("the Meeting").

The Annual Report for the financial year 2018-19 including the Notice convening the Meeting has been sent to the members to their registered address by courier, and electronically to those members who have registered their e-mail address with the Depositories/Company.

The Annual Report for the financial year 2018-19 including the Notice is available on the website of the Company (www.quasarindia.in) and also available for inspection at the Registered Office of the Company on all working days except Sundays and Public Holidays, during business hours up to the date of the Meeting.

The Company is providing to its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at the Meeting by electronic means ("e-voting"). Members may cast their votes using an electronic voting system from a place other than the venue of the Meeting ("remote e-voting"). The Company has engaged the services of Central Depository Services Limited (CDSL) as the Agency to provide e-voting facility.

The communication relating to remote e-voting inter alia containing User ID and password, along with a copy of the Notice convening the Meeting, has been dispatched to the members. The format of communication for e-voting is available on the website of the Company, www.quasarindia.in and on the website of CDSL, www.evotingindia.com.

The remote e-voting facility shall commence on Monday, September 23, 2019 from 9.00 a.m. and end on Wednesday September 25, 2019 at 5.00 p.m. The remote e-voting shall not be allowed beyond the aforesaid date and time.

A person, whose name appears in the Register of Members/ Beneficial Owners as on the cut-off date, i.e., Thursday, September 19, 2019, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting /voting at the Meeting.

Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as of the cut-off date may obtain the User ID and password inter alia by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com. The detailed procedure for obtaining User ID and password is also provided in the Notice of the Meeting which is available on Company's website and CDSL's website. If the members already registered with CDSL for e-voting, he can use his existing User ID and password for casting the vote through remote e-voting.

Member who have cast their vote(s) by remote e-voting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast the vote(s) again.

RECORD DATE

NOTICE is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and applicable rules there under that the Company has fixed Thursday, September 19, 2019 as the "Record Date" for the purpose of determining the members eligible to vote at the Annual General Meeting.

For Quasar India Limited
Sd/-
Harish Kumar
Director
DIN: 02591868

Place: New Delhi
Date: 05.09.2019

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
सेंट्रल कार्यालय: बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016
कारपोरेट कार्यालय: "सौदामिनी", प्लॉट नं. 2, सेक्टर-29, गुरुग्राम (हरियाणा)-122001
वेबसाइट: www.powergridindia.com, CIN: L40101DL1989GOI036121

सूचना

1. सीईआरसी (व्यवसाय का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम-86 और सीईआरसी (टैरिफ के नियम व शर्तें) विनियम, 2019 के अधीन **श्रेणिका-1:** उत्तरी क्षेत्र में सहायक क्षेत्र के साथ 220 केवी जालंधर-हमीरपुर डी/सी ट्रांसमिशन लाइन, **श्रेणिका-2:** उत्तरी क्षेत्र में मुजफ्फरपुर के पश्चिम-सुगौली 400 केवी एस/सी लाइन का सीरीज कम्पेन्सेशन, **श्रेणिका-3:** उत्तरी क्षेत्र में बिहटा-दायरी एफकोडीसी भाई-गेल एवं गोरखपुर-मुजफ्फरपुर 400 केवी लाइन के लिए विशेष सुरक्षा योजना हेतु (i) 2001-04 टैरिफ अवधि, 2004-09 टैरिफ अवधि, 2009-14 टैरिफ अवधि के लिए ट्रांसमिशन टैरिफ के संशोधन, (ii) 2014-19 टैरिफ अवधि के लिए ट्रांसमिशन टैरिफ के टूटअप का और (iii) 2019-24 टैरिफ अवधि के लिए ट्रांसमिशन टैरिफ के निर्धारण और सीईआरसी (व्यवसाय का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम-86 और सीईआरसी (टैरिफ के नियम व शर्तें) विनियम, 2019 के अधीन **श्रेणिका-4:** उत्तरी क्षेत्र में 220 केवी डी/सी अंता ट्रांसमिशन सिस्टम, **श्रेणिका-5:** उत्तरी क्षेत्र में 400 केवी एस/सी बमनौली-1 बिजौलपुर ट्रांसमिशन सिस्टम, **श्रेणिका-6:** उत्तरी क्षेत्र में बिहटा-दायरी बाई-पास के लिए अतिरिक्त कन्डक्टर ट्रांसफार्मर (एसटीए) और **श्रेणिका-7:** उत्तरी क्षेत्र में जुल्ली मनाली सरोल-1 ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए (i) 2014-19 टैरिफ अवधि के लिए ट्रांसमिशन टैरिफ के टूटअप का और (ii) 2019-24 टैरिफ अवधि के लिए ट्रांसमिशन टैरिफ के निर्धारण हेतु अनुमोदन।

2. उपरोक्त प्रस्तावित ट्रांसमिशन सिस्टम की संयुक्त परिसंपत्तियों के लाभार्थी हैं: (1) हरियाणा राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, (2) जम्मू विद्युत विकास निगम लि., (3) मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि., (4) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि., (5) पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड, (6) हरियाणा पावर पर्चेज सेंटर, (7) पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जम्मू एवं कश्मीर सरकार, (8) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि., (9) दिल्ली ट्रांसको लि., (10) बीएसईएस यमुना पावर लि., (11) बीएसईएस राजधानी पावर लि., (12) नॉर्थ दिल्ली पावर लि., (13) नॉर्दर्न एरिया पावरमेन, (14) उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि., (15) चंडीगढ़ प्रशासन, (16) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद, (17) हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड।

3. टैरिफ विवरण:

क) 2001-04, 2004-09, 2009-14 और 2014-19 अवधि

2001-04 के लिए संशोधित ट्रांसमिशन टैरिफ (₹ लाख में)

श्रेणिका सं.	संपत्ति सं.	2001-02	2002-03	2003-04
श्रेणिका-1	संपत्ति-1	349.34	614.44	674.64

2004-09 के लिए संशोधित ट्रांसमिशन टैरिफ (₹ लाख में)

श्रेणिका सं.	संपत्ति सं.	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
श्रेणिका-1	संपत्ति-1	589.94	587.16	573.41	657.79	692.35
श्रेणिका-2	संपत्ति-1	196.71	197.33	197.34	194.77	190.53
श्रेणिका-3	संपत्ति-1	-	-	-	-	23.23

2009-14 के लिए संशोधित ट्रांसमिशन टैरिफ (₹ लाख में)

श्रेणिका सं.	संपत्ति सं.	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
श्रेणिका-1	संपत्ति-1	653.06	647.73	641.67	632.69	609.86
श्रेणिका-2	संपत्ति-1	244.09	245.46	244.04	242.42	241.80
श्रेणिका-3	संपत्ति-1	43.71	47.07	46.21	44.63	43.25

2014-19 के लिए संशोधित ट्रांसमिशन टैरिफ (₹ लाख में)

श्रेणिका सं.	संपत्ति सं.	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
श्रेणिका-1	संपत्ति-1	443.21	447.07	451.30	458.10	461.92
श्रेणिका-2	संपत्ति-1	232.01	229.25	193.20	192.87	192.78
श्रेणिका-3	संपत्ति-1	41.79	40.29	38.79	37.12	35.56
श्रेणिका-4	संपत्ति-1	1039.64	1053.26	1064.63	1076.00	1090.16
श्रेणिका-5	संपत्ति-1	1344.20	1354.36	1359.71	1365.72	1374.56
श्रेणिका-6	संपत्ति-1	421.75	423.45	423.20	423.20	424.20
श्रेणिका-7	संपत्ति-1	3330.17	3365.67	3380.15	3384.40	3406.69

ख) 2019-24 अवधि

श्रेणिका सं.	संपत्ति सं.	डीसी-सीएसी	आईएन लेग	बैंक की गारंटी	सीईआरसी (टैरिफ) विनियम, 2019	2019-24 अवधि के लिए टैरिफ				
						2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
श्रेणिका-1	संपत्ति-1	01.09.01	124.00 (D/C)	41(2)(a)(iv)	4682.18	312.22	314.53	316.87	319.49	322.20
श्रेणिका-2	संपत्ति-1	01.02.04	-	1(4)(iii)	1275.22	150.01	149.51	148.44	147.47	147.11
श्रेणिका-3	संपत्ति-1	01.08.08	-	-	282.96	31.09	28.72	23.58	23.58	23.58
श्रेणिका-4	संपत्ति-1	01.04.97	479.23 (D/C)	41(2)(a)(iv)	6696.48	993.17	999.46	1009.30	1023.30	1101.94
श्रेणिका-5	संपत्ति-1	01.10.97	100.23 (D/C)	1(4)(iii)	8071.28	1291.31	1295.30	1299.37	1304.47	1309.03
श्रेणिका-6	संपत्ति-1	01.10.08	-	-	1040.54	420.94	420.95	420.95	420.96	420.94
श्रेणिका-7	संपत्ति-1	01.09.94	235.74 (D/C)	41(2)(a)(iv)	24625.00	3432.20	3431.80	3431.80	3431.80	3432.00

4. टैरिफ के निर्धारण हेतु किए गए आवेदन की एक प्रति आवेदक की वेबसाइट www.powergridindia.com पर उपलब्ध की गई है।

5. आवेदन में विहित टैरिफ के निर्धारण हेतु प्रस्तावों पर सलाहकारी क्षमता किसी व्यक्ति द्वारा सुझाव और आपत्तियां, यदि कोई हो, आवेदक के पत्राचार कार्यालय के पते पर एक प्रति सहित, सचिव, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, सेवाएं एवं सीमा शुल्क, मंडावली विलेज, जे. ब्लॉक, नई दिल्ली-110 017 (जो अन्य पक्ष पर उक्त आवेदन का पत्राचार विषय है) को इस सूचना के प्रकाशन के 30 दिनों के अंदर प्रस्तुत की जा सकती है।

स्थान: गुरुग्राम
दिनांक: 04.09.2019

(ए. के. वर्मा)
वरि. महाप्रबंधक (वाणिज्यिक)

"हमारे एप्लिकेशन प्राप्त करने के लिए टोल फ्री नंबर 18003003004 पर मिस्ड कॉल दें"

जनसत्ता

6 सितंबर, 2019

रूस से रिश्ते

भारत और रूस के रिश्तों में अब पुराने दिन लौटने के संकेत साफ नजर आ रहे हैं। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा ज्यादा महत्त्वपूर्ण और सफल इसलिए कही जानी चाहिए कि दोनों देश अपने आंतरिक मामलों में किसी भी बाहरी दखल के खिलाफ खुल कर साथ आए हैं। रूसी शहर व्लादिवोस्तोक में भारत और रूस के बीच होने वाली सालाना शिखर बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कहा कि अपने देश के अंदरूनी मसलों में किसी भी बाहरी दखल के वे खिलाफ हैं। यह बात पिछले महीने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को खत्म किए जाने के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट के संदर्भ में उठी। पाकिस्तान और चीन ने संयुक्त राष्ट्र से लेकर तमाम देशों के समक्ष कश्मीर से धारा 370 को हटाने का मसला उठाया था। लेकिन हर जगह से पाकिस्तान को यही सुनने को मिला कि यह भारत का अंदरूनी मसला है और इस पर कुछ नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अमेरिका भी समय-समय पर इस मामले में मध्यस्थता का शिगूफा छोड़ता रहा है, जिसे भारत ने साफ तौर खारिज कर दिया। ऐसे में अब इस मसले पर रूस ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। रूसी राष्ट्रपति ने तो कहा भी कि पाकिस्तान कश्मीर को लेकर अफवाहें फैला रहा है। भारत की यह बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि है। एक पुराने दोस्त ने भारत के साथ पूरी तरह से एकजुटता दिखाई है।

भारत और रूस के बीच ईरान को लेकर भी बात हुई। भारत पर अमेरिका का दबाव है कि वह उसके साथ कारोबारी रिश्ते खत्म करे। तेल आयात तो भारत को मजबूरन बंद करना ही पड़ा है। भारत किसके साथ व्यापार करे और किसके साथ नहीं, यह उसका अंदरूनी मामला है। रूस तो खुल कर ईरान के साथ है। इसीलिए पुतिन ने साफ-साफ कहा कि किसी के दबाव में ईरान के साथ रिश्ते खत्म नहीं किए जा सकते। कश्मीर और ईरान के मसले पर रूस का खुल कर भारत के साथ आना बड़ी बात है। हालांकि बदलते वैश्विक परिदृश्य में पिछले कुछ दशकों में भारत का अमेरिका की ओर झुकाव ज्यादा बढ़ा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि रूस से भारत के संबंधों पर कोई असर पड़ा। ब्रह्मोस मिसाइल परियोजना से लेकर कई क्षेत्रों में रूस भारत को मदद देता रहा है।

मोदी और पुतिन पिछले एक साल में छह बार मिल चुके हैं। दोनों नेताओं के बीच जिस तरह से निजी रिश्ते बन गए हैं उनका लाभ भारत को मिल रहा है। रूस ने ऊर्जा और अंतरिक्ष क्षेत्र सहित भारत के साथ पंद्रह करार किए हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि भारत की तरक्की में रूस जैसे पहले साथ था, वैसे ही आज भी है। दोनों देशों के बीच हुए असैन्य परमाणु समझौते के तहत रूस भारत में बीस परमाणु इकाइयां लगाएगा। दूसरी ओर, भारत रूस के तेल और गैस क्षेत्र में निवेश करेगा। अंतरिक्ष के क्षेत्र में मदद के तौर पर रूस गगनयान मिशन के तहत भेजे जाने वाले भारत के अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण देगा। पिछले कुछ सालों में तेजी से विकास करने वाले और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में भारत की जो छवि बनी है उसकी अहमियत रूस बखूबी समझता है। रूस यह भी जानता है कि भारत को अपने एक पड़ोसी के कारण दशकों से आतंकवाद झेलना पड़ रहा है। ऐसे में भारत को रूस से हर स्तर पर समर्थन मिलना दोनों देशों के रिश्तों को और प्रगाढ़ करेगा।

आतंक के विरुद्ध

आतंकवादी गतिविधियों पर नकेल कसने के मकसद से सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। हाल ही में बने आतंकरोधी कानून के तहत भारत ने पाकिस्तान में पनाह पाए जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर, लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज मुहम्मद सईद, मुंबई हमले के आरोपी जकी-उर-रहमान लखवी और भगोड़े माफिया दाउद इब्राहिम को आतंकवादी घोषित कर दिया है। कुछ दिनों पहले ही सरकार ने गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून 1967 में एक महत्त्वपूर्ण संशोधन किया था। इस कानून के तहत पहली बार इन चारों को आतंकी घोषित किया गया है। पहले ऐसा कानून न होने की वजह से भारत सरकार इन्हें आतंकी का दर्जा नहीं दे पा रही थी। भारत अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इन चारों के खिलाफ अपनी बात रखता रहा है, पर अब वह दावे के साथ कह सकता है कि उसने इन्हें आतंकी घोषित कर रखा है। इस तरह वह अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इनके प्रत्यर्पण के लिए भी मांग उठा सकता है। अभी तक इनके प्रत्यर्पण की उसकी मांग प्रभावी नहीं हो पा रही थी। हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने भी मसूद अजहर और हाफिज सईद को वैश्विक आतंकी घोषित कर रखा है, पर भारत के कानून के मुताबिक इन्हें आतंकी घोषित किए जाने के बाद इन दोनों पर नकेल कुछ अधिक सख्ती से कसी जाने की गुंजाइश बनी है, क्योंकि इन्होंने अपनी ज्यादातर आतंकी गतिविधियों को भारत की जमीन पर अंजाम दिया है।

मसूद अजहर पर जम्मू-कश्मीर विधानसभा परिसर, भारतीय संसद, पठानकोट वायुसेना अड्डे, श्रीनगर के बीएसएफ शिविर और पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला करने और भारत में आतंकी गतिविधियों को संचालित करने का आरोप है। हाफिज सईद पर लालकिला, रामपुर में सीआरपीएफ शिविर और मुंबई हमले में शामिल होने का आरोप है। जकी-उर-रहमान लखवी भी इन हमलों में शामिल रहा है। दाउद इब्राहिम पर भारत सहित अनेक देशों में बेनामी जमीन-जायदाद का कारोबार चलाने, धार्मिक कट्टरवाद और आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक मदद पहुंचाने के आरोप हैं। वह तस्करी, जाली नोट के कारोबार, हथियारों की तस्करी, धनशोधन, जबरन वसूली जैसी गतिविधियों में भी शामिल रहा है। 1993 में उसने अपने सहयोगियों की मदद से मुंबई में सिलसिलेवार बम विस्फोटों को अंजाम दिया था, जिसमें ढाई सौ से ऊपर लोगों की मौत हो गई थी। अब वह भगोड़ा है। इन सभी के खिलाफ भारत के पास पुख्ता सबूत हैं, जिन्हें वह पाकिस्तान को सौंप चुका है। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी वे सबूत साझा हैं।

भारत जब भी अपने यहां हुई आतंकी घटनाओं से जुड़े दस्तावेज पाकिस्तान को सौंपता रहा है, तो वह उन्हें सीधा खारिज कर देता है। वहां की अदालतें उन्हें नकार देती रही हैं। पाकिस्तान की दलील रही है कि मसूद अजहर, हाफिज सईद और लखवी आतंकी नहीं, समाजसेवक हैं। इस तरह इन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाती थी। अब गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून के तहत इन्हें आतंकी घोषित किए जाने के बाद भारत अंतरराष्ट्रीय समुदाय की मदद से इनके प्रत्यर्पण की मांग मजबूती से कर सकता है। तब पाकिस्तान के लिए इन सबूतों की अनदेखी करना संभव नहीं होगा। वह पहले ही कुलभूषण जाधव के मामले में अंतरराष्ट्रीय अदालत में मुंह की खा चुका है। उसके झूठे दावे और दलीलें खारिज हो चुकी हैं। इसी तरह ताजा घोषित आतंकियों की हकीकत पर परदा डालना उसके लिए आसान नहीं होगा। आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे देशों का भी इसमें भरपूर समर्थन प्राप्त होगा।

कल्पमेधा

कोई कार्य तुच्छ नहीं है। यदि मनपसंद कार्य मिल जाए तो मूर्ख भी उसे पूरा कर सकता है पर बुद्धिमान वही है जो प्रत्येक कार्य को अपने लिए रुचिकर बना ले।

-विवेकानंद

हमारा गौरव और संविधान

मेनका गुरुस्वामी

संवैधानिक मुकदमे में हम आजादी और हाशिए पर पड़े एक समूह की गरिमा के अधिकारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, यह तर्क देते हुए कि ये अधिकार हर नागरिक के हैं और उसे मिलने चाहिए। इसी तरह अलग-अलग मौकों पर यह पहचान होनी चाहिए जिसमें लोग एक-दूसरे के साथ खड़े हों, हर समूह की आजादी और समानता को सुनिश्चित करें, वे अपने भीतर ही ताकत और जज्बा पैदा करें।

ठीक एक साल पहले इसी दिन यानी छह सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने नवतेज सिंह जौहर मामले में अपने फैसले में कहा था कि भारत के एलजीबीटी समुदाय को समानता, गैर-भेदभाव, गरिमा, अभिव्यक्ति, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संवैधानिक मूल्यों का संरक्षण प्रदान किया जाएगा। अदालत ने भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 377 या अप्राकृतिक यौन अपराधों के दंड संबंधी प्रावधान को खारिज कर दिया था। आज जब हम इस अनोखे भारत में इस आजादी के एक वर्ष पूरे होने पर खुशी मना रहे हैं तो हमें अपने संविधान और उसके मूल्यों पर भी नजर डाल लेनी चाहिए जिसकी वजह से अदालती में यह लड़ाई चल पाई और जीत के इस मुकाम तक पहुंच सकी।

साल 2013 में अदालत से मिली हार के बावजूद अप्रैल 2016 में नवतेज जौहर के नेतृत्व में पांच एलजीबीटी भारतीयों ने अपनी याचिकाएं दाखिल कीं। इनमें उन्होंने कहा था कि हमारा समानता, गरिमा, गैर-भेदभाव, जिंदगी और आजादी के संविधान द्वारा दिए गए वचन में पूर्ण विश्वास है और उनके इसी विश्वास ने हम वकीलों उनके मामलों को अदालत ले जाने का मौका दिया। जनवरी 2018 में नवतेज जौहर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया था। इसके बाद जुलाई 2018 तक पांच और रिट याचिकाएं दायर हुईं। एक कारोबारी घराने के सदस्य केशव सूरी से लेकर आरिफ जफर, जिन्हें समलैंगिक होने के अपराध में जेल हो गई थी, रंगीन कुर्ते और जींस पहने आइआइटी से निकली नौजवान पीढ़ी से लेकर हमसफर ट्रस्ट के मशहूर एलजीबीटी कार्यकर्ता तक अदालत पहुंचे थे और चेतावनी दी थी कि जब तक उन्हें देश के दूसरे नागरिकों के समान अधिकार और दर्जा नहीं मिल जाता तब तक वे रुकने वाले नहीं हैं। यह संविधान द्वारा दिए गए वचनों के प्रति इन लोगों के भरोसे को बता रहा था और यही भरोसा न्याय की उम्मीद में इन्हें अदालत तक लेकर गया था।

संपूर्ण नागरिकता हासिल करने के लिए हमें लंबा रास्ता तय करना है। संपूर्ण नागरिकता में सामाजिक और नागरिक अधिकार भी शामिल होंगे, संयुक्त बैंक खाते के लिए या मकान के लिए लीज या साथी के साथ शादी के लिए आवश्यक अधिकार भी इसी में आएंगे। फैसला आने के बाद में हमें कई नई बाधाओं का सामना करना पड़ा है, जैसे सरोगेसी विधेयक और ट्रांसजेंडर विधेयक जिनकी अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई है। जैसे ही हम संपूर्ण नागरिक अधिकारों को हासिल करने की दिशा में बढ़ना शुरू करते हैं तो हमें जौहर मामले में अदालत के विधिशास्त्र से मिलने वाले अध्यायों पर गौर फरमाना चाहिए कि किस तरह से भारत में आज बदलाव के लिए संविधान का उपयोग किया जाना चाहिए। इसकी प्रशंसा के लिए हम संविधान की उत्पत्ति से इसकी शुरुआत करते हैं।

भारत का संविधान विशिष्ट है। सन 1946 से 1949 के बीच तैयार किए गए इस संविधान में एक नए देश का ध्यान रखा गया था। कल्पना थी कि यह नया देश जाति व्यवस्था जैसी चली आ रहीं सामाजिक भेदभाव वाली बुराइयों को खत्म करेगा। भारत का संविधान इस अर्थ में भी अद्वितीय है कि यह उन ऐतिहासिक गलतियों और भेदभावों को सुधारने की बात करता है जिनकी वजह से हाशिए पर पड़े समुदायों का वर्तमान और भविष्य टिका है। इसके ठीक उलट, अमेरिका का संविधान है जो दास प्रथा के सुधार की न तो कोई बात करता है न उसमें कोई माफी मांगी गई है।

जौहर के मामले की सुनवाई करने वाली अदालत हमारे संविधान और उसके निर्माताओं की भावनाओं और उम्मीदों से भलीभांति परिचित थी। इसलिए उसने अपना फैसला बहुसंख्यकवाद के मुकाबले और संविधान की नैतिकता की अहम संवैधानिक अपेक्षाओं पर केंद्रित रखा। ये अपेक्षाएं क्या हैं? और ये पूरे भारत के लिए प्रासंगिक क्यों हैं सिर्फ अनोखे भारत को छोड़ कर?

दरअसल, प्रति-बहुसंख्यकवाद अदालतों द्वारा बाहुबली बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यकों पर अत्याचार रोकने के लिए अपनाई जाने वाली भूमिका है। संवैधानिक नैतिकता संविधान की नैतिकता है, जो सबके लिए समानता, गैर-भेदभाव और स्वतंत्रता के प्रमुख मूल्य हैं। प्रति-बहुसंख्यकवाद और संवैधानिक नैतिकता दोनों का ही मूल डा. आंबेडकर की दूरदृष्टि में निहित था जो संविधान के जरिए निचली जातियों के प्रति ऐतिहासिक भेदभाव को खत्म करना चाहते थे। जातिगत भेदभाव को खत्म करने की हमारी संवैधानिक वचनबद्धता का तात्पर्य यह है कि कई सालों से हमारी अदालतें उस

बहुसंख्यकवादी सामाजिक नैतिकता के खिलाफ अपनी भूमिका निभाती आ रही हैं जो जातिगत व्यवस्था को बनाए रखने का पक्षधर है। बहुसंख्यकों की नैतिकता के खिलाफ जाने की यह न्यायिक भूमिका संवैधानिक नैतिकता को बचाती है और यही एलजीबीटी नागरिकों को संरक्षण के लिए अदालत ले जाती है। और जब नागरिकों के समूहों के मौलिक अधिकारों के हनन की बात आई तो अदालत अपनी जिम्मेदारियों से कैसे बच सकती थी।

2016 के शुरू में अंतरजातीय और अंतर-धार्मिक जोड़ों को संवैधानिक सुरक्षा ने हम वकीलों को यौन साथी के अधिकार- जौहर की इस प्रमुख दलील को तैयार करने के लिए प्रेरित किया। इसका पता एलजीबीटी भारतीयों समेत सबके लिए साथी के अधिकार के अदालत के फैसले में चलता है। इससे पता चलता है कि हम एक-दूसरे की आजादी से मजबूत होते हैं और नागरिकों के किसी भी समूह के लिए सरकार या सत्ता द्वारा तय किए जाने वाले भेदभाव से कमजोर होते हैं।

जौहर मामले में अदालत का यह निष्कर्ष कि संविधान इस अधिकार की सुरक्षा करता है कि भोजन, परिधान, आदर्श, आस्था या यौनिकता धार्मिक, यौन और राजनीतिक अल्पसंख्यकों के लिए एक संवैधानिक जीवनरेखा है। यदि अल्पसंख्यक और सदियों से भेदभाव का शिकार होते आ रहे समूह मिल कर संवैधानिक मूल्यों को अक्षुण्ण बनाए रखें तो यही वह संवैधानिक रोशनी है जो हमारे मौजूदा राजनीतिक माहौल को जगमगाए रख सकती है। हमारी आजादी खत्तियों में नहीं रहती है, बल्कि वह एक-दूसरे में ही निहित रहती है।

संवैधानिक मुकदमे में हम आजादी और हाशिए पर पड़े एक समूह की गरिमा के अधिकारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, यह तर्क देते हुए कि ये अधिकार हर नागरिक के हैं और उसे मिलने चाहिए। इसी तरह अलग-अलग मौकों पर यह पहचान होनी चाहिए कि जिसमें लोग एक-दूसरे के साथ खड़े हों, हर समूह की आजादी और समानता को सुनिश्चित करें, वे अपने भीतर ही ताकत और जज्बा पैदा करें।

यही वह समय भी है जब लैंगिक, जाति और श्रम जैसे मुद्दों पर भी एलजीबीटी समुदाय को भीतर और बाहर से अपने साथ शामिल किया जाए। इसी तरह, भारत में अलग तरह के इन नागरिकों को यह महसूस करना चाहिए कि एक समाज के खिलाफ उपयोग में लाए गए नेशनल रजिस्टर का विस्तार दूसरों के लिए भी किया जा सकता है। जर्मनी का इतिहास हमें यह सबक देता है। अलग-थलग कर दिए समुदायों में हमारी शक्ति कम हो जाती है लेकिन अगर हम एक रहते हैं तो हमारे संविधान द्वारा दिए गए वचनों को पूरा करने की दिशा में हम संघर्ष के लिए आगे बढ़ने की क्षमता को हासिल कर लेते हैं।

आज के दौर के भारत में सामाजिक ताने-बाने को उधेड़ना और भेदभाव का सामान्यीकरण करने की प्रवृत्ति भाईचारे, समानता और गरिमा के संवैधानिक मूल्यों को ध्वस्त करने वाली है। इससे खुद संविधान भी कमजोर होता चला जाएगा।

संविधान को तैयार करने वालों का दर्शन अब भी बहुतों के लिए उम्मीद की तरह है।.... संविधान का भारत हम सबको इस योग्य बनाता है कि हम अपने मन की बात कह सकें, अपनी आवाज तेज कर सकें और हमारी अपेक्षाओं को शक्ति मिले। ...आज हम इसी दर्शन का सम्मान करते हैं। हमें इसी दर्शन का बचाव करना चाहिए।

(लेखक सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील हैं)

गिद्धों का खत्म होना

संजीव राय

दुनिया मेरे आगे

गिद्धों के गायब होने की खबर ने पारसी समाज की एक परंपरा को बदलने के लिए बाध्य किया है। हमारे जीवन में जैसे-जैसे नई चीजें आती हैं, कुछ पुरानी चीजें गायब हो जाती हैं। शहरीकरण और औद्योगीकरण की तेज रफ्तार और तकनीकी विकास की दौड़ में हमारे बीच से गौरैया, महोखा, नीलकंठ, कोयल जैसे कई पक्षी अब गाहे-बगाहे ही दिखते हैं। यही हाल तितलियों और भौंरों का भी है। शहरों में रहने वाले अधिकतर बच्चों को तितली अब फोटो में ही दिखती है। अब खबर यह आ रही है कि शहरों में गिद्ध, चील और कौवे भी कम होते जा रहे हैं। हिरण की हंगुल और संगाई प्रजातियां भी विलुप्त होने के कगार पर हैं।

गिद्ध, चील और कौवों की घटती संख्या से कुछ नई समस्याएं पैदा हो रही हैं। पारसी समुदाय में अपने मृत परिजनों के शव को एक प्लेटफार्म नुमा खुली जगह पर रखने की परंपरा रही है। मुंबई में उस प्लेटफार्म को 'शांति टॉवर' कहा जाता है। यहां वर्षों से, शव रख दिए जाते थे और गिद्ध, चील और कौवे उनका भक्षण कर जाते थे। पारसी समाज में शवों को जलाने या जमीन में दफनाने का प्रचलन नहीं रहा है। उनका मानना है कि शव को जलाने अथवा जमीन में दफन करने से प्रकृति में प्रदूषण बढ़ता है, इसीलिए पारसी लोग मृतक के शरीर को गिद्ध, चील और कौवे के खाने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। लेकिन पारसी समुदाय के कुछ सदस्य अब शवों को खुले में गिद्धों के लिए छोड़ने के बजाय उन्हें जलाने लगे हैं।

बढ़ते प्रदूषण, बीमारी और बीमार लोग और पशुओं के उपयोग में आने वाली कुछ हानिकारक दवाओं का असर शवों के रास्ते गिद्ध, चील और कौवों पर भी पड़ा और उनकी मौत का कारण बनने लगा। इससे इनकी संख्या में भारी गिरावट आने लगी। बंजर-खाली जमीन के अलावा बागों और जंगलों का कटते जाना भी पक्षियों के खात्मे का एक प्रमुख कारण है। एक दशक में गिद्धों की संख्या में नब्बे फीसद से अधिक की कमी आ चुकी है। पक्षियों की संख्या में आई इस गिरावट ने पारसी समाज को बाध्य किया कि वह अपने परंपरागत तरीके को त्याग कर कुछ दूसरे विकल्प तलाशे। पारसी समाज ने सोलर कंसेंट्रेटर की मदद से शवों को कई दिनों तक गरम रखने के प्रयास किए हैं जिससे कौवे आदि भी शवों का भक्षण कर सकें। परंतु गिद्धों के मुकाबले कौवे जयादा समय लेते हैं और बारिश के मौसम में यह सौर उपाय प्रभावी नहीं रह जाता है। ऐसी स्थिति में अब पारसी समाज के कुछ लोग शवों को जलाने की भी वकालत कर रहे हैं। पारसी समाज के लोगों की संख्या देश में एक लाख से भी कम रह गई है। मूलतः व्यापार से जुड़े इस समुदाय के बारे में ऐसा कहा जाता है कि किसी पारसी व्यक्ति की आमदनी अगर पचास हजार रुपए महीने से कम होती है तभी समुदाय उसे गरीब मानता है!

सरकार और दूसरी सामाजिक संस्थाओं के प्रयास से पर्यावरण संरक्षण, गिद्धों के बचाव और संख्या वृद्धि के कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। मुंबई के धारावी में कूड़ेदान के ऊपर दो दशक पहले 'नेचर पार्क' बनाया गया था। इसमें औषधि के गुण वाले पौधों के साथ विविध प्रकार के पेड़-पौधे लगाए गए। इसका परिणाम यह हुआ कि धीरे-धीरे पक्षियों और तितलियों की अनेक प्रजातियां नेचर पार्क में दिखने लगीं। अब आसपास के लोग सुबह-शाम पार्क में टहलने आते हैं और साथ ही स्कूली बच्चे भी अपने शैक्षिक भ्रमण के क्रम में यहां आते हैं और नए अनुभव लेकर जाते हैं।

गिद्धों के साथ ही उल्लू, गुलाबी माथे वाली बत्तख और सारस भी अब बहुत कम दिखते हैं। मछलियों की प्रजातियां भी कम हो रही हैं। गिद्धों का कम हो जाना हजारों साल पुरानी परंपरा को बदल रहा है। चारा-दाना, संरक्षण देकर पक्षियों की मदद की जा सकती है। लेकिन अभी भी हर साल पंद्रह अगस्त के आसपास दिल्ली में भी पतंगबाजी के दौरान मांझे से हुई किसी व्यक्ति की मौत और बड़ी संख्या में पक्षियों के घायल होने की खबर आती है। हम अभी भी पक्षियों को लेकर संवेदनशील नहीं हैं। आक्रामकता हमारे व्यवहार का सामान्य लक्षण बनती जा रही है। हमारा अंधाधुंध शहरीकरण, बागों, नदी-नालों, तालाब-जोहड़ों का खत्म होना दरअसल मानवता के लिए विनाश का रास्ता है। ध्यान से देखिए तो आप के बचपन में आसपास घूमने वाली गौरैया, बनमुर्गी, कोयल, नीलकंठ, महोखा जैसे पक्षी अब विलुप्त होने की कगार पर हैं। तितली के पीछे-पीछे दौड़ना तो आज के बच्चे जानते होंगे, इसमें संदेह है!

विलय के बाद

सरकार ने हाल ही में देश के कुछ प्रमुख सरकारी बैंकों के विलय की घोषणा की है। क्या इस विलय की बहुत जरूरत थी? भारत के मौजूदा सामाजिक-आर्थिक हालात को देखते हुए यह सवाल काफी मायने रखता है। आज से पहले इतने व्यापक स्तर पर कभी बैंकों का विलय देखने को नहीं मिला। आजादी के बाद 20 जुलाई 1969 को चौदह बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। उस फैसले का मकसद अर्थव्यवस्था में कृषि, लघु उद्योग और निर्यात पर अधिक ध्यान देना था। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पहले भारत की पूरी पूंजी बड़े उद्योगपतियों और औद्योगिक घरानों के जरिए ही नियंत्रित होती थी। उस व्यवस्था में बैंकों में पैसे जमा करने वाले के लिए किसी तरह की सुरक्षा की गारंटी नहीं थी। फिर 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद तो बैंकिंग क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन गया।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय कर उनकी संख्या कम कर देने का परिणाम शायद कुछ वक्त बाद ही दिखे या हो सकता है इसका दूरगामी परिणाम भी हमारे सामने आए। विशेषकर मानव संसाधन, रोजगार सृजन और अर्थव्यवस्था के विकास के लिहाज से यह फैसला काफी अहम हो सकता है। लेकिन अगला बड़ा सवाल यह है कि क्या इस विलय के बाद बैंकों की गैर निष्पादित संपत्तियां यानी एनपीए की समस्या सुलझ जाएगी? या उस कर्ज पर नियंत्रण लग पाएगा जिसके वापस मिलने की उम्मीद कम ही है? क्या इस फैसले से बैंकों की काम करने की क्षमता में कुछ सुधार होगा?

दरअसल, इस विलय से बैंकों के काम का स्तर और बढ़ भी सकता है जिसमें कर्ज देने की क्षमता और निवेश भी शामिल होगा तथा देश में वैश्विक स्तर के मजबूत बैंक बनेंगे। लेकिन इसके अपने जोखिम भी हैं। कहीं मजबूत बैंकों के सहारे कमजोर बैंकों को उठाने की जगह ऐसा न हो कि कमजोर बैंक ही मजबूत बैंकों को डुबो दें! दुनिया की चार सबसे बड़ी लेखा संस्थाओं में से एक केपीएमजी के एक शोध के अनुसार 83 फीसद विलय ऐसे रहे हैं जो शेयरधारकों को अधिक मुनाफा देने में नाकाम रहे हैं।

● *प्रतीत दहिया, राजकीय महाविद्यालय, बागपत*

खतरे की अनदेखी

असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी तैयार करने का एक बड़ा आधार यही था कि राज्य की सांस्कृतिक विरासत के साथ-साथ वहां के मूल निवासियों की पहचान के लिए खतरा पैदा हो गया था। विडंबना यह है कि कई राजनीतिक दल इस खतरे की अनदेखी करने की वकालत कर रहे हैं। यह ठीक नहीं है। आज जब हर देश अपने और विदेशी नागरिकों की पहचान सुनिश्चित कर रहा है तब भारत को भी यह तय करना चाहिए कि देश में रहने वाला कौन भारतीय है और कौन नहीं? चूंकि यह पहचान तय करना वक्त की मांग है इसलिए एनआरसी का काम उदाहरण पेश करने वाला होना चाहिए। इसी से एनआरसी पर हो रही राजनीति थमेगी।

● *हेमंत कुमार, गोराडीह, भागलपुर, बिहार*

आस्था और पर्यावरण

देश में इन दिनों गणपति महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसमें लोग अपने घरों-मोहल्लों में गणेशजी की मूर्तियां स्थापित करते हैं। लेकिन आस्था के साथ-साथ पर्यावरण को बचाने की नैतिक जिम्मेदारी भी हमारे कंधों पर है क्योंकि इन मूर्तियों का विसर्जन नदियों, जलाशयों में किया जाना निश्चित है। वास्तव में नदियां राष्ट्र की जीवनदायिनी होती हैं और इनका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए सरकार द्वारा निर्धारित स्थलों पर ही मूर्तियों के विसर्जन करना चाहिए ताकि नागरिक-सरकार सहयोग से प्राकृतिक स्रोतों को प्रदूषण से बचाया जा सके और अप्रत्यक्ष रूप से जल शक्ति मंत्रालय को समर्थन मिले जिससे शीघ्र ही 'घर-घर नल' का सपना साकार हो।

● *कपिल एम वड़ियार, पाली, राजस्थान*

मौत के पटाखे

पंजाब के बटाला में बीते बुधवार को जो हुआ वह अपेक्षित ही था। घने रिहाइशी इलाके में पटाखे बनाने की फैक्ट्री पूरी तरह ध्वस्त हो गई। तेईस लोग मारे गए। इससे किसी को क्या फर्क पड़ता है! बस जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मुआवजे का ऐलान हो गया है जैसा कि हर हादसे के बाद होता है। वही रस्मअदायगी गुरदासपुर में भी की गई थी। उसके बाद यही कहानी कहीं और दोहराई जाएगी।

पटाखों से प्रदूषण बढ़ता है। जान-माल का नुकसान होता है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया था। बावजूद इसके, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। दक्षिण का शिवकासी तो पटाखों का शहर ही माना जाता है। वहां कई दुर्घटनाओं में सैकड़ों लोग मारे गए। 10 अप्रैल 2016 को केरल में कोल्लम के पुत्तिंगल मंदिर में सुबह तीन बजे पटाखों से लगी आग के कारण 111 लोग मारे गए थे और 150 से अधिक घायल हुए थे। फिर भी पटाखों से छुटकारा पाने के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। मतलब, हादसों और मौतों से ज्यादा तरजीह हम अपनी आस्था को देते हैं। हम लोगों को आविष्कार से अधिक चमत्कार में विश्वास है। जब तक ऐसा है, ये हादसों से लोग मरते रहेंगे।

● *जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर, बिहार*

जाति की जगह

हमारे देश की अनेक सामाजिक संस्थाओं खास तौर पर हॉस्टलों के नाम जातियों पर रख दिए गए हैं। मसलन जाट हॉस्टल, राजपूत हॉस्टल, ब्राह्मण छात्रावास, मीणा छात्रावास, यादव हॉस्टल आदि-आदि। जब हम पहले से ही हॉस्टलों को उनकी जाति या वर्ण से चिह्नित करते हैं तो समाज को जातिगत खांचों में बांट कर कोई अच्छा संदेश नहीं देते हैं बल्कि छात्रों में जातिगत भेदभाव और कटुता को ही बढ़ावा देते हैं। अगर हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है तो ऐसे नामकरण धर्मनिरपेक्षता की कोई सार्थक मिसाल बिल्कुल भी पेश नहीं करते। समय आ गया है जब जातियों के आधार पर संस्थाओं का नामकरण करने की परंपरा को समाप्त किया जाए।

बहुत पहले की बात है। मेरा तबादला राजस्थान के एक दूरदराज इलाके में हुआ था। जब तक मैं अपने परिवार को ले जाता, मैंने वहां के एक अच्छे और चर्चित हॉस्टल/ विश्रामालय में ठहरने का मन बनाया। संपर्क करने पर हॉस्टल के मैनेजर ने साफ कह दिया कि यह एक विशेष संप्रदाय के लोगों के लिए सेठजी ने खोला है, सभी के लिए नहीं। मेरे खूब निवेदन करने पर भी प्रबंधक महोदय माने नहीं। आखिर जो सामाजिक संस्थाएं अथवा हॉस्टल जरूरत पड़ने पर आपके काम न आएं और अपनी जातिवादी मानसिकता पर अडिग रहें, उनकी समाजसेवा और जातिगत अस्मिता किस काम की?

● *शिबन कृष्ण रैणा, अलवर*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

epaper.jansatta.com

नई फिल्म

- ड्रीम गर्ल
- जोया फैक्टर

बॉक्स ऑफिस

फिल्म	कुल कमाई
साहो	247.5 करोड़
मिशन मंगल	184.75 करोड़
बाटला हाउस	86.2 करोड़
जबरिया जोड़ी	16 करोड़

5 सितंबर तक की कमाई

जन्मदिन

राकेश रोशन	6 सितंबर
राधिका आप्टे	7 सितंबर
आशा भोंसले	8 सितंबर
अक्षय कुमार	9 सितंबर

ख्वाहिश आसमान छूने की : सुशांत

आरती सक्सेना

आमने सामने

सुशांत सिंह राजपूत की फिल्में कुछ हट के होती हैं चाहे वो फिल्म 'काय पो छे!' हो या फिर 'सोन चिड़िया' या जल्द ही रिलीज होने वाली फिल्म 'छिछोरे'। सुशांत हर फिल्म में एक नए अंदाज में नजर आते हैं और इस फिल्म के पोस्टर को देखकर लग रहा है कि इस फिल्म में भी उनका एक अलग ही अवतार नजर आएगा। इस फिल्म से जुड़े कई दिलचस्प सवालों के जवाब दिए सुशांत सिंह राजपूत ने...

सवाल : 'छिछोरे' रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में क्या खास है जिसने आपको इस फिल्म में काम करने के लिए आकर्षित किया?

● इस फिल्म की कहानी दमदार है। मेरे लिए कहानी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। 'छिछोरे' की कहानी का आधार दोस्ती है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि चाहे दोस्त कितने भी छिछोरे हो लेकिन अगर वो बुरे वक्त में काम आते हैं तो उनसे अच्छा दोस्त कोई नहीं हो सकता। वही आपका सच्चा दोस्त होता है। इसे ही फिल्म में बड़ी ही खूबसूरती से दिखाया गया है।

सवाल : क्या इस फिल्म ने आपको कॉलेज के दिनों की याद दिला दी?

● हां बहुत ज्यादा। कॉलेज के दिनों में खास तौर पर इजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान मेरे कई ऐसे दोस्त थे जो छिछोरे होने के साथ-साथ अपनी दोस्ती के प्रति बेहद ईमानदार भी थे। मेरे कुछ खास दोस्तों ने ही मुझे अभिनय के लिए प्रेरित किया था। कहते हैं न टेढा है पर मेरा है। मेरे दोस्त भी कुछ ऐसे ही हैं। मैं आज भी उनसे मिलता हूं।

सवाल : इस फिल्म से जुड़े किरदार और खास बात को बताएं?

● मैं इस फिल्म में अनुरुद्ध का किरदार निभा रहा हूं जिसे प्यार से सारे दोस्त एन्नी कहते हैं। उसका वरुण शर्मा नाम का एक दोस्त है जो हमेशा लड़कियों के बारे में फैंटेसी करता रहता है। उसके जीवन का मकसद खूबसूरत लड़कियां हैं। एक दोस्त प्रतीक बब्बर है जिसका नाम रागी है। ऐसे ही सारे दोस्तों के नाम किरदार के नाम के हिसाब से हैं।

सवाल : 'छिछोरे' में आप पहली बार श्रद्धा कपूर के साथ काम कर रहे हैं। श्रद्धा के साथ काम का अनुभव कैसा रहा। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?

● श्रद्धा अच्छी अभिनेत्री होने के साथ एक बहुत अच्छी इंसान भी हैं। वो बहुत ही डाउन टू अर्थ, हंसमुख और सकारात्मक सोच रखने वाली इंसान हैं। उनसे बातें करने भर से सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति होती है। फिल्म में वो माया का किरदार निभा रही हैं जिन पर सारे लड़के फिदा है और मैं उनसे दोस्ती करने के चक्कर में कई सारे ड्रामे करता हूं। 'छिछोरे' में दर्शकों को नब्बे के दशक की झलक दिखेंगी, जिसे निभाने में हम सभी को बहुत मजा आया।

फिल्म 'छिछोरे'

सवाल : आपको इस इंडस्ट्री में आए हुए कई साल हो गए। ऐसे में जब आप पीछे मुड़ कर देखते हैं तो क्या पाते हैं?

● मैं पटना का रहने वाला छोटा सा इंसान था जिसकी आसमान को छूने की ख्वाहिश थी। मेरी जिंदगी का सबसे प्यारा इंसान मेरी मां थीं जो उस वक्त गुजर गई जब मैं कक्षा बारहवीं की पढ़ाई कर रहा था। मेरी मां को चार बेटियां हुईं और काफी मन्नतों के बाद उन्हें एक बेटा यानी मैं पैदा हुआ। यही वजह है कि मैं बहुत लाड़ प्यार से पला। घर में मेरी हर ख्वाहिश पूरी की जाती थी। मेरी मां की दिली तमन्ना थी मुझे सफल देखने की अगर आज वो जिंदा होती तो मेरी सफलता देख उन्हें बहुत ज्यादा खुशी होती। आज मैं यही बात सबसे ज्यादा मिस करता हूं।

सवाल : आपने कई कलाकारों के साथ काम किया है। क्या आप किसी कलाकार के आगे नर्वस हुए हैं?

● नहीं। मैं कभी किसी बड़े अभिनेता के सामने नर्वस नहीं हुआ। जब मैं अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में छोड़कर फिल्मों में काम करने का जोखिम ले सकता हूं तो मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैंने कई सारे बड़े कलाकारों के साथ काम किया है लेकिन उनके सामने नर्वस होने के बजाय मैंने उनसे कुछ सीखने की कोशिश की है।

सवाल : रेहा चक्रवर्ती के साथ रोमांस की खबरों के बारे में आप क्या कहेंगे ?

● मैं और रेहा बहुत अच्छे दोस्त है और इससे ज्यादा हमारे बीच क्या रिश्ता है, ये तो आपको खुद ही पता करना होगा। मुझे नहीं पता कि वो क्या सोचती है इस बारे में। लिहाजा इस बात पर मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता।

सवाल : अगर आपसे प्यार को परिभाषित करने को कहा जाए तो आप क्या कहेंगे?

● प्यार में इंसान की समझदारी अपने आप ही बढ़ जाती है। सच्चा प्यार वही है जिसमें आपकी भावनाओं को सामने वाला बिना कहे ही समझ जाए। और प्यार में कुछ कहने-सुनने की जरूरत ही ना पड़े। इसके अलावा अगर आप प्यार होने की बात करें तो आपका दिल जब किसी पे आ जाता है तो आपको उससे तुंरत प्यार हो जाता है। फिर आपको अपने प्रेमी की हजार बुराइयां भी अच्छाइयां लगती है इसे अंधा प्यार कहते है, जो बहुत कम समय चलता है। ऐसा प्यार कॉलेज के दौरान ज्यादा होता है, जो इस फिल्म 'छिछोरे' में दिखाया गया है।

खबर कोना

'खाली पीली' में साथ नजर आएंगे ईशान और अनन्या

बॉलीवुड अभिनेता ईशान खट्टर और अभिनेत्री अनन्या पांडे जल्द ही एक साथ फिल्म 'खाली पीली' में नजर आने वाले हैं। हाल ही में इस फिल्म का फर्स्ट लुक भी रिलीज हुआ है। फिल्म निर्माता अली अब्बास जफर ने फिल्म के फर्स्ट लुक को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से साझा किया। अली ने फिल्म के फर्स्ट लुक को साझा करते हुए लिखा, 'हमारा पहला प्रोडक्शन, भगवान हमें आशीर्वाद दे। एक डेढ़ शाणा, एक आइटम, एक टैक्सी और एक रात की कहानी, अपुन ला रहे हैं 2020 की सबसे राप्चिक मूवी। यह समय है खाली पीली का।' फिल्म 'खाली पीली' का निर्देशन मकबूल खान कर रहे हैं और यह मुंबई की पृष्ठभूमि पर बनने वाली फिल्म है। इस फिल्म में संगीतकार 'विशाल-शेखर' की जोड़ी संगीत देगी। खबरों की मानें तो अगले हफ्ते इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो सकती है। यह फिल्म अगले साल 12 जून को रिलीज होगी। ईशान खट्टर इससे पहले फिल्म 'धड़क' में नजर आए थे। इसी फिल्म से उन्होंने अपने करिअर की शुरुआत की थी।

जोया की फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएंगी जाह्नवी

'धड़क' से अभिनय की शुरुआत करने वाली जाह्नवी कपूर जल्द ही जोया अख्तर की फिल्म में दिखेंगी। अभिनेत्री जाह्नवी कपूर और अभिनेता विजय वर्मा निर्देशक जोया अख्तर की फिल्म 'घोस्ट स्टोरीज' में मुख्य भूमिकाएं निभाएंगे। फिल्म के निर्माताओं ने यह ऐलान किया है। अभिनेता विजन वर्मा फिल्म 'गली बॉय' में रणवीर सिंह के साथ नजर आए थे और उनकी अदाकारी को लोगों ने काफी सराहा था। वहीं अब वे जोया की फिल्म में मुख्य किरदार में होंगे। 'घोस्ट स्टोरीज' नेटफ्लिक्स की 2018 की फिल्म 'लस्ट स्टोरीज' की अगली कड़ी होगी। फिल्म में चार कहानियां होंगी, जिसके लिये जोया, करण जौहर, दिवाकर बनर्जी और अनुराग कश्यप मिलकर काम करेंगे। चारों फिल्मकार इससे पहले 'लस्ट स्टोरीज' और 2013 में आई फिल्म 'बॉम्बे टॉकीज' में भी काम कर चुके हैं। फिल्म की शूटिंग जल्द ही शुरू होने वाली है। इसका निर्माण आरएसवीपी पिक्चर्स और टाइगर बेबी करेंगे।

'ड्रीम गर्ल' के लिए आयुष्मान खुराना थे एकमात्र विकल्प

अपनी पहली ही फिल्म से बॉलीवुड में पहचान बनाने वाले आयुष्मान खुरान की फिल्म 'ड्रीम गर्ल' जल्द ही रिलीज होने वाली है। इस फिल्म के निर्देशक राज शांडिल्य का कहना है कि उनके फिल्म 'ड्रीम गर्ल' के लिए आयुष्मान खुराना उनका पहला और एकमात्र विकल्प थे। निर्देशक ने बताया कि 'लिखते समय हमने 'ड्रीम गर्ल' के लिए आयुष्मान के बारे में ही सोचा था। जब मैंने आयुष्मान को कहानी सुनने के लिए संदेश भेजा तब 'बधाई हो' और 'अंधाधुन' रिलीज नहीं हुई थीं। उन्होंने कहानी सुनी और काम करने के लिए तुरंत हामी भर दी।' उन्होंने कहा कि आयुष्मान हास्य विधा में माहिर हैं और वह अपने काम को पूरी लगन से अंजाम देते हैं। 'ड्रीम गर्ल' में आयुष्मान ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभा रहे हैं जो महिलाओं की आवाज निकाल सकता है और रामलीला में महिला चरित्रों की भूमिका निभाता है।

बिना कहानी आप कुछ भी नहीं हैं : अमृता सुभाष

'सेक्रेड गेम्स 2' में रॉ एजेंट कुसुम देवी यादव उर्फ केडीवाई के किरदार को मिल रहे प्यार और सराहना से अमृता सुभाष काफी उत्साहित हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि कहानी उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है और वह इसके साथ कोई समझौता नहीं करेंगी। उन्होंने बताया कि 'काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली। अब लोग मुझे 'यादव साब' बुलाने लगे हैं। लेखन में जिस तरीके से इस किरदार को ढाला गया, उसी वजह से यह पसंद किया गया। आप अच्छे अभिनेता हो सकते हो लेकिन अगर आपके पास अच्छी कहानी नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते।' उन्होंने कहा, 'मैंने जितने काम स्वीकार नहीं किए उससे कहीं ज्यादा को न कहा। अच्छी कहानी मेरी पसंद है। मैं बुरी कहानी से नहीं जुड़ सकती।'

प्राचीन ग्रंथों के साथ नवाचार की पहल

शशिप्रभा तिवारी

अल्पना की ओर नृत्य समारोह भूमि प्रणाम का आयोजन किया गया जिसमें ओडिशी नृत्यांगना अल्पना नायक के साथ उनकी शिष्याओं ने भी ओडिशी नृत्य पेश किया। इस समारोह का आरंभ परंपरागत मंगलाचरण के बजाय रंग स्तुति से हुआ। यह स्तुति आचार्य नंदिकेश्वर की कृति अभिनय दर्पण से लिए गए अंश-सभा लक्षणम पर आधारित थी। इस रचना में सभा लक्षणम, सभा रचना, प्रार्थना, रंग देवी की स्तुति और पुष्पांजलि को दर्शाया गया। इसका समापन गणेश स्तुति 'पदबंदे गणनाथ' से हुआ। इस पेशकश में गुरु अल्पना नायक और उनकी शिष्याओं ने शिरकत की। आमतौर पर ओडिशी में कलाकार भगवान जगन्नाथ की वंदना पेश करते हैं। उस लीक से हटकर अल्पना नायक ने अपनी नई सोच और परिकल्पना को रंग स्तुति के माध्यम से पेश किया। कलाकारों की ऐसी पहल स्वागत योग्य है कि वो प्राचीन ग्रंथों के साथ एक नवाचार की पहल करते हैं।

नृत्योत्सव

समारोह की दूसरी प्रस्तुति वृंदावनी सारंग में निबद्ध पल्लवी थी। यह राग वृंदावनी सारंग में पिरोए गए पल्लवी में ओडिशी नृत्य की तकनीकी बारीकियों का अंग, पद और हस्त संचालन के जरिए पेश किया गया। लयात्मक गतियों में लय के विस्तार के साथ अंगों के संचालन का विस्तार मोहक था। इस प्रस्तुति में कलाकारों का आपसी सामंजस्य और संयोजन देखने लायक था। पल्लवी की इस पेशकश में भी नयापन और एक नई उमंग और गति दिखी। अलस कन्याओं समेत कई नायिकाओं की भंगिमाओं का प्रयोग अपना अनूठा प्रभाव छोड़ता नजर आया। हालांकि किसी नई परिकल्पना को साकार करना चुनौतिपूर्ण होता है पर यह समेकित प्रयास भी सुंदर था।

अल्पना नायक अक्सर अपनी शिष्याओं को लेकर परंपरागत नृत्य में नवीनता लाने का प्रयास करती हैं, जो युवा शिष्याओं को आकर्षित करता है। उनमें उत्साह भरता होगा कि वो ऐसी रचनाओं को पूरी तन्मयता से नृत्य में पिरोएं। गुरु के प्रयास को शिष्याओं ने भी अपने लगातार रियाज और तैयारी के जरिए साकार किया।

अगली प्रस्तुति उड़िया गीत पर आधारित थी। यह भक्त चरण दास रचित चैतीसा-'कला कलेबारा कन्हाई' थी। इसमें परंपरागत शैली का अनुसरण करते हुए भगवान जगन्नाथ को रथ पर विराजित दर्शाया गया। नृत्य के इस अंदाज ने एक अलग प्रभाव छोड़ा। वहीं, पूतना वध, गिरि गोवर्धन धारण, कुब्जा उपख्यान का चित्रण भी कलाकारों ने बहुत ही सुंदर अंदाज में किया। एक-एक प्रसंग के चित्रण में संचारी भाव के साथ अभिनय में अच्छी परिपक्वता दिखी। इस प्रस्तुति में गुरु अल्पना नायक सहित उनकी शिष्याएं प्राप्ति गुप्ता, देविका सेठा, दीक्षा कन्नन, पीहू श्रीवास्तव, प्रगति मलिक, यस्तिका धवन और श्रेयशा ने शिरकत की।

ओडिशी नृत्यांगना अल्पना नायक ने करीब बीस वर्ष पहले अपनी शिष्याओं को नृत्य सिखाना शुरू किया था। धीरे-धीरे शिष्याओं ने ओडिशी नृत्य को अपने जीवन में पूर्णता से अंगीकार किया और गुरु का मार्गदर्शन निरंतर प्राप्त किया। इस में कोई दो राय नहीं कि गुरु के तौर पर सहृदयता से शिष्याओं को गुणग्राही बनाने की परंपरा को अल्पना नायक ने समृद्ध किया है।

वेनिस फिल्म महोत्सव

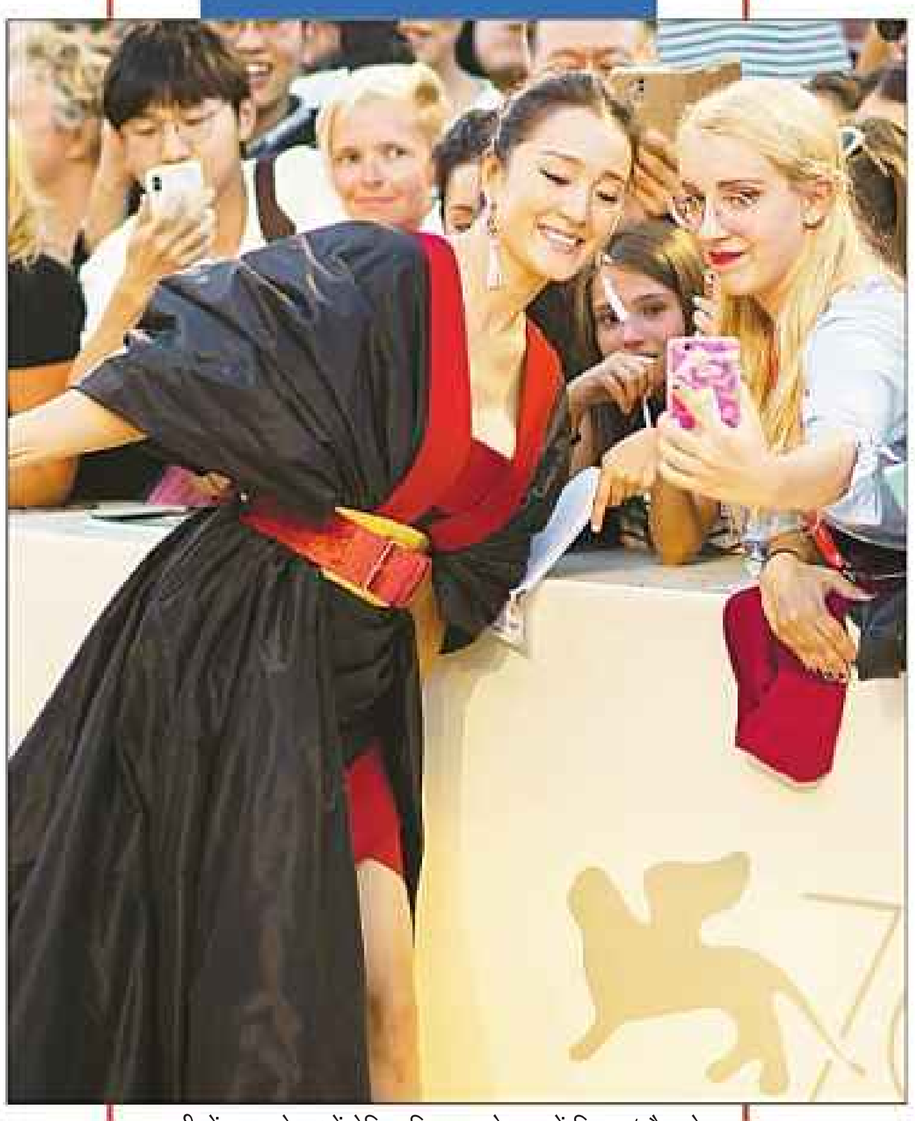

इटली में चल रहे 76वें वेनिस फिल्म महोत्सव में फिल्म 'सैटरडे फिक्शन' के प्रीमियर पर अभिनेत्री गोंग ली एक प्रशंसक के साथ तस्वीर खिंचवाती हुई।

प्यारेलाल संतोषी (7 अगस्त, 1916- 7 सितंबर, 1978)

प्रेरणा के जलप्रपात की जुनूनी गूंज

गणेशनंदन तिवारी

पीएल संतोषी के दिन नहीं जमाना हुआ करता था। गीतकार संतोषी को बतौर निर्देशक पहला मौका दिया था 1946 में पुणे के प्रभात स्टूडियो ने 'हम एक हैं' में। देव आनंद की यह पहली फिल्म थी। तब कैमरामैन पई और संतोषी देव आनंद के सामने के दांतों के बीच का गैप भरने को लेकर परेशान थे। इस फिल्म ने संतोषी के जीवन में भारी उलटफेर किया था। इसमें एक संघर्षरत लड़की रेहाना (मुश्तरजहां) को बड़ा मौका मिला था। रेहाना लखनऊ की रहने वाली थी। कम उम्र से ही कज्जनबाई की टूरिंग कंपनी में देश विदेश में घूम चुकी रेहाना दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान दो अंग्रेजों की बनाई कंपनी में शामिल हो गई। इस कंपनी का काम अंग्रेज सिपाहियों का मन बहलाव करना था। यही रेहाना फिल्मों में आकर पीएल संतोषी की प्रेरणा बनी। सात सालों तक संतोषी ने उन्हें दीवानगी की हद तक चाहा। अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। संतोषी के गाने और उनकी पटकथाओं के किरदारों में बस रेहाना का अक्स ही नजर आता था। 1946 से लेकर 1952 तक संतोषी की फिल्मों में रेहाना होती थी।

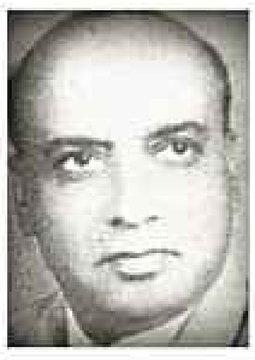

हमारी याद आएगी

मध्य प्रदेश के जबलपुर का भेड़ाघाट जलप्रपात बहुत मशहूर है। इस झरने का आकर्षण अद्भुत है। जब सैलानी इसके पास खड़े होते हैं तो फिर उन्हें उसकी जुनुनी गूंज के अलावा कुछ और सुनाई नहीं देता। इसी जबलपुर से 17-18 साल का एक लड़का तीस के दशक में मुंबई फिल्मजगत में जाकर खूब शोहरत और दौलत कमाता है। देव आनंद उसकी पहली फिल्म के हीरो बने। गुरु दत्त पांचवें असिस्टेंट बने। हास्य अभिनेता महमूद तो उनकी गाड़ी चलाते थे। यह बहुमुखी प्रतिभाशाली कलाकार थे पीएल संतोषी। 'घायल', 'घातक', 'दामिनी', 'अंदाज अपना अपना' जैसी फिल्में बनाने वाले मशहूर निर्देशक राजकुमार संतोषी के पिता। कल उनकी 41वीं पुण्यतिथि है।

निर्देशकों में अपनी हीरोइन के प्रति आकर्षण सहज, स्वाभाविक बात रही है। चेतन आनंद प्रिया राजवंश के प्रति आकर्षित थे। राज कपूर नरगिस के प्रति आकर्षित रहे। गुरु दत्त में यह आकर्षण वहीदा रहमान को लेकर रहा। यहां तक कि संतोषी के बेटे राजकुमार भी एक समय मीनाक्षी शेषाद्रि के प्रति आकर्षित रहे। यह हर दौर में होता रहा है। पीएल संतोषी के साथ भी यही हुआ था, जिसने उनकी सहज, स्वाभाविक प्रतिभा को हाशिए पर पटक दिया था।

1947 में शहनाई का गाना 'आना मेरी जान मेरी जान संडे के संडे...' के हिट होने के बाद तो संतोषी ने रेहाना को 'सरगम' में राज कपूर की और 'सगाई' में प्रेमनाथ की हीरोइन बना दिया था। शंभु महाराज से कथक सीखी रेहाना को पहली झटका क्वीन कहा गया। उनकी फिल्मों की खूब आलोचना होती थी। संतोषी के साथ उनकी 'शिन शिनाकी बूबला बू' (1952) को नैतिकता के आधार पर सेंसर ने बैन कर दिया था।

संतोषी का रचना संसार रेहाना में ही सिमट कर रह गया। रेहाना संतोषी के लिए भेड़ाघाट के झरने की जुनूनी गूंज की तरह थी। जब वह रेहाना के करीब होते थे, उन्हें और कुछ सुनाई नहीं देता था। रेहाना की शॉपिंग और शाहखर्ची पर संतोषी ने खूब पैसा लुटाया।

वक्त बदला। संतोषी की 'छम छमा छम' (1952) पिटी, तो रेहाना ने मुंह फेर लिया। संतोषी को लगा कि उनकी प्रेरणा उनसे दूर हो गई। वह बदले हालातों को समझ रहे थे, मगर अपने दिल के हाथों मजबूर थे। इतने मजबूर कि उनके मुंह पर रेहाना दरवाजा धड़ाम से बंद कर देती थी और संतोषी बाहर सीढ़ियों पर बैठे रहते थे।

1965 में रेहाना पाकिस्तान चली गई और वहां फिल्मों में काम करने लगी। संतोषी प्रेरणा के झरने के सामने से हटे तो सोचने समझने लायक बने। समझ गए कि उनकी प्रेरणा कुछ और नहीं एक जलप्रपात की जुनूनी गूंज भर थी। वह उसके पास से हटे तो अपनी सहज, स्वाभाविक स्थिति में आ गए। और वक्त ने भी इस बात को साबित किया। 1957 में संतोषी बाल की फिल्म 'हम पंछी एक डाल के' को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला।

राष्ट्रपति ने 46 शिक्षकों को प्रदान किए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 5 सितंबर।

शिक्षा प्रणाली में ज्ञान के साथ विवेक के महत्त्व को रेखांकित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को शिक्षकों को सुझाव दिया कि वे अपनी मौलिक जिम्मेदारी को समझते हुए एक ऐसी नई पीढ़ी तैयार करें जो ज्ञान और विवेक के सामंजस्य से परिपूर्ण हो ताकि वह आज की सभी चुनौतियों से सफलतापूर्वक निपट सके।

डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती 'शिक्षक दिवस' पर 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करने के बाद कोविंद ने एक समारोह में कहा कि विश्व आज सूचना युग से ज्ञान युग में प्रवेश कर रहा है। लेकिन केवल ज्ञान के विकास से ही समाज की समग्र सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती। ज्ञान के साथ विवेक जरूरी है। विवेक सम्मत ज्ञान से ही मानवीय समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि विवेक के बल पर ही समाज के हर क्षेत्र में व्यवसायीकरण, जीवन मूल्यों में गिरावट से उत्पन्न चुनौतियों का हम सभी सामना कर पाएंगे। शिक्षकों की जिम्मेदारियों का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सभी शिक्षकों के लिए मेरा सुझाव है कि आप सब अपनी मौलिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए एक ऐसी नई पीढ़ी तैयार करें जो ज्ञान और विवेक के सामंजस्य से परिपूर्ण हो ताकि वह आज की सभी चुनौतियों का सफलतापूर्वक समाधान कर सके। यही सच्चे अर्थों में शिक्षक दिवस की प्रामाणिकता होगी। उन्होंने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) के साथ मानवीय करुणा का मेल तथा डिजिटल ज्ञान के साथ चरित्र निर्माण के बीच सामंजस्य जरूरी हैं।

कश्मीर टाइम्स के संपादक समेत अन्य याचिकाओं पर 16 को होगी सुनवाई

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 5 सितंबर।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि जम्मू कश्मीर में संचार व्यवस्था कथित रूप से अवरुद्ध होने के खिलाफ कश्मीर टाइम्स की कार्यकारी संपादक और अन्य की याचिकाओं पर 16 सितंबर को सुनवाई की जाएगी। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाले पीठ से कश्मीर टाइम्स की कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन ने कहा कि अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को खत्म किए जाने के एक महीने बाद भी पत्रकारों को राज्य में स्वतंत्र रूप से आने जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। हालांकि महान्यायवादी तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि कश्मीर टाइम्स के संपादकों ने अपना अखबार प्रकाशित नहीं करने का निर्णय लिया है।

एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक पर अंकुश लगाने के लिए जन आंदोलन शुरू करें : मोदी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 5 सितंबर।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि देश ने एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक पर अंकुश लगाने के लिए जन आंदोलन शुरू किया है जिसमें शिक्षक सक्रिय भागीदारी करें, छात्रों को इससे पर्यावरण को होने वाले नुकसान के बारे में समझाएं और उन्हें इसमें शामिल होने के लिए प्रेरित करें।

प्रधानमंत्री ने संदेश में कहा कि इस शिक्षक दिवस पर मैं अपने साथी शिक्षकों से एक अनुरोध करना चाहता हूं। देश ने एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक पर अंकुश लगाने के लिए जन आंदोलन शुरू किया है। मैं इस जन आंदोलन में शिक्षक समुदाय की सक्रिय सहायता और भागीदारी चाहता हूं। जब शिक्षक अपने छात्रों को एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक से पर्यावरण को होने वाले नुकसान के बारे में समझाएंगे और इसका उपयोग नहीं करने की सलाह देंगे तो छात्र भी इस जन आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित होंगे। यह पूज्य बापू को उनकी 150वीं जयंती पर सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मोदी ने शिक्षक समुदाय को शिक्षक दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह दिन पूरी शिक्षक बिरादरी का उनके कठोर परिश्रम, समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए अभिनंदन करने का दिन है। उन्होंने कहा कि कक्षा में शिक्षा से जुड़े विषयों को पढ़ाने के अलावा, शिक्षक असाधारण मार्गदर्शक और संरक्षक भी होते हैं, जो अपने छात्रों के जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षकों का निस्वार्थ भाव पूरे विश्व में सराहनीय है। व्यस्त कार्यक्रम और अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के बावजूद शिक्षक यह सुनिश्चित करते हैं कि छात्र आसानी से नए विचारों के बारे में जानें और नई चीजों को सीखें।

मोदी ने कहा कि आज भारत के शिक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव आ रहा है। अब हमने पारंपरिक तरीके से निकल कर परिणामों को प्राथमिकता देने की तरफ कदम बढ़ाया है। मुझे शिक्षकों को युवाओं के बीच अनुसंधान और नवाचार की भावना को बढ़ावा देने के लिए कड़ी मेहनत करते हुए देखकर खुशी होती है। उन्होंने कहा कि यही वह भावना है जो हमारे युवाओं को अपने और राष्ट्र के लिए असाधारण काम करने की शक्ति प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह आज के दिन महान शिक्षक डा. एस. राधाकृष्णन को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और यह कामना करते हैं कि उनका जीवन अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा के क्षेत्र से जोड़े और युवा मन को आकार देने के लिए हमेशा प्रेरित करे।

गांधी जयंती पर कांग्रेस का देशव्यापी आयोजन

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 5 सितंबर।

कांग्रेस पार्टी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को यादगार बनाने के लिए समूचे देश में बड़े स्तर पर पदयात्राओं और अन्य विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। एक सप्ताह तक चलने वाले इन कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर पार्टी ने अपने सभी महासचिवों और प्रदेश के प्रभारियों की शुक्रवार को दिल्ली में बैठक बुलाई है।

कांग्रेस के संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल ने सभी पार्टी महासचिवों, प्रभारियों, प्रदेश अध्यक्षों और अन्य पदाधिकारियों को जारी एक पत्र में कहा है कि कांग्रेस महात्मा गांधी की जयंती पर देश भर में दो से नौ अक्टूबर तक अलग-अलग कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। 2 अक्टूबर को दिल्ली सहित पूरे देश में पदयात्राओं का आयोजन होगा। पदयात्राओं में शामिल होने वाले तमाम कांग्रेसी गांधी टोपी पहनेंगे, उनकी एक फोटो अपने साथ रखेंगे और पदयात्रा के दौरान गांधी से संबंधित नारे लगाते चलेंगे। प्रदेश कांग्रेस समितियों से यह भी कहा गया है कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को इन पदयात्राओं में शामिल होने के लिए विशेष तौर पर कहा जाए।

मोदी-महातिर मुलाकात में उठा जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण का मुद्दा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 5 सितंबर।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद से बातचीत में जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण के मुद्दे को उठाया। भारत ने इस विवादास्पद कट्टरपंथी उपदेशक नाइक के प्रत्यर्पण के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं, जो आतंकवाद और धनशोधन के आरोपों में वांछित है।

मोदी ने रूस के पूर्वी सुदूर क्षेत्र में यहां पूर्वी आर्थिक मंच (ईईएफ) की पांचवीं बैठक के इतर मलेशिया के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। मोदी ने महातिर को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने के भारत के फैसले के पीछे के औचित्य को भी स्पष्ट किया। मोदी ने ट्वीट किया, 'मलेशिया के प्रधानमंत्री डॉ. महातिर मोहम्मद से मुलाकात अच्छी रही। हमने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग को आगे बढ़ाने के तरीकों पर बातचीत की।' विदेश सचिव विजय गोखले ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने महातिर से अपनी मुलाकात में नाइक के मलेशिया से प्रत्यर्पण के मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा, 'दोनों पक्षों ने फैसला किया है कि हमारे अधिकारी इस संबंध में संपर्क में रहेंगे और यह हमारे लिए महत्त्वपूर्ण मुद्दा है।' कट्टरपंथी उपदेशक नाइक (53) 2016 में भारत से चला गया था और बाद में मुसलिम बहुल मलेशिया में जाकर रहने लगा। उसे वहां स्थाई निवास की अनुमति मिली है।

वह भारत में 2016 से कथित धनशोधन के मामले में और नफरत भरे भाषणों से आतंकवाद को भड़काने के मामले में वांछित है। पिछले आठ अगस्त को मलेशियाई हिंदुओं और चीनियों के खिलाफ नाइक के बयान के बाद उसके इस देश में किसी भी सार्वजनिक गतिविधि में शामिल रहने पर रोक लगा दी गई है। गोखले के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी ने महातिर के साथ जम्मू-कश्मीर संबंधी घटनाक्रमों और 'पुनर्गठन' पर भी बातचीत की।

सुप्रीम कोर्ट : माकपा नेता तारिगामी को एम्स स्थानांतरित करने का आदेश

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 5 सितंबर।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बीमार माकपा नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी को श्रीनगर से अविलंब दिल्ली स्थित एम्स में स्थानांतरित करने का आदेश दिया। तारिगामी इस समय श्रीनगर में अपने घर में नजरबंद हैं।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एसए बोबडे और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पीठ ने कहा कि श्रीनगर स्थित शेर-ए-कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के चिकित्सकों के बीच परामर्श के बाद ही तारिगामी को स्थानांतरित किया जाएगा। पीठ ने माकपा महासचिव सीताराम येचुरी की याचिका पर केंद्र और जम्मू कश्मीर प्रशासन को नोटिस भी जारी किए। याचिका में कहा है कि तारिगामी को नजरबंद करने का कोई एक जैसा आदेश नहीं था। साथ ही पीठ ने इस याचिका पर एक हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। इस मामले में अब 16 सितंबर को आगे सुनवाई होगी। येचुरी ने पीठ से कहा कि माकपा के पूर्व विधायक को बेहतर इलाज के लिए एम्स में स्थानांतरित किए जाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मोदी-आबे वार्ता में समुद्री मार्गों को लेकर हुई चर्चा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 5 सितंबर।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जापानी समकक्ष शिंजो आबे से गुरुवार को व्लादिवोस्तोक में मुलाकात की और दोनों नेताओं ने उस रणनीतिक हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई, जहां चीन अपनी सैन्य ताकत दिखा रहा है। दोनों नेताओं के बीच हिंद-प्रशांत में अहम समुद्री मार्गों को चीन के प्रभाव से मुक्त करने के लिए नई रणनीति विकसित करने को लेकर बात हुई।

भारत और जापान दुनिया के चार देशों के गठबंधन में शामिल हैं और नौवहन स्वतंत्रता को लेकर नई रणनीति विकसित करने में जुटे हैं। इस गठबंधन के दो अन्य देश हैं-अमेरिका और आस्ट्रेलिया। इस गठबंधन ने हिंद-प्रशांत में अहम समुद्री मार्गों को चीन के प्रभाव से मुक्त करने के लिए रणनीति विकसित करने की कवायद शुरू की है। पूर्व दक्षिण चीन सागर पर चीन अपनी संप्रभुता का दावा करता है। इस पर वियतनाम, मलेशिया, फिलीपीन, ब्रुनेई और ताइवान भी अपना दावा पेश करते हैं। आबे के साथ मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, 'व्लादिवोस्तोक में प्रधानमंत्री शिंजो आबो से मुलाकात करके खुशी हुई। हमने कई विषयों पर गहराई से बातचीत की। हमने विशेष रूप से हमारे देशों के बीच व्यापारिक व सांस्कृतिक संबंध और बेहतर करने पर वार्ता की। हम दोनों देश एक बेहतर ग्रह बनाने के लिए विभिन्न वैश्विक मंचों पर मिलकर काम कर रहे हैं।' मोदी और आबे की इस मुलाकात से पहले दोनों ने जापान के ओसाका में जी-20 शिखर सम्मेलन में और फ्रांस के बियारित्ज में जी-7 शिखर सम्मेलन के इतर मुलाकात की थी।

कश्मीर घाटी के 19 टेलीफोन एक्सचेंजों में सेवाएं बहाल

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली 5 सितंबर।

कश्मीर में प्रशासन ने गुरुवार को 19 और टेलीफोन एक्सचेंजों में सेवाएं बहाल कर दीं। करीब एक माह पहले अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को मिले विशेष दर्जे को वापस लिए जाने के बाद संचार सेवाओं पर रोक लगाई गई थी। अभी मोबाइल और इंटरनेट सेवा को बहाल करने को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। गुरुवार तड़के श्रीनगर के व्यापारिक केंद्र लाल चौक और प्रेस कॉलोनी में लैंडलाइन टेलीफोन कनेक्शनों ने काम करना शुरू कर दिया। 19 टेलीफोन एक्सचेंजों में सेवा बहाल की गई है। कश्मीर घाटी में करीब 100 टेलीफोन एक्सचेंज हैं। इस बीच, शहर की सड़कों पर निजी गाड़ियों की आवाजाही में बढ़ोतरी देखी गई है, लेकिन घाटी में गुरुवार को 32वें दिन भी बंद जारी रहा। बाजार और अन्य कारोबारी प्रतिष्ठान बंद रहे, जबकि सार्वजनिक परिवहन सड़कों से नदारद है।

भारी जुर्माने का उद्देश्य लोगों को कानून तोड़ने से रोकना : गडकरी

पेज 1 का बाकी

बढ़े हुए जुर्माने को वसूलना शुरू दिया है। गडकरी ने कहा कि लोगों में कुछ गलत धारणा बैठी हुई है। यदि वे कानून का पालन करेंगे तो उन पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। कानून जुर्माना वसूलने के लिए नहीं लागू किया गया है। इसका मकसद यह है कि लोग यातायात नियमों को गंभीरता से लें और उनका उल्लंघन करने से बचें। मंत्री ने कहा कि नए कानून के क्रियान्वयन के बाद यातायात नियमों के अनुपालन को लेकर जागरूकता बढ़ी है। एक बार लोगों ने कानून का अनुपालन शुरू कर दिया तो जुर्माना लगाने की जरूरत नहीं होगी।

परिवहन मंत्री ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में हर साल डेढ़ लाख लोगों की मृत्यु होती है। व्यापक स्तर पर मोटर वाहन कानून में संशोधन सफल रहा है। बेहतर जागरूकता के बाद चालान की संख्या कम होगी। इस तरह की खबरों कि कुछ गैर भाजपा शासित राज्यों ने कहा है कि वे संशोधित मोटर वाहन कानून लागू नहीं करेंगे,पर गडकरी ने कहा कि इस तरह की कोई स्थिति नहीं है। यह विषय संविधान की समवर्ती सूची में है। यह विधेयक सभी राज्य सरकारों के साथ गहन विचार विमर्श के बाद लाया गया है। संसद ने जुलाई में मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया था।

महबूबा मुफ्ती की बेटी को मां से मिलने की इजाजत

पेज 1 का बाकी

बाइल्तिजा ने कहा कि उसे श्रीनगर जाने में कोई दिक्कत नहीं है परंतु वह शहर में अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकती। इसके बाद पीठ ने इल्तिजा को श्रीनगर जाने और अपनी मां से मुलाकात करने की अनुमति प्रदान कर दी। लेकिन उसके श्रीनगर के दूसरे हिस्सों में जाने के बारे में अदालत ने कहा कि वे जिला प्रशासन से अनुमति मिलने पर ही ऐसा कर सकती हैं।

अपनी याचिका में इल्तिजा ने कहा था कि वे अपनी मां की सेहत को लेकर चिंतित है क्योंकि एक महीने से उनकी मुलाकात अपनी मां से नहीं हुई है। इल्तिजा की ओर से याचिका दायर करने वाली वकील नित्या रामकृष्णन जब अपनी दलीलें रख रहीं थी तभी अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल और महान्यायवादी तुषार मेहता ने कहा कि महबूबा की मां गुलशन आरा और बहन रुबैया सईद ने 29 अगस्त को उनसे मुलाकात की थी। जिला अधिकारी की अनुमति से उन्होंने दुबारा भी मुलाकात की थी।

महान्यायवादी ने कहा कि इस याचिका का यह मकसद नहीं है बल्कि कुछ और ही है। कुछ मिनट की सुनवाई के बाद पीठ ने कहा कि इल्तिजा को श्रीनगर जाने और अपनी मां से मुलाकात की इजाजत दी जा सकती है क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। महबूबा को श्रीनगर में राजभवन के निकट चश्मेशाही के परिसर में नजरबंद रखा गया है।

जेएनयू छात्र संघ चुनाव में गूंजा जय श्रीराम

पेज 1 का बाकी

भी उछाला। भगवा कपड़ों में भाषण देने आए राघवेंद्र ने कहा कि इस परिसर में दक्षिणपंथी का मतलब राघवेंद्र मिश्रा होता है। उन्होंने कहा कि तिरंगे के साथ भगवा भी हमारी पहचान है। यहां तिरंगा भी फहरेगा और भगवा भी फहरेगा।

बिरसा, आंबेडकर, फुले स्टूडेंट्स एसोसिएशन (बापसा) के जितेंद्र सुना ने सतरंगी सलाम के साथ अपने भाषण की शुरुआत की। उन्होंने 'जीतेगा जितेंद्र' के नारों के बीच मंच संभाला। उन्होंने 'अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे' कश्मीरियों को सलाम करते हुए भाषण की शुरुआत की और साथ ही असमियों को भी सलाम किया 'जो अपनी नागरिकता के लिए लड़ रहे हैं।' सुना ने कहा कि वह मजदूर थे और उनकी अध्यक्षीय परिचर्चा में 'उनकी जिंदगी का संघर्ष' दिखता है। उन्होंने दक्षिणपंथियों और वामपंथियों पर निशाना साधा। सुना ने माकपा पर पूंजीवाद लाने का आरोप लगाया और कहा कि अगर कार्ल मार्क्स जिंदा होते तो वह कहते, 'माकपा खत्म करो।'

छात्र राजद की प्रियंका भारती ने परिचर्चा में लोगों का इस्तकबाल करते हुए सतरंगी सलाम पेश किया। उन्होंने 'मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराह चलो। मैंने इक शमा जलाई है, अंधेरों के खिलाफ।' इन लाइनों के साथ अपने भाषण की शुरुआत की। उन्होंने आरक्षण खत्म करने की कोशिशों पर हमला बोलते हुए कहा कि आरक्षण पर हमला, लोकतंत्र और संविधान पर हमला है। उन्होंने अपना भाषण 'लालू यादव जिंदाबाद' 'राबड़ी देवी जिंदाबाद' के नारों से खत्म किया।

वाम एकता की उम्मीदवार आइशी घोष ने अपने भाषण के शुरुआत में बाबा साहब आंबेडकर की लाइनों 'किसी समाज के विकास को वहां की महिलाओं की उपलब्धियों से नापा जा सकता है' से की। 'लाल सलाम' के नारों के बीच भाषण करने पहुंची घोष ने कहा कि आज की सरकार तो इस देश का नाम भी बदलकर 'रिलायंस जियो इंडिया' कर सकती है। उन्होंने अपने हक के लिए लड़ रहे कश्मीरियों को 'क्रांतिकारी इस्तकबाल' पेश किया।

आतंकी घोषित करने पर अमेरिका का मिला समर्थन

पेज 1 का बाकी

में दोनों देशों के बीच सहयोग की संभावना बढ़ गई है। भारत सरकार ने मुंबई आतंकी हमले के आरोपी जकी-उर-रहमान लखवी, भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम, जैश प्रमुख मसूद अजहर और लश्कर संस्थापक हाफिज मुहम्मद सईद को बुधवार को एक नए आतंकवाद रोधी कानून के तहत आतंकवादी घोषित किया था। दक्षिण और मध्य एशिया के लिए कार्यवाहक सहायक मंत्री एलिस जी वेल्स ने बुधवार को ट्वीट किया, 'हम भारत के साथ खड़े हैं और चार आतंकियों मौलाना मसूद अजहर, हाफिज सईद, जकी-उर-रहमान लखवी तथा दाऊद इब्राहिम को आतंकवादी घोषित करने के लिए नए कानूनी प्राधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए उसकी प्रशंसा करते हैं। यह नया कानून आतंकवाद की समस्या से लड़ने के भारत और अमेरिका के संयुक्त प्रयासों की संभावनाओं का विस्तार करता है।' संसद ने करीब एक महीने पहले गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए), 1967 में महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी थी। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने नई दिल्ली में कहा कि उक्त चारों आतंकी संशोधित कानून के तहत आतंकवादी घोषित किए गए सबसे पहले आतंकवादी हैं। पहले यूएपीए कानून के तहत किसी संगठन को ही आतंकी घोषित किया जा सकता था। इसमें संशोधन के बाद अब सरकार किसी व्यक्ति को भी आतंकवादी करार दे सकती है। चारों भारत में आतंकी हमलों में शामिल रहे हैं और उन्हें संयुक्त राष्ट्र के तहत वैश्विक आतंकी घोषित किया गया है। नए विधेयक के तहत जिन्हें आतंकवादी घोषित किया गया है, सरकार उन लोगों पर यात्रा पाबंदी लगा सकती है। सरकार उनकी संपत्तियों को भी जब्त कर सकती है।

सोनिया से मिले हुड्डा व सैलजा, चुनावी रणनीति पर चर्चा

पेज 1 का बाकी

पद से हटाए गए अशोक तंवर के निवास पर जुटे समर्थकों में भारी नाराजगी देखी गई।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले जो जिम्मेदारी कांग्रेस की ओर से उन्हें दी गई है उसके लिए उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष का धन्यवाद किया और चुनावी रणनीति पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि जल्दी ही चंडीगढ़ में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक होगी जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। हुड्डा ने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं कि पार्टी ने उनको जो जिम्मेदारी दी है, उससे वे संतुष्ट हैं। सूबे में कांग्रेस की हुकूमत दोबारा कायम करने का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी कांग्रेसी पूरी ताकत झोंक देंगे और भाजपा को कड़ी टक्कर देकर सत्ता से बाहर करेंगे। दोनों नेताओं के आगामी शनिवार को चंडीगढ़ स्थित प्रदेश पार्टी कार्यालय में कार्यभार संभालने की संभावना है।

भाजपा द्वारा हरियाणा विधानसभा के चुनाव में 75 पार का नारा देने के बारे में पूछने पर पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने कहा कि उनका क्या है, वे चाहें तो 110 सीटों का नारा भी दे सकते हैं। लेकिन कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता को यह यकीन है कि सूबे में उसकी पार्टी की सरकार बनेगी और पार्टी एकजुट होकर भजपा का मुकाबला करेगी। उन्होंने कहा कि हमारा एकमात्र लक्ष्य हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाना है और इसके हासिल करने के लिए हम पूरा जोर लगाएंगे। उनके दिल्ली स्थित निवास पर गुरुवार को समर्थकों की भारी भीड़ देखी गई। पार्टी कार्यकर्ता हुड्डा को जिम्मेदारी मिलने से जोश में दिखे।

पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा के पुत्र व राहतक के पूर्व सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में कुमारी सैलजा व भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जोड़ी को महत्त्वपूर्ण चुनावी जिम्मेदारी दिए जाने से कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस भाजपा के अहंकार के रथ को रोकने का काम करेगी। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि पार्टी में कोई गुटबाजी है। दीपेंद्र ने कहा कि पूरी पार्टी एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतरेगी। उधर, पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर के घर पर भी उनके समर्थकों की भीड़ जुटी। ज्यादातर समर्थकों में तंवर को पद से हटाए जाने को लेकर भारी नाराजगी देखी गई। तंवर की मौजूदगी में काफी देर तक समर्थक नारेबाजी करते रहे।

नहीं मिली राहत, तिहाड़ भेजे गए चिदंबरम

पेज 1 का बाकी

में पेश किया गया। सीबीआइ ने अदालत से कहा कि उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है। सीबीआइ की ओर से पेश महान्यायवादी ने जज से कहा, 'चूंकि वे एक ताकतवर नेता हैं इसलिए उन्हें आजाद नहीं छोड़ा जा सकता।' चिदंबरम के वकील ने अदालत से उन्हें जेल न भेजने का तर्क दिया। चिदंरबम की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सीबीआइ का विरोध करते हुए कहा कि ऐसा कोई आरोप नहीं है कि उन्होंने जांच को प्रभावित करने या इसमें कोई बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया हो। उन्होंने कहा कि आइएनएक्स मीडिया से संबंधित धन शोधन मामले में चिदंरबम प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में जाने के लिए तैयार हैं। इस मामले में शीर्ष अदालत ने गुरुवार को ही उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। सिब्बल ने कहा, 'मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला है। कोई आरोप पत्र नहीं है। वे कहते हैं कि मैं ताकतवर व प्रभावशाली व्यक्ति हूं। लेकिन उनके पास कोई साक्ष्य नहीं है। साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ का भी कोई सबूत नहीं है। किसी गवाह ने क्या ऐसा कुछ भी कहा है?' महान्यायवादी ने सिब्बल के तर्क का विरोध करते हुए कहा कि वे जमानत के लिए जिरह कर रहे हैं। हालांकि, सिब्बल ने चिदंबरम की ओर से कहा, 'न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए आवेदन में जो तर्क दिया गया है उसका कोई आधार नहीं है। न्यायिक हिरासत में मेरे मुवक्किल की आपको क्या आवश्यकता है।' जब महान्यायवादी मेहता ने यह जानना चाहा कि सिब्बल किस राहत की मांग कर रहे हैं, तो सिब्बल ने कहा, 'मैं (चिदंबरम) अपनी रिहाई के लिए जिरह कर रहा हूं।' इस मामले में शीर्ष अदालत ने चिदंबरम की याचिका गुरुवार को खारिज कर दी थी, जिसमें उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के 20 अगस्त के फैसले को चुनौती दी थी।

एनआरसी संयोजक हजेला के खिलाफ दो मामले दर्ज

पेज 1 का बाकी

सभी दस्तावेज दिए थे लेकिन 'कर्मचारियों की अक्षमता और आपराधिक षड्यंत्र' के कारण एनआरसी की अद्यतन सूची में उनका नाम शामिल नहीं किया गया। प्राथमिकी में हजेला को 'विसंगतियों' के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, क्योंकि असम में एनआरसी को अद्यतन किए जाने के काम की वह निगरानी कर रहे थे।

छात्र परिषद ने गुवाहाटी के लतासिल थाने में मंगलवार को राज्य के संयोजक के खिलाफ एक अन्य शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में अंतिम सूची में 'जानबूझकर' विसंगतियों का दावा किया गया। छात्र संगठन द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी में कहा गया है, 'सूची में कई मूल निवासियों के नाम शामिल नहीं किए गए और यह एनआरसी के प्रदेश संयोजक ने जानबूझकर किया।'

नियंत्रण रेखा पर पाक ने भेजे दो हजार जवान

पेज 1 का बाकी

है। सीमापार और पीओके से मिल रही खबरों के मद्देनजर भारतीय सेना सतर्क है। घुसपैठियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। घुसपैठिए मारे जा रहे हैं और पकड़े भी जा रहे हैं। भारत की जवाबी कार्रवाई में अब तक पाकिस्तान के दस एसएसजी कमांडो मारे जा चुके हैं।

पाकिस्तान की ओर से किसी भी संभावित खतरे को देखते हुए भारतीय सेना और वायुसेना भी पूरी तरह से तैयार है। भारत की खुफिया एजंसियां पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर बनाए हुए हैं। सीमा पर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। सेना, वायुसेना और नौसेना अपनी ताकत में लगातार इजाफा कर रही हैं। सेना के चिनार कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लों के मुताबिक, पाकिस्तानी सेना को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी है।

चांद पर उतरने के लिए 'विक्रम' हुआ तैयार

पेज 1 का बाकी

बा दुनिया का चौथा देश बना देगी। इसके साथ ही भारत अंतरिक्ष इतिहास में एक नया अध्याय लिखते हुए चांद के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम देश बन जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्विज प्रतियोगिता के जरिए देशभर से चुने गए लगभग 60-70 हाईस्कूल छात्र-छात्राओं के साथ इस ऐतिहासिक लम्हे का सीधा नजारा देखने के लिए इसरो के बंगलुरु केंद्र में मौजूद रहेंगे।

लैंडर 'विक्रम' शनिवार रात एक से दो बजे के बीच चांद पर उतरने के लिए नीचे की ओर चलना शुरू करेगा और रात डेढ़ से ढाई बजे के बीच यह पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में उतरेगा। 'विक्रम' अभी कक्षा में चंद्र सतह से इसके निकटतम बिंदु लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है जहां से यह चांद की तरफ नीचे की ओर बढ़ना शुरू करेगा। इसरो ने कहा है कि 'चंद्रयान-2' अपने लैंडर को 70 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में दो गड्ढों-'मैंजिनस सी' और 'सिंपेलियस एन' के बीच ऊंचे मैदानी इलाके में उतारने का प्रयास करेगा। अंतरिक्ष एजंसी के अध्यक्ष के. सिवन ने कहा कि प्रस्तावित 'सॉफ्ट लैंडिंग' दिलों की धड़कन थाम देने वाली साबित होने जा रही है क्योंकि इसरो ने ऐसा पहले कभी नहीं किया है। यान के चांद पर उतरने की प्रक्रिया को समझाते हुए सिवन ने कहा था कि एक बार जब लगभग 30 किलोमीटर की दूरी से संबंधित प्रक्रिया शुरू होगी तो इसे पूरा होने में 15 मिनट लगेंगे। लैंडर के चांद पर उतरने के बाद इसके भीतर से रोवर 'प्रज्ञान' बाहर निकलेगा और एक चंद्र दिवस यानी के पृथ्वी के 14 दिनों की अवधि तक अपने वैज्ञानिक कार्यों को अंजाम देगा।

रोवर 27 किलोग्राम वजनी छह पहिया रोबोटिक वाहन है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लैस है। इसका नाम 'प्रज्ञान' है जिसका मतलब 'बुद्धिमत्ता' से है। यह 'लैंडिंग' स्थल से 500 मीटर तक की दूरी तय कर सकता है और यह अपने परिचालन के लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा। यह लैंडर को जानकारी भेजेगा और लैंडर बंगलुरु के पास ब्यालालु स्थित इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क को जानकारी प्रसारित करेगा।

इसरो के अनुसार लैंडर में तीन वैज्ञानिक उपकरण लगे हैं जो चांद की सतह और उप सतह पर वैज्ञानिक प्रयोगों को अंजाम देगा, जबकि रोवर के साथ दो वैज्ञानिक उपकरण हैं जो चांद की सतह से संबंधित समझ में मजबूती लाने का काम करेंगे। इसरो के अनुसार चांद का दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र बेहद रुचिकर है क्योंकि यह उत्तरी ध्रुव क्षेत्र के मुकाबले काफी बड़ा है और अंधकार में डूबा रहता है।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत और रूस का नया युग : मोदी

पेज 1 का बाकी

विकास के लिए भारत और रूस ने बुधवार को एक आशय-पत्र पर दस्तखत किए थे।

मोदी ने कहा, 'हम हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग के नए युग की शुरुआत कर रहे हैं।' उन्होंने कहा कि सुदूर पूर्व के विकास में भारत और रूस के बीच साझेदारी इसे एक खुला, स्वतंत्र और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र बनाएगी। मोदी ने कहा कि सुदूर पूर्व क्षेत

सूचकांक 80 अंक टूटा

मुंबई, 5 सितंबर (भाषा)।

बंबई शेयर बाजार का सूचकांक बृहस्पतिवार को 80 अंक टूट गया। मुख्य रूप से बैंक शेयरों में बिकवाली का सिलसिला चलने से बाजार में गिरावट आई। रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि वे अपने सभी नए ऋण दरों को बाहरी मानक से जोड़ें। हालांकि, वाहन कंपनियों के शेयरों में लिवाली से सूचकांक का नुकसान सीमित रहा।

केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने संकट में फंसे वाहन उद्योग को हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया है। गडकरी ने कहा है कि वह माल व सेवा कर में कटौती के मुद्दे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बात करेंगे। इससे वाहन कंपनियों के शेयरों में सुधार देखा गया। बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों वाला सूचकांक शुरुआती कारोबार में 174 अंक तक चढ़ने के बाद इस स्तर पर टिक नहीं पाया और अंत में 80.32 अंक या 0.22 फीसद के नुकसान से 36,644.42 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सूचकांक 36,898.99 अंक से 36,541.88 अंक के दायरे में रहा। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 3.25 अंक या 0.03 फीसद के लाभ से स्थिर रुख के साथ 10,847.90 अंक पर बंद हुआ।

मुख्य रूप से बैंकों और आइटी कंपनियों के शेयरों में गिरावट की वजह से बाजार नीचे आया। रुपए में उल्लेखनीय बढ़त से निर्यात आधारित आइटी कंपनियों के शेयरों में लाभ रहा। सूचकांक की कंपनियों में एचडीएफसी, आईसीआईसीआइ बैंक, टीसीएस, एचसीएल टेक, कोटक बैंक, एशियन पेंट्स, टेकएम और हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर 2.67 फीसद तक नीचे आए। वहीं दूसरी ओर टाटा मोटर्स, ओएनजीसी, यस बैंक, एनटीपीसी, मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा, वेदांता, टाटा स्टील और बजाज आटो में 7.81 फीसद का लाभ रहा। बीएसई मिडकैप और स्मॉलकैप में 0.72 फीसद तक का लाभ दर्ज हुआ।

गडकरी ने वाहन क्षेत्र को हरसंभव मदद का दिया आश्वासन

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 5 सितंबर।

केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने संकट से जूझ रहे वाहन क्षेत्र को सरकार से हरसंभव मदद का गुरुवार को आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय वाणिज्यिक वाहनों की मांग पैदा करने के लिए अगले तीन महीने में पांच लाख करोड़ रुपए तक की 68 सड़क परियोजनाएं शुरू करेगा।

गडकरी ने सिआम की वार्षिक संगोष्ठी में कहा कि यह आपकी (उद्योग जगत की) मांग है कि पेट्रोल व डीजल वाहनों पर कर कम होना चाहिए। आपके सुझाव अच्छे हैं। मैं आपका संदेश वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तक पहुंचा दूंगा।

डॉलर के मुकाबले रुपया 28 पैसे चढ़ा

नई दिल्ली, 5 सितंबर (भाषा)।

चीन और अमेरिका द्वारा व्यापार वार्ता पुनः शुरू करने पर सहमत होने के बाद निवेशकों की धारणा में फिर से सुधार देखने को मिला है। यही वजह रही कि बृहस्पतिवार को कारोबार समाप्ति पर डॉलर के मुकाबले रुपया 28 पैसे मजबूत होकर 71.84 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ।अंतरबैंक विदेशीमुद्रा विनिमय बाजार में बृहस्पतिवार को कारोबार की शुरुआत में रुपया 71.87 रुपए पर मजबूत खुला और कारोबार समाप्ति पर अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 28 पैसे की पर्याप्त तेजी के साथ 71.84 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ।

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
भरोसे का प्रतीक ...the name you can BANK upon!

परिसम्पत्ति वसूली प्रबंध शाखा, 1ला तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली–110008, ई मेल: bo4168@pnb.co.in

एक ऋणधारक के मामले में अचल सम्पत्ति के लिये कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 5.5.2018 जारी कर ऋणधारक श्री नीरज खुल्लर तथा श्रीमती स्वीटी खुल्लर को सूचना की तिथि/ सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 1,13,29,023.60 (रुपये एक करोड़ तेरह लाख उन्नतीस हजार तैंईस एवं पैसे साठ मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 3 सितम्बर, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

ऋणधारक/ गारन्टर/ मार्टगैजर का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतदद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 1,13,29,023.60 तथा उस पर ब्याज की राशि के लिये पंजाब नेशनल बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

मकान सं. 720 पी, भू तल, टाइप एमआईजी- बी, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सेक्टर 17, गुड़गांव, हरियाणा।

चौहद्दी: उत्तरः मकान सं. 707/ एमआईजी- बी, दक्षिणः रोड, पूर्वः मकान सं. 721/ एमआईजी- बी, पश्चिमः मकान सं. 719/ एमआईजी- बी

तिथि: 3.9.2019
स्थान: गुड़गांव

प्राधिकृत अधिकारी,
पंजाब नेशनल बैंक

HDFC BANK We understand your world

डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल ऑपरेशन्स, प्लॉट नं. 28, इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, चंडीगढ़-160002

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

[प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन नियमों, 2002 नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार]

चूंकि, एचडीएफसी बैंक लि. का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति ब्याज के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) के नियमों, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्जदार नोटिस के प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर निम्नलिखित वर्णित कर्जदारों/गारंटरों/रेहनकर्ताओं को नोटिस में वर्णित राशि के साथ उस पर आगामी ब्याज की अदा करने के लिए आमंत्रित करते हुए नीचे वर्णित तिथि को डिमांड नोटिस जारी किया था।

कर्जदारों/गारंटरों/रेहनकर्ताओं द्वारा राशि की अदायगी करने में असफल रहने पर कर्जदारों/गारंटरों/रेहनकर्ताओं को विशेष तौर पर व साधारण तौर पर जनता को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि एचडीएफसी बैंक लि. का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने कर्जदार नियमों के नियम 9 के साथ पढ़ते हुए कर्जदार अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित तिथियों को यहां नीचे वर्णित सम्पत्तियों का प्रतीकात्मक कब्जा ले लिया है।

कर्जदारों/गारंटरों/रेहनकर्ताओं को विशेष तौर पर व आम जनता को साधारण तौर पर सम्पत्ति के साथ लेन-देन करने से एतद्द्वारा सावधान किया जाता है और सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन-देन यहां नीचे वर्णित राशि के साथ उस पर आगामी ब्याज के साथ-साथ लागतों व अन्य प्रभारों के लिए एचडीएफसी बैंक लि. के प्रभार के अधीन होगा।

एचडीएफसी बैंक का नाम	अचल सम्पत्ति का विवरण	डिमांड नोटिस की तिथि	कब्जे की तिथि	बकाया राशि
मै. एम के ऑटो इलेक्ट्रीकल्स इंडिया प्रा. लि., एक प्राईवेट लिमिटेड कंपनी, को इसके प्रबंध निदेशक के माध्यम से, अन्य गारंटर/रेहनकर्ता के अलावा।	1. सैक्टर-69, आइएमटी, फरीदाबाद में स्थित निर्मित इंडस्ट्रियल यूनिट नं. 909, रकबा 1136.25 वर्ग मी. के सभी अविभाज्य अंश। वर्तमान स्वामी: मै. एम के ऑटो इलेक्ट्रीकल्स इंडिया प्रा. लि. सीमाबद्ध: पूर्व: अन्य का प्लॉट, पश्चिम: सड़क, उत्तर: प्लॉट नं. 908, दक्षिण: प्लॉट नं. 910। 2. सैक्टर-8, फरीदाबाद, हरियाणा में स्थित निर्मित रिहायशी मकान धारक नं. 454, रकबा 233 वर्ग यार्ड के सभी अविभाज्य अंश। वर्तमान स्वामी: श्री प्रह्लाद सिंह चौधरी सुपुत्र श्री सोम चंद चौधरी। सीमाबद्ध: पूर्व: प्लॉट नं. 455, पश्चिम: प्लॉट नं. 453, उत्तर: खाली गली, दक्षिण: सड़क।	20.05.2019	02.09.2019	377,50,603.63 रु. जो 31.08.2019 को है, के साथ उस पर 01.09.2019 से @18% आगामी ब्याज के साथ-साथ लागतों व अन्य प्रभार।

टिप्पणी: उपरोक्त सूचना को सरफेसी अधिनियम और विधि तथा संशोधित नियमों के नियम 6, 8, व 9 के अधीन बिक्री के लिए 30 दिनों की सूचना भी समझा जाए।

दिनांक: 02.09.2019
प्राधिकृत अधिकारी, एचडीएफसी बैंक लि.

Genus energizing lives

GENUS PRIME INFRA LIMITED

(Formerly Gulshan Chemfill Limited)
(CIN: L24117UP2000PLC032010)
Regd. Office: Near Moradabad Dharam Kanta, Kanth Road, Harthala, Moradabad-244001 (U.P.)
Phone: 0591-2511171, Fax: 0591-2511242, Website: www.genusprime.com, Email: cs.genusprime@gmail.com

NOTICE OF 19TH ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING

Shareholders are hereby informed that :-

The **19th Annual General Meeting (AGM)** of the Company will be held on **Monday, 30th day of September, 2019 at 02.00 p.m. at Near Moradabad Dharam Kanta, Kanth Road, Harthala, Moradabad-244001, Uttar Pradesh.**

Pursuant to applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the relevant Regulations of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Tuesday, September 24, 2019 to Monday, September 30, 2019 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

Copies of the Annual Report for the Financial Year 2018-19 and Notice of 19th AGM containing e-voting procedure and other documents have been e-mailed /dispatched to all members of the Company whose names appear in the Register of Members / Depositories as on Cut-off date i.e. August 09, 2019. The Company has completed the dispatch/email of Notice of 19th AGM and Annual Report 2018-19 upto September 05, 2019.

In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide the e-voting facility to its members to cast their votes electronically from a place other than venue of the AGM ("remote e-voting") and the businesses as set out in the Notice may be transacted through e-voting services provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL). E-voting is optional and a member may physically vote at the Annual General Meeting at their discretion.

The remote e-voting will start on Friday, September 27, 2019 at 09.00 a.m. and end on Sunday, September 29, 2019 at 05.00 p.m. The e-voting module will be disabled by CDSL thereafter. The detailed procedure for e-voting is given in the said Notice.

Members whose names are recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the Cut-off date of September 23, 2019, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM.

A person who become member of the Company after the dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on the Cut off date i.e. September 23, 2019, shall be entitled to exercise his/ her vote either electronically i.e. remote e-voting or through the Poll Paper at the AGM. You may send a request at **cs.genusprime@gmail.com** by mentioning their Folio No. / DP ID and Client ID No to obtain the Log-in ID and Password for e-voting. However, if you are already registered with CDSL for remote e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote.

Members have also an option to cast their vote through ballot paper by attending the AGM. Members can opt for only one mode of voting. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.

Notice of 19th AGM and Annual Report 2018-19 are also available on Company's website **www.genusprime.com** and CDSL **website www.evotingindia.com.**

The Company has appointed Ms. Komal (ACS-48108 / COP No-17597), Practicing Company Secretary, (Prop. of M/s Komal & Associates, New Delhi) to act as Scrutinizer for conducting the remote e-voting and voting through Poll Paper at the AGM, in a fair and transparent manner.

For any queries or issues relating to e-voting facility, Shareholders are requested to contact Mr. Kunal Nayar, Company Secretary of the Company at Email **cs.genusprime@gmail.com**, Ph : 0591-2511171.

For Genus Prime Infra Limited
(Formerly Gulshan Chemfill Limited)
Sd/-
Kunal Nayar
Company Secretary

Place: Moradabad
Date: September 05, 2019

PUBLIC NOTICE

Form No.INC-26
[Pursuant to rule 30 the Companies (Incorporation) Rules, 2014]

Before The Central Government, Ministry Of Corporate Affairs, Regional Director, Northern Region, New Delhi

In the matter of : the Companies Act, 2013, Section 13(4) of Companies Act, 2013 and Rule 30(6)(a) of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

AND

In the matter of **Anjalis Photo Lab Private Limited having its registered office at 28, DSIDC Complex, Mata Sundri Road, New Delhi – 110002** .....**Petitioner**

Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the Special Resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on 8th June, 2019 to enable the company to change its Registered office from **"State of Delhi"** to **"State of Uttar Pradesh"**.

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the MCA-21 portal **(www.mca.gov.in)** by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, B-2 Wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi – 110003 within Fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address mentioned above.

For and on behalf of the Applicant
Date: 05.09.2019 **Vivek Puri, Director**
Place: New Delhi (DIN: 00441307)

PUBLIC NOTICE

Form No.INC-26
[Pursuant to rule 30 the Companies (Incorporation) Rules, 2014]

Before the Central Government, Ministry of Corporate Affairs, Regional Director, Northern Region, New Delhi

In the matter of: the Companies Act, 2013, Section 13(4) of Companies Act, 2013 and Rule 30(6)(a) of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

AND

In the matter of **Anjali Colour Labs Private Limited having its registered office at 28, DSIDC Complex, Mata Sundri Road, New Delhi-110002** .....**Petitioner**

Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the Special Resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on 8th June, 2019 to enable the company to change its Registered office from **"State of Delhi"** to **"State of Uttar Pradesh"**.

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the MCA-21 portal **(www.mca.gov.in)** by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, B-2 Wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003 within fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address mentioned above.

For and on behalf of the Applicant
Date: 05.09.2019 **Vivek Puri, Director**
Place: New Delhi (DIN: 00441307)

ओरेका इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
सीआईएन U51909DL1997PTC088759
पंजीकृत कार्यालयः 4, तिलिचो हाउस, (प्रथम तल), कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001, भारत
ई–मेलः contactravi@icloud.com
फार्म नं. आईएनसी–26
[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]
एक राज्य से दूसरे राज्य में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये समाचार पत्र में प्रकाशन के लिये विज्ञापन
केन्द्रीय सरकार प्रादेशिक निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप–धारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) (ii) के मामले में

और

ओरेका इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 4, तिलिचो हाउस, (प्रथम तल) कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001, भारत

.....याचिकाकर्ता

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "महाराष्ट्र राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को स्थानान्तरित करने के लिए 26 अगस्त, 2019 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेन्डम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन एक कम्पनी केन्द्र सरकार के समक्ष आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के इस स्थानान्तरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है, वे एम सी ए 21 पोर्टल (**www.mca.gov.in**) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कम्पनी को उसके एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक के पते : बी–2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003, भारत, और अपना दिया हुआ कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजें।

आदेश के लिये तथा उसकी ओर से
ओरेका इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता./–
रवि जिन्दल
स्थान : नई दिल्ली निदेशक
तिथि : 05.09.2019 डीआईएन: 00731411

विजन इंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड
सीआईएन U63090DL1997PTC085359
पंजीकृत कार्यालयः 4, तिलिचो हाउस, (प्रथम तल), कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001, भारत
ई–मेलः contactravi@me.com
फार्म नं. आईएनसी–26
[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]
एक राज्य से दूसरे राज्य में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये समाचार पत्र में प्रकाशन के लिये विज्ञापन
केन्द्रीय सरकार प्रादेशिक निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप–धारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) (ii) के मामले में

और

विजन इंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 4, तिलिचो हाउस, (प्रथम तल) कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001, भारत

.....याचिकाकर्ता

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "महाराष्ट्र राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को स्थानान्तरित करने के लिए 26 अगस्त, 2019 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेन्डम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन एक कम्पनी केन्द्र सरकार के समक्ष आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के इस स्थानान्तरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है, वे एम सी ए 21 पोर्टल (**www.mca.gov.in**) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कम्पनी को उसके एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक के पते : बी–2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003, भारत, और अपना दिया हुआ कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजें।

आदेश के लिये तथा उसकी ओर से
विजन इंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता./–
रवि जिन्दल
स्थान : नई दिल्ली निदेशक
तिथि : 05.09.2019 डीआईएन: 00731411

RAGHUNATH INTERNATIONAL LIMITED
CIN No.: L52312UP1994PLC022559
Regd. Office: Mandana Bithoor Road, Village Choudharipur, Bithoor, Kanpur-209201
Corporate Office: 6926, Jaipuria Mall, Clock Tower, Subzi Mandi, Delhi-110007 Ph. No.: 011-23852503,Fax No.: 011-23852665
Website: www.raghunathintlimited.in, E-mail: rpc.secretarial@rediffmail.com

NOTICE OF 25th ANNUAL GENERAL MEETING (AGM), REMOTE EVOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that:

1. The **25th Annual General Meeting (AGM)** of the members of Raghunath International Limited will be held on **Saturday, 28th September, 2019 at 11.00 A.M.**, at the Registered office of the Company situated at Mandhana Bithoor Road, Village Choudharipur, Bithoor, Kanpur-209201(Uttar Pradesh) to transact the Ordinary Business & Special Business Set out in the Notice of the AGM dated 24th August, 2019.
2. The Register of Members and Share transfer Books of the Company will remain closed from **21st September, 2019 to 28th September, 2019** (both days inclusive).
3. As members in Register of members of the Company after giving effect to all valid share Transfers in physical form lodged with the Company/Registrar i.e. M/s Link Intime India Private Limited, Noble Heights, 1st Floor, NH-2 C-1 Block LSC, Near Savitri Market Janakpuri, New Delhi-110058.
4. Electronic Copies of the Notice of The AGM, Annual Report for 2018-2019 and the attendance slip along with the proxy form has been sent to all the members whose Email ID- registered with the Company/ Depositary Participant(s)/RTA.
5. The Company has Dispatched Physical Copies of Notice of AGM, Attendance Slip and Postal ballot Form, (in lieu of Remote E-Voting) to those shareholders, whose Email-IDs are not registered with the Company/Depositary/RTA.
6. The Notice of AGM and the Annual Report is also available on the Company Website www.raghunathintlimited.in and also available at the registered office of the Company for inspection during business hours on any working days (except on Public Holidays) prior to the date of 25th Annual General Meeting.
7. Pursuant to Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 and amendment thereof, the Company is pleased to provide its members the electronic facility (remote e-voting) for transacting all the items of business mentioned in the notice through national Depository Limited (NSDL). The Remote e-voting portal will open from **09:00 A.M. (IST) on Wednesday, 25th September, 2019 and ends on 05:00 PM (IST) on Friday, 27th September, 2019**. Members may cast there vote by accessing the website www.evoting.nsdl.com by following the instructions given in Note No. 17 of the Notice of AGM.
8. During this period, shareholders of the Company, holding shares either Physical form or in dematerialized, as on the Cut-off date **21st September, 2018** may cast their vote electronically. The Voting module shall be disabled by NSDL beyond the said period. Once the vote on resolution is cast by Member, the same cannot be modified subsequently.
9. The voting rights shall be as per the number of shares held by the members as on **Saturday, 21st September, 2019** (Cut-Off date). Members are eligible to caste vote electronically only if they are holding shares as on that date.
10. The Company has also provide the facility to the members who dont have access to e-voting facility, may send their assent or Dissent in writing on the Postal Ballot Form attached with annual report for the Year ended 2018-2019, but such facility is available only at the AGM.
11. The Procedure of E-voting is available in the Notice of AGM. In case of any queries pertaining to e-voting, You may refer in Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evoting.nsdl.com or call at toll free no. 1800-0222-990 to the Company Registrar M/s Link In Time India Private Limited at sanjeev.mishra@linkintime.co.in.
12. In the event Members Casts his/her votes through both processes i.e. Remote e-voting and ballot form, the votes in the electronic system would be considered and the Ballot form would be ignored.
13. The entry to the Annual General Meeting (AGM) will be regulated by Attendance Slips, which is attached with the Notice of the AGM. Members are requested to bring duly signed Attendance slip to the meeting and hand it over at the entrance.
14. A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the AGM.
15. The Scrutinizer will submit his final report after the conclusion of voting at the Annual General voting but not later than Closing of the business hours on 01st October, 2019.
16. The Chairman of the meeting shall announce the result of voting on the resolutions taken up at 25th Annual General Meeting on or after the submission of final Report by the Scrutinizer.

By Order of the Board
Sd/-
(G.N. Choudhary)
Whole Time Director
DIN: 00012883

Date: 04th September, 2019
Place: Kanpur

NOTICE
Annual General Meeting and E-voting Information

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT:

1. The Twenty Fifth (25th) Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Saturday, the 28th Day of September, 2019 at 11:00 A.M. at "URDU GHAR" 212, Rouse Avenue, Deen Dayal Upadhyaya Marg, New Delhi-110002, to transact the business, as set out in the notice to be sent to the Members.

   The Annual Report for the Financial Year 2018-19 including Notice convening the meeting has been sent to members to their registered address by post/courier, and electronically to those members who have registered their e-mail address with the Depositories/Company.

   The Annual Report for the Financial Year 2018-19 including the Notice is available on the website of the Company (www.smcindiaonline.com) and also available for inspection at the Registered Office of the Company on all working days except Saturdays, Sundays and Public Holidays, during business hours up to the date of the Meeting.

   The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, September 11, 2019 to the Friday, September 13, 2019 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting and final dividend.
2. In compliance with the provisions of Section 108 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time, Secretarial Standard-2 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide the facility to its members to cast their vote electronically, through the e-voting services provided by Link Intime India Private Limited on all resolutions as set forth in the Notice of AGM.
3. Date and time of Commencement and ending of e-voting:
   - Commencement: Wednesday the 25th September, 2019 (9.00 A.M.)
   - Ending: Friday the 27th September, 2019 (5.00 P.M.).
4. The voting rights will be on the basis of shareholding as on the cut-off date, i.e. Saturday, 21st September, 2019. Any person who is a Member of the Company as on the cut-off date is eligible to cast vote on all the resolutions set forth in the Notice of AGM using remote e-voting or voting at the AGM.
5. The e-voting module shall be disabled for voting after 5.00 P.M. on Friday the 27th September, 2019. Once the vote on a resolution is cast by the Member, he / she /it shall not be allowed to change it subsequently. The Members who have not casted their vote electronically can exercise their voting rights at the AGM.
6. Members who have cast their votes by e-voting prior to the meeting may also attend the AGM; however those members are not entitled to cast their vote again. Members whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. Saturday, 21st September, 2019 only shall be entitled to avail the facility of e-voting / voting in the AGM as the case may be.
7. A person who has acquired shares and become a member of the Company subsequent to the dispatch of the notice and who hold the shares as on the cut-off date are requested to send a written / e-mail communication to Mr. Suman Kumar, E.V.P. (Corporate Affairs) & Company Secretary, E-mail ID sumankumar@smcindiaonline.com with their particulars viz DP ID, Client ID / Folio No., to obtain User ID and Password for e-voting.
8. For any queries / clarification / grievances connected with e-voting, please refer to the Notice of AGM. Members may contact Mr. Suman Kumar, E.V.P. (Corporate Affairs) & Company Secretary, E-mail ID sumankumar@smcindiaonline.com, contact no. 91 11 30111333/000 at the registered office of the Company.
9. Persons entitled to attend and vote at the meeting, may vote in person or by proxy/ through authorized representative, provided that all proxies in the prescribed form/authorization duly signed by the person entitled to attend and vote at the meeting are deposited at the Registered Office of the Company, not later than 48 hours before the meeting.

By the Order of Board
For **SMC Global Securities Limited**
Sd/-
Suman Kumar
E.V.P. (Corporate Affairs), Company Secretary & Compliance Officer
(Membership No. F5824)
Date: 7th August, 2019
Place: New Delhi

Regd. Office: 11/6-B, Shanti Chamber, Pusa Road, New Delhi-110005.
Ph: +91-11-30111000, 40753333 Fax: +91-11-25754365
E-mail: smc@smcindiaonline.com, Website: www.smcindiaonline.com

smc MoneyWise. Be wise.
CIN No. L74899DL1994PLC063609

साईं मोह ऑटो लिंक्स लिमिटेड
सीआईएनः L34300DL1985PLC020510
पंजीकृत कार्यालयः सी–582, सरस्वती विहार, पीतमपुरा, दिल्ली–110034
फोनः 011–27017987, फैक्सः 011–27017987
ई–मेलः saimohauto@gmail.com, वेबसाइटः www.saimohauto.com

वार्षिक आम बैठक, बुक क्लोजर एवं रिमोट ई–वोटिंग जानकारी की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी की 34वीं वार्षिक आम बैठक सोमवार, 30 सितम्बर 2019 को प्रातः 10.00 बजे सी–582, सरस्वती विहार, पीतमपुरा, दिल्ली–110034 में आयोजित की जाएगी जिसमें एजीएम की सूचना दिनांक 2 सितम्बर, 2019 में निर्धारित कामकाज का निष्पादन किया जाएगा। एजीएम की सूचना और वित्त वर्ष 2018–19 के लिए वार्षिक रिपोर्ट सभी सदस्यों को 5 सितम्बर, 2019 को स्वीकार्य पद्धति के माध्यम से भेज दी गई है।

सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 42 और कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 एवं उसके अधीन बनाए गए अन्य लागू नियमों के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि एजीएम के प्रयोजन हेतु कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक मंगलवार, 24 सितम्बर, 2019 से सोमवार, 30 सितम्बर, 2019 तक बंद रहेंगे।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के अनुपालन में कम्पनी ने नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के प्लेटफार्म पर रिमोट ई–वोटिंग सुविधा के माध्यम से एजीएम सूचना दिनांक 2 सितम्बर, 2019 में वर्णित कामकाज के सभी मदों के निष्पादन के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सुविधा प्रदान की है। रिमोट ई–वोटिंग 27 सितम्बर, 2019 को प्रातः 9.00 बजे प्रारंभ होगी और 29 सितम्बर, 2019 को सायं 5.00 बजे समाप्त होगी। कथित तिथि एवं समय के बाद रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। रिमोट ई–वोटिंग निर्देशों के साथ वार्षिक आम बैठक की सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.saimohauto.com और एजेंसी की वेबसाइट

IDBI BANK

CIN: L65190MH2004GOI148838

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

ई-1, प्रथम तल, सीडीयोकॉन टॉवर, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055, फोन: 011-66083065, 66083056

कब्जा सूचना

निम्नीत अधिनियम का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत तथा नियम 13(12) के सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन), नियम 2002 के नियम 8 के तहत दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए नोटिस जारी किया गया है। बैंक ने निम्नलिखित उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता / गारंटर को उनके नाम के सामने लिखित दिनांक को इस नोटिस की प्राप्ति की तारीख से साठ दिनों के भीतर राशि चुकाने का एक मांग नोटिस जारी किया था। उधारी वे उक्त राशि की अदायगी में असफल रहे हैं। उधारकर्ता द्वारा उक्त राशि की अदायगी न करने के कारण उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता / गारंटर और जन साधारण को यह सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के सपठित नियमों के नियम 8 के अन्तर्गत दिये गये अधिकारों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित संपत्तियों का कब्जा उधारकर्ता के नाम के सामने लिखित दिनांक को ले लिया है। उधारकर्ता एवं जन साधारण को इस नोटिस के द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे निम्नलिखित संपत्तियों से सम्बन्धित कोई लेन-देन न करें तथा संपत्तियों से किया गया कोई भी लेन-देन आईडीबीआई बैंक लि. की बकाया राशि उधारकर्ता के नाम के सामने लिखित राशि व इसके आगे के ब्याज व अन्य खर्चे के अधीन होगा।

क्र. सं.	उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता / गारंटर व सम्पत्ति का धारी	मांग सूचना की तिथि	सांकेतिक कब्जे की तिथि	गिरवी सम्पत्ति का विवरण	बकाया राशि सूचना धारा 13(2) के अनुसार
1.	श्री अजय कुमार गोरी	28.08.2017	02.09.2019	फ्लैट नं. टी-8-306, हैरीटैज, सैक्टर-103, द्वारका एक्सप्रेसवे, गुड़गांव, हरियाणा	रू. 29,29,620.82 (रुपये उन्तीस लाख बीस हजार छः सौ बीस एवं ब्यासी पैसे केवल)
2.	श्री विनोद कुमार एवं श्रीमती सीमा	28.01.2019	04.09.2019	मकान नं. 758, जीएफ, एफएफ, एसएफ, शम्भू नं. 16, नजफगढ़ रोड, शिव चौक, बाल्मीकि मोहल्ला, बहादुरगढ़, जिला झज्जर, हरियाणा	रू. 20,74,197.84 (रुपये बीस लाख चौहत्तर हजार एक सौ सत्तानवे एवं चौरासी पैसे केवल)

दिनांक: 05.09.2019, स्थान: नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

बैंक ऑफ बड़ौदा Bank of Baroda

शाखा कार्यालय: नोएडा कॉम्प्लेक्स

ई-मेल: VJNOID@Bankof baroda.co.in

ई-नीलामी सूचना

1) निरीक्षण की तिथि: 5.10.2019, 2) धरोहर राशि (ईएमडी) तथा केवाईसी दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि: 11.10.2019 के 4.00 बजे अप. 3) ई-नीलामी की तिथि: 14.10.2019

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 6(2) एवं 8(6) के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक(कों) तथा गारन्टर(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियों जिसका बैंक ऑफ बड़ौदा, नोएडा काम्प्लैक्स शाखा, प्रतिभूत क्रेडीटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सांकेतिक कब्जा किया गया है, की नीचे दिये गये विवरणों के अनुसार बैंक के बकाये की वसूली के लिये 14.10.2019 को "जैसा है जहाँ है", "जो भी जैसा है" तथा "जो कुछ भी वहाँ है" आधार पर बिक्री की जायेगी।

ऋणधारकों/गारन्टरों/मार्टगैजरों का नाम एवं पता	मार्टगैजरों (सम्पत्ति के स्वामी) के नाम के साथ प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य धरोहर राशि भुगतान की राशि	मांग सूचना तिथि 1.10.2018 के अनुसार बकाया राशि	31.7.2019 को वर्तमान बकाया	ई-नीलामी की तिथि एवं समय
ऋणधारक: 1. मै. जी.के. इंजीनियर्स, प्रॉप. श्री संदीप कुमार त्यागी पुत्र श्री मांगू लाल त्यागी पताः 1. 44बी, ए-3, सेक्टर 71, जागृति अपार्टमेन्ट, नोएडा 2. 44सी, पंकिट ए-3, एलआईजी, सेक्टर 71, नोएडा 3. प्लॉट नं. 169, ब्लॉक-उद्योग विहार एक्सटेंशन, सेक्टर ईकोटेक-II, ग्रेटर नोएडा, जीबी नगर गारन्टरः 1. श्रीमती सीमा त्यागी पत्नी संदीप कुमार त्यागी पताः 44बी, ए-3, सेक्टर 71, जागृति अपार्टमेन्ट, नोएडा	श्री संदीप कुमार त्यागी, पुत्र श्री मांगू लाल त्यागी के नाम में नं. 169, ब्लॉक उद्योग विहार एक्टेंशन, सेक्टर ईकोटेक-II, ग्रेटर नोएडा, जी.बी. नगर में स्थित औद्योगिक सम्पत्ति। सम्पत्ति की चौहद्दी: पूर्वः प्लॉट नं. 170, पश्चिमः प्लॉट नं. 168, उत्तरः रोड दक्षिणः अन्य प्लॉट	आरक्षित मूल्य- रु. 65.05 लाख ईएमडी राशि- रु. 6.50 लाख	रु. 4973695/-	रु. 57,18,255/-	14.10.2019 12.00 दोपहर से 2.00 अप.

ईएमडी का भुगतान खाता नं. 712601013000011 (खाता का नामः प्राधिकृत अधिकारी ई-नीलामी) आईएफएससी कोड VIJB0007126 में आरटीजीएस/एनईएफटी एवं आईएफएससी कोड के माध्यम से किया जायेगा। न्यूनतम बृद्धि राशि रु. 50,000/- होगा।

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया बैंक ऑफ बड़ौदा प्रतिभूत क्रेडीटर की वेबसाईट अर्थात् https://www.bankofbaroda.com/e-auction.htm पर दी गई लिंक तथा साथ ही पोर्टल (3) https://bob.auctiontiger.net एवं https://ibapi.in देखें एवं प्राधिकृत अधिकारी अमित तिवारी, मुख्य प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, नोएडा कॉम्प्लैक्स शाखा, एन-17, सेक्टर-18, नोएडा, सम्पर्क नं. 9175178968 से सम्पर्क करें।

हस्ता./-

स्थानः नोएडा, तिथिः 2.9.2019 — प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

सारदा प्रोटीन्स लिमिटेड

पंजी. कार्यालय: बी-536-537, मालवा औद्योगिक क्षेत्र, अलवर-301030 (राजस्थान) सीआईएन: एल15142आरजे1991पीएलसी006353

फोन: +91-7737822222; ई-मेल: sardaproteins@yahoo.com वेबसाइट: www.sardaproteins.com

28वीं वार्षिक सामान्य बैठक, रिमोट ई-वोटिंग जानकारी तथा बही बंदी की सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि:

1. सारदा प्रोटीन्स लिमिटेड ('कम्पनी') के सदस्यों की 28वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) इसके पंजीकृत कार्यालय: बी-536-537(ए), मालवा औद्योगिक क्षेत्र, अलवर-301030 (राजस्थान) में सोमवार, 30 सितंबर, 2019 को अप.02.00 बजे आयोजित की जाएगी, जिसमें एजीएम की सूचना में वर्णित व्यवसाय निष्पादित किया जाएगा।
2. एजीएम की सूचना तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सभी सदस्यों को प्रेषित की जा चुकी हैं, जिनकी ई-मेल आईडी/ज कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेन्ट/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत है। एजीएम की सूचना तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां अन्य सभी सदस्यों को उनके पंजीकृत पते पर अनुमत विधि में प्रेषित की जा चुकी हैं। एजीएम की सूचना तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण 04 सितंबर 2019 को पूर्ण किया जा चुका है।
3. सदस्यगण जो विच्छेदन तिथि (कट-ऑफ डेट) 23 सितंबर, 2019 को भौतिक या अभौतिक रूप में शेयरों के धारक हैं, एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध व्यवसाय के संबंध में अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक विधि से, लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एलआईआईपीएल) के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से एजीएम के स्थान से इतर किसी स्थान से डाल सकते हैं; ("रिमोट ई-वोटिंग")। रिमोट ई-वोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्रिया/अनुदेश एजीएम की सूचना में दिए गए हैं। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:
   क) एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध व्यवसाय इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वोटिंग के माध्यम से निष्पादित किया जा सकता है।
   ख) रिमोट ई-वोटिंग बृहस्पतिवार, 26 सितंबर, 2019 को प्रातः 9.00 बजे प्रारंभ होगी तथा रविवार, 29 सितंबर, 2019 को सायं 5.00 बजे समाप्त होगी।
   ग) इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वोटिंग अथवा एजीएम में हाजरी निर्धारण हेतु विच्छेदन तिथि (कट-ऑफ डेट) सोमवार, 23 सितंबर, 2019 है।
   घ) कोई व्यक्ति, जो एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कम्पनी के शेयर अर्जित करता है तथा कम्पनी का सदस्य बनता है और विच्छेदन तिथि (कट-ऑफ डेट) अर्थात 23 सितंबर, 2019 को शेयर धारक हैं insta.vote@linkintime.co.in पर अनुरोध भेजकर यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।
   ङ) सदस्यगण नोट करें कि:
      i. एलआईआईपीएल द्वारा उपलब्ध तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल निष्क्रिय कर दिया जाएगा तथा उसके बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी और सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार वोट डाल दिए जाने के बाद उसमें किसी बदलाव की अनुमति नहीं होगी;
      ii. एजीएम में मत पत्र द्वारा मतदान की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी;
      iii. जो सदस्य एजीएम से पहले अपना वोट रिमोट ई-वोटिंग द्वारा डाल चुके हैं, वे भी एजीएम में भाग ले सकते हैं परंतु उनको पुनः वोट डालने की अनुमति नहीं होगी; तथा
      iv. केवल वे सदस्य रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोट डालने अथवा एजीएम में मत पत्र द्वारा वोट डालने की सुविधा प्राप्त करने के हकदार होंगे, जिनके नाम विच्छेदन तिथि (कट-ऑफ डेट) को डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में अथवा सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज भी हुए होंगे।
   च) एजीएम की सूचना तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी वेबसाइट www.sardaproteins.com तथा एलआईआईपीएल की वेबसाइट https://instavote.linkintime.co.in पर उपलब्ध है; तथा
   छ) यदि शेयरधारकों को ई-वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न अथवा समस्या है, आप https://instavote.linkintime.co.in पर हेल्प सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू'ज) और इंस्टावोट ई-वोटिंग मैनुअल देखें अथवा श्री स्वपन कुमार नास्कार, असिस्टेंट मानेजर-प्रोसीजर, लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि., नोवेल हाइट्स, प्लॉट नं. 1ला तल, जनकपुरी एक्सटेंशन, 44 कम्युनिटी सेंटर, दिल्ली लाल, जनकपुरी इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1, नई दिल्ली-110028, फोन: 011-41410592/93/94; ई-मेल: swapann@linkintime.co.in से संपर्क करें। सदस्यगण कम्पनी सेक्रेटरी को ई-मेल आईडी: sardaproteins@yahoo.com पर अथवा पंजीकृत कार्यालय पते पर भी लिख सकते हैं।
4. सदस्यों का रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण बहियां सोमवार, 24 सितंबर, 2019 से सोमवार, 30 सितंबर, 2019 (दोनों दिवसों सहित) तक एजीएम के प्रयोजनार्थ बंद रहेंगी।

आदेश सारदा प्रोटीन्स लिमिटेड

हस्ता./-

अतिरिक्त निदेशक

दीपक डाटा

दिनांक: 04 सितंबर, 2019

स्थान: अलवर — डीआईएन: 01672415

MINDA FINANCE LIMITED

(CIN: L67120DL1985PLC021349)

Regd. Office: B-64/1, Wazirpur Industrial Area, Delhi-110052 Tel No.: 011 49373931,

Website: www.mindafinance.com, E-mail: lalitk@mindagroup.com

NOTICE OF 34th ANNUAL GENERAL MEETING REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that:

1) The 34th Annual General Meeting (AGM) of members of the Company will be held on Monday, 30 September 2019 at 11:30 am at B-64/1, Wazirpur Industrial Area, Delhi-110052, to transact the businesses as set forth in the Notice of the meeting dated 10 August 2019.
2) Electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for 2018-19 have been sent to all the members whose e-mail IDs are registered with the Company/Depository Participant(s). The same are also available on the website of the Company at www.mindafinance.com. Notice of AGM and Annual Report for 2018 -19 have been sent to all other members at their registered address in the permitted mode. The dispatch of Notice of AGM has been completed on 5 September 2019.
3) Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut off date 23 September, 2019, may cast their vote electronically on the businesses, as set forth in the Notice of the AGM through electronic voting system of Link Intime India Private Limited (LIIPL) from a place other than venue of the AGM ('remote e-voting'). All the members are informed that :-
   i. The business as set forth in the Notice of the AGM may be transacted through voting by electronic means.
   ii. The remote e-voting shall commence on 27 September 2019 (9:00 a.m. IST);
   iii. The remote e-voting shall end on 29 September 2019 (5:00 p.m. IST);
   iv. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is 23 September, 2019;
   v. E-voting by electronic mode shall not be allowed beyond 5:00 p.m. IST on 29 September 2019.
   vi. Any person, who acquires shares of the Company and becomes members of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. 23 September, 2019 may obtain the login ID and password by sending a request at enotices@linkintime.co.in or delhi@linkintime.co.in or investors@mindafinance.com However, if a person is already registered with LIIPL for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote;
   vii. Members may note that : (a) the remote e-voting module shall be disabled by LIIPL beyond 5:00 p.m. IST on 29 September 2019 and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; (b) the facility for voting through Ballot Paper shall be made available at the AGM; (c) the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM, but shall not be entitled to cast their vote again; and (d) a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through ballot paper;
   viii. The Notice of AGM is available on the Company's website www.mindafinance.com and also on LIIPL website https: www.instavote.linkintime.co.in.
   ix. In case of queries, members may refer to the Frequent Asked Questions (FAQs) for members and instavote e-voting manual for members at https://instavote.linkintime.co.in, under Help section or write an email to enotices@linkintime.co.in or Contact LIIPL at Telephone no.: 022 - 49186000 or the Company Secretary, Minda Finance Limited, Phone: 8285554847, e-mail id: lalitk@mindagroup.com.

The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, 24th September, 2019 to Monday, 30 September 2019 (inclusive of both the days).

For Minda Finance Limited

Sd/-

Place: Delhi — Lalit Khubchandani

Date: 5th September 2019 — Company Secretary & Compliance Officer

---

OFFICE OF THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER SHRI MATA VAISHNO DEVI SHRINE BOARD, KATRA

EXTENSION OF EXPRESSION OF INTEREST

In reference to Abridged EOI No. CO/Cat/337/619 dated 17.08.2019. The last date for submission of EOI from eligible Principal Companies or their authorized Distributors/Franchisees for running of Refreshment Units on leave & License basis from available platforms near Material Check Post of the Shrine Board (3 Km. from Banganga) & at Ardhkuwari Complex, is hereby further extended upto 1500 hrs. on 16th of September 2019.

The detailed terms and conditions of the EOI can be downloaded from our official website (www.maavaishnodevi.org) free of cost. In case of lack of Internet connectivity, prospective bidders can obtain a copy of EOI free of cost from the Central Office of Shri Mata Vaishno devi Shrine Board Located at Katra (J&K).

No.: CO/Cat/337/700

Dated: 05.09.2019

Sd/-

(Dr. J.C. Mehra), KAS

Cy. Chief Executive Officer.

लक्ष्मण इंडस्ट्रीज लिमिटेड

CIN: L31909DL1982PLC005741

पंजीकृत कार्यालय: 15/1, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002, भारत

टेली: 011-23234846, ईमेल: laxmangroup@gmail.com

सदस्यों के लिए सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी की वार्षिक साधारण सभा शुक्रवार, 27 सितम्बर, 2019 को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय 15/1, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002 में आयोजित की जाएगी तथा कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 91 के प्रावधानों के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर तथा कंपनी की शेयर अंतरण पुस्तकें शुक्रवार, 20 सितम्बर, 2019 से शुक्रवार, 27 सितम्बर, 2019 (दोनों दिवस सहित) तक वार्षिक साधारण सभा के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

एतद्द्वारा कंपनी के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कंपनी ने 27 सितम्बर, 2019 को वार्षिक साधारण सभा की सूचना का प्रेषण पूरा कर लिया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 तथा लागू होने वाले अन्य प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी (प्रबंध तथा प्रशासन) संशोधन नियमावली, 2014 के नियम 20 के अनुसार कंपनी 56वें वार्षिक साधारण सभा में विचार के लिए प्रस्तावित प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान करने की सुविधा सदस्यों को सहर्ष उपलब्ध करा रही है तथा एजीएम के किसी अन्यत्र स्थान से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली का उपयोग कर सदस्यों द्वारा मतदान करने की सुविधा सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

- सदस्यों के रजिस्टर तथा शेयर अंतरण पुस्तकें 20 सितम्बर, 2019 से 27 सितम्बर, 2019, दोनों दिवस सहित, तक बंद रहेंगे।
- रिमोट ई-वोटिंग अवधि 23 सितम्बर, 2019 को 9.00 बजे पूर्वा. में शुरू होगी तथा 26 सितम्बर, 2019 को 5.00 बजे अप. में बंद होगी। इस अवधि के दौरान कट-ऑफ तिथि अर्थात् 20 सितम्बर, 2019 को भौतिक पद्धति या डीमैटिरियलाइज्ड पद्धति में शेयर धारित करने वाले कंपनी के शेयरधारक इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान कर सकते हैं। उसके बाद सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग पद्धत्ति निष्क्रिय कर दी जाएगी तथा 26 सितम्बर, 2019 को 5.00 बजे अप. के बाद ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर देने के बाद उन्हें बाद में उसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- सदस्यों के मतदान का अधिकार 20 सितम्बर, 2019 की कट-ऑफ तिथि को कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर में उनके शेयरों के अनुपात में होगा।
- यदि कोई व्यक्ति सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी का शेयर अर्जित किए हों तथा कंपनी का सदस्य बने हों तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात् 20 सितम्बर, 2019 को शेयर धारित करते हों वे कंपनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेन्ट, अलंकित एसाइन्मेन्ट्स लिमिटेड को लिखें या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल करें।
- एजीएम में मत पत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तथा सभा में उपस्थित होने वाले ऐसे सदस्य जिन्होंने ई-वोटिंग द्वारा मतदान नहीं किए हों, वे सभा में मत पत्र द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करने में सक्षम होंगे।
- जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान किए हों, वे एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं लेकिन, फिर से मतदान करने की उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी।
- पर्यवेक्षक की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणामों को अध्यक्ष या लिखित में उनके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा परिणामों की घोषणा के तत्काल बाद सीडीएसएल की वेबसाईट पर रखा जाएगा।

ई-वोटिंग से संबंधित प्रश्नों/समस्याओं के लिए संपर्क करें: श्री वेन्सेसलाउस फुर्टाडो, उप-प्रबंधक, सीडीएसएल, 16वॉ तल, पी.जे.टावर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुम्बई-400001. ई-मेल: helpdesk.evoting@cdslindia.com, संपर्क सं.: 18002005533.

लक्ष्मण इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए

तिथि: 06 सितम्बर, 2019 — हस्ता./- अशोक अग्रवाल (निदेशक) — हस्ता./- हर्ष अग्रवाल (निदेशक)

स्थान: नई दिल्ली

न्यूटाइम इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

CIN:L24239HR1984PLC040797

पंजी. कार्या.: लोटस ग्रीन सिटी, सेक्टर 23 एवं 24, भिवाडी अलवर बाईपास, 75वाँ एमटीआर रोड घारूबहेरा रेवाड़ी 123401, फोन: +91-0124-4038344

ईमेल: newtimeinfra2010@gmail.com; वेबसाईट: www.newtimeinfra.in

35वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम), ई-वोटिंग जानकारी एवं पुस्तक बंद होने की सूचना

1. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20(3)(v) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसार कम्पनी की सदस्यों की 35वीं वार्षिक साधारण सभा ('एजीएम') शुक्रवार, 27 सितम्बर, 2013 को 12.30 अप. में प्लॉट नं. 73-74, फेज-III, इंडस्ट्रियल एरिया, धारुहेरा, जिला रेवाड़ी 123106 में आयोजित की जायेगी।
2. उपस्थिति पर्ची/प्रॉक्सी प्रपत्र अन्य बातों के अलावे ई-वोटिंग की प्रक्रिया एवं तरीके को दर्शाते हुए एजीएम सूचना के साथ 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रति ऐसे सभी सदस्यों को 3 सितम्बर, 2019 को भेज दी गई है जिनके ईमेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स के पास दर्ज थे बशर्ते उन्होंने उसकी हार्ड कॉपी के लिये अनुरोध नहीं किये हैं। पुनः जिन सदस्यों ने अपने ईमेल पते दर्ज नहीं कराये हैं, संक्षिप्त वार्षिक रिपोर्ट, सूचना, उपस्थिति पर्ची/प्रॉक्सी प्रपत्र की भौतिक प्रति उन्हें भेजी जा रही है तथा वह कम्पनी की वेबसाईट www.newtimeinfra.in पर भी उपलब्ध है।
3. कट-ऑफ तिथि अर्थात् शुक्रवार, 20 सितम्बर, 2019 को भौतिक पद्धत्ति या डिमैटेरियलाइज्ड पद्धत्ति में शेयर धारित करने वाले सदस्य एजीएम स्थल के किसी अन्पत्र स्थान से सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस लिमिटेड ('सीडीएसएल') की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली ("रिमोट ई-वोटिंग") द्वारा एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान कर सकते हैं। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:
   i. एजीएम की सूचना में वर्णित व्यवसायों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान द्वारा निष्पादित किया जा सकता है;
   ii. रिमोट ई-वोटिंग मंगलवार, 24 सितम्बर, 2019 (9.00 बजे पूर्वा. आईएसटी) में शुरू होगी।
   iii. रिमोट ई-वोटिंग गुरुवार, 26 सितम्बर, 2019 (5.00 बजे अप. आईएसटी) में बंद होगी।
   iv. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अथवा एजीएम में मतदान की पात्रता सुनिश्चित करने के लिये कट-ऑफ तिथि शुक्रवार, 20 सितम्बर, 2019 है;
   v. इलेक्ट्रॉनिक पद्धत्ति से ई-वोटिंग की गुरुवार, 26 सितम्बर, 2019 को 5.00 बजे अप. के बाद अनुमति नहीं दी जायेगी।
   vi. यदि कोई व्यक्ति एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कम्पनी का शेयर अर्जित करते हैं तथा कम्पनी का सदस्य बनते हैं तथा कट ऑफ तिथि अर्थात् शुक्रवार, 20 सितम्बर, 2019 को शेयर धारित करते हैं, वे beetalrta@gmail.com अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर लागिन आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त कर सकते हैं अथवा 1800225533 पर कॉल कर सकते हैं। लेकिन यदि वे ई-वोटिंग के लिये सीडीएसएल में पहले से ही पंजीकृत हैं तो मतदान करने के लिये वे अपने वर्तमान यूजर आईडी तथा पास्वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं;
   vii) सदस्यगण ध्यान रखें कि: क) गुरुवार 26 सितम्बर, 2019 को 5.00 बजे अप. आईएसटी के बाद सीडीएसएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग निष्क्रिय कर दी जाएगी तथा सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर देने के बाद उन्हें उसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी; ख) एजीएम में मत पत्र द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी; ग) जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर दिये हों वे एजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन फिर से मतदान के लिए अधिकृत नहीं होंगे; तथा घ) जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा प्रबंधित लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज होगा वे रिमोट ई-वोटिंग के साथ एजीएम में मतदान के लिए अधिकृत होंगे।
   viii) ई-वोटिंग से संबंधित किसी प्रश्नों अथवा मुद्दों के लिए सदस्य www.evotingindia.com पर सदस्यों के लिए उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) तथा ई-वोटिंग यूजर मैन्युअल देखें अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल करें। ई-वोटिंग से संबंधित भविष्य के सभी सम्वाद, यदि कोई, अधोलिखित को संबोधित करें।

न्यू टाइम इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड लोटस ग्रीन सिटी सेक्टर 23 एवं 24, भिवाडी अलवर बाई पास 75 मी. रोड, धारूहेरा, रेवाड़ी 123401, ई-मेलः newtimeinfra2010@gmail.com श्री संजय टीकू अध्यक्ष	सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड ए विंग, 25वॉ तल, मैराथन फ्युचुरेक्स, मफतलाल मिल कम्पाउण्ड्स, एन.एम. जोशी मार्ग, लोअर परेल (ई), मुम्बई-400013 श्री राकेश डाल्वी फोन नं. 1800225533 ईमेलः helpdesk.evoting@cdslindia.com	बीटल फाइनांसियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेस प्रा. लि. 3रा तल, 99, मदनगीर, एल.एस.सी. के पीछे, नई दिल्ली-110062 टेली नं. 011-29961281-83 फैक्स नं.: 011-29961284, ईमेलः beetalrta@gmail.com वेबसाईटः www.beetalfinancial.com, सम्पर्क व्यक्तिः श्री पुनीत मित्तल

पुस्तक बंद होने की जानकारी

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा उसके अंतर्गत लागू होने वाले नियमों तथा सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 42 के प्रावधानों के अनुपालन में सदस्यों के रजिस्टर तथा कंपनी की शेयर अंतरण पुस्तकें सोमवार, 23 सितम्बर, 2019 से शुक्रवार, 27 सितम्बर, 2019 (दोनों दिवस सहित) तक 35वीं वार्षिक साधारण सभा के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

बोर्ड के आदेश से

न्यू इन्टाइम इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के लिए

हस्ता./-

संजय टीकू

स्थानः धारूहेरा — अध्यक्ष

तिथिः 4.9.2019 — DIN: 00300566

ब्रिज एंड रूफ कॉ (इंडिया) लि.

(भारत सरकार का उपक्रम)

CIN No. U27310WB1920GOI003601

"कंकरिया सेंटर" (चौथा व पांचवा तल), 2/1, रुसेल स्ट्रीट, कोलकाता - 71

अभिरुचि की अभिव्यक्ति (इओआइ) आमंत्रण सूचना

"इपीसी अनुबंध विधि पर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान (डीएमइआर), हरियाणा सरकार, पंचकूला, हरियाणा-134115 के अधीन भिवानी, हरियाणा में राजकीय चिकित्सा कॉलेज की योजना, डिजाइनिंग, निर्माण, फर्नीचर, आइटी (नेटवर्किंग) और रखरखाव" से संबंधित निम्नलिखित कार्यों के लिए आइटीबी की विशेष अटेंशन/नोट्स और निर्धारित अर्हक मानदंड पूरा करने वाली प्रतिष्ठित, साधन-संपन्न तथा अनुभवी पार्टियों से अभिरुचि की अभिव्यक्ति (इओआइ) के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:

क्र सं	कार्य का विवरण और अभिरुचि की अभिव्यक्ति (इओआइ) आमंत्रण सूचना सं.	वेबसाइट के साथ-साथ सीपीपी पोर्टल में इओआइ निविदा दस्तावेज उपलब्धता की तिथि	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि (ऑनलाइन)
1.	एमजीपीएस व एमओटी की इंस्टालेशन और सप्लाई के साथ हॉस्पिटल ब्लॉक। [इओआइ नं बी व आर/एचओ/डीएमइआर/51161/भिवानी/इपीसी-इओआइ/सीडब्ल्यू/पीकेजी-1]	06.09.2019	19.09.2019
2.	चिकित्सा कॉलेज आदि के साथ अकादमिक ब्लॉक, आवासीय ब्लॉक। [इओआइ नं बी व आर/एचओ/डीएमइआर/51161/भिवानी/इपीसी-इओआइ/सीडब्ल्यू/पीकेजी-2]	06.09.2019	19.09.2019

इच्छुक बोलीदाता के में https://eprocure.gov.in लागिंग के माध्यम से सरकारी इ-प्रोक्योरमेंट सिस्टम के साथ नामांकन एवं पंजीकृत करना होगा।

संशोधन / शुद्धिपत्र, यदि कोई होगा केवल कंपनी वेबसाइट: www.bridge.roof.co.in और सीपीपी पोर्टल :https://eprocure.gov.in पर डाला जाएगा।

हिन्दुस्तान एधेसिव्स लिमिटेड

कॉर्पोरेट पहचान संख्या (CIN): L74899DL1988PLC031191

पंजी कार्या.: बी-2/8, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली-110029

टेली: 011-41650348, फैक्स: 011-26191358

ईमेल:info@bagla-group.com, वेबसाईट: www.bagla-group.com

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के शेयरधारकों की 31वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) लिलीव्हाईट होटल छतरपुर मेन रोड, नई दिल्ली-110074 में सोमवार, 30 सितम्बर, 2019 को 10.00 बजे पूर्वा. में आयोजित की जायेगी जिसमें एजीएम की सूचना में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा। जो 3 सितम्बर, 2019 को उन शेयरधारक

Genus
energizing lives

GENUS PAPER & BOARDS LIMITED

(CIN: L21098UP2012PLC048300)
Regd. Office: Vill. Aghwanpur, Kanth Road, Moradabad-244001 (U.P.)
Phone: 0591-2511171, Fax: 0591-2511242, Website: www.genuspaper.com, Email: cs@genuspaper.com

NOTICE OF 08TH ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING

Shareholders are hereby informed that:-

The **08th Annual General Meeting (AGM)** of Company will be held on **Monday, 30th day of September, 2019** at **10.00 a.m.** at **Village Aghwanpur, Kanth Road, Moradabad-244001, Uttar Pradesh.**

Pursuant to applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the relevant Regulations of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Tuesday, September 24, 2019 to Monday, September 30, 2019 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

Copies of the Annual Report for the Financial Year 2018-19 and Notice of 08th AGM containing e-voting procedure and other documents have been e-mailed /dispatched to all members of the Company whose names appear in the Register of Members / Depositories as on Cut-off date i.e. August 09, 2019. The Company has completed the dispatch/email of Notice of 08th AGM and Annual Report 2018-19 upto September 05, 2019.

In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide the e-voting facility to its members to cast their votes electronically from a place other than venue of the AGM ("remote e-voting") and the businesses as set out in the Notice may be transacted through e-Voting Services provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL). E-voting is optional and a member may physically vote at the Annual General Meeting at their discretion.

The remote e-voting will start on Friday, September 27, 2019 at 09.00 A.M. and end on Sunday, September 29, 2019 at 05.00 P.M. The e-voting module will be disabled by CDSL thereafter. The detailed procedure for e-voting is given in the said Notice.

Members whose names are recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the Cut-off date of September 23, 2019, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM.

A person who became member of the Company after the dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on the Cut off date i.e. September 23, 2019, shall be entitled to exercise his/ her vote either electronically i.e. remote e-voting or through the Poll Paper at the AGM. You may send a request at **cs@genuspaper.com** by mentioning their Folio No. / DP ID and Client ID No to obtain the Log-in ID and Password for e-voting. However, if you are already registered with CDSL for remote e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote.

Members have also an option to cast their vote through ballot paper by attending the AGM. Members can opt for only one mode of voting. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.

Notice of 08th AGM and Annual Report 2018-19 are also available on Company website **www.genuspaper.com** and CDSL website **www.evotingindia.com.**

The Company has appointed Ms. Komal (ACS-48168 / COP No-17597), Practicing Company Secretary, (Prop. of M/s Komal & Associates, New Delhi) to act as Scrutinizer for conducting the remote e-voting and voting through Poll Paper at the AGM, in a fair and transparent manner.

For any queries or issues relating to e-voting facility, Shareholders

For Genus Paper & Boards Limited
Sd/-
Anuj Ahluwalia
Company Secretary

Place : Moradabad
Date : September 05, 2019

SOUTH INDIAN Bank

अचल कार्यालयः दिल्ली 1-8020, व्हाइट हाउस, 2रा तल, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली-110055
टेलीः 011-23610400, ईमेलः **ro108@sib.co.in, CIN: L65191KL1929PLC0010107**

निविदा सह नीलामी बिक्री सूचना

जैसा कि वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (यहाँ के बाद ''अधिनियम'' के रूप में वर्णित) के अंतर्गत बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने 1) श्री रवि कुमार अरोड़ा, प्रॉप्राईटर मै. लछमन दास एंड संस, शॉप नं. 113, बिल्डिंग नं. 5224, श्रद्धानंद मार्ग, जी बी रोड, दिल्ली-110006 तथा गारंटरों श्रीमती गीती अरोड़ा, दोनों निवासीः 7, डीएलएफ छतरपुर फार्म, चिनार ड्राइव, नई दिल्ली-110074, 2) ऋणधारक में एरो टाइल्स एंड टैप्स प्रा.लि., एम-37, ग्रेटर कैलाश II, नई दिल्ली-110048 तथा गारन्टरों i) श्री रवि कुमार अरोड़ा, ii) श्रीमती गीती अरोड़ा, दोनों निवासीः 7, डीएलएफ छतरपुर फार्म, चिनार ड्राइव, नई दिल्ली-110074, iii) श्री कस्तूरी लाल अरोड़ा, निवासीः सी-37 ए, ग्रीन पार्क मैन, नई दिल्ली-110016 को मांग सूचना आरओ/डीईएल/एलईजी/एसएआर/10/2/2017-18 तिथि 29.4.2017 जारी किया तथा 3.11.2018 को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत नीचे अनुसूची में विस्तृत रूप से वर्णित चल तथा अचल सम्पत्तियों का कब्जा कर लिया।

तथा जैसा कि ऋणधारक/सह-देनदार/गारन्टर उस राशि का भुगतान करने में विफल रहे, एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि यहाँ नीचे अनुसूची में विस्तृत रूप से वर्णित चल तथा अचल सम्पत्तियों की अधोलिखित नियमों एवं शर्तों के अधीन आगे के ब्याज तथा लागतों के साथ मै. लछमन दास एंड संस तथा मै. एरो टाइल्स एंड टैप्स प्रा.लि. की खाताओं में कुल बकाये रु. 13,23,44,604.77 (रुपये तेरह करोड़ तैईस लाख चौआलिस हजार छः सौ चार एवं पैसे सतहत्तर मात्र) की राशि की वसूली के लिये यहाँ नीचे वर्णित तिथि, समय एवं स्थान पर ''जैसा है जहाँ है'' आधार तथा ''जो भी जैसा है'' शर्त पर निविदा सह नीलामी द्वारा बिक्री की जायेगीः

चल सम्पत्ति

सम्पत्ति के स्वामी का नाम	मै. लछमन दास एंड सन्स द्वारा प्रॉप्राईटर श्री रवि कुमार अरोड़ा
सम्पत्ति का विवरण	सम्पूर्ण हाइपोथिकेटेड सामग्रियों जैसे इटालियन इम्पोर्टेड फ्लोर टाइल्स विभिन्न आकारों शेप तथा कलर, विविध फनीशिंग क्वालिटी के (निर्माण वर्ष 2010) जो रेक्ट नं. 43, किल्ला नं. 3 (7-11), 4/2 (7-9), 5/1/1 (4-17) तथा रेक्ट नं. 43, किल्ला नं. 4/1 (0-3), ग्राम ताज नगर, फारुखनगर तालुक, उप पंजीकरण जिला फारुखनगर एवं जिला गुड़गाँव में स्थित भूमि माप 19 कनाल 17 मरला 6 सरसई, सीएलयू एरिया 10041.18 वर्ग मी., माल गोदाम माप 62367.75 वर्ग फीट के भूतल में स्टोर की गई है अथवा फर्म/कम्पनी के परिसर अथवा गोदाम के पास रखी गई है।
आरक्षित मूल्य	रु. 66,00,000/- (रुपये छियासठ लाख मात्र)
धरोहर राशि (ईएमडी)	रु. 6,60,000/- (रुपये छः लाख साठ हजार मात्र)
बिक्री की तिथि एवं स्थान	26.9.2019, द साउथ इंडियन बैंक लि., सीआर पार्क शाखा, बी-103, जी.एफ., चितरंजन पार्क, नई दिल्ली-19

अचल सम्पत्ति

सम्पत्ति के स्वामी का नाम	श्री रवि कुमार अरोड़ा एवं श्रीमती गीति अरोड़ा
सम्पत्ति का विवरणः	भूमि माप 19 कनाल 17 मरला 6 सरसई, सीएलयू एरिया 10041.18 वर्ग मी., माल गोदाम के भू तल की माप 62367.75 वर्ग फीट, उस पर सभी निर्माण/सुधारों के साथ जो रेक्ट नं. 43, किल्ला नं. 3 (7-11), 4/2 (7-9), 5/1/1 (4-17) तथा रेक्ट नं. 43, किल्ला नं. 4/1, (0-3), ग्राम ताजनगर, फारुखनगर तालुक, उप पंजीकरण जिला फारुख नगर एवं जिला गुड़गाँव में स्थित है, का सभी भाग तथा हिस्सा जिसका विशेष विवरण एसआरओ फारुखनगर के अंतरण प्रलेख सं . 3058 तिथि 14.1.2014, अंतरण प्रलेख 2636 तिथि 10.10.2014, अंतरण प्रलेख 2447 तिथि 26.9.14 तथा बिक्री प्रलेख सं. 2666 तिथि 22.12.2010 में दिया गया है।
आरक्षित मूल्य	रु. 10,00,00,000/- (रुपये दस करोड़ मात्र)
धरोहर राशि (ईएमडी)	रु. 1,00,00,000/- (रुपये एक करोड़ मात्र)
बिक्री की तिथि एवं स्थान	26.9.2019, द साउथ इंडियन बैंक लि., सीआर पार्क शाखा, बी-103, जी.एफ, चितरंजन पार्क, नई दिल्ली-19

नियम एवं शर्तें

1) सम्पत्ति की बिक्री ''जैसा है जहाँ है आधार'' तथा जो भी जैसा है'' शर्त पर की जायेगी तथा बैंक सम्पत्ति के टाइटल, स्थिति अथवा प्रभावित करने वाले किसी भी तथ्य के लिये उत्तरदायी है। प्रस्तुत किये गये विवरण प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के संदर्भ में बैंक की सर्वश्रेष्ठ ज्ञान एवं जानकारी में सही है तथा बैंक किसी भी गलती, गलत विवरणों अथवा खामियों के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।
2) प्रस्तावित निविदाकर्ता निविदा की बिक्री सूचना में वर्णित नियमों एवं शर्तों को पढ़कर समझ लें जो बैंक की वेबसाईट (www.southindianbank.com)/ चितरंजन पार्क शाखा, बी-103, जी.एफ., चितरंजन पार्क, नई दिल्ली-19 तथा नई दिल्ली अंचल कार्यालयः 1/18-20, 2रा तल, व्हाईट हाउस, रानी झाँसी रोड, नई दिल्ली-110055 में प्रकाशित है तथा साथ हीं अनुसूचित सम्पत्ति को देखें तथा उसके क्षेत्रफल, सीमाओं आदि, स्वामित्व, टाइटल, अधिभारों, सांविधिक स्वीकृतियों, माप आदि के विषय में स्वयं को संतुष्ट कर लें। बिक्री में भागीदारी के बाद निविदा प्रक्रिया अथवा अनुसूचित सम्पत्ति से संबंधित किसी भी विवाद पर बैंक विचार नहीं करेगा।
3) इच्छुक निविदाकर्ता वैद्य फोटो पहचान/आवास के पते की प्रति प्रस्तुत करें। यदि निविदाकर्ता प्राधिकार पर भाग ले रहे हों, तो वे अपने तथा निविदाकर्ता के आईडी प्रमाण को प्रस्तुत करें।
4) ईएमडी सहित बिक्री से संबंधित देय सभी राशियों का भुगतान ''प्राधिकृत अधिकारी द साउथ इंडियन बैंक लि.,'' के पक्ष में देय, नई दिल्ली में भुगतान होने योग्य डीडी/आरटीजीएस द्वारा किया जायेगा।
5) इच्छुक निविदाकर्ता 3.7.2019 को 11.30 पूर्वा. से पूर्व मुहरबंद लिफाफे में निविदा के साथ बी-103, जी.एफ. चितरंजन पार्क, नई दिल्ली-19 में द साउथ इंडियन बैंक लि., चितरंजन पार्क शाखा में ईएमडी का डिमांड ड्राफ्ट/आरटीजीएस जमा करें।
6) बिक्री स्थल पर प्रवेश का अधिकार केवल उन्हीं निविदाकारों को दिया जायेगा जिन्होंने निर्दिष्ट अवधि के भीतर अथवा प्राधिकृत अधिकारी की एकाकी इच्छा पर निर्धारित समय के भीतर मुहरबंद लिफाफे में निविदा पत्र तथा ईएमडी जमा किये हों।
7) प्राधिकृत अधिकार को बिना कारण बताये निलामी को निरस्त/स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है। पुनः प्राधिकृत अधिकारी स्वेच्छा से जमा की गई किसी या सभी निविदाओं को स्वीकार, निरस्त अथवा वापस लौटा सकते हैं तथा बैंक निविदाकारों से इस संदर्भ में किसी भी प्रतिनिधित्व पर विचार नहीं करेगा।
8) मुहरबंद निविदाओं को 26.9.2019 को 12 बजे दोपहर में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा खोला जायेगा। आरक्षित मूल्य से नीचे की मूल्य कोट की गई किसी भी निविदा को तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
9) निविदा को खोलने के बाद उपस्थित निविदाकारों को प्राधिकृत अधिकारी की स्वेच्छा पर अपने प्रस्ताव को ऊपर बढ़ाने के लिये आपस में इंटर से बिडिंग का अवसर दिया जायेगा।
10) सफल निविदाकार को बोली स्वीकृति पत्र की प्राप्ति पर तत्काल 25% बोली राशि (ईएमडी घटाकर) का भुगतान करना होगा तथा शेष 75% राशि का भुगतान बिक्री के 15 दिनों के भीतर किया जायेगी अन्यथा निविदाकार द्वारा प्रदत्त सम्पूर्ण राशि बिना किसी सूचना के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जब्त कर ली जायेगी तथा बिक्री निरस्त कर दी जायेगी तथा सम्पत्ति की फिर से बिक्री की जायेगी। लेकिन, अपरिहार्य मामलों में प्रतिभूत क्रेडीटर की इच्छा पर समय में बढ़ोतरी की जा सकती है।
11) यह बिक्री प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पुष्टि के अधीन होगी जिन्हें इस बात का ध्यान दिये बिना की सफल निविदाकार ने 25% बिक्री राशि प्रेषित किया है, बिक्री को निरस्त करने का अधिकार होगा। पुनः यह बिक्री प्रतिभूत क्रेडीटर द्वारा भी पुष्टि के अधीन होगी।
12) बिक्री की पुष्टि होने तथा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सम्पूर्ण बिक्री राशि की प्राप्ति पर सफल निविदाकार को बैंक तथा सरफैसी अधिनियम के नियमों एवं शर्तों के अनुसार बिक्री प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा। सफल निविदाकार को बिक्री प्रमाणपत्र के लिये देय शुल्कों/प्रभारों जैसे पंजीकरण शुल्क स्टाम्प शुल्क आदि जो भी कानून के अनुसार लागू हो, सहित सरकार/स्थानीय प्राधिकरणों की सभी विद्यमान देयताओं आदि का भी भुगतान करना होगा।
13) प्राधिकृत अधिकारी अथवा बैंक बिक्री के अधीन सम्पत्तियों के संदर्भ में सरकार अथवा किसी भी व्यक्ति के किसी भी बकाये सहित किसी भी चार्ज, लिएन, अधिभार, सम्पत्ति कर के लिये उत्तरदायी नहीं होंगे।
14) सफल निविदाकार को सभी करों/बिजली/पानी/सीबेज चार्जेज अथवा भले ही वह पूर्व अवधि से संबंधित हो, बिक्री की स्वीकृति के बाद किसी भी प्राधिकरण द्वारा मांग की गई किसी अन्य प्रभारों का भुगतान करना होगा।
15) सफल निविदाकार अपनी लागत पर बिजली/पानी/सीवरेज कनैक्शन आदि तथा अपने नाम में अंतरित अन्य सामान्य सेवाओं का वहन करेंगे।
16) प्राधिकृत अधिकारी ने वर्ष 2006 से 10.1.2019 तक के लिये सम्पत्ति के संदर्भ में ईसी/सर्च रिपोर्ट प्राप्त किया है तथा उसमें कोई अधिभार शामिल नहीं है। लेकिन, निविदाकारों का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट किया जाता है कि ऋणधारक/गारन्टरों ने माननीय ऋण वसूली अधिकरण-I, नई दिल्ली के समक्ष एक प्रतिभूतिकरण आवेदन सं. एसए 75/2019 तथा माननीय ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण नई दिल्ली के समक्ष एक मिस. अपील सं. 186/2009 दाखिल किया है। प्रतिभूतिकरण आवेदन तथा मिस. अपील लम्बित है तथा यह बिक्री प्रतिभूतिकरण आवेदन तथा मिस. अपील में निर्णय के परिणामों के अधीन होगी।
17) अग्रिम जानकारी तथा सम्पत्ति के निरीक्षण के लिये इच्छुक निविदाकार प्राधिकृत अधिकारी (91 9007 046 006) अथवा द साउथ इंडियन बैंक लि., चितरंजन पार्क शाखा से कार्यावधि के दौरान सम्पर्क कर सकते हैं।
18) इसे ऋणधारक/सह-ऋणधारक/गारन्टरों को यह सूचित करने के लिये एक सूचना मानी जाये कि यदि बिक्री की निर्धारित तिथि से पूर्व 17.3.2019 से ब्याज तथा अन्य लागतों एवं चार्जेज के साथ वे बैंक की सम्पूर्ण बकाया राशि रु. 13,23,44,604.77 (रुपये तेरह करोड़ तैईस लाख चौआलिस हजार छः सौ चार एवं पैसे सतहत्तर मात्र) की राशि का भुगतान नहीं करते हैं तो सम्पत्ति की बिक्री कर दी जायेगी।

तिथिः 30.8.2019
स्थानः दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी
द साउथ इंडियन बैंक के लिये

सावरे ट्रेड एण्टरप्राईजेज लिमिटेड

CIN: U51909DL1990PLC040761

पंजी. कार्यालयः 3रा तल, गोपाला टावर, 25, राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली-110008
टेलीः (91-11) 2574 7696, 2575 1934/35/36, फैक्सः (91-11) 2575 1937/38
ई-मेलः narendermakkar@yahoo.com, वेबसाईटः www.savaretrade.com

वार्षिक साधारण सभा (एजीएम), रिमोट-ई-वोटिंग जानकारी तथा पुस्तक बंद होने की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सावरे ट्रेड एण्टरप्राईजेज लिमिटेड (''कम्पनी'') के सदस्यों की 36वीं वार्षिक साधारण सभा (''एजीएम'') सोमवार, 30 सितम्बर, 2019 को 12.00 बजे दोपहर में लोक कला मंच, 20, इंस्टीच्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में आयोजित की जायेगी जिसमें व्यक्तिगत रूप से सदस्यों को भेजी गई उसकी सूचना में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा।

कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुपालन में सूचित किया जाता है कि सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें 24.9.2019 (मंगलवार) से 30.9.2019 (सोमवार) (दोनों दिवस सहित) तक वार्षिक साधारण सभा के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्त वर्ष के लिये कम्पनी के वित्तीय विवरणों, निदेशक के रिपोर्ट, ऑडिटर के रिपोर्ट के साथ-साथ उसमें निष्पादित होने वाले व्यवसायों से शामिल वार्षिक साधारण सभा की सूचना के साथ वार्षिक रिपोर्ट 5.9.2019 को उनके पंजीकृत पते पर सदस्यों को भेजी गई है। उपरोक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट www.savaretrade.com पर भी प्रेषित है (वेबसाईट पर उदघोषणा तथा नवीनतम समाचारों पर क्लिक करें।)

एतदद्वारा सदस्यों को यह भी सूचित किया जाता है कि सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन, 44 के अनुपात में तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के अनुसार यह कम्पनी 36वीं वार्षिक साधारण सभा में निष्पादित होने वाले व्यवसायों के लिये अपने सदस्यों को ई-वोटिंग सुविधाऐं उपलब्ध करा रही हैं। सदस्यों के मतदान का अधिकार कट-ऑफ तिथि अर्थात् 23.9.2019 को कम्पनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनकी शेयरों के अनुपालन में होगा। यदि कोई व्यक्ति सूचना प्रेषण के बाद कम्पनी का शेयर अर्जित करते हैं तथा कम्पनी का सदस्य बनते हैं तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात् 23.9.2019 को शेयर धारित करते हैं, वे evoting@nsdl.co.in पर मै. नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) को लिखें अथवा कम्पनी को लिखें।

कम्पनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 के अनुसार ई-वोटिंग से संबंधित विवरण नीचे दिये गये हैं:

1. सूचना के प्रेषण की पूर्णता की तिथिः 5.9.2019
2. रिमोट ई-वोटिंग शुरू होने की तिथि एवं समयः 27.9.2019 को 9.00 बजे पूर्वा.
3. रिमोट ई-वोटिंग बंद होने की तिथि एवं समयः 29.9.2019 को 5.00 बजे अप. उपरोक्त तिथि एवं समय के बाद ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जायेगी।
4. कट-ऑफ तिथिः 23.9.2019
5. कम्पनी तथा एजेन्सी की वेबसाईट पर पता जहाँ सभा की सूचना प्रदर्शित हैंः कम्पनीः www.savaretrade.com एनएसडीएलः www.evotingindia.com
6. यदि कोई व्यक्ति एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कम्पनी का शेयर अर्जित करते हैं तथा कम्पनी का सदस्य बनते हैं तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात् 23.9.2019 को शेयर धारित करते हैं, वे यदि उनका पैन डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स के पास अद्यतन किया गया है, एजीएम की सूचना में दी गई लागिन आईडी तथा पास्वर्ड तैयार करने की प्रक्रिया का अनुसरण करें। लेकिन यदि, उनका पैन डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स के पास अद्यतन नहीं किया गया हो, तो पास्वर्ड बनाने के लिये उनके ईमेल आईडी तथा सिक्वेन्सेस नं. इलेक्ट्रॉनिक अथवा भौतिक माध्यमों से अलग से भेजे जाएंगे। यदि ऐसे व्यक्ति ई-वोटिंग के लिये एनएसडीएल में पहले से पंजीकृत हों तो मतदान के लिये वर्तमान यूजर आईडी तथा पास्वर्ड का प्रयोग किया जा सकता है।
7. सदस्यगण ध्यान रखेंः
   क) एजीएम में मत पत्र द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी तथा सभा में उपस्थित होने वाले ऐसे सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान नहीं किये हों, वे सभा में मत पत्र द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।
   ख) ई-वोटिंग द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग कर लेने के बाद भी सदस्य सभा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन सभा में फिर से मतदान की अनुमति उन्हें नहीं दी जायेगी।
8. श्री अनंत मिश्रा, कार्यरत चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट, दिल्ली जिनकी सदस्यता संख्या-519542 है, को स्वच्छ तथा पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग प्रक्रिया (इलेक्ट्रॉनिक या अन्य रूप में) के संचालन के लिये पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है।
9. ई-वोटिंग से संबंधित समस्याओं के लिये कृपया सहायता खंड के अंतर्गत www.evotingindia.com पर उपलब्ध Frequently Asked Question (FAQ's) तथा ई-वोटिंग मैन्युअल देखें अथवा helpdesk.evoting@nsdlindia.com पर ईमेल करें या www.savaretrade.com से सम्पर्क करें अथवा narendermakkan@yahoo.com पर ईमेल करें।
10. पर्यवेक्षक के रिपोर्ट के साथ घोषित परिणामों कम्पनी की वेबसाईट तथा एनएसडीएल की वेबसाईट www.evotingindia.com पर प्रेषित किया जायेगा तथा साथ ही एजीएम की पूर्णता के बाद अधिकतम 48 घंटे के भीतर एसई लि. जहाँ कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, को उसकी जानकारी दी जायेगी।

बोर्ड के आदेश से सावरे ट्रेड लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
नरेन्द्र कुमार मक्कर
निदेशक
(DIN:00026857)

फीनिक्स इन्टरनेशनल लिमिटेड

CIN: L74899DL1987PLC030092

पंजी. कार्यालयः 3रा तल, गोपाला टावर, 25, राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली-110008
टेलीः (91-11) 25747696, 25751934/35/36, फैक्सः (91-11) 25751937/38
ई-मेलः narendermakkar@yahoo.com

वार्षिक साधारण सभा (एजीएम), रिमोट ई-वोटिंग जानकारी तथा पुस्तक बंद होने की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि फीनिक्स इन्टरनेशनल लिमिटेड (''कम्पनी'') के सदस्यों की 32वीं वार्षिक साधारण सभा (''एजीएम'') सोमवार, 30 सितम्बर, 2019 को 10.00 बजे पूर्वा. में लोक कला मंच, 20, इंस्टीच्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में आयोजित की जायेगी जिसमें व्यक्तिगत रूप से सदस्यों को भेजी गई उसकी सूचना में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा।

कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुपालन में सूचित किया जाता है कि सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें 24.9.2019 (मंगलवार) से 30.9.2019 (सोमवार) (दोनों दिवस सहित) तक वार्षिक साधारण सभा के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

कम्पनी (लेखा) नियमावली 2014 के नियम 11 के अंतर्गत स्वीकृत रूप में वर्ष 2019 के वार्षिक रिपोर्ट 5.9.2019 को इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऐसे सदस्यों को भेज दिये गए हैं जिन्होंने मै. मास सर्विसेस लिमिटेड (कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेन्ट) के पास अपने ईमेल आईडी पंजीकृत कराये हैं। यद्यपि, ऐसे सदस्यों को वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति के चयन की सुविधा प्रदान की गई है।

अन्य सभी मामलों (जहां ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं कराये गये हैं) में, 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्त वर्ष के लिये कम्पनी के वित्तीय विवरणों, निदेशक के रिपोर्ट, कॉर्पोरेट अधिशासन रिपोर्ट तथा उक्त अवधि के लिये समेकित वित्तीय विवरणों के साथ ऑडिटर के रिपोर्ट के साथ-साथ उसमें निष्पादित होने वाले व्यवसायों से शामिल वार्षिक साधारण सभा की सूचना के साथ वार्षिक रिपोर्ट 4.9.2019 को उनके पंजीकृत पते पर सदस्यों को भेजी गई है। उपरोक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट www.phoenixindia.com पर भी प्रेषित है (क्रम सं. 20 के समक्ष वेबसाईट पर उदघोषणा तथा नवीनतम समाचारों पर क्लिक करें।)

एतदद्वारा सदस्यों को यह भी सूचित किया जाता है कि सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन, 44 के अनुपालन में तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के अनुसार यह कम्पनी 32वीं वार्षिक साधारण सभा में निष्पादित होने वाले व्यवसायों के लिये अपने सदस्यों को ई-वोटिंग सुविधाऐं उपलब्ध करा रही हैं। सदस्यों के मतदान का अधिकार कट-ऑफ तिथि अर्थात् 23.9.2019 को कम्पनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनकी शेयरों के अनुपालन में होगा। यदि कोई व्यक्ति सूचना प्रेषण के बाद कम्पनी का शेयर अर्जित करते हैं तथा कम्पनी का सदस्य बनते हैं तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात् 23.9.2019 को शेयर धारित करते हैं, वे **evoting@nsdl.co.in** पर मै. नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) को लिखें अथवा info@masserve.com पर मै. मास सर्विसेस लिमिटेड (रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेन्ट को लिखें।

कम्पनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 के अनुसार ई-वोटिंग से संबंधित विवरण नीचे दिये गये हैं:

1. सूचना के प्रेषण की पूर्णता की तिथिः 5.9.2019
2. रिमोट ई-वोटिंग शुरू होने की तिथि एवं समयः 27.9.2019 को 9.00 बजे पूर्वा.
3. रिमोट ई-वोटिंग बंद होने की तिथि एवं समयः 29.9.2019 को 5.00 बजे अप. उपरोक्त तिथि एवं समय के बाद ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जायेगी।
4. कट-ऑफ तिथिः 23.9.2019
5. कम्पनी तथा एजेन्सी की वेबसाईट पर पता जहाँ सभा की सूचना प्रदर्शित हैंः कम्पनीः www.phoenixindia.com एनएसडीएलः www.evotingindia.com
6. यदि कोई व्यक्ति एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कम्पनी का शेयर अर्जित करते हैं तथा कम्पनी का सदस्य बनते हैं तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात् 23.9.2019 को शेयर धारित करते हैं, वे यदि उनका पैन डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स के पास अद्यतन किया गया है, एजीएम की सूचना में दी गई लागिन आईडी तथा पास्वर्ड तैयार करने की प्रक्रिया का अनुसरण करें। लेकिन यदि, उनका पैन डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स के पास अद्यतन नहीं किया गया हो, तो पास्वर्ड बनाने के लिये उनके ईमेल आईडी तथा सिक्वेन्सेस नं. इलेक्ट्रॉनिक अथवा भौतिक माध्यमों से अलग से भेजे जाएंगे। यदि ऐसे व्यक्ति ई-वोटिंग के लिये एनएसडीएल में पहले से पंजीकृत हों तो मतदान के लिये वर्तमान यूजर आईडी तथा पास्वर्ड का प्रयोग किया जा सकता है।
7. सदस्यगण ध्यान रखेंः
   क) एजीएम में मत पत्र द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी तथा सभा में उपस्थित होने वाले ऐसे सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान नहीं किये हों, वे सभा में मत पत्र द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।
   ख) ई-वोटिंग द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग कर लेने के बाद भी सदस्य सभा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन सभा में फिर से मतदान की अनुमति उन्हें नहीं दी जायेगी।
8. श्री अनंत मिश्रा, कार्यरत चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट, दिल्ली जिनकी सदस्यता संख्या-519542 है, को स्वच्छ तथा पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग प्रक्रिया (इलेक्ट्रॉनिक या अन्य रूप में) के संचालन के लिये पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है।
9. ई-वोटिंग से संबंधित समस्याओं के लिये कृपया सहायता खंड के अंतर्गत www.evotingindia.com पर उपलब्ध Frequently Asked Question (FAQ's) तथा ई-वोटिंग मैन्युअल देखें अथवा helpdesk.evoting@nsdlindia.com पर ईमेल करें या हमारे रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेन्ट्स रजिस्ट्रार जिनका वेबसाईट www.masserve.com से सम्पर्क करें अथवा info@masserve.com पर ई-मेल करें।
10. पर्यवेक्षक के रिपोर्ट के साथ घोषित परिणामों कम्पनी की वेबसाईट www.phoenixindia.com तथा एनएसडीएल की वेबसाईट www.evotingindia.com पर प्रेषित किया जायेगा तथा साथ ही एजीएम की पूर्णता के बाद अधिकतम 48 घंटे के भीतर बीएसई लि. जहाँ कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, को उसकी जानकारी दी जायेगी।

श्री सरवण मंगला (जीएम)
टी-34, 2रा तल, ओखला इंडस्ट्रियल
इस्टेट फेज-2, दिल्ली-110020
फोनः 011-26383145
तिथिः 5.9.2019
स्थानः नई दिल्ली

बोर्ड के आदेश से
फीनिक्स इन्टरनेशनल लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
नरेन्द्र कुमार मक्कर
निदेशक
(DIN: 00026857)

THE DELHI FLOUR MILLS CO. LTD.

CIN : U74899DL1916PLC000035
Registered Office: 8377-8381, Roshanara Road, Delhi-110007
Tel: 011-23826445, Fax: 011-23822409, Email: dfm@dfmgroup.in

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the 103rd Annual General Meeting of the Members of the Company will be held on Monday, the 30th day of September, 2019 at 4.00 P.M. at Maidens Hotel, 7, Sham Nath Marg, Delhi-110054, to transact the businesses as set out in the Notice dated 20th August, 2019. The said Notice convening the AGM along with Annual Report 2018-19 containing Attendance slips and Proxy Form has been dispatched to all the Members at their registered addresses on or before 5th September, 2019.

A Member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself/herself and the proxy need not be a member of the Company. Proxy Form should be deposited at the registered office of the Company, duly completed and signed, not less than 48 hours before the commencement of the Meeting.

Notice is also hereby given that pursuant to Section 91(1) of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 17th September, 2019 to 30th September, 2019 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

By order of the Board
For The Delhi Flour Mills Co. Ltd.
Sd/-
(N.K. Arora)
Company Secretary

Place: Delhi
Date: 5th September, 2019

SHREE WORSTEX LIMITED

Regd. Off: 325, IInd Floor, Aggarwal Plaza, Sector- 14, Rohini, New Delhi- 110085
Mob.: 9315202833, Email ID: shreeworstex@gmail.com, info@shreeworstex.in
Website: www.shreeworstex.in, CIN: L17111DL1982PLC013790

NOTICE
ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Thirty Sixth Annual General Meeting of the members of

SBI

विभाग एवं संचिका विभाग, कॉर्पोरेट सेन्टर,
स्टेट बैंक भवन, 8वां तल, माधव लाला रोड, मुंबई - 400 021.

प्रस्ताव हेतु अनुरोध

भारतीय स्टेट बैंक ने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के सूचीकरण हेतु 'प्रस्ताव के लिए निवेदन' (आरएफपी) जारी किया है (आरएफपी नं. सीसी/एम एंड सी/2019-20/02). कृपया बैंक की वेबसाइट **https://bank.sbi** पर विजिट करें, विस्तृत आरएफपी दस्तावेज के लिए '**प्रोक्योरमेंट न्यूज**' विषयवस्तु देखें. भविष्य में इस संबंध में होनेवाली घोषणाओं, यदि की जाती है, के लिए कृपया वेबसाइट देखते रहें.

स्थान: मुंबई
दिनांक: 06.09.2019

हस्ताक्षर
एम महाप्रबंधक
(विभाग परिचालन)

AKG EXIM LIMITED

(CIN: U80030DL2005PLC139045)
Redg. Office : 408-411 Pearls Corporate, Manglam Palace Behind Kali Mata Mandir, Mangalam Place, Sector-3, Rohini, New Delhi-110085
Phone: +91-11-4001-5500, **Fax:** +91-11-40015516
Email: info@akg-global.com, **Website :** www.akg-global.com

NOTICE OF 14th ANNUAL GENERAL MEETING AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 14th Annual General Meeting (AGM) of the Company for the financial year 2018-19 which was originally scheduled on Saturday, 14th September, 2019 at 4.00 P.M. is postponed to Saturday, 28th September, 2019 at 4.00 P.M. at the Registered office at 408-411, Pearls Corporate, Manglam Place, Rohini, Delhi-110085, due to some unavoidable exigencies.

Book Closure: Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain the same i.e. Wednesday, September 11, 2019 to Friday, September 13, 2019 (both days inclusive).

This is to further inform you that revised Notice and annual report will be sent to the members by registered e-mails with the Company and same will also be updated with NSE and Company's website.

We sincerely regret the inconvenience caused to the members due to the postponement of the Annual General Meeting.

By Order of the Board
For AKG EXIM LIMITED
Sd/-
(RAJEEV GOEL)
MANAGING DIRECTOR

Place : Delhi
Date : 04th September, 2019

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड

पंजीकृत कार्याः 11वां तल, टावर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापत मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई- 400013, **CIN No. U67190MH2008PLC187552**

मांग सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 (नियमावली) के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (**अधिनियम**) की धारा 13 (2) के अंतर्गत

जैसा कि अधिनियम के अंतर्गत टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड (टीसीएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा नियमावली के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने पूर्व में ही अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत नीचे वर्णित तिथि को मांग सूचनाएं जारी कर ऋणधारक (कों)/ सह-ऋणधारक/ कों/ गारन्टर (रों) (सभी व्यक्तिगत अथवा साथ- साथ "देनदारों" के रूप में वर्णित)/ सांविधिक उत्तराधिकारी/ सांविधिक प्रतिनिधियों (नीचें वर्णित) को नीचे दिये गए विवरणों के अनुसार संबंधित सूचनाओं की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित मांग सूचनाओं में वर्णित राशि के भुगतान का निर्देश दिया था। उक्त सूचनाओं की प्रति पंजीकृत डाक ए.डी. से सर्व की गई तथा अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध हैं। तथा उक्त देनदार (रों)/ सांविधिक उत्तराधिकारी/ सांविधिक प्रतिनिधियों, यदि वे ऐसा चाहें, किसी भी कार्य दिवस को सामान्य कार्यावधि के दौरान अधोहस्ताक्षरी से संबंधित प्रति प्राप्त कर सकते हैं। उपरोक्त के सिलसिले में, एतद्द्वारा एक बार फिर से उक्त देनदारों/ सांविधिक उत्तराधिकारियों/ सांविधिक प्रतिनिधियों को सूचित किया जाता है कि कि संबंधित सूचनाओं की तिथि से 60 दिनों के भीतर उक्त देनदारों द्वारा निष्पादित, यदि कोई हो, ऋण अनुबंध तथा अन्य दस्तावेजों/ लेखों के साथ पठित रूप में कॉलम (घ) में वर्णित संबंधित तिथि से भुगतान एवं / अथवा उगाही की तिथि तक नीचे वर्णित आगे के ब्याज के साथ उनके नामों के समक्ष यहां नीचे दर्शाई गई राशि का टीसीएचएफएल को भुगतान करें। ऋण के नियत पुनर्भुगतान के लिए प्रतिभूति के रूप में क्रमशः उक्त देनदार (रों) द्वारा निम्न प्रतिभूत परिसम्पत्तियां टीसीएचएफएल के पास गिरवी रखी गई है।

ऋण खाता सं.	देनदार (रों)/ सांविधिक उत्तराधिकारी/ सांविधिक प्रतिनिधियों का नाम	नीचे वर्णित तिथि को कुल बकाया राशि (रु.)*	मांग सूचना तिथि
6807572 एवं 10493617	श्री प्रकाश फूलचन्द छावड़ा (ऋणधारक) एवं श्रीमती युक्ति छावड़ा, श्रीमती अंजली प्रकाश छावड़ा, मै. किनो ऑर्गेनिक्स (इंडिया) लि. द्वारा उसके निदेशकों, मै. श्री बायो केमिकल इंडस्ट्रीज प्रा. लि. द्वारा उसके निदेशकों (सह-ऋणधारक)	रु. 13425038/- 29 अगस्त 2019 को	29अगस्त 2019 15 जुलाई, 2019

प्रतिभूत परिसम्पत्तियां/ अचल परिसम्पत्तियां/ गिरवी सम्पत्तियों का विवरण: मद सं. 1. ऑफिस/यूनिट स्पेस नं. जीएफ-03, भू तल, कार्पेट एरिया माप 122.07 वर्ग मी. कवर्ड एरिया माप 140.97 वर्ग मी. तथा फैसिलिटीज माप 27.56 वर्ग मी. में कॉमन एरिया में शेयर जिसका कुल सुपर एरिया 168.53 वर्ग मी. है, 'सीअर्स टावर', ऑमेक्स हाइट्स में जो प्लॉट नं. टीसी/जी-5/5 तथा टीसी/जी-2/2, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्षेत्रफलः उत्तर लिफ्ट एवं लॉबी एरिया, पूर्वः खुला आकाश, पश्चिमः खुला आकाश, दक्षिणः प्रवेश/पैसेज में प्रवेश।

10500320	श्री प्रकाश फूलचन्द छावड़ा (ऋणधारक) एवं श्रीमती युक्ति छावड़ा, श्रीमती अंजली प्रकाश छावड़ा, मै. किनो ऑर्गेनिक्स (इंडिया) लि. द्वारा उसके निदेशकों, मै. श्री बायो केमिकल इंडस्ट्रीज प्रा. लि. द्वारा उसके निदेशकों (सह-ऋणधारक)	रु. 1,08,34,379/- 29 अगस्त 2019 को	29अगस्त 2019 15 जुलाई, 2019

प्रतिभूत परिसम्पत्तियां/ अचल सम्पत्तियां/ गिरवी सम्पत्तियों का विवरण: सम्पूर्ण मकान सं. 529 घा/500 प्लॉट नं. 03, खसरा नं. 58 (एम) कल्याणपुर वार्ड-शंकरपुर्वा, जिला-लखनऊ, उत्तर प्रदेश, माप एरिया 276.790 वर्ग मी., चौहद्दीः उत्तरः त्रिपाठी जी का मकान, पूर्वः वर्मा जी का मकान, पश्चिमः श्री श्रीवास्तव का मकान, दक्षिणः 15 फीट चौड़ी सड़क।

9300914 एवं 9448771	श्री विमल कुमार अगरवाल (ऋणधारक) एवं मै. वी.के. स्टील, द्वारा उसके निदेशकों/पार्टनरों श्रीमती शीतल अगरवाल, श्री आशीष अगरवाल, श्रीमती निधि अगरवाल (सह-ऋणधारक)	रु. 1,51,11,822/- 28 अगस्त 2019 को	29अगस्त 2019 8 जुलाई, 2019

प्रतिभूत परिसम्पत्तियां/ अचल सम्पत्तियां/ गिरवी सम्पत्तियों का विवरण: प्लॉट नं. 204, आनंदपुरी, जूही, कानपुर, नगर, उ.प्र.-208023 में स्थित आवासीय सम्पत्ति नगर निगम प्लॉट नं.133/ए.ओ./204 (133/ओ.ए./204), एरिया माप 227.60 वर्ग मी. के साथ पंजीकृत बिक्री प्रलेख में लिखित सामान्य सुविधाएं। चौहद्दीः पूर्वः प्लॉट नं. 133/ए.ओ./205 (133/ओ.ए./205) पश्चिमः प्लॉट नं. 133 (ए.ओ/203) (133/ओए/203) उत्तरः प्लॉट नं. 133/ए.ओ/209 (133/ओ.ए./209), दक्षिणः 18.28 मी. रोड

9575425	श्री विमल कुमार अगरवाल (ऋणधारक) एवं मै. वी.के. स्टील, द्वारा उसके निदेशकों/पार्टनरों श्रीमती शीतल अगरवाल, श्री आशीष अगरवाल, श्रीमती निधि अगरवाल (सह-ऋणधारक)	रु. 12976537/- 22 अगस्त 2019 को	29अगस्त 2019 8 जुलाई, 2019

अचल परिसम्पत्तियां/ प्रतिभूत सम्पत्तियां/ गिरवी सम्पत्तियों का विवरण: प्लॉट नं. 202, आनंदपुरी, जूही, किदवाई नगर, कानपुर, नगर, उ.प्र.-208023 में स्थित सम्पूर्ण आवासीय सम्पत्ति नगर निगम प्लॉट नं.133/ओ.ए./202 एरिया माप 227.42 वर्ग मी. के साथ पंजीकृत बिक्री प्रलेख में लिखित सामान्य सुविधाएं। चौहद्दीः पूर्वः प्लॉट नं. 203, पश्चिमः प्लॉट नं. 201, उत्तरः 18.28 मी. रोड, दक्षिणः प्लॉट नं. 211

9277757	श्रीमती विद्या रूपेश रेगडाले (ऋणधारक) एवं श्री रूपेश नंद कुमार रेगडाले (सह-ऋणधारक)	रु. 82,25,695/- 22 अगस्त 2019 को	22अगस्त 2019 8 जुलाई, 2019

प्रतिभूत परिसम्पत्तियां/ अचल सम्पत्तियां/ गिरवी सम्पत्तियों का विवरण: सुशांत गोल्फ सिटी, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226010, क्षेत्रफल 2441 वर्ग फीट में स्थित सम्पूर्ण आवासीय फ्लैट नं. 310 बी, बिल्डिंग विंग स्काई टावर में (टावर नं. 3), गोल्फ व्यू अपार्टमेन्ट्स

9272476	श्री यजदी दारा रवादी (ऋणधारक) एवं श्रीमती अमृता यजदी रवादी, श्रीमती नीता राय (सह-ऋणधारक)	रु. 80,52,667/- 22 अगस्त 2019 को	22अगस्त 2019 8 जुलाई, 2019

प्रतिभूत परिसम्पत्तियां/ अचल सम्पत्तियां/ गिरवी सम्पत्तियों का विवरण: सुशांत गोल्फ सिटी, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226010, क्षेत्रफल 2381 वर्ग फीट में बिल्डर बॉयर एग्रीमेन्ट में वर्णित सामूहिक सुविधाओं के साथ विंग स्काई टावर में (टावर नं. 3), गोल्फ व्यू अपार्टमेन्ट्स में सम्पूर्ण आवासीय फ्लैट नं. 3 सी-307, 7वां तल।

* आगे के ब्याज, संबंधित मांग सूचना, उपरोक्त तिथि में विशेष रूप से वर्णित दर पर अतिरिक्त ब्याज, अनुषांगिक चार्जेज, लागतों, प्रभारों भुगतान एवं/ अथवा उगाही की तिथि तक वहन की गई, के साथ। यदि उक्त देनदार टीसीएचएफएल को उपरोक्त का भुगतान करने में विफल होते हैं तो लागतों एवं परिणामों के लिये उक्त देनदार (रों)/ सांविधिक उत्तराधिकारियों/ सांविधिक प्रतिनिधियों की सम्पूर्ण जोखिम पर टीसीएफएचएल उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) तथा लागू होने वाले नियमों के अंतर्गत उक्त प्रतिभूत परिसम्पत्तियों/ अचल सम्पत्तियों के विरुद्ध आगे की कार्यवाही करेगा।

उक्त देनदार (रों)/ सांविधिक उत्तराधिकारियों/ सांविधिक प्रतिनिधियों को उक्त अधिनियम के अंतर्गत बिक्री, पट्टा अथवा अन्य रूप से टीसीएफएचएल की पूर्व लिखित अनुमति के बिना उपरोक्त प्रतिभूत परिसम्पत्तियों/ अचल सम्पत्तियों को अंतरित करने से निषिद्ध किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के उल्लंघन या उल्लंघन का प्रयास करते हैं तो वे अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कैद एवं/ अथवा दंड के भागी बनेंगे।

हस्ता./-
प्राधिकृत अधिकारी
टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड के लिए

तिथि: 05.09.2019
स्थान: लखनऊ

वर्विन इनवेस्टमेंट एण्ड लीजिंग लिमिटेड

607, रोहित हाउस, 3, टोलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली–110001
सीआईएन : L65993DL1990PLC039397
ई–मेल: secretary@bervin.com, Website: www.bervin.com

29वीं वार्षिक आम सभा तथा ई–वोटिंग की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी की 29वीं वार्षिक आम सभा (एजीएम) **सोमवार, 30 सितम्बर, 2019 को प्रातः 9.30 बजे** 607, रोहित हाउस, 3, टोलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली–110001, में नोटिस में वर्णित कार्यकलापों को निष्पादन करने के लिए होगी।

1. 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट (एकल एवं समेकित वित्तीय परिणामों, अंकेक्षकों की रिपोर्ट, निदेशकों की रिपोर्ट और एजीएम की सूचना सहित) का इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण एवं भौतिक रूप से भेजने का कार्य 5 सितम्बर, 2019 को पूर्ण कर लिया गया था। यह कंपनी की वेबसाइट www.bervin.com तथा नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिट्री लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट viz.https://www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।
2. कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 108 के अनुसरण कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 ("नियम") के नियम 20 तथा सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के साथ पठित के अनुपालन में, कंपनी एजीएम में सदस्यों के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने का अधिकार प्रयोग करने के लिए सुविधा प्रदान कर रही है और कार्यकलाप एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध रिमोट ई–वोटिंग प्लेटफार्म के माध्यम से सम्पादित किए जा सकते हैं। रिमोट ई–वोटिंग और मतदान के लिए सदस्यों की पात्रता का निर्धारण करने के लिए कट–ऑफ तिथि **सोमवार 23 सितम्बर, 2019 है।** जो व्यक्ति इस कट–ऑफ तिथि को सदस्य नहीं है वह इस सूचना को जानकारी समझें। इलेक्ट्रॉनिक वोट देने के लिए एक यूजर आईडी और पासवर्ड सभी सदस्यों को भेज दिया गया है।
3. रिमोट ई–वोटिंग अवधि **शुक्रवार, 27 सितम्बर, 2019 (प्रातः 9.00 बजे)** को आरंभ होगी और **रविवार, 29 सितम्बर, 2019 (सायं 5.00 बजे)** को समाप्त होगी। उसके बाद रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा। सदस्य द्वारा एक बार वोट डालने के बाद, उसे बदलने या दुबारा वोट डालने की अनुमति नहीं होगी। ई–वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया/ निर्देश एजीएम की सूचना में दिए गए हैं।
4. सदस्य जिसने शेयर प्राप्त किए हैं और सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी के सदस्य बने हैं और **सोमवार, 23 सितम्बर, 2019** को कट–ऑफ तिथि पर शेयर रखते हैं वे evoting@nsdl.co.in को अनुरोध भेजकर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी गई है जो कंपनी की वेबसाइट तथा एनएसडीएल की वेबसाइट पर उपलब्ध है। हालांकि, यदि आप पहले से ही ई–वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं तो आप अपना वोट देने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप अपना यूजर आईडी भूल गये हैं, तो आप www.evoting.nsdl.com पर अपनाई भूल गया यूजर विवरण/ पासवर्ड भूल गये विकल्प का उपयोग करके अपना पासवर्ड री–सेट कर सकते हैं या फिर टोल फ्री नंबर पर एनएसडीएल से सम्पर्क करें: 1800-222-990
5. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली या मतपत्र के माध्यम से वोट करने की सुविधा एजीएम पर भी उपलब्ध कराई जाएगी।
6. सदस्य रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने के बाद भी एजीएम में उपस्थित हो सकता है किंतु उसे एजीएम में दुबारा वोट डालने की अनुमति नहीं होगी।
7. जिस व्यक्ति का नाम कट–ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा रखे गए बेनिफिशियल ओनर के रजिस्टर में रिकार्ड है वह रिमोट ई–वोटिंग या एजीएम में वोट डालने का हकदार होगा।
8. कंपनी ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई–वोटिंग की संवीक्षा के लिए श्रीमती मनीषा गुप्ता, पूर्णकालीक कार्यरत कंपनी सचिव को संवीक्षक नियुक्त किया है। उन्होंने इस नियुक्ति के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी है।
9. किसी भी पूछताछ के लिए सदस्य www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए फ्रीक्वेंटली आस्कड क्वेश्चन (एफएक्यू) तथा शेयरधारकों के लिए ई–वोटिंग यूजर मैनुअल देख सकते हैं या एनएसडीएल को 1800 222 990 (टोल फ्री) पर फोन या श्री रविन्द्र दुआ प्रबंधक आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री प्राईवेट लिमिटेड, बी–25/1, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया फेस–II, नई दिल्ली–110020, फोन: 011-26387320-21 से प्राप्त कर सकते हैं।

कृते वर्विन इनवेस्टमेंट एण्ड लीजिंग लिमिटेड
हस्ता/–
(कल्पना एनकाला)
कम्पनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 6 सितम्बर, 2019

बैंक ऑफ महाराष्ट्र

प्रधान कार्यालय: 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005

पुणे में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के स्थानीय बाले परिसरों के लिए ''सोलर रूफ टॉप पावर प्लांट स्थापित करने के लिए व्यापक इंजीनियरिंग परामर्श सेवाएं प्रदान करने हेतु सोलर कंसल्टेंट का चयन'' के लिए निविदा दस्तावेज

बैंक ऑफ महाराष्ट्र, निगमित सेवाएं विभाग, लोकमंगल, 1501, शिवाजी नगर, पुणे 411005 पुणे में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के स्थानीय बाले परिसरों के लिए **''सोलर रूफ टॉप पावर प्लांट स्थापित करने के लिए व्यापक इंजीनियरिंग परामर्श सेवाएं प्रदान करने हेतु सोलर कंसल्टेंट का चयन''** करने के लिए आवेदन आमंत्रित करता है।

आवेदन फॉर्म, तकनीकी और वित्तीय बोली सहित अन्य सभी विवरण हमारी वेब साइट **www.bankofmaharashtra.in/tenders** पर उपलब्ध है। आवेदन फॉर्म बैंक ऑफ महाराष्ट्र की वेबसाइट से **05/09/2019** से डाउनलोड किए जा सकते हैं। **आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 17/09/2019 को अपराह्न 3.00 बजे तक है।**

पुणे
सहायक महाप्रबंधक, निगमित सेवाएं

ऋण वसूली न्यायाधिकरण-III, चंडीगढ़

एससीओ नं. 33-34-35, सेक्टर 17-ए चंडीगढ़

आर.सी. नं. 2709/2017

पंजाब नेशनल बैंक ..... प्रमाणपत्र धारक

बनाम

सुरेंद्र कुमार ..... प्रमाणपत्र ऋणधारक

प्रकाशन सूचना

(आरडीडीबी व एफआई अधिनियम, 1993 की धारा 25 के 28 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय सारणी के नियम 2 के अधीन सूचना)

सेवा में,

1. सुरेंद्र कुमार सुपुत्र ओम प्रकाश निवासी ब्ल-269-270, शकी विहार, नई दिल्ली।
2. जालंधर इंडस्ट्रीज ट्रस्ट, जालंधर को इसके चेयरमैन के माध्यम से।

माननीय पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी ओर नं. 2017 का 2829 में दस्तूरी प्रमाणपत्र के अनुसार आप से 12,55,498/- रुपए की राशि बकाया है।

यूंकि, यह न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप दर्शाया गया है कि आपको सामान्य तरीके से तामील नहीं कराया जा सकता, इसलिए इस प्रकाशन द्वारा दी गई इस सूचना के माध्यम से आपको दिनांक 11.09.2019 को पूर्वाह्न 11.00 बजे इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

ध्यान रहे कि निर्दिष्ट दिन व समय पर आपकी उपस्थिति में चूक होने पर, मामले की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में कर दिया जाएगा।

मेरे हस्ताक्षर व इस न्यायालय की मुहर के अधीन 06 अप्रैल, 2019 को चंडीगढ़ में जारी किया गया।

डयूटी अधिकारी-II,
डीआरटी-III, चंडीगढ़

इंटरवर्ल्ड डिजिटल लिमिटेड

सीआईएनः L72900DL1995PLC067808
पंजीकृत कार्यालयः 701, अरूणाचल बिल्डिंग, 19, बाराखम्बा रोड, कनाट प्लेस, नई दिल्ली–110001,
फोनः 011–43574044–45 फैक्स 011–43571047
ई–मेल interworlddigital.in@gmail.com
वेबसाइट www.interworlddigital.in

वार्षिक आम बैठक, बुक क्लोजर एवं रिमोट ई–वोटिंग जानकारी की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी की 24वीं वार्षिक आम बैठक सोमवार, 30 सितम्बर, 2019 को प्रातः 9.00 बजे 701, अरूणाचल बिल्डिंग, 19, बाराखम्बा रोड, कनाट प्लेस, नई दिल्ली–110001 में आयोजित की जाएगी जिसमें एजीएम की सूचना दिनांक 30 अगस्त, 2019 में निर्धारित कामकाज का निष्पादन किया जाएगा। एजीएम की सूचना और वित्त वर्ष 2018–2019 के लिए वार्षिक रिपोर्ट सभी सदस्यों को 4 सितम्बर, 2019 को स्वीकार्य पद्धति के माध्यम से भेज दी गई है।

सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 42 और कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 एवं उसके अधीन बनाए गए अन्य लागू नियमों के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि एजीएम के प्रयोजन हेतु कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक मंगलवार, 24 सितम्बर, 2019 से सोमवार, 30 सितम्बर, 2019 तक बंद रहेंगे।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के अनुपालन में कम्पनी ने सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के प्लेटफार्म पर रिमोट ई–वोटिंग सुविधा के माध्यम से एजीएम सूचना दिनांक 30 अगस्त, 2019 में वर्णित कामकाज के सभी मदों के निष्पादन के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सुविधा प्रदान की है। रिमोट ई–वोटिंग 27 सितम्बर, 2019 को प्रातः 9.00 बजे प्रारंभ होगी और 29 सितम्बर, 2019 को सायं 5.00 बजे समाप्त होगी। कथित तिथि एवं समय के बाद रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। रिमोट ई–वोटिंग निर्देशों के साथ वार्षिक आम बैठक की सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.interworlddigital.in और एजेंसी की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी प्रदर्शित की गई है। सोमवार, 23 सितम्बर, 2019 को शेयर धारण करने वाले कम्पनी के सदस्य सीडीएसएल के रिमोट ई–वोटिंग प्लेटफार्म www.evotingindia.com के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से या एजीएम में बैलेट पेपर के माध्यम से अपना वोट दे सकते हैं। रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट देने वाले सदस्य भी वार्षिक आम बैठक में भाग ले सकते हैं लेकिन उन्हें बैठक में दोबारा वोट देने की अनुमति नहीं होगी। यदि वोट दिया जाता है तो उसे अवैध माना जाएगा और केवल रिमोट ई–वोटिंग को ही वैध माना जाएगा। सदस्यों से अनुरोध है कि रिमोट ई–वोटिंग के संबंध में एजीएम की सूचना में दिये गये निर्देशों को भली–भांति पढ़ लें। रिमोट ई–वोटिंग पर किसी भी पूछताछ या शिकायत के लिए सदस्यगण www.evotingindia.com पर हेल्प सैक्शन पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और रिमोट ई–वोटिंग मैनुअल का अवलोकन करें या ई–मेल helpdesk.evoting@cdslindia.com पर लिखें। शेयरधारक रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट मैसर्स स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, से फोन नं. 011–40450193–97 या अपने ई–मेल आईडी एवं अन्य मामलों के पंजीकरण/उन्नयन के लिए अपने संबंधित डिपॉजिटरीज से सम्पर्क कर सकते हैं।

भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे सेबी परिपत्र सं. सेबी/एलएडी–एनआरओ/ जीएन/ 2018/24 दिनांक 18 जून, 2018 के अनुसरण में अपने शेयरों को डिमेटिरियलाइज्ड करा लें। इसके अलावा, सदस्यों से अनुरोध है कि अपने ई–मेल आईडी, पैन एवं बैंक खाता विवरण आरटीए/कम्पनी के पास दर्ज करा लें। इस संबंध में आवश्यक पत्राचार कम्पनी के सदस्यों को पहले ही अलग से भेजा जा चुका है।

कृते इंटरवर्ल्ड डिजिटल लिमिटेड
हस्ता./–
कीर्ति गुप्ता
कम्पनी सचिव

तिथि: 05.09.2019
स्थान: नई दिल्ली

RTCL LIMITED

CIN No.: L16003UP1994PLC016225,
Regd. Office: Mandhana Bithoor Road, Village Choudhanpur, Bithoor, Kanpur- 209201
Corporate Office: 6926, Jaipuria Mills, Clock Tower, Subzi Mandi, Delhi-110007
Tel. No.: 011-23852583, Fax No.: 011-23852668
E-mail: rgc.secretarial@gmail.com, rgc.secretarial@rediffmail.com

NOTICE OF 25th ANNUAL GENERAL MEETING (AGM), REMOTE EVOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that:

1. The **25th Annual General Meeting (AGM)** of the members of RTCL Limited will be held on Monday, **30th September, 2019 at 11.00 A.M.** at the Registered office of the Company situated at Mandhana Bithoor Road, Village Choudhanpur, Bithoor, Kanpur-209201 (Uttar Pradesh) to transact the Ordinary Business and Special business Set out in the Notice of the AGM dated 24th, August, 2019.
2. The Register of Members and Share transfer Books of the Company will remain closed from **23rd September, 2019 to 30th September, 2019** (both days inclusive).
3. As members in Register of Members of the Company after giving effect to all valid share transfers in physical form lodged with the Company/Registrar i.e. Abhipra Capital Limited, Abhipra Complex, Dilkhush Industrial Area, A-387, G.T Karnal Road, Azadpur, Delhi-110 033.
4. Electronic Copies of the Notice of The AGM, Annual Report for 2018-19 and the attendance slip along with the proxy form has been sent to all the members whose Email-Id - registered with the Company/ Depositary Participant(s)/RTA.
5. The Company has Dispatched Physical Copies of Notice of AGM, Attendance Slip and Postal ballot Form, (in lieu of Remote E-Voting) to those shareholders, whose Email-IDs are not registered with the Company/Depositary/RTA.
6. The Notice of AGM and the Annual Report is also available on the Company Website www.rtclimited.in and also available at the registered office of the Company for inspection during business hours on any working days (except on Public Holidays) prior to the date of 25th Annual General Meeting.
7. Pursuant to Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Section 108 of the Companies Act 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 and amendment thereof, the Company is pleased to provide its members the electronic facility (remote e-voting) for transacting all the items of business mentioned in the notice through National Depository Limited (NSDL). The Remote e-voting portal will open from **09:00 A.M. (IST) on Friday, 27th September, 2019 and ends on 05:00 PM (IST) on Sunday, 29th September, 2019.** Members may cast there vote by accessing the website www.evoting.nsdl.com by following the instructions given in Note No. 17 of the Notice of AGM.
8. During this period, shareholders of the Company, holding shares either Physical form or in dematerialized, as on the Cut-off date **23rd September, 2019** may cast their vote electronically. The Voting module shall be disabled by NSDL beyond the said period. Once the vote on resolution is cast by Member, the same cannot be modified subsequently.
9. The voting rights shall be as per the number of shares held by the members as on **Monday, 23rd September, 2019** (Cut-Off date). Members are eligible to caste vote electronically only if they are holding shares as on that date.
10. The Company has also provide the facility to the members who dont have access to e-voting facility, may send their assent or Dissent in writing on the Postal Ballot Form attached with annual report for the Year ended 2018-19, but such facility is available only at the AGM.
11. The Procedure of E-voting is available in the Notice of AGM. In case of any queries pertaining to e-voting, You may refer to Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evoting.nsdl.com or call at 91-11-42390909 to the Company's Registrar Abhipra Capital Limited at jeewatra@abhipra.com.
12. In the event Members Casts his/her votes through both processes i.e. Remote e-voting and ballot form, the votes in the electronic system would be considered and the Ballot form would be ignored.
13. The entry to the Annual General Meeting (AGM) will be regulated by Attendance Slips, which is attached with the Notice of the AGM, Members are requested to bring duly signed Attendance slip to the meeting and hand it over at the entrance.
14. A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the AGM.
15. The Scrutinizer will submit his final report after the conclusion of voting at the Annual General voting but not later than Closing of the business hours on 03rd October, 2019.
16. The Chairman of the meeting shall announce the result of voting on the resolutions taken up at 25th Annual General Meeting on or after the submission of final Report by the Scrutinizer.

By order of the board
Sd/-
(Vishal Saxena)
Company Secretary

Date: 05th September, 2019
Place: Kanpur

एसपीए कैपिटल सर्विसेस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 25 सी–ब्लॉक कम्युनिटी सेन्टर, जनकपुरी नई दिल्ली–110058
वेबसाइटः http://www.spacapital.com/CapitalServices/
CIN No. L65910DL1984PLC018749
टेली. नं.: 011–25517371, 45675500 फैक्स नं.: 011–25572342,
ई–मेल आईडीः listing@spacapital.com

35वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) तथा रिमोट ई–वोटिंग की सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है किः

1. एसपीए कैपिटल सर्विसेस लिमिटेड के सदस्यों की 35वीं वार्षिक साधारण सभा सोमवार, 30 सितम्बर, 2019 को 11.30 पूर्वा. में पंजीकृत कार्यालय में आयोजित होगी।
2. एजीएम की सूचना ऐसे सदस्यों को ई–मेल की गई है जिनके ई मेल आईडी कम्पनी डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स के पास पंजीकृत हैं तथा शेष सदस्यों को स्वीकृत पद्धति में उसकी भौतिक प्रति पंजीकृत पते पर भेजी गई है। प्रेषण कार्य गुरुवार, 5 सितम्बर, 2019 को पूरा कर लिया गया है।
3. कट–ऑफ तिथि अर्थात् सोमवार, 23 सितम्बर, 2019 को शेयरधारित करने वाले सदस्य एजीएम स्थल के किसी अन्यत्र स्थान से नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली (''रिमोट ई–वोटिंग) द्वारा एजीएम की सूचना में वर्णित व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान कर सकते हैं।
4. सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है किः

i) रिमोट ई–वोटिंग बुधवार, 25 सितम्बर, 2019 (9.00 बजे पूर्वा. आईएसटी) में शुरू होगी तथा रविवार, 29 सितम्बर, 2019 (5.00 बजे अप. आईएसटी) में बंद होगी जिसके बाद रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति नहीं दी जायेगी;

ii) यदि कोई व्यक्ति एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कम्पनी का सदस्य बने हों तथा कट–ऑफ तिथि अर्थात् सोमवार,

काबुल में अमेरिकी दूतावास के पास फिदायीन विस्फोट में 12 मरे

काबुल, 5 सितंबर (एपी)।

अफगानिस्तान में काबुल के राजनयिक क्षेत्र में तालिबान के एक फिदायीन ने गुरुवार को कार बम से विस्फोट कर दिया, जिसमें अमेरिका और रोमानिया के एक-एक सैनिक की मौत हो गई। वहीं अफगानिस्तान के कम से कम 10 आम लोगों की जान चली गई। इस राजनयिक क्षेत्र में अमेरिकी दूतावास भी है। इस हफ्ते यह दूसरा हमला है।

अमेरिका और तालिबान के बीच शांति समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के दौरान यह विस्फोट हुआ है। अफगान सरकार ने कहा कि यह समझौता जल्दबाजी में हो रहा है। राष्ट्रपति अशरफ गनी ने एक बयान में कहा, 'बेगुनाह लोगों की हत्या करने वाले समूह से शांति समझौता करना निरर्थक है।' नाटो रेजुलेट सपोर्ट मिशन ने बयान में कहा कि विस्फोट में दो सैनिकों की मौत हुई है। उन्होंने सैनिकों की पहचान के बारे में जानकारी नहीं दी है। अफगानिस्तान में बीते दो हफ्तों में जान गंवाने वाला अमेरिका का यह चौथा सैनिक है।

गृह मंत्रालय के प्रवक्ता नसरत रहिमी ने कहा कि हमले में 42 लोग जख्मी हुए हैं और 12 वाहन नष्ट हो गए हैं। इसके कुछ घंटों के बाद, तालिबान ने पड़ोसी प्रांत के अफगान सैन्य अड्डे के बाहर एक कार से विस्फोट किया जिसमें चार आम लोगों की मौत हो गई।

श्रीलंका में वीजा समाप्ति के बाद 44 भारतीय गिरफ्तार

कोलंबो, 5 सितंबर (भाषा)।

श्रीलंका में आव्रजन अधिकारियों ने गुरुवार को 44 भारतीयों को उनकी वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद तीन महीने से अधिक समय तक ठहरने के मामले में गिरफ्तार कर लिया।

'डेली मिरर' की खबर के अनुसार आव्रजन विभाग के अधिकारियों ने इन्हें उस समय गिरफ्तार किया, जब वे कोलंबो के उपनगर स्लेव आइलैंड में एक निर्माण स्थल पर काम कर रहे थे। सहायक नियंत्रक (जांच) एमजीवी करियावासम ने कहा, 'गिरफ्तार सभी लोग पुरुष हैं और इनकी उम्र 25 से 50 साल के बीच है।' उन्होंने कहा कि ये लोग वीजा समाप्त होने के करीब तीन महीने बाद तक रुके रहे।

करियावासम ने कहा कि पूछताछ में पता चला कि उन्हें नियमित आधार पर वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। अधिकारी ने कहा, 'उन्हें मिरिहाना हिरासत केंद्र को सौंपा जाएगा।' उन्होंने कहा कि एक अलग मामले में 18 अन्य भारतीयों के पासपोर्ट जब्त कर लिए गए हैं। वे भी इसी जगह काम कर रहे थे। उनके वीजा में उन्हें इस जगह पर काम करने की अनुमति नहीं है।

बोरिस जॉनसन को संसद में लगातार दूसरा झटका

लंदन, 5 सितंबर (भाषा)।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को ब्रेग्जिट समझौते पर बुधवार को संसद से लगातार से दूसरा झटका लगा। दरअसल, सांसदों ने समझौते के बिना ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने पर रोक लगाने संबंधी विधेयक को समर्थन दे दिया। इसके बाद जॉनसन ने 15 अक्तूबर को देश में समय पूर्व चुनाव कराने का प्रस्ताव पेश किया।

बुधवार को हुआ मतदान भी जॉनसन के खिलाफ गया जिससे वह संसद द्वारा ब्रेग्जिट समझौते पर पहुंचने के लिए कम से कम 31 जनवरी 2020 की समय-सीमा मांगने के लिए बाध्य होंगे।

इससे पहले उन्हें मंगलवार को संसद में पहली बड़ी हार मिली थी। उनकी खुद की कंजर्वेटिव पार्टी के बागी सांसदों ने विपक्षी सांसदों के साथ मिल कर हाउस ऑफ कॉमन्स के कामकाज का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया था। बोरिस जॉनसन इस वादे के साथ प्रधानमंत्री बने थे अगर 31 अक्तूबर तक ब्रेग्जिट पर समझौता नहीं हुआ तो भी ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग हो जाएगा

श्रीलंका में ईस्टर के मौके पर विस्फोट मामले में करीब 300 गिरफ्तार

कोलंबो, 5 सितंबर (भाषा)।

श्रीलंका की पुलिस ने गुरुवार को बताया कि ईस्टर के मौके पर देश में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोटों के संबंध में करीब 300 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

इस हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट समूह ने ली थी। साल 2009 में देश में गृह युद्ध समाप्त होने के बाद सबसे घातक हमला हुआ था। इस साल अप्रैल में नौ फिदायीन हमलावरों ने तीन गिरजाघरों और तीन आलीशान होटलों समेत विभिन्न स्थानों पर सिलिसिलेवार विस्फोट किए थे, जिसमें 258 लोगों की मौत हुई थी। इस्लामिक स्टेट ने हमले जिम्मेदारी ली थी। हालांकि सरकार ने विस्फोटों के लिए स्थानीय इस्लामी चरमपंथी संगठन नेशनल तौहिद जमात को कसूरवार ठहराया था। पुलिस ने बताया कि अबतक 293 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है।

ओकलाहोमा में दो भारतीय छात्र डूबे

डेविस, 5 सितंबर (एपी)। ओकलाहोमा के डेविस में टर्नर फॉल में टेक्सास विश्वविद्यालय के दो भारतीय छात्रों की डूबने से मौत हो गई। डेविस पुलिस ने बताया कि टर्नर फॉल में डूबने ने दो भारतीय छात्रों की मंगलवार को मौत हो गई। एक छात्र झील के नीचे तालाब में डूब रहा था और दूसरा छात्र उसे बचाने के लिए उसमें कूद गया। पुलिस ने बताया कि उन्होंने जैकेट पहन रखी थी।

वोग्यू टैक्सटाइल्स लिमिटेड

सीआईएनः L18101DL1992PLC049370

पंजीकृत कार्यालयः ए–206, सोमदत्त चैम्बर्स 1, 5, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–110066

27वीं वार्षिक आम बैठक, ई–वोटिंग जानकारी एवं बुक क्लोजर की सूचना

1. कम्पनी के सदस्यों की 27वीं वार्षिक आम बैठक सोमवार, 30 सितम्बर, 2019 को प्रातः 11.00 बजे अग्रवाल भवन, रोड नं. 10, ईस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली–110026 में आयोजित की जाएगी जिसमें बैठक की सूचना दिनांक 27 अगस्त, 2019 में निर्धारित कामकाज का निष्पादन किया जाएगा।
2. एजीएम की सूचना और 2019 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां सभी उन सभी सदस्यों को ई–मेल से भेज दी है जिनके ई–मेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी(यों) के पास पंजीकृत हैं। यह कम्पनी की वेबसाइट www.voguetextiles.com पर भी उपलब्ध है। एजीएम की सूचना और 2019 के लिए वार्षिक रिपोर्ट अन्य सभी सदस्यों को उनके पंजीकृत पते पर स्वीकार्य पद्धति से भेजी गई हैं। एजीएम की सूचना भेजने का कार्य 5 सितम्बर, 2019 को पूरा कर लिया गया है।
3. कट–ऑफ तिथि 23 सितम्बर, 2019 को भौतिक प्रारूप में या डिमेटियरिलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण ही एजीएम के स्थान के अलावा किसी भी स्थान से नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड (एनएसडीएल) के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम (ई–वोटिंग) के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारित कामकाज का सम्पादन इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर सकते हैं। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है किः
   1. एजीएम की सूचना में निर्धारित कामकाज का सम्पादन इलेक्ट्रॉनिक पद्धति द्वारा वोटिंग के माध्यम से किया जा सकता है।
   2. ई–वोटिंग शुक्रवार, 27 सितम्बर, 2019 को प्रातः 9.00 बजे प्रारंभ होगी।
   3. ई–वोटिंग रविवार, 29 सितम्बर, 2019 को सायं 5.00 बजे बंद होगी।
   4. इलेक्ट्रॉनिक पद्धति द्वारा या एजीएम में वोटिंग के लिए योग्यता के निर्धारण हेतु कट–ऑफ तिथि सोमवार, 23 सितम्बर, 2019 है।
   5. दिनांक 29 सितम्बर, 2019 को सायं 5.00 बजे के बाद इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग की अनुमति नहीं होगी।
4. वार्षिक क्लोजिंग के लिए कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक सोमवार, 23 सितम्बर, 2019 से शनिवार, 28 सितम्बर, 2019 तक बंद रहेंगे।

कृते वोग्यू टैक्सटाइल्स लिमिटेड
हस्ता./–
जसवंत कौर
कम्पनी सचिव

तिथिः 06.09.2019
स्थानः नई दिल्ली

GULMOHAR INVESTMENTS AND HOLDINGS LIMITED

Regd Office: 324A, IInd Floor, Aggarwal Plaza, Sector- 14, Rohini New Delhi- 110085
Email Id: gulmoharlimited@gmail.com, Tel.: 9810260127,
Website: www.gulmoharinvestments.com CIN: L65993DL1982PLC013956

NOTICE
ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Thirty Seventh Annual General Meeting of the members of Gulmohar Investments and Holdings Limited ("the Company") will be held on Saturday, September 28, 2019 at 03:00 p.m. at 324A, IInd Floor, Aggarwal Plaza, Sector- 14, Rohini New Delhi- 110085 ("the Meeting").

The Annual Report for the financial year 2018-19 including the Notice convening the Meeting has been sent to the members to their registered address by courier and electronically to those members who have registered their e-mail address with the Depositories/Company.

The Annual Report for the financial year 2018-19 including the Notice is available on the website of the Company (www.gulmoharinvestments.com) and also available for inspection at the Registered Office of the Company on all working days except Sundays and Public Holidays, during business hours up to the date of the Meeting.

The Company is providing to its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at the Meeting by electronic means ("e-voting"). Members may cast their votes using an electronic voting system from a place other than the venue of the Meeting ("remote e-voting"). The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) as the Agency to provide e-voting facility.

The communication relating to remote e-voting inter alia containing User ID and password, along with a copy of the Notice convening the Meeting, has been dispatched to the members. The format of communication for e-voting is available on the website of the Company www.gulmoharinvestments.com and on the website of NSDL www.evoting.nsdl.com.

The remote e-voting facility shall commence on Wednesday, September 25, 2019 from 9:00 a.m. and end on Friday September 27, 2019 at 5.00 p.m. The remote e-voting shall not be allowed beyond the aforesaid date and time.

A person, whose name appears in the Register of Members/ Beneficial Owners as on the cut off date, i.e., Saturday September 21, 2019, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting /voting at the Meeting.

Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as of the cut-off date may obtain the User ID and password inter alia by sending a request at evoting@nsdl.co.in. The detailed procedure for obtaining User ID and password is also provided in the Notice of the Meeting which is available on Company's website and NSDL's website. If the members already registered with NSDL for e-voting, he can use his existing User ID and password for casting the vote through remote e-voting.

Member who have cast their vote(s) by remote e-voting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast the vote(s) again.

RECORD DATE

NOTICE is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and applicable rules there under that the Company has fixed Saturday September 21, 2019 as the "Record Date" for the purpose of determining the members eligible to vote at the Annual General Meeting.

For and on behalf of the Board
Gulmohar Investments and Holdings Limited
Sd/-
Kiran Mittal
Director
DIN: 00749457

Place: New Delhi
Date: 05.09.2019

प्रपत्र ए
सार्वजनिक घोषणा

[भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]

एसबीएस ट्रांसपोल लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

संबंधित विवरण

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	एसबीएस ट्रांसपोल लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	30/08/2004
3.	प्राधिकार जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित / पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या	U63013DL2004PTC128680
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	**पंजीकृत कार्यालय:** ई-172, पहली मंजिल, वेस्ट नारायणा, नई दिल्ली-110028 **कॉर्पोरेट ऑफिस:** प्लॉट नंबर 217, सेक्टर-5, उद्योग विहार, गुड़गांव - 122016, हरियाणा
6.	कार्पोरेट देनदार के संबंध में अंतिम रोक आदेश प्रदान तिथि	14.08.2019 (माननीय एनसीएलटी, नई दिल्ली, पीठ-II के आदेशानुसार दिनांक 14.08.2019 में सीपी (आईबी) – 1373 (एनडी) 2019)
7.	अंतरिम समाधान व्यावसायिक के नियुक्ति की पुष्टिकारी तिथि	02.09.2019
8.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का नाम और पंजीकृत पता	**श्री नीरज लाल जैन** **पंजीकृत सं.:** IBBI/IPA-002/IP-N00006/2016-17/10006
9.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और ई-मेल जैसा कि कार्पोरेट मामलों में रजिस्टर्ड है।	**पता:** एफ-2/36, सेक्टर-8, रोहिणी, नई दिल्ली-110085 **ईमेल:** cir_jain@aimsdhamanagement.com
10.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता, पंजीकरण संख्या समूह, पता और ई-मेल	**पत्राचार / दावे प्रस्तुत करने का पता:** सी/ओ एसबीएस ट्रांसपोल लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, बी-1/12, दूसरी मंजिल, राजपुरा एक्सटेंशन, नई दिल्ली- 110033 **ईमेल:** cirp.sbstranspole@gmail.com
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	14.09.2019 (संशोधन नोटिस को अंतिम तारीख की सूचना की तारीख से 14 दिन)
12.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा पहचाने गए सभी ऋण-धारक (ओं) के ऋणों (ओं) के साथ प्रतिभूतिधारक लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई	लागू नहीं
13.	किसी श्रेणी के लेनदारों के अधिकार प्रतिभूति के रूप में कार्य करने हेतु निर्दिष्ट अन्य शोध अक्षमता प्रोफेशनल के पास उपलब्ध होने के लिए तीन नाम	लागू नहीं
14.	(क) सार्वजनिक घोषणा और (ख) अधिकृत प्रतिभूतिधारकों का विवरण का प्रारूप है:	http://www.ibbi.gov.in/home/downloads सूचना नहीं

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उपरोक्त कम्पनी (सी) - ... नई दिल्ली, पीठ-II ने दिनांक **04 सितम्बर, 2019** को **एसबीएस ट्रांसपोल लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड** के विरुद्ध कार्पोरेट ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है।

एसबीएस ट्रांसपोल लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों से एतद्द्वारा अपने दावे का प्रमाण **10, सितम्बर 2019** को अथवा पूर्व अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष साक्ष्य सहित उनके दावे का प्रमाण प्रस्तुत करने को कहा गया है।

प्रमाण के साक्ष्य दावों को प्रस्तुत करना, भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के अध्याय IV के अनुसार किया जाना है। जो दावा बिना विहित रूपों के साक्ष्य के साथ एवं दावों के समर्थन में दस्तावेजों अथवा से प्रस्तुत किया जाता है: फॉर्म बी- ऑपरेशनल लेनदारों द्वारा दावा प्रस्तुतीकरण और लेनदारों के अन्य सभी; फॉर्म सी- वित्तीय लेनदारों द्वारा दावा, फॉर्म डी- किसी लेनदारों द्वारा दावा, फॉर्म ई- कर्मचारी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा और फॉर्म एफ- लेनदारों द्वारा दावा (वित्तीय लेनदारों और परिचालन लेनदारों के अलावा अन्य)। उपर्युक्त दावा भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) कार्पोरेट व्यक्तियों) विनियमन, 2016 की वेबसाइट www.ibbi.gov.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदारों अपने दावों का प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं।

दावे के कोई अन्य साक्ष्य प्रमाण की प्रस्तुति वर्जित होगी।

हस्ता./–
श्री नीरज लाल जैन
अंतरिम समाधान प्रोफेशनल
पंजीकृत सं.:IBBI/IPA-002/IP-N00006/2016-17/10006

दिनांक : 06 सितम्बर 2019
स्थान : नई दिल्ली

ORBIT EXPORTS LIMITED

Corporate Identity Number (CIN): L40300MH1983PLC030872

Registered and Corporate Office: 122, Mistry Bhavan, 2nd Floor, Dinshaw Wachha Road, Churchgate, Mumbai – 400 020, Maharashtra, India.

Tel.: +91 22 6625 6262 | Fax.: +91 22 2282 2031 | Email: investors@orbitexports.com | Website: www.orbitexports.com

Contact Person: Mrs. Neha Poddar, Company Secretary & Compliance Officer

POST BUY-BACK PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS/ BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF ORBIT EXPORTS LIMITED

This Public Announcement ("**Post Buy-back Public Announcement**") is released in compliance with the provisions of Regulation 24(vi) of the Securities and Exchange Board of India (Buy-back of Securities) Regulations, 2018 as amended ("**Buy-back Regulations**"). This Post Buy-back Public Announcement should be read in conjunction with the public announcement dated March 19, 2019 published on March 20, 2019 ("**Public Announcement**"). The terms used but not defined in this Post Buy-back Public Announcement shall have the same meaning as assigned in the Public Announcement.

1. THE BUY-BACK

1.1. The Board of Directors of Orbit Exports Limited (hereinafter referred to as the "**Board**"), at its meeting held on Monday, March 18, 2019 ("**Board Meeting**") has, pursuant to the provisions of Article 8.2 of Articles of Association of the Company and Sections 68, 69 and 70 and all other applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("**Act**") and applicable rules made thereunder and in compliance with the Buy-back Regulations and subject to such other approvals, permissions and sanctions as may be necessary, approved the Buy-back of fully paid up equity shares by the Company having face value of ₹10 each ("**Equity Share(s)**") from open market through stock exchanges prescribed under the Buy-back Regulations, for an amount not exceeding ₹10,00,00,000 (Rupees Ten Crore Only) excluding transaction costs viz. fees, brokerage, applicable taxes such as securities transaction tax, goods and services tax, stamp duty, etc. ("**Transaction Costs**") ("**Maximum Buy-back Size**") at a price not exceeding ₹130 (Rupees One Hundred and Thirty Only) per Equity Share ("**Maximum Buy-back Price**") payable in cash.

1.2. The Buy-back commenced on Friday, March 29, 2019 and closed on Wednesday, September 4, 2019.

1.3. Till the date of closure of the Buy-back, the Company has bought back 8,74,791 Equity Shares at an average price of ₹114.23 per Equity Share for an aggregate consideration of ₹9,99,24,123.60 (Rupees Nine Crore Ninety Nine Lakhs Twenty Four Thousand One Hundred and Twenty Three and Paise Sixty Only) excluding Transaction Costs which represents 99.92 % of the Maximum Buy-back Size.

1.4. Since the Company had utilized 99.92% of the Maximum Buy-back Size till September 04, 2019, the Company has decided to close the Buy-back Offer on September 04, 2019 and the intimation of closure of the Buy-back was issued to the stock exchanges on September 04, 2019.

2. DETAILS OF BUY-BACK

2.1. 8,74,791 Equity Shares (representing 3.10% of pre Buy-back paid equity share capital of the Company) were bought back under the Buy-back at an average price of ₹114.23 per Equity Share. The price at which the Equity Shares were bought back was dependent on the price quoted on the Stock Exchanges. The highest price at which the Equity Shares were bought back was ₹120.00 per Equity Share while the lowest price was ₹97.05 per Equity Share. These prices are based on contract notes issued by Sunlight Broking LLP ("**Company's Broker**") and exclude Transaction Costs.

2.2. The total amount utilized in the Buy-back is ₹9,99,24,123.60 (Rupees Nine Crore Ninety Nine Lakhs Twenty Four Thousand One Hundred and Twenty Three and Paise Sixty Only) excluding the Transaction Costs which represents 99.92 % of the Maximum Buy-back Size.

2.3. The pay-out formalities shall be completed as per settlement mechanism with the Stock Exchanges. The Company has extinguished 4,43,218 Equity Shares till date and the Company is in the process of extinguishing the remaining 4,31,573 Equity Shares bought back.

2.4. All Equity Shares bought back were in the demat segment from the Stock Exchanges. No physical shares were accepted or bought back in the Buy-back. As the Buy-back was done from the open market through the Stock Exchanges, the identity of shareholders from whom Equity Shares exceeding one per cent of the total Equity Shares was bought in the Buy-back is not known.

3. CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN

3.1. The Pre and Post Buy-back Capital structure of the Company is as under:

Sr. No.	Particulars	Pre Buy-back as on the date of Public Announcement		Post Buy-back (*)	
		No. of Shares	Amount (₹ in lakhs)	No. of Shares	Amount (₹ in lakhs)
1	Authorized Share Capital	3,50,00,000 Equity Shares of ₹10 each	3,500.00	3,50,00,000 Equity Shares of ₹10 each	3,500.00
2	Issued, Subscribed and Paid-up Capital	2,82,57,856 Equity Shares of ₹10 each	2,825.79	2,73,83,065 Equity Shares of ₹10 each	2,738.31

(*) assuming the extinguishment of all the Equity Shares bought back under the Buy-back.

3.2. The shareholding pattern of the Company, pre and post Buy-back, is as under:

Particulars	Pre Buy-back as on the date of Public Announcement		Post Buy-back (*)	
	No. of Equity Shares	% of the equity share capital	No. of Equity Shares	% of the equity share capital
Promoter and Promoter Group	1,76,89,283	62.60	1,76,89,283	64.60
Foreign Investors (including Non Resident Indians, FIIs, FPIs and Foreign Mutual Funds)	10,12,745	3.58	96,93,782	35.40
Financial Institutions/ Banks/ Mutual Funds promoted by Banks/ Institutions	1,543	0.01		
Other (public, public bodies corporate etc.)	95,54,285	33.81		
Total	**2,82,57,856**	**100.00**	**2,73,83,065**	**100.00**

(*) assuming the extinguishment of all the Equity Shares bought back under the Buy-back.

4. MANAGER TO THE BUY-BACK

VIVRO
VIVRO FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
607, 608 Marathon Icon, Opp. Peninsula Corporate Park, Off Ganpatrao Kadam Marg, Veer Santaji Lane, Lower Parel, Mumbai-400 013, Maharashtra, India
Tel : +91 22 6666 8040/41/42 | **Fax:** +91 22 6666 8047 | **Email:** investors@vivro.net
Website: www.vivro.net | **Contact Person(s):** Mr. Harish Patel / Mr. Yogesh Malpani
Validity: Permanent | **CIN:** U67120GJ1996PTC029162 | **SEBI Registration Number:** INM000010122

5. DIRECTOR'S RESPONSIBILITY

As per Regulation 24(i)(a) of the Buy-back Regulations, the Board of Directors of the Company accepts full responsibility for the information contained in this Post Buy-back Public Announcement and confirms that such document contains true, factual and material information and does not contain any misleading information.

For and on behalf of the Board of Directors of Orbit Exports Limited

Sd/-	Sd/-	Sd/-
Pankaj Seth	Anisha Seth	Neha Poddar
Chairman and Managing Director	Whole Time Director	Company Secretary & Compliance Officer
DIN: 00027554	DIN: 00027611	(Membership Number: A28326)

Date: Sept. 05, 2019
Place: Mumbai

पूर्वोत्तर रेलवे

राष्ट्रपति भारत सरकार की ओर से मण्डल इंजीनियर/यांत्रिकल पारसी, मुख्य कारखाना प्रबन्धक यांत्रिक कारखाना गोरखपुर द्वारा नीचे लिखे कार्यों के लिये आनलाईन (ई–टेन्डरिंग) के माध्यम से खुली निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्रम सं0 1:– ई निविदा सूचना सं0 एवं निविदा कार्य का विवरण –06–2019–00–01 गोरखपुर (यांत्रिकल) में–रिपेयर आफ आर.सी.सी. ओवर हेड वाटर टैंक इन द आफिस कैम्पस आफ एस.एस.ई./जम्मू/एम.डब्लू.एल./गोरखपुर। अनुमानित लागत : ₹ 1786694.20, धरोहर राशि : ₹ 35700/-, निविदा प्रपत्र का मूल्य : ₹ 2000/-, निविदा समापन की तिथि एवं अवधि – 30.09.2019 15.00 बजे, इस ई–निविदा का पूर्ण विवरण एवं निविदा में भाग लेने हेतु भारतीय रेल की वेबसाइट संख्या www.ireps.gov.in पर देखें।

मुख्य कारखाना प्रबन्धक,
मुजाधि/यॉत्रिक–107 गोरखपुर

यात्री सुविधा सम्बन्धित शिकायत हेतु मोबाइल नं0 09794845955 पर एस.एम.एस करें।

गाड़ियां का छता व पायदान पर कदापि यात्रा न करें

प्रपत्र सात [कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार] एक राज्य से दूसरे राज्य में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिए विज्ञापन, केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष कम्पनी अधिनियम (2013) 2013 की धारा 13(4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप नियम (5) के खण्ड (ii) के मामले में

...आवेदक

इस विज्ञापन के द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय के स्थानांतरण को परिवर्तित कराने हेतु, कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 06.08.2019 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसरण में रजिस्ट्रार ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत अपने पंजीकृत कार्यालय "दिल्ली के राज्यक्षेत्र" से "हरियाणा राज्य" बदलने के लिए आवेदन करने का प्रस्ताव करती है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस स्थानांतरण परिवर्तन से संबंधित किसी व्यक्ति का हित प्रभावित हो तो वह अपने हितों को संरक्षण हेतु, वी. वी. के एसोसि. फर्म(www.mca.gov.in) पर निर्धारित विवरणपत्र प्रपत्र दाखिल कर या फिर अपनी आपत्ति के समर्थन में एफिडेविट के साथ शिकायत संबंधित द्वारा दिए गये साक्ष्यों के आधार और हित की प्रकृति दिखाते हुए, रजिस्ट्रार पोस्ट द्वारा केन्द्रीय निदेशक को "केन्द्रीय निदेशक, एस्टेट बैंक बी–2 विंग, दूसरी मंजिल पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003" के पते पर तथा आवेदक कम्पनी को इस विज्ञापन प्रपत्र की एक प्रति उसके पंजीकृत कार्यालय के पते पर इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा दाखिल अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक के पते : बी–2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003, फाक्स, और अन्य सिद्ध इस कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजें।

आवेदक के लिये तथा उसकी ओर से
लिंक इंटरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता./–
डेसिएन जोशी निदेशक
डीआईएन: 02337601

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 06.09.2019

लिंक इंटरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
सीआईएन: U74899DL1998PTC092248
पंजीकृत कार्यालय: 4, निगिया इन्क्लेव, (प्रथम तल), कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001, भारत
ई–मेल: mail.lynxent@mail.com
फार्म नं. आईएनसी–26
[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]
एक राज्य से दूसरे राज्य में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये सामान्य पत्र में प्रकाशन के लिये विज्ञापन
केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप–धारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) (ए) के मामले में
और
लिंक इंटरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 4, निगिया इन्क्लेव, (प्रथम तल) कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001, भारत
...याचिकाकर्ता

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को स्थानान्तरित करने के लिए 26 अगस्त, 2019 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसरण कंपनी के रजिस्ट्रार ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत अपने पंजीकृत कार्यालय "दिल्ली के राज्यक्षेत्र" से "हरियाणा राज्य" बदलने के लिए आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के इस स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है, वे **एम सी ए 21 पोर्टल (www.mca.gov.in)** पर निर्धारित विवरणपत्र प्रपत्र दाखिल कर अथवा उसके द्वारा दिये गये साक्ष्यों के आधार और हित की प्रकृति दिखाते हुए, रजिस्ट्रार पोस्ट द्वारा केन्द्रीय निदेशक को "क्षेत्रीय निदेशक, एस्टेट बैंक बी–2 विंग, दूसरी मंजिल पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003" के पते पर तथा आवेदक कम्पनी को इस विज्ञापन प्रपत्र की एक प्रति उसके पंजीकृत कार्यालय के पते पर इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर दिनों की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा दाखिल अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक के पते : बी–2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003, फाक्स, और अन्य सिद्ध इस कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजें।

आवेदक के लिये तथा उसकी ओर से
लिंक इंटरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता./–
निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 06.09.2019

लिबर्टी शूज़ लिमिटेड

LIBERTY

सीआईएन: L19201HR1988PLC033185
पंजीकृत कार्यालय: लिबर्टीपुरम, 13वीं माइलस्टोन, जी.टी. करनाल रोड, कुटेल, पी.ओ., बस्तारा, जिला - करनाल - 132114, हरियाणा
कॉर्पोरेट ऑफिस: भू तल, टावर-ए, बिल्डिंग नं. 8, डीएलएफ साइबर सिटी, फेज-2, गुरुग्राम- 122002, हरियाणा
दूरभाष: +(91)-0124-4616200 फैक्स: +(91)-0124-4616222
ई-मेल:investorcare@libertyshoes.com, वेबसाइट: www.libertyshoes.com

33वीं वार्षिक आम बैठक, रिमोट ई-वोटिंग तथा पुस्तक बंद होने की सूचना

(क) वार्षिक आम बैठक

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि लिबर्टी शूज़ लिमिटेड (कम्पनी) की 33वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार, दिनांक 27 सितम्बर 2019 को प्रातः 11:00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय जो कि लिबर्टीपुरम, 13' माइलस्टोन, जी.टी. करनाल रोड, कुटेल, पी.ओ., बस्तारा, जिला करनाल-132114, हरियाणा में स्थित है, आयोजित की जाएगी, जिसमें निर्दिष्ट व्यवसाय, सूचना के तहत, को निष्पादित किया जायेगा। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के

SHANTNU INVESTMENTS (INDIA) LTD.

CIN: L65993DL1973PLC006705
Regd. Office: DSC-319, DLF SOUTH COURT, SAKET NEW DELHI 110017
Email id: cs@greatvalueindia.com; Website: www.shantnuinvestments.com
(Phone No: 011-41349612-14)

NOTICE OF 46TH ANNUAL GENERAL MEETING of SHANTNU INVESTMENTS (INDIA) LTD.

Notice is hereby given that an 46th Annual General Meeting of the Shareholders of Shantnu Investments (India) Ltd will be Monday, 30th day of September, 2019 at 3.00 PM at registered office of the Company situated at DSC-319, DLF South Court, Saket, New Delhi-110017, to transact the business, as set out in the notice of AGM.

The AGM Notice along with explanatory statement under section 102 of Companies Act, 2013, proxy form and Attendance Slip have been sent through permitted mode to the members. The date of completion of dispatch of 46th Annual Report to the members is 5th September, 2019. These documents are also available on the website of the Company i.e. www.shantnuinvestments.com.

Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cutoff date 24th September, 2019 may cast their votes electronically on the business as set forth in the Notice of AGM. All the members are informed that:

1. Facility of remote e-voting is also available to the Shareholders. Accordingly, Shareholders can vote through electronic means instead of voting in the meeting.
2. A person, whose name is recorded in the Register of Members/Beneficial Owners as on 24th September, 2019, being the cut-off date for voting, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting through ballot paper at the meeting.
3. The remote e-voting period begins 9.00 A.M. on Friday, 27th September, 2019 and will end at 5.00 P.M. on Sunday, 29th September, 2019 The e-voting facility will be available at the link www.evotingindia.com during the aforesaid e-voting period. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.
4. Any, person who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as of the cut-off date may obtain the login id and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com.
5. The Facility for voting through postal ballot paper shall be made available at the AGM. Members attending the meeting who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting and the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.
6. In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may contact the following person:
   Name: Mr. Rakesh Dalvi (Manager)
   R/o: A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai - 400013.
   Email id: helpdesk.evoting@cdslindia.com
   Phone number: 18002225533
7. The Notice of AGM is also available on the Company's Website www.shantnuinvestments.com.

For Shantnu Investments (India) Ltd.
Sd/-
Vinay Anand
Company Secretary and Compliance Officer

Date : 5th September, 2019
Place : New Delhi

प्रपत्र — 'जी'
अभिरुचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण

दिवाला और ऋण शोध अक्षमता (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36ए (1) के अधीन

एक्सक्लूसिव फाइबर्स लिमिटेड के सम्भावित समाधान आवेदकों के ध्यानार्थ

प्रासंगिक विवरण

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	एक्सक्लूसिव फाइबर्स लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	16.04.2004
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	कंपनियां और कम्पनीज, दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या	U74999DL2004PLC126846
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो तो) का पता	**पंजीकृत कार्यालय:** डी-1/1200, बेकनगंज, मलेरा कलां, लुधियाना – 141008 **मुख्यालय कार्यालय:** प्लॉट नं. डी 2 / डी 96, सेक्टर डब्लूएचएस एपेक्स, सेक्टर डी सेक्टर 4, पोस्ट: कोटरा, गाजियाबाद – 201009 **वेबसाइट:** www.efpl.co.in
6.	कार्पोरेट देनदार के रूप में क्रम संख्या आरम्भ आरम्भ तिथि	28.03.2019
7.	कार्पोरेट देनदार के रूप में क्रम संख्या आरम्भ तिथि	05.09.2019
8.	परिसमापक का नाम, पता, ई-मेल पता, दूरभाष संख्या तथा पंजीकरण संख्या	www.efpl.co.in; अथवा सुनील कटारिया/सौरभ जैन का ई-मेल पते पर पत्र भेज सकते हैं।
9.	परिसमापक का पता और ई-मेल, जैसा कि बोर्ड के पास पंजीकृत है	**प्रवीण कुमार राय** **पता:** स्मृति मोनालिसा, एच-6/160, अरेरा-ई, एम पी, भोपाल भोपाल – 462011 (म.प्र.) ई-मेल: cspkrai@gmail.com
10.	परिसमापक के साथ पत्राचार के लिए उपयोग किया जाने वाला पता और ई-मेल	**पता:** स्मृति मोनालिसा, एच-6/160, अरेरा-ई, एम पी, भोपाल भोपाल – 462011 (म.प्र.) ई-मेल: cspaper@gmail.com
11.	दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	**03/10/2019**

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि माननीय कंपनी विधि अधिकरण, इलाहाबाद पीठ के 20 सितम्बर, 2018 के **एक्सक्लूसिव फाइबर्स लिमिटेड** के परिसमापन का आदेश दिया है।

एक्सक्लूसिव फाइबर्स लिमिटेड के लेनदारों को दावे दायर **03 अक्टूबर 2019** को या पहले पहले बंद के साथ अपने दावे परिसमापक के पास या प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। दिए गए तारीख और समय के अनुसार लागू किया गया है।

वित्तीय लेनदार अपने दावे के प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जमा करेंगे। अन्य सभी लेनदार अपने दावों के प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा/कूरियर द्वारा जमा कर सकते हैं।

ह०/–
प्रवीण कुमार राय
पंजीकृत सं. IBBI/IPA-001/IP-N00094/2017-18/10777
परिसमापक एक्सक्लूसिव फाइबर्स लिमिटेड के लिए

दिनांक : 06.09.2019
स्थान : भोपाल

INDO GULF INDUSTRIES LIMITED

CIN: L74900DL1981PLC011425
Registered Office: 4237/11, IInd Floor, Narendra Bhawan 1, Ansari Road, Daryaganj New Delhi - 110002, **Email:** rjheadoffice@gmail.com

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE DATE

Notice is hereby given that the 38th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Monday, the 30th Day of September, 2019 at 11.00 A.M at 4237/11, IInd Floor, D-4, Narendra Bhawan, 1, Ansari Road, Daryaganj, New Delhi – 110002 to transact the business as set out in the AGM Notice.

Notice is further given that pursuant to the provisions of section 91 of the Companies Act, 2013, Rules thereof and regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, the register of members and share transfer books of the Company will remain closed from 24th September 2019 to 30th September, 2019 (both days inclusive) for the purpose of the AGM.

The Notice of the AGM along with the statement annexed to the Notice pursuant to section 102 of the Companies Act, 2013 and Annual Report of the Company for the year ended 31st March,2019, have been sent to the members at their postal Address or e-mailed at e-mail addresses, registered with the Company/Depository Participants (DPs)/the Registrar and share Transfer Agents (R & T), as the case may be on 6th September, 2019. The aforesaid documents are also available on the website of the Company viz www.indogulfind.com

Pursuant to the provisions of the Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 and as amended from time to time, Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and secretarial Standard on General Meetings (SS-2) issued by the institute of Company Secretaries of India, the company is providing the facility to its members holding shares as on 24th September, 2019, being the Cut off date, to exercise their right to vote on all resolutions set forth in the Notice of AGM. The members may cast their votes using an e-voting system from a place other the venue of the meeting (Remote e-voting). The Company has engaged Karvy Computershare Private Limited to provide Remote e-voting facility. The details of remote e-voting are as under:

1. The remote e-voting period commences on Friday, 27th September, 2019 at 10.00 A.M. and ends on Sunday, 29th September, 2019 at 5.00 P.M. During this period, members of the Company as on the cut-off date i.e. Tuesday, 24th September, 2019, may cast their vote electronically. The e-voting module will be disabled by Karvy for voting thereafter. **A person who is not a Member as on the cut-off date should treat this Notice for information purpose only.** Once the vote on a resolution is cast by a member, the member shall not be allowed to change it subsequently or cast vote again.
2. Voting rights of members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Company as on the cut-off date. A person, whose name is recorded in the Register of Members as on the cut-off date i.e 24th September, 2019, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM.
3. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of this Notice and holding shares as on the cut-off date, may obtain the User ID and password by sending request at evoting@karvy.com and cast their vote.

   However, if he is already registered with Karvy for remote e-voting then he can use his existing user ID and password for casting his vote. If he forgets his password, he can reset his password by using "Forgot Password" option available on https://evoting.karvy.com or contact Karvy at 040-67161606 or Toll Free No.1800 3454 001.
4. In case of any query, you may refer Help & Frequently Asked Questions (FAQs) sections of https://evoting.karvy.com (Karvy Website) or call Karvy on 040-67161606 & Toll Free No.1800 3454 001 or contact Mr. MRV Subrahmanyam at Karvy having its office at Karvy Selenium Tower B, Plot No.31-32, Financial District, Gachibowli, Nankramguda, Hyderabad – 500 032 or mail at the designated email id. evoting@karvy.com who will address the grievances connected with the voting by electronic means.

   The Results declared alongwith the report of the Scrutinizer shall be placed on the website of the Company www.indogulfind.com and on the website of Karvy immediately after the declaration of results. Such results shall also be immediately forwarded to the Stock Exchanges where the Company's equity shares are listed.
5. This notice is also available at the Company's website i.e.www.indogulfind.com and corporate announcements section of bseindia.com
6. The Members can opt for only one mode of voting i.e. either through remote e-voting or through "Ballot Form". If a Member casts votes by both modes voting done through remote e-voting shall prevail and the "Ballot Form" shall be treated as invalid.

For and on behalf of board
Indo Gulf Industries Limited
Sd/-
HeenaKhera
Company Secretary

Place : New Delhi

MEGA NIRMAN & INDUSTRIES LIMITED

CIN: L70101DL1983PLC015425
Regd. Off: A-6/343B, 1st Floor, Paschim Vihar, New Delhi-110063
Email: secretarial.mni1@gmail.com, **Website:** www.mni.in
Phone: 011- 49679687

NOTICE OF 36th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE & REMOTE E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 36th Annual General Meeting (AGM) of Mega Nirman & Industries Limited (the Company) is scheduled to be held on Friday, September 27, 2019 at 11:00 A.M. at Apsara Grand Banquets, A-1/20 B, Paschim Vihar, Rohtak Road, Near Metro Station Paschim Vihar (West), New Delhi-110063.

Electronic copy of the Notice of AGM setting out the ordinary business and special business proposed to be transact at the meeting with the Integrated Annual Report for the financial year 2018-19 has been sent to all the Members whose email IDs are registered with the Company / Depository Participant(s). The dispatch of Notice of AGM and the Annual Report past counter has been completed on September 05, 2019.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (Act) read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (Rules) and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, the Company is providing electronic voting (Remote e-Voting) facility to the members to enable them to cast their votes electronically. Accordingly, the items of business given in the Notice of the AGM may be transacted through electronic voting. The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) to provide the e-voting facility.

Members are further informed that:

1. The remote e-voting facility shall commence on (9:00 A.M. IST) on Tuesday, September 24, 2019and ends at (5:00 P.M. IST) on Thursday, September 26, 2019. The remote e-voting shall not be allowed beyond the aforesaid date and time and Remote e-Voting module shall be disabled by NSDL upon expiry of aforesaid period;
2. Voting rights (for voting through Remote e-Voting as well as Polling Paper at AGM) shall be reckoned on the paid up value of the shares registered in the name of the members of the Company as of Cut-off date i.e. Friday, September 20, 2019;
3. Any person who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as of the Cut-off date i.e. Friday, September 20, 2019, may obtain the User ID and Password by sending a request (along with Name, Folio No. /DP ID & Client ID, as the case may be and shareholding) at evoting@nsdl.co.in or to RTA at beetalrta@gmail.com. However, if any person is already registered with NSDL for Remote e-Voting, he can use his existing User ID and Password for casting his vote. If a person has forgotten his Password, he can reset his Password by using "Forgot User Details/Password" option available on www.evoting.nsdl.com or contact NSDL on Toll free no.: 1800-22-990.
4. The facility for voting through Polling Paper shall also be made available at this AGM and the members attending the AGM who have not cast their vote by Remote e-Voting shall be able to exercise their right through Polling Paper at the AGM. The members who have cast their vote(s) by remote e-voting may also attend the Meeting but shall not be entitled to cast their vote(s) again.
5. A person, whose name appears in the Register of Members / Beneficial Owners as on the cut-off date, i.e.. Friday, September 20, 2019, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting / voting at the Meeting. A person who is not a member as on the Cut-off date should treat this Notice for information purpose only.
6. The said integrated Annual Report is available on the Company's website www.mni.in and the same is also available on the website of NSDL www.evoting.nsdl.com, also available for inspection at the registered office of the Company on all working days during the business hours up to the date of meeting.
7. For e-Voting instructions, members are requested to go through the instructions given in the Notice of the AGM. In case of any queries / grievances connected with electronic voting, members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and Remote e-Voting user manual for Shareholders available at the Help section of at www.evoting.nsdl.com or may contact:

National Securities Depositories Limited (NSDL), Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, MUMBAI 400 013 Email Id: evoting@nsdl.co.in Tel: 18002228990	Ms. Kanika Mehra Company Secretary & Compliance Officer Mega Nirman & Industries Limited, A-6 /343B, 1st Floor, Paschim Vihar, New Delhi-110063 E-mail-ID: secretarial.mni1@gmail.com Tel: 011-49679687

Or "Beetal Financial & Computer Services Private Limited" through email at beetalrta@gmail.com or on Telephone No.: 011-29961281-83, Fax No. 011-29961284.

The results of voting on the resolutions set out in the Notice of the AGM shall be declared within 48 hours of conclusion of the AGM. The results declared along with the report of the Scrutinizer shall be placed on the website of the Company www.mni.in and on the website of NSDL immediately after the declaration of result by the Chairman or a Director authorized by him and the results shall also be communicated to the Stock Exchanges. The results shall be displayed at the Registered Office A-6/343B, 1st Floor, Paschim Vihar, New Delhi-110063.

NOTICE is further given pursuant to Section 91 of the Act read with Rule 10 of the Rules and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Saturday, September 21, 2019 to Friday, September 27, 2019 (both days inclusive)** for the purpose of AGM.

For Mega Nirman & Industries Limited
Sd/-
(Kanika Mehra)
Company Secretary

Date : 05.09.2019
Place : New Delhi

FORM A
PUBLIC ANNOUNCEMENT
(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process of Corporate Persons) Regulations, 2016)
FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF JAGTAR SINGH & SONS HYDRAULICS PRIVATE LIMITED

RELEVANT PARTICULARS

1.	Name of corporate debtor	**JAGTAR SINGH & SONS HYDRAULICS PRIVATE LIMITED**
2.	Date of incorporation of corporate debtor	28th January 2010
3.	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	REGISTRAR OF COMPANIES, DELHI
4.	Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. Of Corporate Debtor	CIN - U29253DL2010PTC198115
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	REGISTERED OFFICE AS PER ROC COMPANY MASTER DATA - C-1/8 MANSAROVER GARDEN, DELHI 110015
6.	Insolvency commencement date in respect of corporate debtor	3rd September, 2019
7.	Estimated date of closure of insolvency resolution process	1st March, 2020
8.	Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional	**PIYUSH MOCHA** REG. NO. IBBI/IPA-001/IP-P00693/2017-18/11030
9.	Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board	Address: Flat no. 04/34 ATS Advantage, Aminia Khand 1, Indirapuram, Ghaziabad, 201014 E-mail: piyushmocha@gmail.com
10.	Address and e-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional	Address: Piyush Mocha & Co., UGF-E2, Rajhans Plaza, Aminia Khand 1, Opp. Aditya Mall, Indirapuram, Ghaziabad, 201014 E-mail: jsh.cirp@gmail.com
11.	Last date for submission of claims	17th day of September, 2019
12.	Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6a) of section 21, ascertained by the interim resolution professional	Not Applicable as per information available with IRP till date
13.	Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorised Representative of creditors in a class (Three names for each class)	Not Applicable
14.	(a) Relevant Forms, and (b) Details of authorised representative are available at:	Web Link: https://ibbi.gov.in/home/downloads Not Applicable as per information available with IRP till date

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal, Court No. III, New Delhi Bench has ordered the commencement of Corporate Insolvency Resolution Process of Corporate Debtor namely **JAGTAR SINGH & SONS HYDRAULICS PRIVATE LIMITED** on 3rd September, 2019.

All the creditors of **JAGTAR SINGH & SONS HYDRAULICS PRIVATE LIMITED**, are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 17th September, 2019 to the Interim Resolution Professional at the address mentioned against entry No. 10 above.

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means.

A financial creditor belonging to a class, as listed against the entry No. 12, shall indicate its choice of authorized representative from among the three insolvency professionals listed against entry No.13 to act as authorized representative of the class in Form CA - **Not Applicable as per information available with IRP till date**

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Piyush Mocha
Interim Resolution Professional
In the matter of JAGTAR SINGH & SONS HYDRAULICS PRIVATE LIMITED
REG. NO.- IBBI/IPA-001/IP-P00693/2017-18/11030

Date: 5th September 2019
Place: Ghaziabad

ORACLE CREDIT LIMITED

Regd. Off: P-7, Green Park Extension, New Delhi-110016
CIN: L65910DL1981PLC043261
E-mail: oracle_credit@yahoo.co.in; info@oraclecredit.co.in
Website: www.oraclecredit.co.in, Phone: 011- 26167775

NOTICE OF 29th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING

Notice is hereby given that the 29th Annual General Meeting (AGM) of **Oracle Credit Limited** will be held on Monday, September 30, 2019 at 10.30 A.M. at the Registered Office of the Company at P-7, Green Park Extension, New Delhi-110016 to transact the businesses as set out in the notice convening the meeting. Notice has been sent to all the Members of the Company, whose name appeared on the Register of Members or the register of beneficial owners maintained by the depositories as on Friday, August 30, 2019. The Notice of 29th AGM and Annual Report has been sent in electronic mode to the Members whose email IDs are registered with the Company or the Depository Participant(s) and physical copies to all other members in the permitted mode. The dispatch of notice of 29th AGM and Annual Report has been completed on Thursday, September 05, 2019.

The said notice may be accessed on the Company's website at **www.oraclecredit.co.in** and CDSL e-voting website **www.evotingindia.com.**

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules thereunder and applicable provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Tuesday, September 24, 2019 to Monday, September 30, 2019 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

In term of Section 108 of the Companies Act, 2013 and rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 as amended, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, the Company has provided remote electronic voting facility for transacting all the items of business through Central Depository Services (India) Limited (CDSL) which will commence on Friday, September 27, 2019 at 09.00 A.M. and ends on Sunday, September 29, 2019 at 05.00 P.M. and remote e-voting shall not be allowed thereafter. Attention is also invited to Notes to the 29th AGM Notice, giving instructions on how the business of the Meeting is to be transacted through electronic voting system. Any person, who acquires shares of the Company and become Member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as on the cut-off date i.e. September 23, 2019, may refer the instruction regarding login ID and password as provided in the notice to AGM and may contact the Company or Company's Registrar and Transfer Agent (RTA), Beetal Financial & Computer Services (P) Limited for any query or assistance in this regard.

The ballot or polling paper shall be made available at the meeting and Members attending the meeting who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting. A member may participate in the general meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting.

A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e September 23, 2019 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the general meeting.

For any queries or issues related to e- voting may refer "Frequently Asked Questions (FAQs)" and E- voting manual" available at **www.evotingindia.com** under help section or write an email to **helpdesk.evoting@cdslindia.com** or Contact Mr. Rakesh Dalvi, (Manager), Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013, Phone No. 18002225533 who will also address the grievances connected with the voting by electronic means.

Members may please note that SEBI has mandated transfer of securities only in demat form. Members holding shares of the company in physical form are requested to take immediate steps to de-materialize their shares in order to avoid inconvenience in future.

For Oracle Credit Limited
Sd/-
Kalpana
Company Secretary

Date: 05.09.2019
Place: New Delhi

Bampsl Securities Limited

Reg. Off. 100A,-Cycle Market, Jhandewalan Extn., New Delhi-110055 | Tel. No. 011-23556436
Email ID: bampslsecurities@yahoo.co.in,
CIN No: L65100DL1985PLC065028

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 24th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Monday, September 30th, 2019 at 10.00 A.M. at the KHASRA NO 24/15, KAKROLA, NEW DELHI-110043 to transact such Ordinary and Special business as set out in the Notice convening the AGM.

Electronic copy of Notice of 24th AGM and instructions for remote e-voting, along with Attendance Slip and Proxy Form and Annual Report 2018-19, have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company/ Depository participant(s) for communication purposes. For members who have not registered their email address, physical copies of the above documents have been sent at their registered address in the permitted mode.

As per Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 as amended by the Companies (Management and Administration) Rules, 2015 and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Company is pleased to provide its Members the facility to exercise their vote on all resolutions proposed to be considered at the AGM by electronic means. The facility of casting the votes by the members using an electronic voting system from a place other than venue of AGM ("remote e-Voting") will be provided by National Securities Depository Limited (NSDL).

The details pursuant to the provisions the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the said Rules as amended, are given here under:

1. The Ordinary and the Special Business as set out in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronic means.
2. Date and time of commencement of voting through electronic means: September 27, 2019 at 9.00 a.m.
3. Date and time of end of voting through electronic means: September 29, 2019 at at 5.00 p.m.
4. Voting through electronic means shall not be allowed beyond 5.00 p.m on September 29, 2019
5. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is September 23, 2019
6. Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. September 23, 2019 may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting then you can use your existing User ID and password for casting your vote.
7. The facility for voting through ballot paper/Polling Paper shall be made available at the AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through ballot paper.
8. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.
9. A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only i.e. on September 23, 2019 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM through ballot paper.
10. The Notice of AGM is displayed on the Website of Company on www.bampslsecurities.co.in and also on the NSDL's website https://www.evoting.nsdl.com
11. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and remote e-voting user manual for Members available at the downloads section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990

The Registers of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from September 24, 2019 to September 30, 2019 (both days inclusive) for the purpose of the AGM

By Order of the Board
M/s Bampsl Securities Limited
Sd/-
Bhisham Kumar Gupta
Managing Director

Place: New Delhi
Date: 04.09.2019

आकाशदीप मेटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड

सीआईएन L28998DL1983PLC017150,
पंजीकृत कार्यालय: 14, एकादश विहार, वैकल्पिक भूतल, विकास मार्ग एक्सटेंशन, दिल्ली–110092,
दूरभाष +91-11-43011038, ईमेल info.akashdeep14@gmail.com
वेबसाईट www.akashdeepmetal.in

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अपने वित्तीयों के शामे 30 जून 2019 को समाप्त तिमाही के लिए अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार एवं अनुमोदन करने हेतु कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक 14 सितम्बर, 2019 को 14, एकादश विहार, वैकल्पिक भूतल, विकास मार्ग एक्सटेंशन, दिल्ली–110092 पर आयोजित की जाएगी।

उक्त सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.akashdeepmetal.in और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

कृते आकाशदीप मेटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
हस्ता/–
राजेश गुप्ता
प्रबंधक निदेशक

दिनांक : 05.09.2019
स्थान : दिल्ली

अजन्ता सोया लिमिटेड

AJANTA

सीआईएन : L15494RJ1992PLC016617
पंजी. कार्यालय : एएसी-404, सेक्टर- 11, औद्योगिक क्षेत्र, सिंगल आकार, सिंगाड़ी – 301 019, राजस्थान
दूरभाष सं.: 091-8176727, 091-8128800
निगमित कार्यालय : 12वां तल, विंग्स का टॉवर, ए-8, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, जिला केन्द्र, दिल्ली–110 034
दूरभाष सं.: 91-11-42515151, फैक्स : 91-11-42515100
वेबसाइट : www.ajantasoya.com, ई-मेल : cs@ajantasoya.com

28वीं वार्षिक सामान्य बैठक, बुक क्लोजर और दूरस्थ ई-मतदान जानकारी की सूचना

वार्षिक सामान्य बैठक : एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों की 28वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) का आयोजन सोमवार 30 सितंबर 2019 को 11.30 बजे एएसी–404, सेक्टर– 11, औद्योगिक क्षेत्र, सिंगल आकार, सिंगाड़ी – 301 019, राजस्थान में स्थित कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में किया जाएगा, जिसकी बैठक सूचना की सूचना में वर्णितानुसार व्यवसाय का होगा– वेब किया जाएगा।

28वीं एजीएम की सूचना तथा वार्षिक प्रतिवेदन उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक विधि के अन्तर्गत प्रेषित किए जा चुके हैं जिनकी ई–मेल आईडी कम्पनी अथवा डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास पंजीकृत हैं, सदस्यों को भौतिक प्रति का प्रेषण तब तक नहीं है जब तक कि वे उसकी प्राप्ति हेतु अपने अनुरोध का पंजीकरण नहीं करा देते हैं। 28वीं एजीएम सूचना तथा वार्षिक प्रतिवेदन की भौतिक प्रतियां सामान्य अथवा सदस्यों को अनुमान विधि के अन्तर्गत उनके पंजीकृत पतों पर प्रेषित की जा चुकी हैं। सदस्यों को 28वीं एजीएम सूचना तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रेषित कि जाने का कार्य 5 सितंबर 2019 को सम्पन्नित हो चुका है। 28वीं एजीएम सूचना तथा वार्षिक प्रतिवेदन कम्पनी की वेबसाइट **www.ajantasoya.com** पर भी उपलब्ध है।

दूरस्थ ई–मतदान जानकारी : कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 108 तथा कम्पनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियमावली 2014 के नियम 20 और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 44 तथा समय–समय पर भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान द्वारा निर्गत सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक के अनुसार, कम्पनी अपने सदस्यों को ई–मतदान सुविधा उपलब्ध कराकर संतुष्ट है, ताकि सदस्यगण वर्णित सामान्य बैठक सूचना में निर्धारितानुसार समस्त संकल्पों में अपना मतदान करने में समर्थ हो सकें। कम्पनी, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा उपलब्धकृत ई–मतदान सेवा प्राप्त कर चुकी है। श्री वेंकटेश वेद नाथ, पी. आर ऐंड डी कम्पनी सेक्रेटरीज, दिल्ली में पूर्णकालिक जनवरी में वह कम्पनी वार्षिक की समुचित तथा पारदर्शी तरीके से ई–मतदान प्रक्रिया का संचालन करने के लिए एक जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। ई–मतदान अवधि का प्रारंभ शुक्रवार 27 सितंबर 2019 को प्रातः 9.00 बजे होगा तथा समापन सोमवार 29 सितंबर 2019 को सायं 5.00 बजे होगा। इसके पश्चात सदस्यगण किसी मतदान पर एक बार मतदान कर देता है, तब बाद में मतदान को इसे बदलने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। सदस्यों के मतदान अधिकार कट–ऑफ तिथि अर्थात् 23 सितंबर 2019 के अनुसार उनके द्वारा धारित समता अंशों की संख्या के अनुपात होंगे। व्यक्तिगत जो कि एजीएम सूचना के प्रेषणोपरान्त कम्पनी के शेयर धारक हो चुके हैं तथा अंशों का आवंटन कर चुके हैं और 23 सितंबर 2019 की कट–ऑफ तिथि के अनुसार अंशों का धारण किए हुए हैं, वे कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा अंतरण अभिकर्ता (आरटीए) अथवा एनएसडीएल के दूरस्थ ई–मतदान हेतु अपनी पहचान आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्तिगत जिनके पास 23 सितंबर 2019 की कट–ऑफ तिथि के अनुसार डिपॉजिटरीज द्वारा अनुरक्षित लाभान्वयी स्वामियों की पंजिका में अथवा सदस्यों की पंजिका में अभिलिखित हैं, केवल वे ही दूरस्थ ई–मतदान के साथ–साथ एजीएम में मतदान की सुविधा प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।

एजीएम स्थल पर मतदान, मतपत्र/मतदान पत्र के माध्यम से किया जाएगा तथा एजीएम में उपस्थित होनेवाले सदस्यगण जिन्होंने सूचना ई–मतदान द्वारा अपना मतदान नहीं किया है, वे मतपत्र/मतदान पत्र के माध्यम से अपना मतदान करने के अधिकारी होंगे। सदस्यगण दूरस्थ ई–मतदान के माध्यम से मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग करने के उपरान्त भी एजीएम में प्रतिभागिता कर सकते हैं, परन्तु उन्हें एजीएम स्थल पर पुनर्मतदान करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

सूचना उन सभी सदस्यों को प्रेषित की जा चुकी है, जिनके नाम 06 अगस्त 2019 के अनुसार लिमिटेड के अभिलेख/सदस्य पंजिका में दर्शित हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की क्षमता तथा विधि के लिए सदस्यगण अपने एजीएम की सूचना में वर्णितानुसार प्रदत्त वेब साइटों अथवा एनएसडीएल वेबसाइट **www.evoting.nsdl.com** देख सकते हैं तथा किसी मुददे की स्थिति में सदस्यगण **www.evoting.nsdl.com** के डाउनलोड सेक्शन पर उपलब्ध सदस्यों हेतु अक्सरहा पूछे जानेवाले प्रश्नों (एफएक्यू) का संदर्भ ग्रहण कर सकते हैं अथवा टोल फ्री नं. 1800-222-990 पर कॉल कर सकते हैं या सुश्री नम्रता मेहरा, प्रबंधक, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड – ए विंग, कमला मिल कम्पाउण्ड, लोअर पारेल, मुंबई – 400013 से दूरभाष 022-24994545, ई–मेल evoting@nsdl.co.in अथवा pallavi@nsdl.co.in पर सम्पर्क कर सकते हैं।

बुक क्लोजर : कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 91 के प्रावधानों एवं उसके अन्तर्गत नियमित नियमावली तथा सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 42 के अनुसार, कम्पनी के सदस्यों की पंजिका तथा अंतरण बही सोमवार 21 सितंबर 2019 से शुक्रवार 27 सितंबर 2019 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगी।

केवल स्थल पर प्रवेश का विनियमन उपस्थिति पर्चियों द्वारा किया जाएगा, जो कि वार्षिक प्रतिवेदन के साथ सदस्यों को प्रेषित की जा चुकी है। अतः सदस्यगण से अनुरोध है कि वे एजीएम में उपस्थित होने के लिए उपस्थिति पर्चियों को साथ लेकर विनियमन कक्ष में उपस्थित र

आत्मरक्षा के लिए सेना के प्रयोग से हिचक नहीं : राजनाथ

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 5 सितंबर।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि भारत कभी भी आक्रामक नहीं रहा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वह अपनी रक्षा करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करने से हिचकिचाएगा। उन्होंने यह टिप्पणी कश्मीर मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने की पृष्ठभूमि में सियोल में हुई रक्षा वार्ता में की।

रक्षा मंत्री ने दक्षिण कोरिया के शीर्ष सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति में कहा, 'भारत का इतिहास देखें तो वह कभी भी हमलावर नहीं रहा है और न ही होगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वह खुद को बचाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करने में टाल-मटोल करेगा।' रक्षा मंत्री तीन दिवसीय दौरे पर बुधवार को दक्षिण कोरिया पहुंचे थे। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से एक के बाद एक कई ट्वीट किए।

उन्होंने कहा, 'रक्षा कूटनीति भारत की सामरिक नीति का महत्त्वपूर्ण स्तंभ है। दरअसल, रक्षा

राजनाथ सिंह ने यह टिप्पणी कश्मीर मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने की पृष्ठभूमि में सियोल में हुई रक्षा वार्ता में की।

कूटनीति और मजबूत सैन्य बल रखना एक ही सिक्के के दो पहलु हैं। ये साथ-साथ चलते हैं।' सिंह ने अपने संबोधन में संसाधन समृद्ध भारत-प्रशांत क्षेत्र में साझा नियम आधारित व्यवस्था की जरूरत पर भी बात की। इस दौरान दक्षिण कोरिया के शीर्ष सैन्य अधिकारी और देश की रक्षा संस्थानों के शीर्ष कार्यकारी शामिल हुए।

उन्होंने कहा कि यह 'व्यवस्था' सभी राष्ट्रों की संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता व समानता पर आधारित होनी चाहिए, भले ही उसका आकार व बल कितना भी हो। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत इस क्षेत्र के लिए स्वतंत्र एवं समग्र संरचना का पक्षधर है।

83 तेजस लड़ाकू विमानों की कीमत तय : रक्षा मंत्रालय

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 5 सितंबर।

रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक (खरीद) अपूर्व चंद्र ने गुरुवार को कहा कि 83 तेजस हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए) की कीमत के मुद्दे को अंतिम रूप दे दिया गया है। उन्होंने बताया कि सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एअरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) द्वारा बनाए जाने वाले इन विमानों की कीमत संबंधी करार पर अगले कुछ महीनों में हस्ताक्षर किए जाएंगे।

दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन इंडिया हैबिटेट सेंटर में किया गया।

यहां एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करने के बाद उन्होंने कहा कि भारतीय वायु सेना के लिए 'आकाश', सतह से हवा में मार करने वाली अतिरिक्त मिसाइलों की खरीद को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले हफ्ते मंजूरी दे दी थी और इस संबंध में करार पर अगले सात दिनों के भीतर हस्ताक्षर होंगे। चंद्रा ने कहा, 'एलसीए की कीमत, जिस पर कीमत निर्धारित करने वाली समिति चर्चा कर रही थी, उसे रक्षा उत्पादन के सचिव द्वारा दो दिन पहले बुलाई गई बैठक में अंतिम रूप दिया गया। अब समर्थन पैकेज की कीमत पर चर्चा जारी है। उसे भी एक से दो महीने के भीतर तय कर लिया जाना चाहिए। इस प्रकार से हम तीन से चार महीने के भीतर विमान के लिए करार पर हस्ताक्षर करने की स्थिति में होंगे।' दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन इंडिया हैबिटेट सेंटर में किया गया। यह सम्मेलन 'एनर्जाइजिंग इंडियन एअरोस्पेस इंडस्ट्री : फ्लाइट प्लान फॉर द फ्यूचर' विषय पर आयोजित किया गया।

तबीयत बिगड़ने पर इलाज करवा कर जेल भेजे गए अमित जोगी

बिलासपुर, 5 सितंबर (भाषा)।

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के पुत्र अमित जोगी को सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल ले जाया गया था। हालांकि बाद में उन्हें वापस जेल भेज दिया गया।

गौरेला थाने के थाना प्रभारी दिनेश कुर्रे ने गुरुवार को बताया कि पेंड्रा उप-जेल में बंद मरवाही क्षेत्र के पूर्व विधायक अमित जोगी की तबीयत अचानक बुधवार रात बिगड़ गई। कुर्रे ने बताया कि बुधवार रात करीब साढ़े आठ बजे अमित जोगी ने सांस लेने में तकलीफ और सीने में दर्द की शिकायत की थी। जेल चिकित्सक ने उनका प्रारंभिक परीक्षण किया और उन्हें अस्पताल भेजने की सलाह दी।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि जेल प्रबंधन तथा स्थानीय पुलिस ने पहले जोगी को रात करीब साढ़े दस बजे गौरेला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में और बाद में गौरेला-पेंड्रा के ही सेनेटोरियम अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में चिकित्सकों ने उनका स्वास्थ्य परीक्षण के बाद जरूरी उपचार किया। कुर्रे ने बताया कि देर रात करीब तीन बजे जोगी के स्वास्थ्य में आवश्यक सुधार आने के बाद उन्हें वापस जेल दाखिल कर दिया गया है।

इंदौर के अपार्टमेंट में लगी आग , दो बच्चे समेत सात झुलसे

इंदौर (मध्य प्रदेश), 5 सितंबर (भाषा)।

इंदौर के एक आवासीय अपार्टमेंट में गुरुवार तड़के आग लगने से दो बच्चों समेत सात लोग झुलस गए। इस दौरान इमारत में फंसे 14 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। आग लगने की शुरूआत पार्किंग क्षेत्र में रखे दोपहिया वाहनों से हुई। संदेह है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी। अग्निशमन विभाग के नियंत्रण कक्ष के एक अधिकारी ने जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि आलापुरा इलाके के चार मंजिला अपार्टमेंट में पार्किंग क्षेत्र में लगी आग देखते ही देखते अपार्टमेंट की पहली मंजिल तक पहुंच गई। अफरा-तफरी के बीच अग्निशमन विभाग के दल ने आग में फंसे 14 लोगों को सुरक्षित बचाया।

एक अन्य अधिकारी ने बताया कि अग्निकांड में सात लोग झुलस गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें छह वर्षीय एक बच्ची, 10 वर्षीय एक लड़का और दो महिलाएं शामिल हैं।

MEENAKSHI STEEL INDUSTRIES LIMITED
CIN – L52110DL1985PLC020240
Regd Office: K-27, Jiya Sarai, 1st Floor, Near IIT Gate, New Delhi 110 016
Website : www.meenakshisteel.in Email Id : meenakshisteelindustries@gmail.com
NOTICE
NOTICE is hereby given that the 34th Annual General Meeting of the Members of the Company will be held at the Registered Office of the Company at K-27, Jiya Sarai, 1st Floor, Near IIT Gate, New Delhi 110 016 on Saturday, 28th September, 2019 at 3.00 pm
The Annual Report for the financial year 2018-19 including the Notice convening this Annual General Meeting has been sent to the members at their registered address by post / courier and electronically to those members who have registered their email Id with the Company. The Book Closure date is Saturday, 21st September, 2019 to Saturday 28th September, 2019 (both days inclusive)
The Company is providing to its members facility to exercise their right to vote on resolution proposed to be passed at this Annual General Meeting by Electronic Mean (e-voting). The Members may cast their vote using an electronic voting system from the place other than Venue of the Meeting (Remote e-voting)
The Remote e-voting facility shall commence on **Wednesday, 25th , September, 2019 from 9.00 am and end on Friday, 27th September, 2019 at 5.00 pm.** The remote e-voting shall not be allowed beyond the aforesaid date and time.
A person whose name appear on Register of Members / Beneficial Owners as on 21st September, 2019 (Cut off date) only shall be allowed to avail the facility of remote e-voting / Voting at the meeting.
By order of the Board of Directors
For MEENAKSHI STEEL INDUSTRIES LIMITED
Sd/-
Sudha Jajodia
Director (DIN – 00376571)
Place: Mumbai
Date: September 6, 2019

आन्ध्रा बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)
बी-1/3, सफदरजंग एन्कलेव, नई दिल्ली-110029 फोन नंबर 011-26714564
कब्जा सूचना
{ प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (1) }
चल संपत्ति के लिए
जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के अधिनियम 54) के अंतर्गत आन्ध्रा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 31.12.2018 जारी कर ऋणधारक श्री दिलीप कुमार परिहार पुत्र श्री गुरु सम्पत कुमार ,प्रथम तल,फ्लॉट न.137 ,पॉकेट 2 , सेक्टर -22 ,रोहिणी दिल्ली -110085 (सह- आवेदक/गारंटर) श्री राजेश पांचाल पुत्र श्री जे पी पांचाल ,1/4081 ,राम नगर शाहदरा ,दिल्ली -110032 को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 4,19,610.32/- (रु. चार लाख उन्नीस हजार छः सौ दस और बत्तीस पैसे) वापस लौटाने का निदेश दिया था ।
ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 22 जुलाई, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा ले लिया है ।
ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूति परिसम्पत्तियों को मिमांसित करने के लिए उपलब्ध समय के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है ।
विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवहार न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवहार ऋणधारकों पर बकाया राशि तथा उस पर ब्याज के लिये आन्ध्रा बैंक के चार्ज के अधीन होगा ।
चल संपत्ति का विवरण
संपत्ति से संबंधित सभी अंश और खंड
फोर्ड एंडेवर-फोर्ड इकोस्पोर्ट 1.5 एम्बिएंट पेट्रोल ,इंजन न. FY53873 , चेसिस न. MAJAXXMRKFY53873, रंग -पी ब्लेक ,रजिस्ट्रेशन न.DL8CAK9449, वर्ग -एलएमवी, निर्माण वर्ष-2015
दिनांक: 02.09.2019
स्थान: नई दिल्ली
चीफ मैनेजर एवं प्राधिकृत अधिकारी
आन्ध्रा बैंक

SMC Credits Ltd.
24, Ashoka Chambers, 5-B Rajindra Park, Pusa Road, New Delhi – 110060
CIN: L65910DL1992PLC049566
Email Id: smccorp011@gmail.com Ph: 011-45012880 Website: www.smccredits.com
NOTICE
NOTICE is hereby given that the 27th Annual General Meeting (AGM) of the members of SMC Credits Limited will be held on Monday the 30th September, 2019 at 10.30 A.M. at the Registered Office of the Company at 24, Ashoka chambers, 5-B, Rajindra Park, Pusa Road, New Delhi-110060 to transact the business as set out in the Notice convening the AGM.
Electronic copy of Notice dated 13th August, 2019 along with Annual Report for the Financial Year 2018-19 have been sent to all the members whose e-mail IDs are registered with the Company / Depository Participant(s). The dispatch of the same has been completed on 5th September, 2019.
E-Voting: Members are hereby informed that in compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing its members the facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at the AGM from a remote location (Remote e-voting). The Company has engaged the service of National Securities Depository Limited (NSDL) as the authorized 'Agency' to provide the facility of remote e-voting.
The detail instructions of remote e-voting are given in the Notice of the AGM. Members are requested to note the following:
1. The remote e-voting shall commence on Friday, 27th September, 2019 at 10.30 a.m.;
2. The remote e-voting shall end on Sunday, 29th September, 2019 at 5.00 p.m.;
3. The remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on 29th September, 2018.
4. The Cut-off date for determining the eligibility to vote through remote e-voting or at the AGM is 23rd September, 2019.
5. The facility for voting through Ballot Paper shall be made available at the AGM for members who have not cast their vote through remote e-voting.
6. Members may note that:
(i) The remote e-voting module shall be disabled by NSDL beyond 5.00 p.m. on 29th September, 2019 and once the vote on resolution is cast by the members, the members shall not be allowed to change it subsequently;
(ii) The members who have cast their vote by remote e-voting prior to AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; and
(iii) A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at AGM through ballot paper.
7. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and remote e-voting user manual for Members available at the downloads section of www.evoting.nsdl.com or call on Toll free no. 1800-222-990.
Book Closure: Further, Notice is hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and the Rules framed there under and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed on 24th September to 30th September, 2019 for the purpose of the Annual General Meeting.
For SMC CREDITS LIMITED
Sd/-
(PRASAHESH ARYA)
Director
Place : New Delhi
Date : 05.09.2019

BASANT INDIA LIMITED
R.O.: 912, IndraPrakash Building, 21 Barakhamba Road, New Delhi 110001
Email Id: basant.india@gmail.com, Tel No. 011 23716341
CIN: L51909DL1985PLC021396
NOTICE OF THE 34TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE
Pursuant to the provisions of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") and applicable provisions of Companies Act, 2013 ("the Act"), if any, and Rules made thereunder, "Notice" is hereby given that the 34th Annual General Meeting (AGM) of Basant India Limited is scheduled to be held on Monday, September 30, 2019 at 3:00 P.M. at 912 Indra Prakash Building, 21 Barakhamba Road New Delhi-110001 to transact business mentioned in the Notice convening AGM.
Notice is also hereby given that pursuant to Section 91 of the Act read with Rule 10 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 ("the Rules") as amended from time to time, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company for e-voting will be closed from Tuesday 24th September 2019 to Monday, 30th September, 2019 (both days inclusive) for the aforesaid AGM.
Electronic copies of the Annual Report for the financial year 2018-19 along with the Notice convening 34th AGM have been sent to all the members whose e-mail addresses are registered with the Company/Depository Participant(s), unless a member has requested for physical copy of the same. Other than the members whose e-mail addresses are not registered with the Company/Depository Participant(s), physical copies of the above mentioned documents have been sent at their Registered address in the permitted mode.
In compliance with the Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Rules as amended from time to time, and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Company is pleased to provide its members the facility to cast their vote electronically, through the e-voting services provided by Central Depository Services India Limited (CDSL), on all resolutions proposed to be considered at the aforesaid AGM.
Further, the facility for voting through Ballot paper/ polling paper shall be made available at the AGM.
All members are hereby informed that:
(i) the Businesses as set out in the Notice of 34th AGM of the Company may be transacted through voting by electronic means;
(ii) the remote e-voting period commences on Friday, September 27, 2019 (9.00 A.M. IST);
(iii) the remote e-voting period ends on Sunday, September 29, 2019 (5.00 P.M. IST);
(iv) cut-off date: Monday, September 23, 2019;
(v) Any person, who acquires and/or allotted/issued shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as on the cut off date, may obtain the login ID and password by sending a request to the contact person mentioned in point no. (vii);
(vi) The members may note that:
a) Remote e-voting shall not be allowed beyond Sunday, September 29, 2019 (5:00 P.M. IST);
b) The facility for voting through Ballot paper/ polling paper shall be made available at the AGM of the Company and members attending the AGM who have not already casted their vote by remote e-voting shall be able to vote at the AGM;
c) A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the AGM through Ballot paper; and
d) A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cutoff date shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM.
(vii) The Notice of 34th AGM of the Company along with the Annual Report, Attendance Slip, Proxy Form is available on the Company's website i.e. http://www.basantindia.in/ and CDSL's website i.e. www.evotingindia.com; and
(viii) In case you have queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or basant.india@gmail.com. The helpdesk can also be contacted on their toll free number: 1800225533. In case of any grievances connected with the facility for voting by electronic means, please contact Mr. Rakesh Dalvi, Manager, CDSL, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai-400013
For Basant India Limited
Sd/-
(Sudhanshu Sekhar Nayak)
Company Secretary & Compliance Officer
Date: 05.09.2019
Place: Delhi

DCM LIMITED
पंजी. कार्यालय: विकास टावर, 4, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली- 110008
CIN: L74899DL1889PLC000094
फोन: (011) 25710087, फैक्स: (011) 25785214
ई-मेल आईडी: investors@dcm.in, वेबसाइट: www.dcm.in
सूचना
एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि डीसीएम लिमिटेड (दि "कम्पनी") के सदस्यों की 129वीं वार्षिक साधारण बैठक ("एजीएम"), सूचना पत्र में वर्णित व्यापार के लेन-देन के लिए, एमडीसीए हाल ऑडिटोरियम, डी दिल्ली कुशवाही वाणिज्य कक्ष, सिविल लाइन्स, नई दिल्ली-110054 में सोमवार 30 सितम्बर, 2019, सुबह 11.00 बजे आयोजित की जाएगी।
एतद्द्वारा यह भी सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014, समय-समय पर यथा संशोधित, के अनुपालन में, उपरोक्त एजीएम के प्रयोजन के लिए, सदस्यों का रजिस्टर एवं शेयर हस्तांतरण बहियां मंगलवार, 24 सितम्बर, 2019 से सोमवार, 30 सितम्बर, 2019 (दोनों दिन सम्मिलित) को बंद रहेंगी।
वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 के साथ 129वीं एजीएम की सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से उन सदस्यों को भेजी जा रही है जिनके ई-मेल पते कम्पनी/डिपॉजिटरीज के पास पंजीकृत हैं। जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं उन्हें सोमवार पद्धति द्वारा भौतिक प्रतियां भेजी जा रही हैं।
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 तथा उसके साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20, समय-समय पर यथा संशोधित, तथा सेबी (लिस्टिंग ऑब्लीगेशन्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशन्स, 2015, के विनियमन 44, समय समय पर संशोधित, के अनुसार कंपनी अपने सदस्यों के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा उपलब्ध ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से, उपरोक्त एजीएम में विचार किए जाने वाले सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने का अधिकार प्रयोग करने की सुविधा सतर्क प्रदान कर रही है।
पुनश्च, मतपत्र के माध्यम से वोट देने की सुविधा एजीएम में उपलब्ध होगी। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले ही रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दे दिया है वे भी एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं किंतु वे एजीएम में अपना वोट नहीं डाल सकेंगे।
श्रीमती प्रज्ञा पटनिया प्रधान, पूर्णकालिक अध्यक्षता कंपनी सचिव, मैसर्स प्रज्ञा प्रधान एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिवों, को प्रोफेसनल को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग प्रक्रिया व एजीएम पर मतदान की संचालित करने के लिए पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।
सभी सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि:
i. कंपनी की 129वीं एजीएम की सूचना में वर्णित निर्धारित सामान्य कार्यकलापों तथा विशेष कार्यकलापों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग की कार्यवाही की जा सकती है;
ii. रिमोट ई-वोटिंग अवधि शुक्रवार, 27 सितम्बर, 2019 (प्रातः 9.00 बजे भा.मा.स.) से आरंभ हो रही है;
iii. रिमोट ई-वोटिंग अवधि रविवार, 29 सितम्बर, 2019 (सायं 5.00 बजे भा.मा.स.) को समाप्त हो रही है;
iv. कट-ऑफ तिथि: सोमवार, 23 सितम्बर, 2019;
v. कोई व्यक्ति, जो कंपनी के शेयर को अधिग्रहण करता है तथा नोटिस के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि यानी 23 सितम्बर, 2019 को शेयर धारण करता है, वह evoting@nsdl.com पर आवेदन करके लॉग इन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है या टोल फ्री नंबर: 1800-222-990 पर एनएसडीएल से संपर्क कर सकता है। हालांकि, यदि कोई सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल से पहले से ही पंजीकृत है तो वह अपना वोट डालने के लिए अपनी मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग कर सकता है।
vi. सभी सदस्य नोट करें कि:
(A) रविवार, 29 सितम्बर, 2019 (सायं 5.00 बजे भा.मा.स.) के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी;
(B) मतपत्र के माध्यम से वोट देने की सुविधा एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में उपस्थित वे सदस्य जिन्होंने पहले ही रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं दिया है वे एजीएम में अपना वोट डाल सकेंगे;
(C) रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने के अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी सदस्य एजीएम में भाग ले सकते हैं किंतु उन्हें एजीएम में फिर से वोट डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी; और
(D) कोई व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि यानी 23 सितम्बर, 2019 को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा रखे गए लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है वही रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम में वोट देने की सुविधा पाने के हकदार होंगे;
vii. कंपनी की 129वीं एजीएम का सूचना पत्र कंपनी की वेबसाइट (www.dcm.in) और एनएसडीएल की वेबसाइट (www.evoting.nsdl.com) पर उपलब्ध है; और
viii. किसी भी तरह के मामले में, सदस्य 'सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू)' एवम 'ई-वोटिंग यूजर मैनुअल' जो www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड भाग में उपलब्ध है, का संदर्भ ले सकते हैं या श्री राकेश कुमार दलाल, वरिष्ठ प्रबंधक, सी डमपनीज, वरिष्ठ प्रबंधक, एमडीएस हाउस हाउसिंग एवंट डिमिटेड, एफ-65, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-I, नई दिल्ली-110020, फोन नं.-011-41406149, ई-मेल- admin@masserviceltd.com या एनएसडीएल से टोल फ्री नं. 1800-222-990 पर संपर्क करें, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से जुड़ी शिकायतों का समाधान करेंगे।
इस सूचना में निहित जानकारी कंपनी की वेबसाइट (www.dcm.in) और बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (www.nseindia.com) की वेबसाइट(ों) पर भी उपलब्ध होगी।
कृते डीसीएम लिमिटेड
हस्ता/-
यादविन्दर सोखल
कंपनी सचिव
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 06.09.2019

RELAXO FOOTWEARS LIMITED
RELAXO
Registered Office: Aggarwal City Square, Plot No. 10, Manglam Place, District Centre, Sector-3, Rohini, Delhi - 110085. Phones: 91-11-46800600, 46800700. Fax No: 91-11-46800692,
E-mail: rfl@relaxofootwear.com, Website: www.relaxofootwear.com
CIN No:- L74899DL1984PLC019097
35वीं वार्षिक आम बैठक, ई-मतदान एवं बही बंद करने की सूचना (इस सूचना के एजेंडम समेत)
एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि कम्पनी के सदस्यों की 35वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) गुरुवार, 26 सितम्बर, 2019, सुबह 10.30 बजे, श्री राय बाबू ईवेन्टस्पेस सेंटर, जोनी सेल बुलिटिनदुकान एरिया, वसंत विहार, नई दिल्ली - 110057 में होगी, जिसका कि उद्देश्य, 10 मई, 2019 दिनांकित सूचना और 26 अगस्त, 2019 दिनांकित इस सूचना के अतिरिक्त सूचना में वर्णित व्यापारों (बिजनेस) को पूरा करना है।
कम्पनी ने 2 सितंबर, 2019 और उससे पहले ही वित्त वर्ष 2018-19 की वार्षिक रिपोर्ट सहित, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एजीएम की सूचना, एजीएम सूचना का एजेंडम, उपस्थिति पर्ची और प्रॉक्सी फॉर्म उन सदस्यों को ई-मेल कर दिया है, जिनके ई-मेल पते डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (यदि शेयरधारण इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो) और कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड ("कार्वी") के पास दर्ज हैं और जिन सदस्यों के ई-मेल पते डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट/कार्वी में दर्ज नहीं हैं (वास्तविक शेयरधारण की स्थिति में) उन्हें उनके पंजीकृत पते पर मान्य माध्यम से भेज दिए हैं। उपरोक्त डॉक्यूमेंट कम्पनी की वेबसाइट www.relaxofootwear.com और कार्वी की वेबसाइट https://evoting.karvy.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।
कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 108 के प्रावधानों के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20, समय-समय पर संशोधित, भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठक संबंधित मानक (एसएस-2) और एसईबीआई (सूचीकरण दायित्व एवं आवश्यक उद्घोषणा) विनियमन, 2015 के विनियम 44 के अनुसार कम्पनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (रिमोट ई-मतदान) से मतदान की सुविधा दे रही है और कार्वी द्वारा दी गई मतदान की सुविधा के माध्यम कार्वी को पूरा किया जा सकता है। रिमोट ई-मतदान के विस्तृत विवरण 10 मई, 2019 दिनांकित एजीएम की सूचना में भी दिए गए हैं। मतदान पत्र से मतदान करने की सुविधा एजीएम स्थल पर दी जाएगी।
सदस्यों से निवेदन है कि निम्नलिखित का ध्यान रखें:
क) रिमोट ई-मतदान सोमवार 23 सितंबर, 2019 के 9.00 बजे (आईएसटी) आरंभ और बुधवार, 25 सितंबर, 2019 के 17.00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगा। इसके बाद कार्वी ई-मतदान मॉड्यूल को अक्षम कर देगी और वर्णित तिथि एवं समय के बाद सदस्यों को मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी प्रस्ताव पर मतदान करने के बाद, सदस्य को उसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
ख) गुरुवार, 19 सितंबर, 2019 ("कट ऑफ/रिकॉर्ड तिथि") में कम्पनी के पेड-अप इक्विटी कैपिटल के शेयरों के अनुसार से सदस्यों को मतदाधिकार दिए जाएंगे। कट ऑफ/रिकॉर्ड की तिथि में जिनके नाम कार्वी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास सूचीबद्ध सदस्यों की पंजी या लाभार्थियों की पंजी में होंगे उन्हें रिमोट ई-मतदान या एजीएम में मतदान, जैसे भी स्थिति हो, करने का अधिकार दिया जाएगा।
ग) एजीएम की सूचना भेजने के बाद सदस्य बने और गुरुवार, 19 सितंबर, 2019, अर्थात, कट ऑफ की तिथि में शेयर रखने वाले व्यक्ति evoting@karvy.com या 040-67162222 या कार्वी के टोल फ्री नंबर 1800-3454-001 या कम्पनी से rfl@relaxofootwear.com के माध्यम से निवेदन कर लॉग-इन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने की विस्तृत जानकारी सहित मैनुअल की 10 मई, 2019 दिनांकित सूचना में भी दी गई है।
घ) मतदान पत्र से मतदान करने की सुविधा बैठक के आयोजन स्थल पर उपलब्ध करवाई जाएगी। बैठक में उपस्थित सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई-मतदान के माध्यम से पहले से वोटिंग वोट नहीं डाला है बैठक में मतदाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।
ङ) बैठक से पूर्व रिमोट ई-मतदान द्वारा अपना वोट डाल चुके सदस्य भी बैठक में उपस्थित हो सकते हैं, पर उन्हें एजीएम में दोबारा मतदान करने का अधिकार नहीं होगा।
कम्पनी के निदेशक मंडल ने इसकार्वी और पारदर्शिता के साथ रिमोट ई-मतदान प्रक्रिया और बैठक में मतदान द्वारा मतदान पर निगरानी रखने के लिए कार्यवाही, कम्पनी सचिव, श्री बलदेव सिंह कलसाना (एसीएस नं. 3018, सी.पी. नं. 3158) को स्क्रुटनाइजर नियुक्त किया है।
रिमोट ई-मतदान और एजीएम में दिए गए मतदान के परिणामों को बैठक समापन के अधिक से अधिक अड़तालीस घंटों के अंदर घोषित कर दिए जाएंगे। मतदान के परिणामों के साथ स्क्रुटनाइजर की रिपोर्ट की घोषणा, पंजीकृत कार्यालय में शनिवार, 28 सितंबर, 2019 या उससे पहले प्रबंध निदेशक या कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा विधिवत् अधिकृत अन्य व्यक्ति करेंगे और स्टॉक एक्सचेंजों, डिपॉजिटरीज और कार्वी को इसकी सूचना देने के साथ-साथ ये परिणाम कम्पनी की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किए जाएंगे।
इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान संबंधी यदि कोई शिकायतें/सवाल हों/स्पष्टताएं चाहिए हों, तो सदस्य https://evoting.karvy.com के डाउनलोड सेक्शन में शेयरधारकों के लिए सहायता और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यूज) और शेयरधारकों के लिए ई-मतदान उपयोग पुस्तिका देखें और/या श्री रमेश देसाई, प्रबंधक - कॉर्पोरेट रजिस्ट्री, फ्यूचेक्स रिलेशनशिप फुटवियर्स लिमिटेड, कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम, टावर बी, प्लॉट नं. 31-32, गाचीबोवली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद-500032 या evoting@karvy.com या संपर्क सं. 040-6716 2222 या कार्वी के टोल फ्री नं. 1800-3454-001 से संपर्क करें। कम्पनी के सदस्य श्री विकास कुमार टाक, कम्पनी सचिव, रिलेक्सो फुटवियर्स लिमिटेड, अग्रवाल सिटी स्क्वेयर, प्लॉट नं. 10, मंगलम प्लेस, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, सेक्टर - 3, रोहिणी, दिल्ली-110085, संपर्क सं.: 011-46800600 से संपर्क और rfl@relaxofootwear.com पर ई-मेल लिख सकते हैं।
बही बंद रखना: आगे सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम की धारा 91 के साथ पठित, उसके तहत बने नियमों और सूचीकरण नियमन के नियम 42 के अनुसार, सदस्यों की बही और कम्पनी

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे क्लाइंट, मेसर्स मुथूट फाईनान्स लि. (GSTIN 32AABCT0343B1Z7), पंजीकृत कार्यालय: तल 2, मुथूट चेम्बर्स, बैनर्जी रोड, कोच्चि – 682018, केरल, भारत, CIN: L65910KL1997PLC011300, दूरभाष: +91 484-2396478, 2394712, फैक्स: +91 484-2396506, mails@muthootgroup.com, www.muthootfinance.com ऋण चुकाने में असफल ऋणियों के गिरवी रखे सोने के गहनों (30.06.2018 की अवधि तक NPA खातों) की निम्नलिखित विवरणों के अनुसार नीलामी करेगी। इच्छुक सभी व्यक्ति भाग ले सकते हैं।

नीलामी की तिथि: 13.09.2019

Bazpur - (UT): MSL-11824, MUL-1101, 1163, 1266, 1305, 1306, 1359, 1361, 1412, 1430, 1477, 1550, 1556, 1596, 1663, 1686, 1690, 1711, 1851, 1873, 1973, 1980, 2101, 2105, 2117, 2123, 2135, 2177, 2272, 2365, 2390, 2433, 2438, 2517, 2537, 2642, 2659, 2690, 2756, 2860, 2863, 2898, 2899, 2967, 2996, 3023, 3081, 3086, 3087, 3118, 3171, 3191, 3193, 3388

नीलामी की तिथि: 14.09.2019

Gadarpur - (UT): MUL-287, 712, 807, 810, 811, 812, 923, 927, 931, 996, 1062, 1082, 1148, 1151, 1172, 1247, 1279, 1293, 1347, 1365, 1404, 1422, 1441, 1450, 1509, 1602, 1611, 1643

नीलामी की तिथि: 16.09.2019

Khatima - (UT): MGL-9, 39, 41, 68, 69, 83, 92, 199, 214, 295, MUL-33, 35, 37, 40, 52, 68, 69, 103, 198, 218, 225, 226, 227, 260, 267, 272, 286, 288, 307, 309, 323, 355, 371, 377, 395, 429, 442, 462, 531

नीलामी की तिथि: 17.09.2019

Kichha - (UT): MUL-878, 715, 1068, 1080, 1130, 1348, 1400, 1415, 1464, 1488, 1549, 1597, 1718, 1775, 1924, 2047, 2130, 2166, 2229, 2301, 2340, 2343, 2460, 2521, 2586, 2686, 2726

नीलामी की तिथि: 18.09.2019

Ram Nagar - (UT): MGL-152, 279, 283, 303, 369, 402, 437, 458, 459, 462, 477, 505, MSL-8, 160, 244, 460, 488, MUL-38, 39, 43, 50, 51, 52, 60, 61, 150, 152, 153, 154, 155, 158, 171, 190, 200, 212, 238, 270, 312, 315, 351, 355, 369, 385, 389, 390, 396, 481, 488, 562, 573, 626

कम शुद्धता के गहनों की नीलामी (31.12.2018 की अवधि तक एनपीए खाते)

नीलामी की तिथि: 13.09.2019

Bazpur - (UT): MUL-1969, 2838, 2899

नीलामी की तिथि: 17.09.2019

Kichha - (UT): MHP-4

नीलामी की तिथि: 18.09.2019

Ram Nagar - (UT): MUL-710

नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमशः उन्हीं शाखाओं में संचालित की जाएगी। हालांकि, कृपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियों) में नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलामी आगामी तिथियों में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचनाएं नहीं दी जाएंगी।

कोहली एण्ड सोनी, एडवोकेट, ए 59ए, पहली मंजिल, लाजपत नगर–II, नई दिल्ली – 110024

नोट: ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का भुगतान करके अपने गहनों की गिरवी छुड़ा सकते हैं। ग्राहक ईमेल आईडी: auctiondelhi@muthootgroup.com या 7834886464,7994452461 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे क्लाइंट, मेसर्स मुथूट फाईनान्स लि. (GSTIN 32AABCT0343B1Z7), पंजीकृत कार्यालय: तल 2, मुथूट चेम्बर्स, बैनर्जी रोड, कोच्चि – 682018, केरल, भारत, CIN: L65910KL1997PLC011300, दूरभाष: +91 484-2396478, 2394712, फैक्स: +91 484-2396506, mails@muthootgroup.com, www.muthootfinance.com ऋण चुकाने में असफल ऋणियों के गिरवी रखे सोने के गहनों (30.06.2018 की अवधि तक NPA खातों) की निम्नलिखित विवरणों के अनुसार नीलामी करेगी। इच्छुक सभी व्यक्ति भाग ले सकते हैं।

नीलामी की तिथि: 13.09.2019

Delhi - Nehru Place: MUL-2510, 2552, MWS-183, 184, 493, 503, 834, 887, **Hauz Khas:** MUL-614, 2876, 2891, 2944, 3017, 3041, 3058, **Connaught Place:** MUL-1831, 1957, 1996, 2030, 2124, 2165, 2181, 2197, 2204, 2221, 2229, 2233, MXL-9962, **Delhi - Lajpat Nagar:** MPO-6, **Sarai Juleana:** MGL-1797, 2040, MSL-28881, 32168, 32169, 32171, MWS-699, 913, 934, 1201, 1426, 1600, 1607, 1766, **Munirka:** MUL-3544, 3633, 3783, 3948, 4100, 4108, 4142, 4304, 4306, 4317, 4339, 4342, 4395, 4448, 4582, 4650, 4668, 4686, 4691, 4708, 4753, 4767, 4813, 4833, 4842, MWS-200, 676, 704, 707, 771, 842, 846, 951, 1057, 1149, 1154, 1318, 1442, 1589, 1632, 1733, 1945, **Delhi - Kalkaji:** MHL-264, MUL-1339, 1357, 1378, 1495, **Nehru Place II:** MUL-1014, 1230, MWS-273, 297, 478, PPL-5714, **Daryaganj:** MUL-2228, 2235, 2283, 2413, 2475, 2589, 2595, 2711, 2746, 2783, 2821, **Yusuf Sarai:** MUL-1643, 1658, 1743, 1781, 1972, **Tughlakabad Extn:** MWS-490, 592, 824, 843, 871, 942, 976, **Mehrauli:** MWS-709, 802, 835, 864, 1017, 1021, 1036, 1205, 1247, 1249, 1357, 1403, 1411, 1435, 1486, 1687, **Malviya Nagar:** MUL-1185, 2063, 2240, **Green Park:** MOS-73, MUL-1320, 2132, 2464, 2551, **Kalkaji Extn:** MUL-1960, 2026, 2097, 2112, 2245, 2456, 2496, 2603, 2635, 2739, 2947, 2879, 3221, 3415, 3465, 3524, 3612, 3625, 3672, MWS-32, 34, 90, 92, **Saket:** MUL-1972, 2115, 2951, 2988, 3001, 3045, 3075, 3132, 3161, 3227, 3271, 3315, 3363, 3386, 3471, 3700, **Jangpura:** MSL-10238, MUL-1204, 1416, 1641, 1904, 1928, 2113, 2214, **New Delhi - Kotla:** MUL-1589, 2543, 2504, 2649, 2649, 2772, 2803, 2942, 3055, 3087, 3286, 3290, **Okhla Phase II:** MUL-1069, 1799, 2057, 2154, 2206, 2211, 2215, 2249, 2254, 2306, 2363, **Mehipalpur:** MUL-1326, 1430, 1540, 1591, 1643, 1721, 1975, 1982, 2053, 2081, 2272, 2308, 2309, 2351, 2410, 2522, **Vasant Kunj - Masoodpur:** MUL-824, 1021, 1111, 1242, 1379, 1412, 1419, 1462, 1599, **Hari Nagar Ashram:** MUL-1006, 1092, **Delhi - Sant Nagar:** MLS-33, MUL-837, 1014, 1140, 1276, 1333, 1423, **Asaf Ali Road:** MUL-665, 675, **R. K Puram:** MUL-1288, 1889, 1918, 2295, 2345, 2396, 2641, **Katwaria Sarai:** MSL-10006, 10130, 10177, 10159, MUL-1053, 1231, 1237, 1270, 1272, 1366, **Lado Sarai:** MSL-17633, 17634, 18019, MUL-1549, 1834, 2321, 2335, 2421, 2543, 2621, 2636, 2662, 2678, 2729, 2834, 2954, 2972, **Chuna Mandi:** MUL-1312, 1314, 1345, 1369, 1388, 1463, 1536, 1541, 1619, 1686, 1696, **Jeewan Nagar:** MAL-587, 625, MSL-6430, MUL-609, 720, 747, 856, 986, 1014, 1145, 1158, **Lajpat Nagar - 3 CS Road:** MUL-893, Pul Pehladpur MAL-1289, 1401, 1523, 1643, 1761, 1769, 1829, MUL-1957, 2250, 2365, 2388, 2509, 2625, **Delhi - Chirag:** MUL-508, 609, 930, 940, **Devli Khanpur:** MUL-1112, 1997, 2116, 2199, 2290

कम शुद्धता के गहनों की नीलामी (31.12.2018 की अवधि तक एनपीए खाते)

नीलामी की तिथि: 13.09.2019

Delhi - Nehru Place: MWS-1168, **Munirka:** MWS-1273, **Delhi - Kalkaji:** MWS-586, **Daryaganj:** MUL-2408, 2414, **Jangpura:** MUL-2865, **New Delhi - Kotla:** MUL-3022, 3038, 3926, **Delhi - Okhla Phase II:** MUL-1841, 1868, **Hari Nagar Ashram:** MUL-1757, **Jeewan Nagar:** MUL-1729, **Lajpat Nagar - 3 CS Road:** MUL-1651, **Pul Pehladpur:** DPL-23, **Delhi - Chirag:** MUL-870, **Devli Khanpur:** MUL-2937

नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमशः उन्हीं शाखाओं में संचालित की जाएगी। हालांकि, कृपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियों) में नीलामी पूरी नहीं हो जाती तो ऐसी स्थिति में यह सूचित नीलामी वही दिनांक **14.09.2019** को क्रमशः नीलामी केंद्र **K-24, Feroze Gandhi Road, Lajpat Nagar –II, New Delhi - 110024** में संचालित की जाएगी/जारी रहेगी। और ऐसी स्थिति में जहां इस संबंध बावजूद कथित गहनों की नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलामी आगामी तिथियों में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचनाएं नहीं दी जाएंगी।

कोहली एण्ड सोनी, एडवोकेट, ए 59ए, पहली मंजिल, लाजपत नगर–II, नई दिल्ली – 110024

नोट: ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का भुगतान करके अपने गहनों की गिरवी छुड़ा सकते हैं। ग्राहक ईमेल आईडी: auctiondelhi@muthootgroup.com या 7834886464,7994452461 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

जज पर सुरक्षा गार्ड से मारपीट व वर्दी फाड़ने का आरोप

कटिहार, 5 सितंबर (भाषा)।

बिहार के कटिहार जिले के न्यायाधीश पर उनके सुरक्षाकर्मी ने गाड़ी के जाम में फंसने को लेकर मारपीट करने और वर्दी फाड़ देने का आरोप लगाया है।

सहायक थाना अध्यक्ष राजेश कुमार ने गरुवार को बताया कि कटिहार जिला व सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार मल्लिक द्वारा सुरक्षा गार्ड सिपाही हरिवंश कुमार पर कार्यालय कक्ष में आकर अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाते हुए लिखित शिकायत की है। दोनों ओर से प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और कानूनी रूप से मामले की उच्च स्तरीय जांच की जा रही है। सुरक्षाकर्मी हरिवंश द्वारा बुधवार रात प्राथमिकी दर्ज कराई गई। इसमें उसने आरोप लगाया कि बुधवार को जब वह जिला व सत्र न्यायाधीश को गाड़ी से उनके आवास से लेकर न्यायालय जा रहे थे। इस दौरान मिर्चाईबारी चौक पर जाम में गाड़ी फंस गई। जाम होने के कारण जिला व सत्र न्यायाधीश बिफर गए। सुरक्षाकर्मी ने शिकायत में आरोप लगाया कि गुस्से में उस पर बिफरते हुए न्यायाधीश ने थप्पड़ मारा और वर्दी फाड़ दी। उसने आरोप लगाया है कि अदालत परिसर में गाड़ी के पहुंचने तक वह अभद्र भाषा का प्रयोग करते रहे। हरिवंश ने न्यायाधीश पर अदालत पहुंचने पर भी उसके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। शिकायत में उसने कहा कि वह जान बचाने के लिए समाहरणालय की तरफ भागा और बाद में पुलिस मेंस एसोसिएशन के सदस्यों के साथ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक से मिलकर न्याय की गुहार लगाई ।

ठाणे, पालघर में दो लोग नालों में बहे

ठाणे, 5 सितंबर (भाषा)।

महाराष्ट्र के ठाणे और पालघर जिलों में बाढ़ के पानी से भरे नालों में पिछले दो दिन में सात साल के बच्चे सहित दो लोग बह गए।

पुलिस ने बताया कि ठाणे में भिवंडी तहसील के नाइपाड़ा निवासी लक्ष्मण तपीसार (62) मंगलवार को नाले के तेज बहाव में बह गए। स्थानीय पुलिस ने बताया कि मूसलाधार बारिश में तपीसार घर जा रहे थे। उसी दौरान मंगलवार दोपहर करीब ढाई बजे उनका पैर फिसल गया और वह नाले में गिर गए।

जिला आपदा नियंत्रण अधिकारी अनिता जवानजल ने बताया कि वह अभी भी लापता हैं। अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को सात वर्षीय अबु खान भी पालघर जिले में नालासोपारा के पास एक नाले में गिरा और तेज बहाव में बह गया। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि दोनों की तलाश जारी है। मुंबई में मंगलवार तथा बुधवार को भारी बारिश हुई थी।

बिरयानी मामले में बवाल बढ़ा, 43 के खिलाफ मुकदमा दर्ज

बांदा, 5 सितंबर (भाषा)।

महोबा जिले की चरखारी कोतवाली क्षेत्र के सालट गांव में उर्स के दौरान हिंदुओं को कथित मांसाहारी बिरयानी परोसने के मामले में 43 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि सालट गांव में 31 अगस्त को शेख पीर बाबा का उर्स आयोजित किया गया था। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक बृजभूषण राजपूत की 'शिकायत' के बाद पुलिस ने बुधवार को 43 लोगों के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। राजपूत ने यहां पत्रकारों से कहा कि 'हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने के लिए जानबूझकर बिरयानी परोसी गई। इस मामले में कठोर कार्रवाई आवश्यक है।' पुलिस अधीक्षक स्वामी नाथ ने विधायक की बात से असहमित जताते हुए कहा कि यह बात सही नहीं है कि जानबूझकर हिंदुओं को मांसाहारी बिरयानी परोसी गई। उन्होंने कहा कि इस मामले में जांच की जा रही है।

APLAYA CREATIONS LIMITED

CIN : L17122DL1996PLC332121

Registered Office: Unit No. OPT-208, 2nd Floor, DLF Prime Towers, F-79-80,Okhla Industrial Area, Phase-1,New Delhi-110020 IN

Branch Office- Shop No.-3,Wing-B,Hanshwar Apt,sonwar Bazar, Bhandarwada Naka, Malad West,Mumbai-400064, Maharashtra, India

Email-info@aplayacreations.com, **Website:** www.aplayacreations.com

Phone : 011-41049222, **Mobile No.** +918376058996

NOTICE OF 36th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 36th Annual General Meeting of the members of the company will be held on Monday, September 30, 2019 at 10:30 a.m at Crown Plaza, Plot No. 1 Community Centre, Pocket A, Okhla Phase I, Okhla Industrial Area, New Delhi-110020 to transact the Business, as set out in the Notice of AGM.

The said Notice along with the Proxy Form, Attendance Slip, and Annual Report inter-alia containing Director's Report, Auditor's Report and Audited Financial Statement has been dispatched to all Members at their registered address or email ids on 5th September, 2019 and the same is also available on the website of the Company at www.aplayacreations.com and the Notice of the AGM is also available on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Adminstration) Rules, 2014, Members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using electronic voting system from a place other than the venue of the AGM ("remote e-voting"), provided by NSDL and the business may be transacted through such voting.

The remote e-voting period commences on 27th September, 2019 from 09:00 a.m (IST) and ends on 29th September, 2019 at 05.00 pm (IST). During this period, Members may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter.

The voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid up equity share capital of the Company as on 23rd September, 2019 ("cut-off date"). Any person, who is a Member of the Company as on the cut-off date is eligible to cast vote on all resolutions set forth in the Notice of AGM using remote e-voting or voting at the AGM by poll.

A person who has acquired shares and become a member of the Company after dispatch of notice of AGM and holding shares as of cut-off date is eligible to cast vote on all resolutions set forth in the Notice of AGM using remote e-voting or voting at the AGM by Ballot paper. Such person may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, if the person is already registered with NSDL for remote e-voting then the existing user ID and password can be used for casting vote

The facility for voting, on a Ballot paper shall be made available at the AGM and Members who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the AGM. The Members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

For any queries or issues regarding e-voting, please refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at www.evoting.nsdl.com under help section or write an e-mail to evoting@nsdl.co.in or contact on toll free number provided by NSDL 1800222080 or contact Mr. Nitin Ambure, Vice President National Securities Depository Limited Trade World – A Wing: Kamala Mills Compound Lower Parel, Mumbai - 400013. In case of grievances/difficulties, Members may also contact M/s. Skyline Financial Services Pvt. Ltd., the Registrar and Share Transfer Agents of the Company.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 23rd September, 2019 to 29th September, 2019 (both dates inclusive) for the purpose of Annual General Meeting of the Company for the Financial Year ended 31st March, 2019.

Persons entitled to attend and vote at the meeting, may vote in person or by proxy/through authorised representative, provided that all proxies in the prescribed form/authorisation duly signed by the person entitled to attend and vote at the meeting are deposited at the Registered Office of the Company, not later than 48 hours before the Meeting.

For Aplaya Creations Limited
Sd/-
Amit Madaan
Executive Director

Place: New Delhi
Date: 5th September, 2019

एलसीआरडी/डिवीजन/नई दिल्ली
द फेडरल टावर्स, ऊपरी भू तल, 2/2, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली–110008,
फोन नं. 011–40733980, 40733978
ई–मेल: ndllcrd@federalbank.co.in

FEDERAL BANK
YOUR PERFECT BANKING PARTNER

एनडीएलडब्ल्यू/एसपीएल 903/2019 तिथि: 4.9.2019

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 (1) के साथ पठित सरफेसी अधिनियम, 2002 (यहां के बाद अधिनियम के रूप में वर्णित) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

1. श्री रजत शर्मा, पुत्र श्री अशोक शर्मा, निवासी 510ए, अरलिआस अपार्टमेन्ट, डीएलएफ गोल्फ लिंक्स, गैलरिया डीएलएफ IV, गुड़गाँव–122009

आप में 1 ने प्रधान ऋणधारक के रूप में बैंक के पक्ष में आवश्यक प्रतिभूति अनुबंधों/ ऋण दस्तावेजों को निष्पादित करने के बाद द फेडरल बैंक शिवालिक शाखा से क्रमशः 28.9.2017 को रु. 40,50,000/– (रुपए चालीस लाख पचास हजार मात्र) तथा 29.12.2017 को रु. 73,00,000/– (रुपए तिहत्तर लाख मात्र) का कार ऋण सुविधा प्राप्त की है। बैंक से प्राप्त उपरोक्त साख सुविधा की प्रतिभूति के लिए आप ने अधोलिखित संपत्तियों के संदर्भ में हाइपोथेकेशन द्वारा बैंक के पक्ष में प्रतिभूति हित का निर्माण किया है:–

हाइपोथेकेटेड चल संपत्तियों का विवरण
1. ब्रैण्ड न्यू ऑडि ए 6 35 टीएफएसआई कार, कलर व्हाईट, पंजीकरण सं. HR26DH4056, चैसिस नं.– WAUZHG4G8HY000189, 5.10.2017 को परिवहन विभाग, गुरुग्राम उत्तर, हरियाणा में पंजीकृत।
2. ब्रैण्ड न्यू ऑडि क्यू 7 45 टीडीआई क्वैट्रो कार, कलर कैरारा व्हाईट, पंजीकरण सं. HR26DL0069, इंजिन नं. CVM016659, चैसिस नं.– WAUZKH4MXJY000178, 23.01.2018 को परिवहन विभाग, हरियाणा प्रधान कार्यालय चंडी., हरियाणा में पंजीकृत।

उपरोक्त हाइपोथेकेटेड संपत्तियां यहां के बाद ''प्रतिभूत परिसंपत्तियों'' के रूप में वर्णित हैं। फेडरल बैंक लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी एतद्द्वारा आपको सूचित करते हैं कि बैंक के एनडीएल/ शिवालिक शाखा में आपकी ऋण खाता 16777400000589 के अंतर्गत 1.8.2019 को संयुक्त एवं पृथक रूप से रु. 64,14,670/– (रुपए चौंसठ लाख चौदह हजार छह सौ सत्तर मात्र) तथा आप की ऋण खाता 16777400000456 के अंतर्गत 1.8.2019 को संयुक्त एवं पृथक रूप से रु. 30,68,072/– (रुपए तीस लाख अड़सठ हजार बहत्तर मात्र) अर्थात कुल रु. 9484742/– की राशि आप पर संयुक्त तथा पृथक रूप से बकाया है। पुनर्भुगतान में आपकी चूक को देखते हुए भा.रि.बैं. के दिशा निर्देशों के अनुसार आपकी खाता/ओं को गैर–प्रचालन परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है।

एतद्द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर कार ऋण खाता 16777400000589 में 30.7.2019 से भुगतान की तिथि तक मासिक रेस्ट्स के साथ 8.77% की दर पर आगे के ब्याज तथा 2% प्रति वर्ष की दर से दंड ब्याज तथा तथा कार ऋण खाता 16777400000456 में 30.7.2019 से भुगतान की तिथि तक मासिक रेस्ट्स के साथ तिथि तक मासिक रेस्ट्स के साथ 8.34% की दर से आगे के ब्याज तथा 2% की दर से दंड ब्याज तथा लागतों के साथ उक्त राशि का भुगतान करें, अन्यथा, बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत आप तथा ऊपर वर्णित प्रतिभूत परिसंपत्तियों के विरुद्ध पट्टा, एसाइनमेंट अथवा बिक्री द्वारा उसके अंतरण अथवा आपको आगे कोई सूचना दिए बिना बकाए की वसूली के लिए प्रतिभूत परिसंपत्तियों के प्रबंधन के अधिग्रहण के अधिकार सहित उसका अधिग्रहण करने जैसी सभी अधिकारों का प्रयोग किया जाएगा।

सूचित किया जाता है कि बैंक की लिखित अनुमति के बिना आप नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री, पट्टा अथवा अन्य रूप से अंतरण नहीं कर सकते हैं। अपनी देयता को निष्पादित नहीं करने तथा बैंक द्वारा उपचारात्मक कार्रवाई शुरू किए जाने की स्थिति में आप उसके आगे भी उस सिलसिले में वहन किए गए सभी लागत, चार्जेज तथा खर्चे का बैंक को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। यदि प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री राशि से संपूर्ण देयता पूरी नहीं होती है तो आगे बिना किसी सूचना बैंक शेष राशि की वसूली के लिए व्यक्तिगत रूप से आपके विरुद्ध कार्रवाई करेगा। आपका ध्यान प्रतिभूति परिसम्पत्तियों (प्रतिभूत सम्पत्तियों) को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट किया जाता है।

यह सूचना बकाए की वसूली के लिए बैंक को उपलब्ध अन्य अधिकारों तथा उपचारों के प्रति पूर्वाग्रह–रहित है।

यह सूचना 3 अगस्त, 2019 को जारी की गई थी तथा वह आपको सर्व नहीं की जा सकी किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि आपने उसे प्राप्त नहीं किया जिस कारण से सरफेसी अधिनियम के अनुसार यह प्रकाशन आवश्यक हो गया है।

द फेडरल बैंक लि. के लिए

आज, दिनांक 4 सितंबर, 2019 को दी गई। नाम एवं पद नाम (प्राधिकृत अधिकारी)

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon!

बीओ: एआरएमबी, मयूर विहार फेज–II, पॉकेट ई, कॉमर्सियल शॉपिंग कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली–110091 ईमेल: bo8075@pnb.co.in फोन: 011–22779758, 22782589

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड कंसोर्टियम की ओर से

जिसमें **आईडीबीआई बैंक लिमिटेड** (विडियोकॉन टावर, झण्डेवालान एक्स्टेंशन, नई दिल्ली–110055), **पंजाब नेशनल बैंक** (एआरएमबी, मयूर विहार फेज–II, पॉकेट ई, कॉमर्सियल शॉपिंग कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली–110091), **भारतीय स्टेट बैंक** (तनावग्रस्त परिसम्पत्ति प्रबंध शाखा–II, दिल्ली, तात्कालिक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर (एसबीबीजे) एवं स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद (एसबीएच), **एक्सिस बैंक लिमिटेड** (एक्सिस हाउस, टावर 1, 4 था तल, सेक्टर 128, नोएडा–201301), **विजया बैंक** (अब बैंक ऑफ बड़ौदा), कॉर्पोरेट बैंकिंग शाखा–1, विजया बिल्डिंग, 17, भू तल, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली–110001, **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया** (आईएफबी) (एम–11, मिडिल सर्किल, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001), ऑरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (एम–1/2/3, मिडिल सिर्किल, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001), **सिंडिकेट बैंक** (सी–18, शॉपिंग सेन्टर नं. 1, पश्चिम मार्ग, वसंत विहार, नई दिल्ली–110017, **बैंक ऑफ महाराष्ट्र** (प्रेस एन्क्लेव शाखा) (ई–11,12, प्रेस एन्क्लेव, नई दिल्ली–110017, **केनरा बैंक** (74, जनपथ, नई दिल्ली–110001), **इंडियन बैंक** (तनाव ग्रस्त परिसम्पत्ति प्रबंध वर्टिकल, ऊपरी भू तल, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर, बाबर रोड, दिल्ली–110001, **बैंक ऑफ बड़ौदा** (एमसीबी, 3 रा तल, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001, **बैंक ऑफ इंडिया** (एलसीबी, 10वां तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36, जनपथ, नई दिल्ली–110001), **आन्ध्रा बैंक** (तनाव ग्रस्त प्रबंध शाखा वर्टिकल, बी–29, दूसरा तल, कनॉट प्लेस, ईनर सर्किल, नई दिल्ली–110001) शामिल है।

परिशिष्ट–IV

[नियम 8 (1) देखें]

कब्जा सूचना

(अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत कंसोर्टियम बैंकिंग व्यवस्था जिसमें **आईडीबीआई बैंक लिमिटेड** (विडियोकॉन टावर, झण्डेवालान एक्स्टेंशन, नई दिल्ली–110055), **पंजाब नेशनल बैंक** (एआरएमबी, मयूर विहार फेज–II, पॉकेट ई, कॉमर्सियल शॉपिंग कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली–110091), **भारतीय स्टेट बैंक** (तनावग्रस्त परिसम्पत्ति प्रबंध शाखा–II, दिल्ली, तात्कालिक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर (एसबीबीजे) एवं स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद (एसबीएच), **एक्सिस बैंक लिमिटेड** (एक्सिस हाउस, टावर 1, 4 था तल, सेक्टर 128, नोएडा–201301), **विजया बैंक** (अब बैंक ऑफ बड़ौदा), कॉर्पोरेट बैंकिंग शाखा–1, विजया बिल्डिंग, 17, भू तल, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली–110001, **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया** (आईएफबी) (एम–11, मिडिल सर्किल, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001), ऑरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (एम–1/2/3, मिडिल सिर्किल, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001), **सिंडिकेट बैंक** (सी–18, शॉपिंग सेन्टर नं. 1, पश्चिम मार्ग, वसंत विहार, नई दिल्ली–110017, **बैंक ऑफ महाराष्ट्र** (प्रेस एन्क्लेव शाखा) (ई–11,12, प्रेस एन्क्लेव, नई दिल्ली–110017, **केनरा बैंक** (74, जनपथ, नई दिल्ली–110001), **इंडियन बैंक** (तनाव ग्रस्त परिसम्पत्ति प्रबंध वर्टिकल, ऊपरी भू तल, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर, बाबर रोड, दिल्ली–110001, **बैंक ऑफ बड़ौदा** (एमसीबी, 3 रा तल, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001, **बैंक ऑफ इंडिया** (एलसीबी, 10वां तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36, जनपथ, नई दिल्ली–110001), **आन्ध्रा बैंक** (तनाव ग्रस्त प्रबंध शाखा वर्टिकल, बी–29, दूसरा तल, कनॉट प्लेस, ईनर सर्किल, नई दिल्ली–110001) शामिल है के अंतर्गत सदस्य बैंक के रूप में पंजाब नेशनल बैंक (एआरएमबी, मयूर विहार फेज–II, पॉकेट ई, कॉमर्सियल शापिंग कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली–110091 के लिये तथा उसकी ओर से प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना जारी कर मै. शिल्पी केबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (प्रधान ऋणधारक कम्पनी, वर्तमान में मैक्वॉयर बैंक लिमिटेड बनाम शिल्पी केबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के मामले में एनसीएलटी के आदेश तिथि 1.5.2019 के माध्यम से परिसमापन के अधीन); श्री मुकेश कुमार गुप्ता पुत्र स्व.श्री हरिशंकर गुप्ता (निदेशक–सह–ऋणधारक–मार्टगैजर); श्री मनीश गोयल, पुत्र श्री मुकेश कुमार गुप्ता (निदेशक–सह–गारन्टर); श्री विशाल गोयल, पुत्र श्री मुकेश कुमार गुप्ता (गारन्टर–सह–मार्टगैजर; मै. शिल्पी केबल प्राईवेट लिमिटेड (कॉर्पोरेट) गारन्टर–सह–मार्टगैजर, वर्तमान में बीडीआर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्रा. लि. बनाम शिल्पी केबल प्राईवेट लिमिटेड के मामले में एनसीएलटी के आदेश तिथि 20.08.2019 के माध्यम से परिसमापन के अधीन); मै. शिल्पी कम्युनिकेशन प्राईवेट लिमिटेड (कॉर्पोरेट गारन्टर) तथा मै. एमबीएम इम्पेक्स प्रा. लिमिटेड (कॉर्पोरेट गारन्टर) को धारा 13 (2)के अंतर्गत जारी सूचना में वर्णित राशि के साथ उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर खर्चे, लागत एवं अन्य चार्जेज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

अधोलिखित कंसोर्टियम सदस्य बैंक के प्राधिकृत अधिकारियों ने उपरोक्त ऋणधारकों एवं गारन्टरों के लिये सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचनाएं जारी कर नीचे वर्णित राशि के भुगतान का निर्देश दिया था:

क्रम सं.	बैंक का नाम	मांग सूचना तिथि	बकाया राशि (रुपए में)	अधोलिखित तिति से बकाया आगे का ब्याज दर
1.	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	15.12.2017	रु. 225,80,17,020.43 (रुपए दो सौ पच्चीस करोड़ अस्सी लाख सत्तरह हजार बीस एवं पैसे तैंतालिस मात्र, 1.12.2017 को	2.12.2017 से अनुबंधित दर पर ब्याज तथा उस पर अन्य चार्जेज, अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज
2.	पंजाब नेशनल बैंक	2.1.2018	रु. 1286532953.00 (रुपए एक सौ अट्ठाईस करोड़ पैंसठ लाख बत्तीस हजार नौ सौ तिड़ेपन मात्र), 31.12.2017 को	1.1.2018 से अनुबंधित दर पर ब्याज तथा उस पर अन्य चार्जेज, अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज
3.	भारतीय स्टेट बैंक	28.11.2018	रु. 2200433920.00 (रुपए दो सौ बीस करोड़ चार लाख तैंतीस हजार नौ सौ बीस मात्र) 30.09.2018 को	1.10.2018 से अनुबंधित दर पर ब्याज तथा उस पर अन्य चार्जेज, अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज
4.	एक्सिस बैंक लिमिटेड	15.11.2018	रु. 282295525.65 (रुपए अट्ठाईस करोड़ बाईस

नवरात्रि से दिल्ली-लखनऊ के बीच दौड़ेगी तेजस ट्रेन

आइआरसीटीसी करेगा संचालित, मंत्रालय को भेजा गया मसौदा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 5 सितंबर।

नवरात्रि से दिल्ली-लखनऊ के बीच तेजस ट्रेन चलाई जाएगी। रेल मंत्रालय ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस ट्रेन का संचालन आइआरसीटीसी को सौंपा है। ट्रेन चलाने के लिए एक मसौदा रेल मंत्रालय को भेजा गया है। संभावना है कि पहली तेजस ट्रेन 4 अक्तूबर को दिल्ली से रवाना होगी। ट्रेन को मंगलवार छोड़कर बाकि 6 दिन चलाया जाएगा। हालांकि अन्य दो रूट पर अब तक रेल मंत्रालय ने कोई आखिरी फैसला नहीं लिया है।

रेल मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली-लखनऊ और मुम्बई-अमदाबाद के बीच दो ट्रेन चलाने के लिए आइआरसीटीसी को दी गई हैं। आइआरसीटीसी तीन साल तक इन ट्रेन का संचालन करेगा। बताया जा रहा है कि नए रूट के किराए को हवाई किराये से कम रखा जाएगा जबकि इसी रूट पर चलने वाली शताब्दी जैसी ट्रेन से इस ट्रेन का किराया अधिक होगा।

ट्रेन का किराया अधिक होने की वजह से इसमें किसी प्रकार की छूट या पास सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। इसके लिए रेल मंत्रालय की तकनीकी एजंसी बुकिंग का सॉफ्टवेयर तैयार कर रही है।

इस खबर को जनसत्ता ने 21 अगस्त को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। दरअसल भारतीय रेलवे ने 100 दिन के मसविदे में निजी क्षेत्र के तहत ट्रेन संचालन की योजना की घोषणा की थी।

इसी पहल के तहत आइआरसीटीसी इन दो ट्रेन का संचालन अपने हाथ में ले रहा है। इसके लिए आइआरसीटीसी रेल मंत्रालय को हॉलेज चार्ज देगी जबकि ट्रेन से होने वाली आय उसकी होगी। अब तक आइआरसीटीसी केवल टूरिस्ट व स्पेशल ट्रेन का ही संचालन कर रहा है।

देश में निर्मित है तेजस

तेजस ट्रेन को भारत में ही निर्मित किया गया है। यह ट्रेन अधिकतम 160 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से चल सकती है। इसका निर्माण रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में हुआ है। यह 20 डिब्बों की ट्रेन हैं और इसमें सभी डिब्बों में स्वचालित दरवाजे हैं।

ये भी हैं सुविधाएं

- **हर डिब्बे में चाय-कॉफी वेंडिग मशीन लगी है**
- **प्रत्येक सीट पर एलईसी स्क्रीन लगी है**
- **वाई-फाई की सुविधा से लैस है**
- **ट्रेन में बायो वैक्यूम शौचालय लगाए गए हैं**
- **टचलेस पानी नल, साबुन डिस्पेंसर व हाथ सुखाने की मशीन भी लगाई गई है**

74 साल में मां बनी महिला, जुड़वां बच्चियों को दिया जन्म

पचास सालों से कर रही थी मां बनने का इंतजार

अमरावती (आंध्रप्रदेश), 5 सितंबर (भाषा)।

मां बनने का पिछले पांच दशक से इंतजार कर रही आंध्र प्रदेश की 74 वर्षीय एक महिला का सपना अंततः पूरा हुआ और उसने गुरुवार को जुड़वा बच्चों को जन्म दिया।

डॉक्टरों का मानना है कि यह नया विश्व रेकॉर्ड हो सकता है।

गिनीज विश्व रेकॉर्ड के मुताबिक पिछला रेकॉर्ड 2006 में 66 वर्षीय स्पेन की एक महिला के नाम था। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के द्रक्षाराम की ई मंगयम्मा ने गुंटुर के निजी अस्पताल में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (आइवीएफ) के जरिए दो जुड़वां बच्चियों को जन्म दिया।

स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ सनककयला अरुणा ने कहा कि मां और दोनों नवजात बच्चियां सुरक्षित एवं स्थिर हैं। सनककयला अरुणा की ही देखरेख में सी-सेक्शन किया गया। मंगयम्मा की 1962 में ई राजा राव से शादी हुई थी और इतने सालों में उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी लेकिन जब उनके एक पड़ोसी ने आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन के जरिए 55 की उम्र में एक बच्चे को जन्म दिया, तो उनकी उम्मीद फिर से जागी और उन्होंने आइवीएफ आजमाया।

उन्होंने पिछले साल नवंबर में डॉ अरुणा का रुख किया, जो पूर्व में 1999 से 2004 के बीच चंद्रबाबू नायडू कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री रहीं। मंगयम्मा आइवीएफ प्रक्रिया से गुजरी और इस साल जनवरी में गर्भधारण किया।

फार्म नं. आईएनसी-26
(कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)
केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय संचालक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5)(ए) के मामले में
और
टैग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
(CIN: U22100DL2008PTC186052)
जिसका पंजीकृत कार्यालय फ्लैट नं. 147, विद्युत कॉम्प्लेक्स, ईश्वर नगर, मथुरा रोड, नई दिल्ली-110065 में है, के मामले में
.....आवेदक कंपनी/ याचिकाकर्ता
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के स्थानांतरण में परिवर्तन लाने हेतु कृपया कम्पनी के सदस्यों की असाधारण प्रस्ताव पारित करने का उद्देश्य विषय है, एवं विशेष प्रस्ताव एक असाधारण आम बैठक में कम्पनी की स्थापना करने हेतु 05 जुलाई, 2019 को आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली' से 'हरियाणा राज्य' में बदलने हेतु पारित किया गया।
अतः किसी व्यक्ति का जिस कम्पनी के इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण में स्वार्थ हो, वो वे अपना आपत्ति हेतु हलफनामा में उल्लेख करते हुए, जिसमें उसके हित/ विरोध के आधार हों, एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक निवेशक फार्म दर्ज कर या प्रपत्र निवेशक, उत्तरी क्षेत्र, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, सर्वोदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली -110003 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय 147, विद्युत कॉम्प्लेक्स, ईश्वर नगर, मथुरा रोड, नई दिल्ली -110065 पर इस सूचना के प्रकाशन के 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेजना चाहिए।
कृते टैग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
दिनांक: 05 सितम्बर, 2019 (सुनीता माहेश्वरी) (निदेशक)
स्थान: नई दिल्ली डीआईएन: 07950127

पीव्हीसी मार्केटिंग अंड प्रोमपार्ट प्रायव्हेट लिमिटेड
सीआयएनः यू74999डीएल2011पीटीसी
नोंदणीकृत कार्यालयः जी-16, हंस भवन, बहादूर शहा झफर मार्ग, नवी दिल्ली-110002
ई-मेल .....
सूचना (रिवाईज्ड)
अर्ज क्र. आयएनसी 26
[कंपनीज (इनकॉपोरेशन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुरूप]
केंद्र सरकार
क्षेत्रीय संचालक, उत्तरी क्षेत्र क्षेत्र, नई दिल्ली इनके सम्मुख
कंपनी कायदा, 2013, कंपनी कायदा 2013 के अनुच्छेद 13 (4) और कंपनीज (इनकॉपोरेशन) नियमावली 2014 के नियम 30 (5) (ए) के बारे में
और
पीव्हीसी मार्केटिंग अंड प्रोमपार्ट प्रायव्हेट लिमिटेड
के बारे में
जिनका पंजीकृत कार्यालय जी-16, हंस भवन, बहादूर शहा झफर मार्ग, नवी दिल्ली-110002, नई दिल्ली के यहां स्थित है - आवेदक/ याचिकादाता
सभी जनता को इस के जरिये सूचना दी जा रही है कि कंपनी का पंजीकृत कार्यालय ''एनसीटी दिल्ली'' से ''हरयाणा राज्य'' में स्थालांतरीत करने लिये कंपनी के मेमोरँडम ऑफ एसोसिएशन में संशोधित करने के लिये 01 एप्रिल 2019 के दिन सम्पन्न हुए एक्स्ट्रा ओर्डीनरी जनरल मीटिंग में व्यतीत किये गये विशेष प्रस्ताव को केंद्र सरकार से अनुमती प्राप्त करने के लिये कंपनी कायदा, 2013 के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत आवेदन पत्र देने का कंपनी विचार कर रही है।
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित बदलाव के कारण किसी भी व्यक्ती जिनके किसी भी स्वारस्य को बाधा होने की स्थिती में वह उसे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक आवेदन को भर के तथा उनके/ उसके आपत्ती का स्वरूप शपथ पत्र में बयान कर-के उनके/ उसके आपत्ती और विरोध के कारणों के साथ क्षेत्रीय संचालक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2रा माला, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 इनके पास प्रस्तुत सूचना के जारी होने के दिन से चौदह दिन के भीतर संपर्क करे और उस की एक प्रत आवेदक कंपनी के उपर्युक्त किये गये पंजीकृत कार्यालयः जी-16, हंस भवन, बहादूर शहा झफर मार्ग, नवी दिल्ली-110002
आवेदक के लिये और उनके ओर से
पीव्हीसी मार्केटिंग अंड प्रोमपार्ट प्रायव्हेट लिमिटेड
सही./-
जयंत जी. विमावाला
संचालक
(डीआयएन- 07191514)

ROSHANARA CLUB LTD.
Roshanara Garden, New Delhi 110007
NOTICE OF 98th ANNUAL GENERAL MEETING
Notice is hereby given that 98th (Ninety Eight) Annual General Meeting of Roshanara Club Limited (CIN - U91990DL1907PLC000098) shall be held at the Registered Office of the Company at Roshanara Garden, Delhi - 110007 on Saturday, the 28th September, 2019 at 2.00 P.M. to transact the following business:
ORDINARY BUSINESS
1. To receive, consider and adopt the Report of the Managing Committee, Audited Balance Sheet for the year ended 31st March 2019 and the Audited Income & Expenditure Account as on that date along with the Auditors' Report thereon.
2. To appoint Statutory Auditors - M/s Khanna & Annadhanam, Chartered Accountants (Firm's Registration No. 001297N) from financial year 2019-2020 for next five years and pursuant to section 139 of the Companies Act 2013 & to authorize the Board of Directors to fix their remuneration.
3. To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as an ordinary resolution:
RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 139, 142 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with Companies (Audit & Auditors) Rules 2014 (including statutory modification or reenactments thereof for the time being in force) appointment of M/s D.G. & Co., Chartered Accountants (Firm's Registration No 007714N) (who was appointed as statutory Auditors at 93rd AGM for Five years till the conclusion of 98th Annual General Meeting), as Statutory Auditors be and is hereby ratified and approved for financial year 2018-19, from the conclusion of this 98th Annual General Meeting till the conclusion of next 98th Annual General Meeting, on such remuneration plus service tax, out of pocket, travelling and living expenses, etc., as may be mutually agreed between the Board of Directors of the Company and the Auditors.
4. To elect and appoint all Fifteen Directors in place of all the existing Directors of the Company, as all retire by rotation in terms of section 152(6) and 160 of the Companies Act 2013, as amended, and the Article 43 and 44 of the Articles of Association of the Company, through ballot process as prescribed in Articles of Association.
For Roshanara Club Limited
(Subhash Nakhat)
Director & Hon Gen Secretary
(DIN – 00454225)
Place: New Delhi
Dated: 04 September 2019
B-63, Gujranwala Town, Part-I Delhi 110009

प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता में गिरावट, फसलों में पानी खपत कम करने पर हो जोर : महापात्र

नई दिल्ली, 5 सितंबर (भाषा)।

देश में प्रति व्यक्ति वार्षिक पानी उपलब्धता 2025 तक घट कर 1,465 घन मीटर रह जाने का अनुमान है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आइसीएआर) के एक शीर्ष अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी देते हुए पानी की खपत कम करने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल बढ़ाने और फसलों के विविधीकरण पर जोर दिया।

आइसीएआर ने यह भी घोषणा की कि वह भारत के लिए फसल योजना के संबंध में सुझाव देने के मकसद से एक तंत्र विकसित करने की ओर ध्यान दे रहा है, जिसके तहत किसानों को यह सुझाव दिया जायेगा कि किस क्षेत्र में किस फसल को उगाया जाए।

कृषि क्षेत्र में जल प्रबंधन के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आइसीएआर) के महानिदेशक टी. महापात्र ने बताया कि प्रति व्यक्ति सालाना जल उपलब्धता 1951 में 5,177 घन मीटर थी जो वर्ष 2014 में घट कर 1,508 क्यूबिक मीटर रह गई है।

उन्होंने चेताया, 'पानी की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 2025 तक 1,465 घन मीटर और 2050 तक 1,235 घन मीटर तक घटने जाने का अनुमान है। यदि यह और घट कर 1,000-1,100 क्यूबिक मीटर के आसपास रह जाती है, तो भारत को जल संकट वाला देश घोषित किया जा सकता है।' महापात्र ने आशंका जाहिर की कि ऐसी स्थिति में पानी को लेकर राज्यों के भीतर और अलग-अलग राज्यों के बीच लड़ाई बढ़ सकती है।

उन्होंने कहा कि कुल बुवाई रकबे की कुल 14 करोड़ हेक्टेयर भूमि में से केवल 48.8 प्रतिशत रकबे को ही सिंचाई सुविधा उपलब्ध है और बाकी बारिश पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि कुल छह करोड़ 83 लाख हेक्टेयर सिचित क्षेत्र में से लगभग 60 फीसद भूजल से सिचित होते है।

महापात्र ने कहा, 'कृषि क्षेत्र में पानी की खपत को कम करने की आवश्यकता है। हम कम पानी में भी अधिक उत्पादन कर सकते हैं। प्रधान मंत्री ने प्रति बूंद और अधिक फसल का आह्वान किया है।' महापात्र ने कहा कि इससे किसी जिले में कितने रकबे में कौन सी फसल उगाई जाए, इस बारे में सिफारिश करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस तरह की फसल योजना को लेकर सामने आने में लगभग एक साल लगेगा। पानी की कमी को एक गंभीर मुद्दा बताते हुए, महापात्र ने कहा कि आइसीएआर ने एक जुलाई से 15 अक्तूबर तक अपने खेतों में पानी के सही उपयोग के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए एक अभियान शुरू किया है। महापात्र ने कहा कि अत्यधिक सिंचाई से पानी और ऊर्जा दोनों की बर्बादी होती है और इससे उर्वरकों की क्षमता भी कम हो जाती है। फसल विविधीकरण पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, 'फसलों में बदलाव की आवश्यकता है। यदि कम पानी है, तो उन फसलों की खेती की जानी चाहिए जो कम पानी सोखते हैं।'

बिजली सुधारों में उपभोक्ताओं को ज्यादा अधिकार : आरके सिंह

नई दिल्ली, 5 सितंबर (भाषा)।

सरकार बिजली क्षेत्र में दूसरे चरण के सुधारों को तेजी से आगे बढ़ाने पर काम कर रही है। इसमें अन्य बातों के अलावा उपभोक्ताओं को सशक्त बनाया जा रहा है। इसके तहत ग्राहकों को 24 घंटे बिजली नहीं मिलने और स्थानीय समस्याओं को निर्धारित समय पर दूर नहीं किए जाने की स्थिति में वितरण कंपनियों को जुर्माना भरना होगा।

बिजली मंत्री आरके सिंह ने विशेष बातचीत में कहा, 'हम बिजली क्षेत्र में किए जा रहे सुधारों के तहत उपभोक्ताओं को अधिकार दे रहे हैं और यह पहली बार हो रहा है। बिजली देना एक सेवा है और उसके कुछ मानदंड है। ग्राहकों को 24 घंटे बिजली नहीं मिलने पर वितरण कंपनियों को उन्हें जुर्माना भरना होगा। इतना ही नहीं, ट्रांसफॉर्मर या किसी अन्य स्थानीय गड़बड़ी के निर्धारित समयसीमा में ठीक नहीं होने पर भी वितरण कंपनियों को ग्राहकों को जुर्माना देना पड़ेगा।'

उन्होंने कहा कि ये सब नई प्रशुल्क नीति में प्रावधान किए जा रहे हैं। यह फिलहाल मंत्रिमंडल के पास है जिसे जल्दी ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है। बिजली दरों को वाजिब स्तर पर बनाए रखने के लिए क्रास सब्सिडी (एक की लागत पर दूसरे को सब्सिडी) व्यवस्था पर लगाम लगाने और सब्सिडी का लाभ सीधे ग्राहकों को देने जैसे उपाय किए जा रहे हैं। सेवा गुणवत्ता का निर्धारण केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग और राज्य विद्युत नियामक आयोग मिलकर करेंगे। जुर्माने की राशि का निर्धारण राज्य विद्युत नियामक करेंगे।

राजग सरकार का पहला कार्यकाल हर गांव और हर घर बिजली उपलब्ध कराने के लिए सुर्खियों में रहा है। बिजली मंत्रालय इस बार क्षेत्र में व्यापक स्तर पर सुधार लाने के लिए कदम उठा रहा है। इसमें नई शुल्क नीति के साथ बिजली वितरण कंपनियों को पटरी पर लाने की उदय योजना में सुधार करना भी शामिल हैं। विशेषज्ञ इसे दूसरे चरण का सुधार कह रहे हैं। बिजली दरों से जुड़े सवाल के जवाब में सिंह ने कहा, 'हमने बिजली शुल्क को युक्तिसंगत बनाने के लिए कदम उठाया है। इसके तहत यह व्यवस्था की गई है कि जो सबसे कुशल बिजलीघर हैं और जहां अपेक्षाकृत बिजली की उत्पादन लागत कम है और जहां अतिरिक्त बिजली उपलब्ध है, कंपनियां वहां से पहले बिजली की आपूर्ति करेंगी। इसे बिजली खरीद समझौते (पीपीए) में शामिल किया गया है।'

धनशोधन मामले में जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व खजांची गिरफ्तार

नई दिल्ली, 5 सितंबर (भाषा)।

प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन से जुड़े एक मामले में जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के (जेकेसीए) के पूर्व खजांची एहसान अहमद मिर्जा को गिरफ्तार किया है।

अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि जेकेसीए के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला के कथित करीबी मिर्जा को बीती रात धन शोधन निषेध कानून के तहत गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय एजंसी ने इस मामले में जुलाई में फारुक अब्दुल्ला से चंडीगढ़ में पूछताछ की थी।अधिकारियों का कहना है कि मिर्जा को जेकेसीए के वित्तीय लेनेदेन की पूरी जानकारी होने के बावजूद वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि जांच में कई वित्तीय अनियमितताएं सामने आईं, जिनमें मिर्जा की संलिप्तता थी, लेकिन वह किसी का भी संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। सीबीआइ की एक प्राथमिकी और आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन का मामला दर्ज किया। फारूक अब्दुल्ला तथा तीन अन्य के खिलाफ 43 करोड़ रुपए की कथित हेराफेरी के आरोप में पिछले साल जुलाई में आरोपपत्र दाखिल किया गया था।

BHARAT EKANSH LIMITED
CIN: L74899DL1985PLC020973,
Regd. Off.: H No.116, F/F, Village Kotla, Mayur Vihar Phase-I, Near Hukum Singh Dairy, Delhi-110091
Ph. No.: 9350777336-36, Website-www.bharatekansh.com, E-mail: bharat.ekansh.ltd@gmail.com
Extract of Un-audited Financial Results for the Quarter Ended 30th June, 2019 (in Rs)

Sr. No	Particulars	Quarter ended (30-06-2019) (Un-audited)	Year to date figures for the period ended (31-03-2019) (Audited)	Quarter ended (30-06-2018) (Un-audited)
1	Total income from operations	500,000.00	480,000.00	60,000.00
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	126,253.00	15,278.50	47,871.50
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	126,253.00	15,278.50	47,871.50
4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	126,253.00	495.50	47,871.50
5	Total Comprehensive Income for the Period (Comprising Profit/(loss) for the period (after Tax) and other Comprehensive Income (after Tax)) (Refer Note No. 2)	126,253.00	495.50	47,871.50
6	Equity share capital (Face Value of Rs. 10/- each)	8,269,210.00	8,269,210.00	8,269,210.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of previous year)	2,011,416.07	2,485,163.07	2,510,157.07
8	Earnings Per Share Face Value of Rs. 10 each(not annualised) Basic (Rs.)	0.153	0.001	0.058
	Diluted (Rs.)	0.153	0.001	0.058

Notes: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Un-audited Financial Results for the Quarter and Three Months Ended 30th June, 2019, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
For Bharat Ekansh Limited
Sd/-
Mukesh Kumar Sharma
(CFO)
Place: Delhi
Date: 05.09.2019

अखबार हाकर की हत्या से तनाव

जनसत्ता ब्यूरो
जयपुर, 5 सितंबर।

जयपुर के खो नागोरियान इलाके में एक अखबार के हाकर मन्नू लाल वैष्णव की हत्या के बाद इलाके में तनाव फैल गया। आरोपियों के गिरफ्तारी की मांग कर रही भीड़ पर पुलिस ने लाठियां बरसाई। इसमें भाजपा के पूर्व विधायक कैलाश वर्मा भी घायल हो गए। इसके बाद लोगों ने रास्ता जाम कर दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने हत्या के आरोप में रफीक नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। शहर के खो नागोरियान इलाके की मदीना कालोनी में अखबार बांटने वाले हाकर मन्नू लाल ने रफीक नाम के युवक से अखबार का पैसा मांगा था। इसपर ही उसने गुस्से में मन्नू पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। इससे उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही लोगों की भीड़ जमा हो गई।

Brahmaputra Infrastructure Limited
Regd. Off.: Brahmaputra House, A-7, Mahipalpur (NH-8 Crossing), New Delhi-110 037
No. 011-42290200, CIN : L55204DL1998PLC095933, Email: cs@brahmaputragroup.com
UN - AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE PERIOD ENDED 30th JUNE 2019
Part - I (Figures - ₹ in lakhs)-Excepts EPS

Sl. No.	Standalone unaudited Financial Results for the Quarter Ended 30th June 2019 — Particulars	Un-audited: Quarter ended 30/6/2019	31/3/2019	30/6/2018	Audited: Year Ended 31/3/2019
1	Income From Operations				
	a) Net Sales / Income from Operations (Net of Excise Duty)	4,528.98	6,778.74	4,994.09	23,743.01
	b) Other Operating Income	206.31	246.73	183.87	664.11
2	Total Income from operations (net)	4,735.28	7,025.47	5,177.96	24,407.12
3	Total Expenses	5,006.93	8,292.06	5,022.90	25,331.53
4	Profit/(Loss) before exceptional items and tax (1-2)	(271.63)	(1,266.58)	155.07	(924.41)
5	Exceptional Items - Expenditure / (Income)	(0.05)	(439.73)	(474.67)	(933.46)
6	Profit/(Loss) before tax (3-4)	(271.58)	(826.85)	629.74	9.05
7	Total Comprehensive Income/ (Loss) for the period	(271.75)	(779.79)	629.61	55.67
8	Paid-up equity share capital (Face Value of Rs. 10/- each)	2,901.84	2,901.84	2,901.84	2,901.84
9	Reserves excluding Revaluation Reserves as per Balance Sheet of previous accounting year				13,626.40
10	Earning Per Share (before extraordinary items) of Rs. 10/- each (Not annualised*)				
	(a) Basic	(0.94)	(2.69)	2.17	0.19
	(b) Diluted	(0.94)	(2.69)	2.17	0.19

This is an extract of un-audited financial results of 30th June 2019, in detail results are available on the BSE Corporate announcement Portal and on the Company Website.
For and on behalf of Board of Directors
Sd/-
Sanjay Kumar Mozika
Joint Managing Director
Din : 00004508
Place : New Delhi
Date : 4.09.2019

प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक
(प्रवर्तक: पंजाब नैशनल बैंक)
प्रधान कार्यालय: रामनगर विहार, मुरादाबाद
E-Mail : mngzb@prathamaupbank.com
क्षेत्रीय कार्यालय : 18 संजय नगर, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, गाजियाबाद (उ०प्र०)
फोन-0120-2783277, 0120-2783066 फैक्स नं०- 0120-2783333
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)
सिक्योरिटाइजेशन एवं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एण्ड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के अधीन तथा सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल 2002 के साथ पढ़ते हुए, अनुलग्नक 13 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक (पूर्वगामी सर्व यू.पी. ग्रामीण बैंक, भारत सरकार राजपत्र अधिसूचना दि. 29.02.19 के अनुसार दि. 01.04.2019 से प्रथमा बैंक के साथ समामेलन किया गया है) के प्राधिकृत अधिकारी ने संबंधित ऋणियों के नाम के सामने दर्शाए गए खातों के बंधक ऋणों के सामने दी गई तारीखों पर नोटिस की तारीख उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया था।
ऋणियों द्वारा राशि अदा करने में असफल रहने पर ऋणियों और जन-सामान्य को नोटिस दिया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी जिनका पंजीकरण नीचे दिया गया है ने खातों के सामने दी गई तारीखों पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पढ़ते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गई सम्पत्ति/ सम्पत्तियों का Symbolic कब्जा ले लिया है।
ऋणियों को विशेष रूप से एवं जन सामान्य को सामान्य रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्तियों के सम्बन्ध में किसी प्रकार का लेन देन ना करें। इन सम्पत्तियों से किसी प्रकार का लेन देन प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक को देय राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज के भार के पूर्ण भुगतान के पश्चात ही किया जा सकता है।

क्र.सं.	शाखा का नाम	खाता का नाम	ऋणी / गारन्टर का नाम	बंधक रखी गयी सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस की तारीख	प्रवर्तन नियमावली गये नोटिस की तारीख	बकाया राशि
1.	इन्दिरापुरम (गाजियाबाद)	9134NC00 002215	ऋणी: श्रीमती पिंकी सिंह पत्नी श्री ओम प्रकाश गारन्टर: श्री जाहिद खान पुत्र श्री शाकिर खान	फ्लैट नं0 485-C, न्याय खण्ड 48, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद । जिसका क्षेत्रफल 20.14 वर्ग मीटर है । उक्त प्रोपर्टी के हक विलेख उप निबन्धक तृतीय गाजियाबाद के बही सं0 1, जिल्द सं0 26098 पृष्ठ सं0 187-228 क्र0 सं0 49202 दिनांक 30.12.2013 पर दर्ज है	04.05.19/ 22.05.19	31.08.19	Rs. 1001312/- + ब्याज + अन्य खर्चे - वसूली तारीख तक
2.	इन्दिरापुरम (गाजियाबाद)	9134NC00 003171	ऋणी: श्री विकास कुमार सिंह पुत्र श्री जयप्रकाश सिंह सहऋणी: श्री सोनू पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद गारन्टर: श्री शरद कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह व श्री रामगोपाल पुत्र श्री बिहारी सिंह	फ्लैट नं0 335/336-B, न्याय खण्ड-II, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद । (फ्लैट नं. 336-B) क्षेत्रफल 20.14 वर्ग मीटर व प्रोपर्टी के हक विलेख उप निबन्धक तृतीय गाजियाबाद के बही सं0 1, जिल्द सं0 31943 पृष्ठ सं0 147-208 क्र0 सं0 12342 दिनांक 11.07.2016 पर दर्ज है । (फ्लैट नं. 336-B) क्षेत्रफल 20.14 वर्ग मीटर व प्रोपर्टी के हक विलेख उप निबन्धक तृतीय गाजियाबाद के बही सं0 1, जिल्द सं0 31943 पृष्ठ सं0 209-450 क्र0 सं0 12346 दिनांक 12.07.2016 पर दर्ज है ।	22.05.19	05.09.19	Rs. 2608730/- + ब्याज + अन्य खर्चे - वसूली तारीख तक
3.	सिवाया (बुलन्दशहर)	9100NC00 004831	ऋणी: श्री सुमित त्यागी पुत्र श्री पुनीत कुमार गारन्टर: श्री अमित कुमार त्यागी पुत्र श्री सतीश कुमार व श्री महावीर सिंह पुत्र श्री बुद्धप्रकाश	आवासीय मकान पत्नी डॉक्टर, सिवाया, बुलन्दशहर । जिसका क्षेत्रफल 235.20 वर्ग मीटर है । उक्त प्रोपर्टी के हक विलेख उप निबन्धक सियाना, बुलन्दशहर के बही सं0 1, जिल्द सं0 2076 पृष्ठ सं0 399-426 क्र0 सं0 9752 दिनांक 24.09.2012 पर दर्ज है ।	28.05.19/ 22.05.19	30.08.19	Rs. 3010040/- + ब्याज + अन्य खर्चे - वसूली तारीख तक
4.	रेलवे रोड (मेरठ)	9155NC00 004041 & 91550300 003292	ऋणी: श्री हरीओम शर्मा पुत्र श्री ब्रह्मदत्त शर्मा गारन्टर: श्रीमती आयुषी पत्नी श्री सोनू	सं0 सं0 2C-576 & 2C-577, स्कीम सं0 10, सै0 3, मध्यपुरम, मेरठ । जिसका क्षेत्रफल 69.14 वर्ग मीटर है । उक्त प्रोपर्टी के हक विलेख उप निबन्धक तृतीय मेरठ के बही सं0 1, जिल्द सं0 12338 पृष्ठ सं0 1-44 क्र0 सं0 7344 दिनांक 29.08.2017 पर दर्ज है	04.05.19/ 22.05.19/ 22.05.19	03.09.19	Rs. 2652854/- + ब्याज + अन्य खर्चे - वसूली तारीख तक
5.	राजनगर (गाजियाबाद)	9128NC00 031821	ऋणी: श्रीमती बबीता अग्रवाल पत्नी श्री नीरज अग्रवाल सहऋणी: श्री नीरज अग्रवाल पुत्र श्री राजकुमार अग्रवाल गारन्टर: श्री अमित अग्रवाल पुत्र श्री ब्रजमोहन	आवासीय मकान सं0 E-120, गन्ध ग्राम, गाजियाबाद। जिसका क्षेत्रफल 26.87 वर्ग मीटर है । उक्त प्रोपर्टी के हक विलेख उप निबन्धक तृतीय गाजियाबाद के बही सं0 1, जिल्द सं0 4852 पृष्ठ सं0 25-76 क्र0 सं0 4591 दिनांक 26.05.2008 पर दर्ज है	10.05.19	31.08.19	Rs. 722679/- + ब्याज + अन्य खर्चे - वसूली तारीख तक
6.	राजनगर (गाजियाबाद)	9128NC00 033905	ऋणी: श्री अंकुर पुत्र श्री अरविन्द गारन्टर: श्री विपिन कुमार पुत्र श्री गंगा प्रसाद	आवासीय भवन D-327, गन्ध ग्राम, गन्ध विहार, गाजियाबाद । जिसका क्षेत्रफल 26.87 वर्ग मीटर है । उक्त प्रोपर्टी के हक विलेख उप निबन्धक तृतीय गाजियाबाद के बही सं0 1, जिल्द सं0 10678 पृष्ठ सं0 153-224 क्र0 सं0 9508 दि0 17.11.2014 पर दर्ज है ।	01.06.19	31.08.19	Rs. 948105/- + ब्याज + अन्य खर्चे - वसूली तारीख तक
7.	राजनगर (गाजियाबाद)	9128NC00 033306	ऋणी: श्रीमती वीना शर्मा पत्नी श्री जयप्रकाश शर्मा सहऋणी: श्री जयप्रकाश शर्मा पुत्र श्री त्रिलोकचन्द शर्मा गारन्टर: श्री विकास शर्मा पुत्र श्री जयप्रकाश शर्मा व श्री राजीव मल्होत्रा पुत्र श्री मनोहर मल्होत्रा	आवासीय भवन सं0 C-440, स्कीम-C, द्वितीय तल, स्वर्णजयन्तीपुरम, गाजियाबाद । जिसका क्षेत्रफल 90.00 वर्ग मीटर है । उक्त प्रोपर्

खबर कोना

एफआइबीए विश्व कप में जर्मनी और जोर्डन के बीच मुकाबले के दौरान गेंद बास्केट में डालने का प्रयास करता खिलाड़ी।

भारत दौरे से पहले रणनीति बनाने में जुटे एनक्वे

जोहानिसबर्ग, 5 सितंबर (भाषा)।

दक्षिण अफ्रीका के हाल में नियुक्त अंतरिम टीम निदेशक इनोक एनक्वे ने कहा कि वह अगले हफ्ते शुरू हो रहे भारत दौरे पर सर्वश्रेष्ठ रणनीति तैयार करने में जी-जान से जुटे हैं। विश्व कप में कोच ओटिस गिब्सन के साथ निराशाजनक अभियान के बाद एनक्वे को नियुक्त किया गया था। उन्होंने कहा कि धर्मशाला में 15 सितंबर से टी-20 शृंखला के साथ शुरू हो रहे दौरे से पहले काफी काम किया जा चुका है। गुरुवार को टीम की रवानगी से पहले उन्होंने कहा कि भारत में सर्वश्रेष्ठ रणनीति क्या रहेगी, इसे ढूंढने के लिए काफी कुछ हो रहा है।

दक्षिण अफ्रीका टी-20 टीम में स्मट्स की जगह लेंगे लिंडे

जोहानिसबर्ग, 5 सितंबर (भाषा)।

भारत के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय शृंखला के लिए दक्षिण अफ्रीका ने आलराउंडर जॉन ट्रेवर स्मट्स की जगह बाएं हाथ के स्पिनर जॉर्ज लिंडे को शामिल किया। लिंडे इस समय भारत 'ए' के खिलाफ अनधिकृत वनडे शृंखला खेलने के लिए भारत में ही हैं।

सेमी फाइनल में नडाल और बेरेटिनी की होगी भिड़ंत

न्यूयार्क, 5 सितंबर (एएफपी)।

स्पेनिश स्टार रफेल नडाल अर्जेंटीना के डिएगो श्वार्ट्जमैन को 6-4, 7-5, 6-2 से शिकस्त देकर अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमी फाइनल में पहुंचे। अब उनका सामना इटली के माटियो बेरेटिनी से होगा। दूसरे वरीय और न्यूयार्क में तीन बार के चैंपियन नडाल ने पांच फुट सात इंच के श्वार्ट्जमैन के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया। वह अब 19वें ग्रैंडस्लैम खिताब की कोशिश में फाइनल में जगह बनाने के लिए 24वें वरीय बेरेटिनी से भिड़ेंगे। बेरेटिनी ने फ्रांस के 13वें वरीय गेल मोंफिल्स को तीन घंटे 57 मिनट तक चले मैराथन मुकाबले में 3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 7-6 से शिकस्त दी।

रफेल नडाल

नडाल इस तरह 33वें ग्रैंडस्लैम सेमी फाइनल में पहुंचे। इससे वह इतिहास में अंतिम चार में पहुंचने वाले खिलाड़ियों में रोजर फेडरर (45) और नोवाक जोकोविच (36) के बाद तीसरे नंबर पर हैं। वह न्यूयार्क में आठवीं बार सेमी फाइनल में पहुंचे। अमेरिकी ओपन में दो बार क्वार्टर फाइनल में जगह बना चुके श्वार्ट्जमैन पर लगातार आठवीं जीत दर्ज करने में नडाल को तीन घंटे लगे और यह मुकाबला गुरुवार तड़के तक चला। नडाल को तीसरे सेट में बांह के लिए उपचार लेना पड़ा लेकिन उन्होंने किसी भी तरह की चोट से इनकार किया। पिछले साल सेमी फाइनल में जुआन मार्टिन डेल पोत्रो के खिलाफ घुटने की चोट के कारण उन्हें रिटायर होना पड़ा था। उन्होंने कहा कि मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं। आज काफी उमस थी। मुझे कुछ जकड़न हुई और इसका मैंने कुछ उपचार किया। बस इतना ही। नडाल ने कहा कि मुझे लगता है, मैं ठीक हूं। कोई बड़ी समस्या नहीं है। अभी थोड़ा थका हूं, लंबा मैच रहा। अब सोऊंगा। लेकिन मुझे सही में लगता है कि मैं फिट हूं।

रोम के 23 साल के खिलाड़ी बेरेटिनी बुधवार को 42 साल में सेमी फाइनल में पहुंचने वाले इटली के पहले खिलाड़ी बन गए। उनसे पहले 1977 में इटली के कोराडो बाराजुट्टी अंतिम चार में पहुंचे थे। बेरेटिनी ने रोमांचक मैच के बाद कहा कि यह बढ़िया मुकाबला था। मुझे लगता है कि यह मेरा सर्वश्रेष्ठ मैचों में से एक रहा। मैं सचमुच काफी खुश हूं, नहीं पता कि क्या कहूं। इस तरह बेरेटिनी पुरुष ग्रैंडस्लैम के एकल सेमी फाइनल में पहुंचने वाले इटली के चौथे खिलाड़ी बन गए।

उन्होंने मैच के अंतिम सेट के बारे में बताते हुए कहा कि मैं भाग्यशाली रहा कि मुझे मैच प्वाइंट मिला और वह इसे हासिल नहीं कर पाया। इस समय मुझे कोई प्वाइंट याद नहीं, सिर्फ मैच प्वाइंट याद है। मुझे अपनी डबल फाल्ट भी याद है।

एंद्रीस्कू सेमी फाइनल में, बेनसिच से मुकाबला

न्यूयार्क, 5 सितंबर (एएफपी)।

कनाडा की बियांका एंद्रीस्कू ने बेल्जियम की एलीसे मर्टंस को हराकर महिला एकल वर्ग के अंतिम चार में जगह पक्की की। इसमें उनकी भिड़ंत बेलिंडा बेनसिच से होगी।

उन्नीस साल की खिलाड़ी एंद्रीस्कू ने 25वीं वरीय मर्टंस को 3-6, 6-2, 6-3 से शिकस्त दी। अब वह गुरुवार को होने वाले सेमी फाइनल में स्विट्जरलैंड की 13वीं वरीय बेनसिच से खेलेंगी जिन्होंने क्रोएशिया की 23वीं वरीयता प्राप्त डोना वेकिच का सफर 7-6, 6-3 से समाप्त किया।

एंद्रीस्कू इस तरह एक दशक में अमेरिकी ओपन के अंतिम चार में जगह बनाने वाली पहली युवा खिलाड़ी बन गईं। एंद्रीस्कू और बेनसिच कभी भी एक दूसरे से नहीं खेली हैं। वहीं सेरेना विलियम्स 24वां ग्रैंडस्लैम एकल खिताब जीतकर मार्गेट कोर्ट के रेकार्ड की बराबरी करने की कोशिश करेंगी। दूसरे सेमी फाइनल में उनका सामना उक्रेन की पांचवीं वरीय एलिना स्वितोलिना से होगा।

लोकेश राहुल की खराब फॉर्म से निराश हूं : जाफर

मुंबई, 5 सितंबर (भाषा)।

लोकेश राहुल के लगातार जूझने से भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर काफी निराश हैं। उन्हें लगता है कि इतनी काबिलियत के बावजूद भी कर्नाटक का यह खिलाड़ी एक अनसुलझी पहेली में उलझ गया है। टीम प्रबंधन द्वारा लगातार मौके दिए जाने के बावजूद राहुल सलामी बल्लेबाज के तौर पर विफल रहे हैं जिससे टीम में उनके स्थान पर सवाल उठाए गए।

राहुल ने पारी का आगाज करते हुए 36 मैचों में 33 में खेलते हुए 36.82 के औसत से रन जुटाए हैं। जाफर ने कहा कि मैं लोकेश राहुल से थोड़ा निराश हूं क्योंकि उनमें इतनी काबिलियत है, वह ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने खेल के सभी तीनों प्रारूपों में 100 रन बनाए हैं।

उन्होंने कहा कि और उनके आउट होने के तरीके से मैं थोड़ा निराश हूं क्योंकि वह कभी कभार इतने आराम से आउट हो जाते हैं। वह इतने सक्षम हैं इसलिए उन्हें इतने मौके मिल रहे हैं क्योंकि लोगों को भरोसा है कि वह अच्छा कर लेंगे। जाफर ने कहा कि वह जिस तरीके आउट होते हैं और जिस तरीके से वह रन नहीं जुटा पाते, इससे मुझे हैरानी होती है।

जिनान ओपन के क्वार्टर फाइनल में प्रज्नेश

जिनान (चीन), 5 सितंबर (भाषा)।

शीर्ष वरीय प्रज्नेश गुणेश्वरन ने गुरुवार को चीनी ताइपे के टुंग लिन वु पर कड़े मुकाबले में जीत से जिनान ओपन के एकल क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। हालांकि इस भारतीय खिलाड़ी को 162,480 डॉलर इनामी राशि के हार्ड कोर्ट टूर्नामेंट के तीसरे दौर में 6-4, 7-6 से जीत हासिल करने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।

प्रज्नेश को कई ब्रेकप्वाइंट मिले लेकिन वह आठ में से केवल दो को ही अंक में तब्दील कर सके और एक घंटे 34 मिनट तक चले मुकाबले में एक बार अपनी सर्विस भी गंवा बैठे। अब उनका सामना जापान के आठवें वरीय गो सोएडा से होगा जिन्होंने तीसरे दौर के एक अन्य मुकाबले में चीन के डि वु को 6-1, 6-2 से शिकस्त दी।

इस बीच युगल स्पर्धा में तीन भारतीय खिलाड़ी मौजूद हैं। शीर्ष वरीय दिविज शरण और मैथ्यू इबडन ने महज 45 मिनट में पेद्जा कर्स्टन और अकीरा संटिलान को 6-1, 6-4 से शिकस्त दी।

अब उनकी भिड़ंत साकेत मायनेनी और जीवन नेदुनचेझियान की चौथी वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी से होगी जिन्होंने क्वार्टर फाइनल में हिरोकी मोरिया और गोंकालो ओलिवेरा की जोड़ी पर 7-5, 6-2 से जीत हासिल की।

धवन का अर्धशतक बेकार, भारत 'ए' हारा

तिरुवनंतपुरम, 5 सितंबर (भाषा)।

शिखर धवन की 43 गेंद में 52 रन की पारी के बावजूद भारत 'ए' को वर्षा से प्रभावित चौथे अनौपचारिक एक दिवसीय मैच में दक्षिण अफ्रीका 'ए' के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। इस मैच में भारत डकवर्थ लुईस पद्धति के तहत चार रन से हार गया। दक्षिण अफ्रीका की ओर से मार्को जेनसन (25 रन पर तीन विकेट), एनरिच नोर्तजे (36 रन पर तीन विकेट) और लूथो सिपामला (55 रन पर तीन विकेट) ने तीन-तीन विकेट चटकाए। इससे भारत का मध्यक्रम ध्वस्त हो गया और मेहमान टीम जीत दर्ज करने में सफल रही।

बुधवार को बारिश के कारण मैच रिजर्व डे में खिंचा और गुरुवार को भी बारिश और मैदान गीला होने के कारण मैच विलंब से शुरू हुआ। शृंखला पहले ही अपने नाम कर चुके भारत 'ए' को लगातार चौथी जीत दर्ज करने के लिए 17.2 ओवर में 137 रन की दरकार थी। इस मैच का एक सकारात्मक पक्ष धवन का 15 सितंबर से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरू हो रही टी-20 शृंखला से पहले फॉर्म में लौटना रहा। बाएं हाथ का यह बल्लेबाज वेस्ट इंडीज दौरे पर सीमित ओवरों के मैचों में 36, 2, 3, 23 और एक रन की पारियां ही खेल पाया था। कप्तान श्रेयस अय्यर (26) और मुंबई टीम के उनके साथी शिवम दुबे (31) जब क्रीज पर थे तो भारत ए लक्ष्य हासिल करने की स्थिति में दिख रहा था लेकिन नोर्तजे ने तीन गेंद के भीतर दोनों को आउट किया। इससे मेजबान टीम राह से भटक गई और नौ विकेट पर 188 रन ही बना सकी। तीन छक्के जड़ने वाले दुबे का कैच स्थनापन्न खिलाड़ी खाया जोंडो ने लपका। एक गेंद बाद कप्तान अय्यर भी डीप में कैच दे बैठे।

सिपामला की गेंद पर विकेटकीपर सिनेथेम्बा केशिले ने संजू सैमसन (01) को शानदार कैच लपका। नितीश राणा (01) और एमएस वाशिंगटन सुंदर (07) भी बड़े शॉट खेलने की कोशिश में पवेलियन लौटे। राहुल चाहर (12 गेंद में 17 रन) एक छक्का और एक चौका जड़कर भारत को लक्ष्य के करीब ले गए लेकिन जीत नहीं दिला सके।

भारतीय अंडर-19 टीम ने एशिया कप में कुवैत को हराया

कोलंबो, 5 सितंबर (भाषा)।

गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन के बाद सलामी बल्लेबाज अर्जुन आजाद के अर्धशतक से भारतीय अंडर 19 टीम ने वर्षा से प्रभावित अंडर-19 एशिया कप एक दिवसीय टूर्नामेंट के ग्रुप ए के अपने मैच में गुरुवार को यहां कुवैत को सात विकेट से हरा दिया। बारिश के कारण मैच को 23 ओवर का कर दिया गया।

भारतीय कप्तान ध्रुव जुरेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया जिसके बाद कुवैत की टीम आकाश सिंह (22 रन पर तीन विकेट) और पूर्णांक त्यागी (28 रन पर तीन विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने निर्धारित 23 ओवर में सात विकेट पर 110 रन ही बना सकी।

इसके जवाब में भारत ने अर्जुन (नाबाद 60) की उम्दा पारी की बदौलत 19.1 ओवर में तीन विकेट पर 114 रन बनाकर जीत दर्ज की। अर्जुन ने 58 गेंद की अपनी पारी में पांच चौके और दो छक्के मारे। कुवैत को मीत भवसार (28) और गोकुल कुमार (25) ने पहले विकेट के लिए 54 रन जोड़कर अच्छी शुरुआत दिलाई। आकाश ने मीत को विकेटकीपर जुरेल के हाथों कैच कराके भारत को पहली सफलता दिलाई। कुवैत की टीम ने इसके बाद नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए और टीम सात विकेट पर 110 रन ही बना सकी।

कड़ी प्रतिस्पर्धा ने आगे बढ़ने में मदद की : इलावेनिल

नई दिल्ली, 5 सितंबर (भाषा)।

जूनियर से सीनियर सर्किट पर सफलतापूर्वक कदम रखने वाली तेजी से उभरती हुई निशानेबाज इलावेनिल वेलारिवान ने कहा कि एलीट खिलाड़ियों के बीच निशाना लगाना बिलकुल अलग होता है। बीस साल की इस निशानेबाज ने हाल में रियो दि जिनेरियो में आइएसएसएफ विश्व कप के दौरान सीनियर सर्किट पर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था।

जूनियर वर्ग में लगभग सभी शीर्ष प्रतियोगिताएं जीतने वाली अहमदाबाद की इलावेनिल ने इस साल सीनियर टीम में जगह बनाई।

बढ़त बनाने के बावजूद ओमान से हारा भारत

गुवाहाटी, 5 सितंबर (भाषा)।

कप्तान सुनील छेत्री के गोल से बढ़त बनाने के बावजूद भारत को गुरुवार को 2022 फीफा विश्व कप क्वालीफायर के अपने पहले मैच में ओमान के खिलाफ 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। दुनिया की 87वें नंबर की ओमान की टीम ने पिछड़ने के बाद जोरदार वापसी करते हुए राबिया अलावी अल मंधार (82वें और 89वें मिनट) के अंतिम आठ मिनट में दागे दो गोल की बदौलत जीत दर्ज की।

भारत को पहले हाफ में मौके गंवाने का खामियाजा भुगतना पड़ा जबकि दूसरे हाफ में ओमान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे तीन अंक हासिल किए। एशिया कप क्वालीफिकेशन 2023 की भी भूमिका निभा रहे इस मैच में हार के बाद भारतीय कोच इगोर स्टिमक ने कहा कि हमें गलतियों की दो बार सजा मिली। हमने मैच में अंतिम लम्हों में अंक गंवाए और अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे पास अंत में दूसरे स्थान के लिए टक्कर देने का शानदार मौका होता।

इससे पहले मौजूदा सक्रिय अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के बीच दूसरे शीर्ष स्कोरर 35 साल के छेत्री की बदौलत भारत ने 24वें मिनट में बढ़त बनाई। छेत्री का यह 72वां अंतरराष्ट्रीय गोल है।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 36, अंक 292, *हवाई शुल्क :* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।